दशम माला, खंड 9, अंक 18

बुधवार, 18 मार्च, 1992
28 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Sectic
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 18 मार्च, 1992/28 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषयसूची (ग)	6	"परियोजमाओं" के स्थान पर "परियोजनाओं" पढ़िये।
(ग)	नीचे से 4	"भारतीग" के स्थान पर "भारतीय" पढ़िये।
8	4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (च)" अंत: स्थापित कीजिए।
23	11	"श्री एस0बी0न्यायागौडर" के स्थान पर "श्री एस0बी0न्यामगौड" पढ़िये।
27	2	"श्री एस0बी0न्यायागौडर" के स्थान पर "श्री एस0बी0न्यामगौड" पढ़िये।
29	नीचे से पंक्ति 10	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (घ)" अंत: स्थापित कीजिए।
28	नीचे से 2	"श्रीमती मास्ग्रट आल्वा" के स्थान पर "श्रीमती मार्गरेट आल्वा" पढ़िये।
30	14	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (घ)" अंत: स्थापित कीजिए।
57	10	श्री जार्ज फर्नान्डीज से पहले प्रश्न संख्या "3501" पढ़िये।

77	नीचे से 2	"श्री एम0वी0वी0एम0मूर्ति" के स्थान पर "श्री एम0वी0वी0एस0मूर्ति" पढ़िये ।
80	नीचे से 4	"श्री हरीश नारायण प्रहला द्ये" के स्थान पर "श्री हरीश नारायण प्रभु झाद्ये" पढ़िये ।
82	17	"पारस्परिक" के स्थान पर "पारम्परिक" पढ़िये ।
88	नीचे से पंक्ति4	मंत्री के नाम के पश्चात "{क}" अंतःस्थापित कीजिये ।
105	12	कोयला के पश्चात "मंत्रालय में" अंतःस्थापित कीजिए ।
109	नीचे से पंक्ति4	"{घ}" के स्थान पर "{ख}" पढ़िये ।
121	नीचे से 5	शीर्षक "इन्सैट 2 ए" पढ़िये तथा "मार्च 18,1992 को उत्तरदेने के लिए" इसे निकाल दीजिए ।
128	3	"श्री अवतार सिंह भडाना के पश्चात अगली पंक्ति में "श्री एस0एन0वेकारिया" पढ़िये।
131	नीचे से 5	"श्री छीतू भाई गामीता" के स्थान पर "श्री छीतू भाई गामीत" पढ़िये ।
159	नीचे से पंक्ति5	"{घ}" के स्थान पर "{ख}" पढ़िये ।
168	नीचे से पंक्ति 2	"{क} से {घ}" के स्थान पर "{क} से {च} पढ़िये ।
178	17	"विचार" के स्थान पर "बिहार" पढ़िये ।
183	4	"श्री रामनारायण बेरवा" के स्थान पर "श्री राम नारायण बेरवा" पढ़िये ।

193	9	"-ं" के स्थान पर "(ड•)" पढ़िये ।
202	नीचे से 11	"370" के स्थान पर "3701" पढ़िये ।
214	नीचे से 2	"अध्यअ महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।
247	12	"श्री गाभा जी कंगाजी ठाकुर" के स्थान पर "श्री गाभाजी मंगाजी" ठाकुर" पढ़िये ।
263	नीचे से 2	"विधेल्क" के स्थान पर "विधेयक" पढ़िये ।
306	17	"अस्वीकार" के स्थान पर "अस्वीकृत" पढ़िये ।
308	नीचे से पंक्ति16	"अस्वीकृत" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये ।

विषय-सूची

.9	तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

बुधवार, 18 मार्च, 1992/28 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	....	1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या :	306 से 310, 312 और 313	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	....	28—215
तारांकित प्रश्न संख्या	311, 314, 316 से 323 और 325 ...	28—39
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3478 से 3528, 3530 से 3533, 3535 से 3546, 3548 से 3559, 3561, 3563 से 3566, 3568 से 3573, 3575 से 3584, 3586 से 3604, 3606 से 3630, 3632 से 3665, 3667, 3669 से 3672, 3674, 3676 से 3679 और 500 3681 से 3715	39—211
केरल में शहरी मूलभूत सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में दिनांक 11 12.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3425 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		212
टिहरी बांध के बारे में		215—224
सभा का कार्य ...	....	224—229
सभा पटल पर रखे गए पत्र		229—230
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
छठा प्रतिवेदन	— प्रस्तुत	230
लोक लेखा समिति	....	231

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत			
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति			
पहला प्रतिवेदन — प्रस्तुत	....	....	231
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	....	231
पश्चिम बंगाल में जूट कर्मकारों की लम्बे समय से चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति			
श्री बसुदेव आचार्य	....	....	231
			233—234
श्री अशोक गहलोत	....	....	232—233
			240—244
श्री अनिल बसु	....	....	235—237
श्री हन्नान मोल्लाह	....	....	237—239
श्री सुदर्शन रायचौधरी	....	....	239
श्री सुधीर गिरि	...	....	239—240
नियम 377 के अधीन मामले	....	....	244—247
(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर के शाहपुरा क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित किए किए जाने की आवश्यकता			
कुमारी विमला वर्मा	....	...	244—245
(दो) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में "नवोदय विद्यालय" खोले जाने की आवश्यकता			
श्री मानकूराम सोडी	....	....	245
(तीन) मध्य रेलवे की पचौरा और जामनगर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने तथा इसे अजन्ता की गुफाओं तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता			
श्री विजय एन० पाटिल	....	....	245—246
(चार) आगरा, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता			
श्री भगवान शंकर रावत	....	...	246
(पांच) बिहार के जहानाबाद क्षेत्र के उचित विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता			
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	....	....	246—247
(छः) गुजरात के खेड़ा जिले में कापड़वंज और थासरा तालुके में चट्टानों को चित्रित			

करने की प्रक्रिया को तेज करके रोजगार के और अधिक अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता			
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर	....	—	246—247
(सात) बिहार की गंडक और कोसी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	....	....	247
श्री शिव शरण सिंह		....	247
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प			
और			
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित	...	....	248—263
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
डा० सुधीर राय	....	....	248 - 250
श्री गोपी नाथ गजपति	...	....	250—251
श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे	....	....	251—253
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	....	...	253—256
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	...	257—262
लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प —वापस लिया गया	...	...	263
श्री गिरधारी लाल भार्गव	....	....	263
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक			
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री के. विजय भास्कर रेड्डी	....	....	263
भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प — अस्वीकृत			
और			
भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक	....	...	264—304 305—308
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	264—266
श्री एम.एल. फोतेदार	....	...	267—275 299—301

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	...	....	276—279
डा० बसन्त पवार	...	...	279—280
डा० राम चन्द्र डोम		....	280—283
श्री मणि शंकर अय्यर	....	....	283—285
श्री राम कापसे	....		285—286
श्री रमेश चेन्नितला	...	....	287—288
श्री पीयूष तीरकी	...	....	288
श्री ए० चार्ल्स	....		289—290
श्री मनोरंजन भक्त	....		290
श्री चित्त बसु			290—293
श्री जार्ज फर्नान्डीज	....		293—298
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री एम०एल० फोतेदार	....	....	307—308
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	—प्रस्तुत		304
सभा का कार्य	....	....	304

लोक सभा

बुधवार, 18 मार्च, 1992/28 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, सभा को चाहिए कि वह श्री सत्यजित राय को आस्कर पुरस्कार प्राप्त होने के लिए मुबारक दें। हम उनके स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत चिन्तित हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा आपके विचार से सहमत होगी। हम उन्हें बधाई देते हैं तथा उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अब प्रश्न सं० 306 श्री श्रीकान्त जेना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

***306. श्री श्रीकान्त जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रमों को उनके द्वारा उठाये गये घाटे के कारण बन्द कर दिया गया;

(ग) इन उपक्रमों की रूग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों के कामगारों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का है; और

(च) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रमों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) उड़ीसा राज्य में पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय क्षेत्र के पांच उद्यमों के शुद्ध लाभ (+)/हानि (—) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1990-91	1989-90	1988-89
नैशनल एल्युमिनियम कंपनी लि०	71.94	156.87	18.92
नीलाचल इस्पात निगम लि०	(निर्माणाधीन)		
पारादीप फास्फेट्स लि०	(—) 47.25	(—) 36.92	13.61
उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०	(—) 0.58	(—) 0.31	(—) 0.27
उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लि०	(—(0.07	(—) 0.28	(—) 0.10

(ख) सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम बन्द नहीं किया गया है।

(ग) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल (उड़ीस) ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०) ऐसा एक ही उद्यम है जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार, रूग्ण औद्योगिक कंपनी की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसकी रूग्णता के मुख्य कारण इस प्रकार है :

— औषधियां खरीदने के लिये राज्य सरकार द्वारा सक्रिय सहायता देने में कमी।

— बाजार क्षेत्र बल की कमी।

(घ) कंपनी का, विनिर्माणकारी सुविधाओं का आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार/विस्तार करने विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने, लागत नियंत्रण तथा बहुत बड़ी मात्रा में परंपरागत औषधियों पर केन्द्रित रहने का विचार है।

(ङ) उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनस्थापिन संबंधी योजनाए बनाते समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल कामगारों के हितों की रक्षा भी करेगा। इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना कर दी गई है।

(च) किसी विशेष स्थान पर सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करना तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके उत्तर के अन्तिम भाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा इसमें कहा गया है।

"किसी विशेष-स्थान पर सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना-तकनीकी-आर्थिक संभावना तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जहां आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। यदि आप नए उद्योगों स्थापना करें तो केवल तभी—सहायक—औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी और अन्य-सुविधायें भी मिलने लगेगी। निश्चय ही किसी उद्योग की स्थापना विधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह बात पूछ सकता हूं, कि वास्तव में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता क्या है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य को विशेष विचारण दिया गया है और क्या आठवीं योजना में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए उड़ीसा मे नए उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय सरकार की यह सुपरिचित नीति है कि नए उद्योगों की स्थापना करते समय क्षेत्रीय असंतुलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां तक तकनीकी आर्थिक संभावना का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा; कि यदि हर प्रकार का अध्ययन करने के बाद परियोजना तकनीकी तौर पर सभाव्य है और आर्थिक तौर पर व्यवहार्य दिखाई दे तभी अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

वह निर्णय केवल तभी लिया जाता है जब ऐसी किसी परियोजना की स्थापना के लिए निधियां या संसाधन उपलब्ध हों। तकनीकी संभाव्यता के संबंध में, मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि—यदि किसी विशेष स्थान पर तकनीकी स्थितियां इस प्रकार की हैं को उन तकनीकी शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता तो स्वभाविक है कि उद्योग चलेगा नहीं। इसी प्रकार यदि यह आर्थिक तौर पर व्यवहार्य न हो, तो निश्चय ही माननीय सदस्य हमें ऐसे उद्योग के संस्थापित करने के लिए नहीं कहेंगे, जो अतत: रुग्ण हो जायेगा। यदि वह आर्थिक तौर पर संभाव्य नहीं है तो निश्चित ही इसका भविष्य

अंधकारमय है। इसलिए, उद्योगों की संस्थापना करते समय हमें इस बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री श्रीकान्त जेना : जब तक कोई परियोजना तकनीकी तथा आर्थिक तौर पर जीवन क्षम एवं संभाव्य न हो न तो सरकार और न निजी उद्यमी-किसी उद्योग की संस्थापना करेंगे। यही आम-प्रचलन है। इसलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपके विभाग या भारत सरकार ने उड़ीसा में कितने उद्योग संभाव्य है। इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है।

भारत सरकार स्तर पर यह किस अवस्था में विलंबित पड़ी है। राज्य सरकार ने भारत सरकार क्यों कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति की सिफारिश की है। और कितनी परियोजनायें अब भी आपके पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है।

श्री पी०के० थुंगन : मैं समझता हूं कि यह एक व्यापक प्रश्न है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, जैसा कि मैंने बताया है, हमारे पास केवल पांच ही सरकारी क्षेत्र के उद्यम उड़ीसा में संस्थापित किये गये हैं। जहां तक नई परियोजनाओं का संबंध है, इस समय हमारे पास कोई तैयार प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह प्रश्न उड़ीसा में सरकारी उपक्रमों के हानि तथा लाभ से संबंधित हैं।

मन्त्री महोदय ने भाग (क) के उत्तर में केवल पांच नाम बताये हैं, जिनका मुख्यालय उड़ीसा में स्थित है। किन्तु इसके अलावा उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कई इकाइयां हैं जिनका मुख्यालय या निगमित कार्यालय उड़ीसा से बाहर है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, के कार्य निष्पादन का दर्जा खण्ड—दो पृष्ठ 3 से संबंधित विनिबंध की ओर आकर्षित करूंगा। जिसमें भारतीय उर्वरक निगम लि० तलचेर इकाई को एक हानिकारक इकाई बताया गया है, जिसमें औद्योगिक रुग्णता विकसित हो गयी है और प्रस्तावित उपायों के बारे में भी बताया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इसे या तो कर्मचारी सहकारिता को या निजी उद्यम को हस्तान्तरित या बेच दिया जायेगा। यह एक ऐसी यूनिट है जो रुग्णता का शिकार है, जिसकी रुग्णता जर्मन प्रौद्योगिकी में त्रुटि के कारण विकसित हुई। कोयले पर आधारित विश्व के सभी उर्वरक संयंत्रों में कठिनाई आ रही हैं और सबसे अधिक भारत में रामागुण्डम और तलचेर संयंत्रों में इन यूनिटों को पुनर्गठित तथा नवीकृत करने के लिए विशेषज्ञों ने अध्ययन भी किये हैं।

तलचेर यूनिट को किसी अन्य संगठन या श्रमिक सहकारिताओं को बेचने या हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव न करके, क्योंकि कोई श्रमिक सहकारिता सामने नहीं आ रही, क्या सरकार आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

दूसरे, उड़ीसा और बल्कि सारे भारत ही में विद्युत की कमी है। उड़ीसा में बहुत सारा कोयला है। उड़ीसा में वहां पर ऊर्जा श्रेणी के कोयला भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हीरमा

में भारतगुडा के पास एक अन्य सुपर तापीय बिजली संयंत्र के बारे में तकनीकी तथा संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस परियोजना को स्वीकृति मिलेगी और उड़सी में हीरमा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संयंत्र की स्थापना के लिए क्या प्राथमिकता की आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ एकक रुग्ण हैं । जहां तक उपचारात्मक उपायों का संबंध है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उन एककों को पुनरुज्जीवित या विविधीकृत करने या पुनर्शक्य बनाने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि रुग्ण एककों का मामला अब पुनर्वास तथा पुनरुज्जीवन योजना बनाने के लिए बी० आई० एफ० आर० के पास भेज दिया गया है। इसे किस ढंग से पुनरुज्जीवित किया जा सकता है इसके सभी पहलुओं को देखा जाता है। इसीलिये हमने सभी मुख्य कार्यकारियों को सूचित कर दिया है कि उन रुग्ण यूनिटों को जो बी० आई० एफ० आर० के पास भेजी जा सकती है, के० बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा जाये।

जहां तक विद्युत का पहलू का सम्बन्ध है, जहां तक ताप विद्युत संयंत्र का सम्बन्ध है, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

रिहायशी मकानों का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल

[हिन्दी]

307. **श्री राजेश कुमार**
श्रीमती शीला गौतम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिहायशी मकानों का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लीज की शर्तों के अनुसार यह अनुमेय नहीं है परन्तु, विशिष्ट मामलों में अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) क्षेत्रीय विनियमवों के अन्तर्गत छूट दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) लीज की शर्तों के उल्लंघन के मामले में फ्लैटों/भूखण्डों के निरसन के लिए तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आजकल डी० डी० ए० के रिहायशी मकानों का व्यावसायिक प्रयोजन काफी बढ़ गया है ? यदि हां तो सरकार की अनुमति से ऐसा हो रहा है ? यदि नहीं तो, ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ मामलों में विशेष अनुमति दी गई है। कुछ क्षेत्रों में जहां अनाधिकृत दुरुपयोग हुआ है, डी०डी०ए० की प्रवर्तन शाखा ने वर्ष 1990-91 में अवैध व्यावसायिक उपयोग गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र वार सर्वेक्षण किए हैं। ऐसा बताया गया है कि इन क्षेत्रों में 12862 अवैध व्यावसायिक उपयोग गतिविधियों के मामलों का पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष जी, सरकार ने कुछ ऐसे आंकड़े प्राप्त किये हैं जिनसे पता लगता है कि नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लीज की शर्तों के उल्लंघन के मामले में फ्लैटों/भूखण्डों के निरसन के लिए कितने व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या सरकार जारी करने का विचार रखती है।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, अप्रैल 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान अनाधिकृत निर्माण तथा परिसरों का दुरुपयोग कर रहे हैं 425 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। यदि आप 1987 के मामलों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल अभी यह जानकारी दे सकता हूं अन्यथा मैं आपको यह जानकारी बाद में दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो मकान पर हैं क्या इसका यह अर्थ नहीं होता कि जो फ्री होल्ड हैं, उन पर ऐसा कानून लगता है ? मेरा "ख" प्रश्न यह है कि दिल्ली में लीज प्रथा पूर्णत: खत्म करने की सरकार की घोषणा है, यह नियम कब से लागू होने जा रहा है और इससे मकान मालिकों को क्या लाभ होगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अभी माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि लीज पहली अप्रैल से फ्री होल्ड होकर चालू हो जायेगी।

हमारी पूरी कोशिश है कि यह पहली अप्रैल से चालू की जाये।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न के दायरे में पूर्णतया आता भी अथवा नहीं महोदय हमारे पास उन लोगों के बीसियों पत्र आए हैं जो विभिन्न राज्यों से आये हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार में नौकरी मिल गई है, किन्तु उन्हें मकान नहीं मिले जबकि केन्द्र सरकार में अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास अपने मकान हैं किन्तु वे सरकारी मकान छोड़ना नहीं चाहते। यहां तक कि वे इसे किराये पर भी चढ़ा देते हैं। किन्तु वे लोग जिनके पास मकान नहीं है उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाहीं करने जा रहे हैं तथा वे लोग जो विभिन्न राज्यों से आते हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार में नौकरी मिलती है, उन्हें उचित आवास प्रदान करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला कौल : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली में जो घर सरकारी हैं, सब इसको इस कारण से लेना चाहते हैं कि इसका किराया कम होता है। ये घर हमारे पास उतने नहीं है, जितनी कि इनकी डिमांड है। इन्होंने जो कहा है कि कुछ लोगों के पास घर अपना होते हुए भी वे सरकारी मकान में ही इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वे ज्यादा नम्बर में नहीं है। हम इसमें एक कंडिशन लगाते हैं कि या तो आप हमें अपना घर दीजिये या अपने बनाये घर में जाकर रहिये। एक तो यह कंडीशन है लेकिन बाजदफा कुछ करना पड़ता है ऐसे बहुत थोड़े केसेज हैं, जहां हमें मानना पड़ता है कि हमारी लीज 8 महीने में खत्म हो जायेगी, हमको मेहरबानी करके इजाजत दीजिए तो ह्यूमन फैक्टर पर हम उसकी इजाजत भी दे देते हैं।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

+

*308 डा० रमेश चन्द तोमर
श्रीमती भावना चिखलिया } : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में जनवरी, 1992 के दौरान, उचित दर की दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्नों का वितरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वितरण के लिए जारी किए जाने के पूर्व चावल और गेहूं के नमूनों की जांच की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकमालुद्दीन अहमद) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उक्त अवधि के दौरान की गई खाद्यान्न की आपूर्ति आमतौर पर घटिया नहीं थी। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न (चावल व गेहूं) देता है। खाद्यान्न की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अधिप्राप्ति तथा भण्डारण के दौरान पर्याप्त एहतियात बरती जाती है।

दिल्ली में खाद्यान्न उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्द किए जाते हैं। प्राप्तकर्ताओं को सुपुर्दगी लेने से पूर्व स्टाक की जांच करने की सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें घटिया स्टाक स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि इतने बड़े आकार के कार्य में गुणवत्ता में अन्तर की कुछ सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, अतः दिल्ली के उचित दर के दुकानधारी माल प्राप्त करने के 72 घंटों के भीतर खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जहां आवश्यक होता है खाद्यान्न बदल दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष जी, आमतौर पर यह होता है कि जो अच्छे किस्म का राशन सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया जाता है, उसको सस्ते गल्ले का दुकानदार मार्केट में ब्लैक कर देता है और घटिया किस्म का माल सप्लाई करता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सस्ते गल्ले की दुकानों की चैकिंग कराई जाती है, नियमित रूप से ? यदि ऐसा होता है तो 1990-91, 1991-92 में कितनी दुकानों की चैकिंग कराई गई और कितनी अनियमितता के केसेज मिले ? उनमें से कितनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये और कितनों के लाइसेंस कैन्सिल किए गए ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह क्वश्चन आपने दिल्ली के ताल्लुक से पूछा है, जनरल तो चैकिंग वगैरहा होती है। वैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है, उनके रेगुलर चैक होते रहते हैं। जो आंकड़े आप चाहते हैं, मैं जरूर आपको भिजवा दूंगा कि पूरे साल के अन्दर कितने चैक्स हुए हैं, क्या-क्या एक्शन लिया गया है ?

डा० रमेश चन्द तोमर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि यह नई प्रैक्टिसिज इर्रेगुलरटीज ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं, क्योंकि, गांव का आदमी अनपढ़, गरीब है, वहां पर घटिया किस्म का माल सप्लाई किया जाता है और कम तोला जाता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि

क्या मंत्री जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे उन्हें अच्छे किस्म का माल मिले और सही तोल से मिले, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : तकसीम का काम सारा स्टेट गवर्नमेण्ट्स करती हैं और यूनियन टैरीटरी में यूनियर टैरीटरी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। हमारी कोशिश होती है कि जो माल गोडाउन से इश्यू होता है, वह अच्छी क्वालिटी का इश्यू हो और फिर वह माल फेयर प्राइस शाप पर जाय और लोगों को मिले। इसमें वैसे सेण्ट्रल गवर्नमैंट के दिए गए आदेश भी हैं, स्टेट गवर्नमैंट्स को और स्टेट गवर्नमैंट्स ने अपने तौर पर अपने स्टाफ को आदेश दे रखे हैं। कोशिश यही होती है कि अच्छा माल फेयर प्राइस शाप्त पर पहुंचे और लोगों को मिले।

डा० रमेश चन्द तोमर : एफ० सी० आई० से कम माल जाता है, सस्ते गल्ले के दुकानदारों की यह शिकायत है, उसको कैसे चैक करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वैसे यह प्रश्न सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान का है। इसमें बताया है, जो जबाब दिया है उसमें उन्होंने ही बताया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति आमतौर पर घटिया नहीं थी, आमतौर पर नहीं थी, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तौर पर तो थी ही और उसमें यह भी बताया गया है कि इतने बड़े आकार में कार्य में गुणवत्ता के अन्तर की कुछ सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि यही बात रही तो भ्रष्टाचार कभी ····

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, ऐसा नहीं। प्रश्न करिये।

श्रीमती भावना चिखलिया : नहीं सर, यह बहुत ही अहम् सवाल है, क्योंकि, पूरे देश का सवाल है और जिसके लिए यह व्यवस्था बनी है तो पूरे देश के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए यह व्यवस्था बनी है तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूं कि कभी ऐसा होता है कि दुकानदार के पास जब लोग जाते हैं तो दुकानदार ऐसा बोलता है कि परसों आना और परसों जब जाते हैं तो कहते हैं कि कल हमने सब माल बेच दिया तो इसकी व्यवस्था कुछ अच्छे तरीके से होनी ही चाहिए, सरकार की ओर से एक इन्सपैक्टर तो रखते ही हैं लेकिन इसके अलावा और कोई विशेष कदम उठाये हैं, या उठाने जा रहे हैं कि नहीं ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, दिल्ली के ताल्लुक से जो हमने जवाब दिया है, वह दिल्ली के ताल्लुक से स्पेसिफिक है कि दिल्ली शहर में हर महीने कोई एक लाख टन की बोरियां यानी 10 लाख बोरियां यहां पर रोटेशन में आती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स को दी जाती हैं, उसमें कहीं-कहीं कोई ऐसी बात हो जाय, इसकी सम्भावना है। यह हमने कहा है। उसको हमने एक्सपेक्ट किया है, कहीं-

कहीं कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आमतौर पर पूरे देश के अन्दर पीडीएस के प्रैस की सप्लाई के सिलसिले में, जैसा अभी मैंने कहा कि हमारी कोशिश, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की और स्टेट गवर्नमेंट की भी यह कोशिश रहती है कि पीडीएस का सिस्टम सही तौर पर चले, सही किस्म का अनाज लोगों तक पहुंचे और लोगों को वह मिले। अब अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो यह जनरल बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वह हमेशा चैक करते रहते हैं और वैसे क्वालिटी के ताल्लुक से एक जनरल प्रिंसिपल यह रखा गया है कि फूड कारपोरेशन के गोडाउन से जब माल इश्यू होता है तो उसका एक सेम्पल ड्रा किया जाता है और वह सेम्पल फेयर प्राइस शाप्स पर रखा जाता है, अगर उस सेम्पल के विरोध में वहां से कोई माल पाया जाए तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है और फेयर प्राइस शाप्स का लाइसेंस भी जप्त किया जा सकता है, उस पर कोई क्रीमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है।

श्री तारा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग के गोडाउंस हैं या एफ सी आई के गोडाउंस हैं, इनमें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इनको स्प्रे करना होता है, बहुत सारे पैसे उनको दिए जाते हैं लेकिन वे ठीक इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यदि आप किसी भी गोडाउंस के पास से निकल जाएं, अप्रैल से लेकर सितम्बर तक, उसके इर्द-गिर्द इतना कीड़ा होगा कि लोगों के लिये वहां से निकलना मुश्किल होता है।

दूसरी बात यह है कि आप गोडाउन से लेकर 3-3 मील तक देखेंगे कि सारा अनाज सड़कों के ऊपर ऐसे बिखरा हुआ होता है जैसे कोई क्रीमिनल नेग्लीजेंस से कोई खुराक के साथ अफसरान का कोई प्यार नहीं है और जब पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि एफ सी आई के जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, यह हमारे कंट्रोल, हमारे बस की बात नहीं है, क्या यह बात मंत्री जी के ध्यान में है और इसके लिए कोई बन्दोबस्त करेंगे ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, किसी पर्टिकुलर गोडाउन के ताल्लुक से माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं जरूर उसमें इन्क्वायरी करवाऊंगा। (व्यवधान)

श्री तारा सिंह : मैं करनाल के सारे जितने गोडाउंस हैं उनके लिये कह रहा हूं, उन इलाकों में, एक-एक मील तक रहने वाले लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, सेंट्रल वेयर हाउसिंग के गोडाउन और फूड कारपोरेशन के गोडाउन, ये दोनों फूड मिनिस्ट्री के तहत हैं, इसके लिए मैं फूड मिनिस्ट्री से कहूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला गोपालन : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या झुग्गी-झोपड़ी इलाकों तथा श्रमिक बस्तियों में उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों का वितरण बहुत ही अनियमित रूप से होता है तथा पिछले कई महीनों से खाद्यान्नों की आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इसमें सुधार किया जायेगा ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं कहना चाहूंगा कि वे विशेष रूप से दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों की बात कर रही हैं। उचित दर की दुकानों में राशन में कोई कटौती नहीं की गई तथा

सभी राशन कार्डधारियों को नियमित रूप से खाद्यान्न मिल रहे हैं। दिल्ली में ऐसी कोई कमी नहीं है।

श्रीमती गीता गोपालन : महोदय, यह ठीक नहीं है। मैं झुग्गी झोपड़ी इलाकों से यह सिद्ध करने के लिये महिलाओं को ला सकती हूं क्योंकि हमारी जनवादी महिला समिति के माध्यम से हमें कई इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि राशन की आपूर्ति बहुत अधिक अनियमित है तथा इसमें बहुत अधिक कटौती की गई है हम आपके पास ऐसे मामले ला सकते हैं। हम यह बात सिद्ध करने के लिए आपके पास ऐसी महिलाओं को ला सकते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : कमी वाले महीने होने के कारण केवल दिसम्बर तथा जनवरी के महीनों में भण्डार में कुछ कमी होती है। किन्तु इसे तत्काल फरवरी के महीने में पुन: ठीक कर दिया जाता है तथा फरवरी के बाद फिर इसमें कोई कमी नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दिल्ली को प्रति माह एक लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न दिए जा रहे हैं।

चण्डीगढ़ में अनधिकृत निर्माण

*3'9. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनधिकृत निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम)

(क) चंडीगढ़ प्रशासन के ध्यान में कुछ अनधिकृत निर्माण आए हैं।

(ख) तथा (ग) : ऐसे अनधिकृत निर्माण के मामले ध्यान में आते ही, शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में पंजाब राजधानी (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1952 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत तथा चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश के 22 गांवों के सम्बन्ध में पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत तत्काल कार्रवाई की जाती है। 1991-92 के दौरान पंजाब राजधानी (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 1284 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाही आरम्भ की गई थी तथा 2? स्थलों को पुन: कब्जे में किया गया था। इसी प्रकार, पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के लिये 125 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 4779 अनधिकृत झुग्गियां भी हटाई गई थी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि पंजाब राजधानी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाती है और 4779 झुग्गियों को हटाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से पक्के मकान बना लिए हैं, उनकी संख्या कितनी है। झुग्गियों को हटाना तो आसान है, लेकिन जिन लोगों ने पक्के रिहायशी मकान बना लिए है, उनकी तादाद कितनी है और उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि चंडीगढ़ में कितने मकान अनधिकृत रूप से बने हैं, इससे इस प्रश्न का ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो अनधिकृत निर्माण चंडीगढ़ में हुआ है, उसकी तीन केटेगरी हैं। एक तो लेबर जो बिहार और यूपी से आकर वहां बस गई है, दूसरे जो सेक्टर्स के पास लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं और तीसरा वह जो देहात में अनधिकृत निर्माण चल रहा है। इन तीनों जगह पर हम देखते हैं और पंजाब न्यू कैपिटल कंट्रोल एक्ट इसमें लागू होता है और पंजाब कैपिटल एक्ट 1952 शहरी क्षेत्र के लिए लागू होता है। इस सारे काम की देखभाल अच्छी तरह से हो रही है और जो केटेगरीज हटाई जा रही हैं, उनको रीहेब्लीटेट भी किया जा रहा है और उनको जहां बसाया जा रहा है, उन कालोनीज में यह ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से पूरी सुविधाएं उनको मिल सकें। दूसरी कैटेगरीज जो हैं, उनमें जिनको रीहेब्लीटेट करना है, उनकी संख्या 18 है और इसमें ओड्वेलिंग यूनिट्स हैं वे 180063 हैं और इनकी आबादी 90365 है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट हो जाता है कि तीसरी कैटेगरी शहर के अन्दर जो है, जहां पर अनअथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, मैंने उस संबंध में पूछा है कि ऐसे कितने मकान हैं और उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। दूसरी चीज जो मंत्री महोदय ने बताई है कि जिन लोगों को हटाया गया है, उनको रीहेब्लीटेट कर रहे हैं, तो जो 4779 मजदूर पहले से बसे हुए थे, उनको हटाने का क्या औचित्य था, जब उनको फिर से बसाना था।

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि जिस हालत में वे रह रहे हैं, वह कोई अच्छी हालत नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको बेहतर हालत में रखें, इसलिए उनको हटा कर अच्छी जगह पर रखना चाहते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ के लिए चीप हाउसिज सरकार की तरफ से बने थे और सैंकड़ों हाउस उनको अलाट भी कर दिए गए। लगभग 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके लिए चण्डीगढ़ के सांसद श्री बंसल जी, वासु देव आचार्य और मैंने अनेकों पत्र लिखे हैं, कर्मचारी भी बार-बार रिप्रीजेंट कर रहे हैं कि चीप हाउसिज उनको अलाट कर दिए जाएं। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे अच्छी स्थिति में रखना चाहती हैं। कर्मचारी वहां रहना चाहते हैं, मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या वे हाउसिज उनको अलाट कर दिए जायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया इन मकानों को उन्हें आवंटित कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

[हिंदी]

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इस सवाल से ताल्लुक नहीं रखता।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

[अनुवाद]

+
*310 श्रीमती रीता वर्मा
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस कार्य पर, राज्यवार, कितना खर्चा हुआ;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) इस पर राज्यवार, कितना खर्चा किया जाना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी)

(क) से (घ) :

एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की किलोमीटर में लम्बाई और उनपर किया गया खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वियन जिला तथा ग्राम स्तरों पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों/ग्राम पंचायतों की मार्फत किया जाता है। संबंधित ग्रामीण निकाय उपलब्ध निधियों से किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, इसका निर्धारण करने के लिए सक्षम हैं। इसलिए, 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई तथा उन पर होने वाले प्रस्तावित खर्च के संबंध में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1991-92 (दिसम्बर, 91) तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण और किए गए व्यय का विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90 निर्मित सड़कें (किलोमीटर में)	1989-90 व्यय (लाख रु० में)	1990-91 निर्मित सड़कें (किलोमीटर में)	1990-91 व्यय (लाख रु० में)	1991-92 निर्मित सड़कें किलोमीटर में)	1991-92 व्यय (लाख रु० में)	सूचना भेजने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आन्ध्र प्रदेश	6643.41	2901.68	12[illegible]15.83	4536.66	48[illegible].38	137.03	जून 91
2.	अरुणाचल प्रदेश	363.52	37.96	43.00	36.77	7.80	3.28	सित. 91
3.	असम	1420.41	1855.82	2207.76	1965.15	509.45	321.54	सित. 91
4.	बिहार	17224.86	3857.30	18653.97	5749.17	13127.34	1482.71	सित. 91
5.	गोआ	20.00	0.00	41.00	35.31	23.00	29.93	सित. 91
6.	गुजरात	6445.44	2870.04	3805.11	2342.09	854.00	1479.61	दिस. 91
7.	हरियाणा	159.80	217.57	484.00	728.48	161.82	283.65	सित. 91
8.	हिमाचल प्रदेश	1272.00	171.46	0.00	357.96	260.00	37.72	सित. 91
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1582.00	164.43	1916.00	425.58	427.00	126.00	सित. 91
10.	कर्नाटक	23134.00	2059.95	13733.00	2254.24	8162.00	792.30	दिस. 91
11.	केरल	3532.28	3935.67	2144.42	3273.89	933.66	1626.62	दिस. 91
12.	मध्य प्रदेश	14507.07	2169.15	5970.00	1197.07	2612.24	355.97	सित. 91
13.	महाराष्ट्र	5038.00	1964.82	2669.00	400.35	1908.00	243.65	सित. 91
14.	मणिपुर	1644.75	131.97	2441.95	182.53	96.00	6.91	दिस. 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मेघालय	1 .50	0.00	70.00	5.96	24.50	6.98	जून, 91
16.	मिजोरम	149.70	92.86	1110 00	307.56	32.00	20.28	दिस. 91
17.	नागालैण्ड	228.52	114.26	156.53	78.26	40.18	40.18	दिस. 91
18.	उड़ीसा	28181.09	3486.24	31262.45	4494 43	6418.20	1023.96	सित. 91
19.	पंजाब	446.00	49.84	155.00	6.97	5.00	1.07	सित. 91
20.	राजस्थान	3346.00	526 71	1389.00	329.49	506.00	287.55	सित 91
21.	सिक्किम	0.00	0.00	126.75	10.05	0.00	00.0	दिस. 91
22.	तमिलनाडु	7244.00	4872.42	2925.11	4054.79	1359.37	2218 31	दिस. 91
23	त्रिपुरा	575.50	9.50	870.62	82.26	538.87	41.63	दिस. 91
24.	उत्तर प्रदेश	46130.96	23740.98	16671.36	8064.92	8047.00	5007.20	दिस. 91
25.	पश्चिम बंगाल	10716.00	2154.97	9222.00	1801.59	4301.00	1019.35	सित. 91
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	124.87	23.60	0.12	0.00	3.00	1.89	सित. 91
26.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
28.	दादरा व नगर हवेली	42.64	28.78	84.51	22.46	50.16	11.16	दिस. 91
29.	दमन व द्वीप	7.49	23.60	4.25	5.65	3.63	5.81	दिस. 91
30.	दिल्ली	6.00	0.04	3.31	5.18	0.00	0 00	जून, 91
31.	लक्षद्वीप	4.77	10.30	4.73	1.99	0 65	0.74	दिस, 91
32.	पाण्डिचेरी	9.58	22.63	7.97	13.65	10.74	23.42	दिस, 91
	योग :	180238.16	57494.55	130488.75	42790.47	50905.99	16636.45	

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मित सड़कें (किलोमीटर में)	व्यय (लाख रुपये में)	सूचना भेजने की अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	483.38	137.03	जून 91
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.80	3.28	सितम्बर 91
3.	आसाम	509.45	321.54	सितम्बर 91
4.	बिहार	13127.34	1482.71	सितम्बर 91
5.	गोवा	23.00	29.93	सितम्बर 91
6.	गुजरात	854.00	1479.61	दिसम्बर 91
7.	हरियाणा	161.82	283.65	सितम्बर 91
8.	हिमाचल प्रदेश	260.00	37.72	सितम्बर 91
9.	जम्मू व कश्मीर	427.00	126.00	सितम्बर 91
10.	कर्नाटक	8162.00	792.30	सितम्बर 91
11.	केरल	933.66	1626.62	दिसम्बर 91
12.	मध्य प्रदेश	2612.24	355.97	सितम्बर 91
13.	महाराष्ट्र	1908.00	243.55	सितम्बर 91
14.	मणिपुर	96.00	6.91	दिसम्बर 91
15.	मेघालय	24.50	6.98	जून 91

1	2	7	8	9
16.	मिजोरम	32.00	20.28	दिसम्बर 91
17.	नागालैण्ड	40.18	40.18	दिसम्बर 91
18.	उड़ीसा	6418.20	1023.96	सितम्बर 91
19.	पंजाब	5.00	1.07	सितम्बर 91
20.	राजस्थान	506.00	287.55	सितम्बर 91
21.	सिक्किम	0.00	0.00	दिसम्बर 91
22.	तमिलनाडु	1359.37	2218.31	दिसम्बर 91
23.	त्रिपुरा	538.87	41.63	दिसम्बर 91
24.	उत्तर प्रदेश	8047.00	5007.20	सितम्बर 91
25.	पश्चिम बंगाल	4301.00	1019.35	सितम्बर 91
26.	अंडमान और निकोबार	3.00	1.89	सितम्बर 91
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	—
28.	दादर और नागर हवेली	50.16	11.16	दिसम्बर 91
29.	दमण व द्वीप समूह	3.63	5.81	दिसम्बर 91
30.	दिल्ली	0.00	0.00	जून 91
31.	लक्षद्वीप	0.65	0.74	दिसम्बर 91
32.	पांडिचेरी	10.74	23.42	दिसम्बर 91
	कुल जोड़	50905.99	16636.45	

श्रीमती रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, इन्हीं को पता होगा, सभी को पता होगा कि जवाहर रोजगार योजना में जितने आंकड़े दिखाए जाते हैं वास्तव में उसका आधा भी काम नहीं होता। बिना काम हुए, बिना सड़कें बने पेमेंट हो जाती है। क्या इसकी इनको जानकारी है ? इस प्रश्न का दूसरा भाग है कि जो सड़कें बनती भी हैं। जितने आंकड़े दिखाए गए हैं, जो सचमुच बनी हुई हैं, उन सड़कों की गुणवत्ता पर क्या कोई ध्यान दिया जाता है ? कभी उसकी जांच की जाती है ? क्योंकि मेरे जिले की सड़कें ऐसी हैं मंत्री जी यदि आप वहां भ्रमण करें तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि एक दिन में आपकी हड्डियां दर्द करने लगेंगी। हम ही मजबूत हड्डियों वाले हैं कि घूम-फिर कर वापिस आ जाते हैं। तो क्या सड़कें बनी हैं या नहीं ? जो बनी हैं वे एक ही बारिश के बाद खत्म हो गयी हैं या नहीं ? उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देने की ओर कभी मंत्री महोदय का ध्यान जाता है ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, रोड्ज की समस्या गवर्नमेंट आफ इण्डिया के संविधान के सातवें शेड्यूल के आर्टिकल 240 के तहत लिस्ट 1 के आइटम 23 के नीचे केवल नेशनल हाईवे गवर्नमेंट आफ इण्डिया की जिम्मेदारी है। सूची—II आइटम 131 (राज्य सूची) के नीचे बाकी सड़कें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हाईवे तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रिसपोंसिबिलिटी है (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : वह सैंट्रल का प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पलीमेंट करती है।

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट की रिसपोंसिबिलिटी है। जो प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने दी है। 1991-92 के बारे में जो इनफरमेशन है उस सिलसिले में जो काम चल रहा है पूरा नहीं हुआ है, उसकी इनफरमेशन भी मैंने दी है। जो रोड्ज का काम हुआ है उस पर निगरानी रखने का काम स्टेट गवर्नमेंट की रिसपोंसिबिलिटी है, सैंट्रल गवर्नमेंट की नहीं।

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जे० आर० वाई० के बारे में इन्होंने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की रिसपोसिबिलिटी है। लेकिन सड़कें कहां बनेंगी, इसका किस दृष्टि से चुनाव होता है ?

अध्यक्ष महोदय यह सारा ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लोग ही करते हैं, यह तो स्टेट गवर्नमेंट तक भी नहीं जाता है।

श्रीमती रीता वर्मा यह प्रश्न एक्सैप्ट हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं। क्या सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जिनका सड़क से कनेक्ट होना चाहिए। यदि कोई घटना होती है तो पुलिस वहां पहुंच नहीं पाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला ग्राम पंचायत और जिला परिषद का है। आपका प्रश्न अच्छा है कि उसकी दुरुस्ती के लिए क्या कोई योजना है।

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत और जिला परिषद इसकी देखभाल करती है। उसके साथ जो कनेक्टिड रोड्स हैं, आल्वेदर रोड्स हैं उनकी देखभाल करना स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है।

श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि पैसे हम देते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो भी करती है वह उनके अन्तर्गत होता है। पैसा केन्द्र सरकार का जाता है, मेरा यह कहना है कि इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश रखने के लिए क्या सरकार सी. ए. जी. के जरिए कोई स्पेशल आडिट करने जा रही है? क्योंकि पैसा केन्द्र से जाता है, वह बराबर काम में आ रहा है या नहीं उसको देखना केन्द्र का काम है। क्या ऐसा कोई विचार है? सी. ए. जी. के जरिए आडिट करवाना चाहते हैं या नहीं?

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, ऐसा कोई विचार नहीं है यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते।

श्री आर्कर फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस पर बड़ी आपत्ति है। पैसे, केन्द्र के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पैसा देते हैं, बाकी क्या होता है इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो रिपोर्ट आपने यहां पर दी है, उस पर आप गौर करके देखिए। गोवा का लिखा है कि 1989–90 में बीस किलोमीटर की सड़क बन पाई, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी रिपोर्ट दे रहे हैं। आपने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में 90-91 में तीन करोड़ 57 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन एक किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई। आप, ऐसी रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं आपका यह कहना है कि आपको रिपोर्ट पर विश्वास है या तो मजाक हैं। अध्यक्ष जी, आप सबसे ज्यादा जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस स्कीम में था इसलिए मैं जानता हूं।

श्री आर्कर फर्नान्डीज : आप रिपोर्ट को देखिए। आपने पिछले तीन साल की रिपोर्ट दी है इस साल तक, लेकिन उसमें यह नजर आ रहा है कि एक लाख रुपए से तीन किलोमीटर की औसतन सड़क बना रहे हैं। कुछ सूबों में आठ से दस किलोमीटर तक बन रही है। कुछ सूबों में मुश्किल से डेढ़ से दो किलोमीटर तक का दिखाया गया है। इसमें जितना घोटाला है, वह स्पष्ट होता है। खर्च करना पंचायत और जिला परिषद का काम है और राज्य सरकारों की इस पर निगरानी है और केन्द्र का पैसा है। पैसा, गलत दिशा में खर्च न हो तो इसके लिए कोई ठोस योजना बनायेंगे? इसके लिए आपका क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : पैसे सरकार की तरफ से जाते हैं और बेकार खर्च न हों तो इसके लिए कुछ करने जा रहे हैं क्या।

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में 1989 में जवाहर रोजगार योजना का डायरेक्ट चैक भेजने की वजह से कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस आया था कि स्टेट के अन्दर सीधा चैक भेज करके "अ" द्वारा इन्टरफियर नहीं होना

चाहिए। हम स्टेट को देते हैं और स्टेट जिला परिषद को देती है और वहां से पंचायत को जाता है और वे लोग काम करते हैं। टोटल विलेजेस में अब तक जितनी सड़कें हुई हैं अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं फैक्टस एंड फीगर्स दे सकता हूं। ....(व्यवधान)

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : अभी तक एक भी रोड नहीं बनी है ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका पूरा वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा आपको शायद मालूम नहीं है। जवाहर रोजगार योजना के पैसे ग्राम पंचायत और जिलापरिषद के पास जाते हैं और वे खर्च करते हैं। वह जानकारी लाकर यहां पर आपको दे रहे हैं। आपको सप्लीमेंटरी पूछने के लिए नहीं कहा है और आप पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही असंगत है तथा सदस्य की ओर से बहुत ही निंदापूर्ण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मुझे गांवों का ब्यौरा नहीं चाहिए, 22 हजार करोड़ रुपया यहां से जा रहा है।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया भगवान के लिए आप यह बात समझें। मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। कृपया पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर माननीय सदस्यों के मन में जिज्ञासा होना बहुत स्वाभाविक है। यह एक बड़ी विस्तृत और देशव्यापी योजना है। इसका मंतव्य ही यह था कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का काम हो और बेरोजगारी को मिटाने का काम हो। हमें देखकर आश्चर्य होता है कि 1989-90 से 1990-91 में जो हमारे सामने विवरण है उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ही कम हुआ है। 18 करोड़ से 13 करोड़ रह गया है। सड़कों की तादाद 57 हजार किलोमीटर से कम होकर 42 हजार किलोमीटर रह गई है....

अध्यक्ष महोदय : सड़कें ही नहीं बनाना है, टैंक्स हैं, घरों का कंस्ट्रक्शन भी है।

श्री बूटा सिंह : जिस के ऊपर आपत्ति हो रही है मैं वह बताना चाहता हूं। भारत सरकार की ओर से यह बताया जाना कि हम जो पैसा देते हैं उसके बाद प्रांतीय सरकारें उस पर काम करती हैं यह सही है, मगर हमारे पास एक फुल फलेज मिनिस्ट्री, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री थी उससे हमें फीड बैक मिलता था। जिस स्टेट में कमी होती थी वहां हम टीम भेजते थे, क्या वह प्रथा खत्म कर दी गई है?

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं 1989-90 में 1 लाख 80 हजार 238 किलोमीटर रोड़ का काम हुआ है। वह जो बता रहे हैं वह सड़कें नहीं हैं, वह खर्चा हुआ है 1989-90 में, मैं इसको ठीक कर रहा हूं।

श्री मोहन सिंह : यह पूछा है कि क्या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का विभाग खत्म हो गया है?

श्री जी. वेंकटस्वामी : उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि तीन महीने में हमारी और राज्य सरकार के आफिशियल्स के साथ एक बार मीटिंग होती है। क्या-क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या-क्या कार्यान्वित हो रहे हैं, ग्राम से लेकर जिला स्तर पर उनके बारे में कार्यक्रम बनाये जाते हैं और विचार किया जाता है। साथ ही उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश होती है, वह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख जी, मेरे विचार से आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्द राव देशमुख : सेंटर से राज्य सरकारों को पैसा आता है। जिला परिषद, पंचायत समिति, गांव स्तर पर खर्च करने के लिए, लेकिन इसका वहां बराबर यूटिलाइजेशन होता है या नहीं यह सेंटर को भी देखना चाहिए। जहां तक मेरे जिले का सवाल है, वैसे तो सभी जिलों का यह सवाल है कि जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत काम नहीं होता है। मैं मिर्जापुर का उदाहरण देता हूं जैसे वोटिंग लिस्ट है उस पर थम्पिंग करके उन्होंने 100 रुपये का कागज 1400-1500 रुपये में उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मेरा प्रश्न यह है कि जो विलास मूंडेवार का सवाल है, उस पर अंकुश रखने के लिए क्या कोई स्पेशल आडिट करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, वह पूछ रहे हैं कि इसकी आडिट करेंगे ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : जरूर कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सत्यपाल सिंह को अनुमति दे रहा हूं (व्यवधान) श्री निर्मल कांति चटर्जी जी मैं आपको भी अनुमति नहीं दे रहा। मैंने श्री सत्यपाल सिंह का नाम बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गांव सभाओं में खड़जे बनते हैं, हरिजनों के लिए आवास बनाते हैं, कुछ सामाजिक वानिकी का कार्य होता है लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं होता है परन्तु उसमें सम्पर्क मार्ग बनाये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि इसमें बहुत से धन का घोटाला प्रधान और जिले के अधिकारियों की साजिश से होता है क्योंकि दोनों लोग उसमें कमीशन खाते हैं और उसकी जांच जिलाधिकारी या एस० डी० एम० से करवाते हैं जिसका अंजाम यह होता है जो लोग घोटाला करने वाले हैं, वह जांच करते हैं तो सही तथ्य सामने नहीं आते हैं। तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो धन दिया जाता है उसका सही सदुपयोग किये जाने के लिए कोई जांच कमीशन की व्यवस्था करेगी ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले 1992-93 के लिए ज्यादा धन दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में गये साल में धन कम या ज्यादा दिया गया है, यदि इसके आंकड़े हों तो बताइये, नहीं तो आप बाद में भेज दें।

श्री वी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, मैं जरूर इसकी इन्क्वायरी कराकर भेजूंगा।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुआ नुकसान

[अनुवाद]

*3।2. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की बाढ़ और चक्रवात के कारण नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का कोई नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या-क्या एहतियाती उपाय करने को विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यायामौडर)

(क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बाढ़ आ जाने के कारण आय में हुई अनुमानित हानि तथा हुआ अतिरिक्त व्यय, लगभग 47.91 करोड़ रु० की राशि का है।

(ख) उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) मलबा	—17.07 लाख घन मीटर
(2) लिग्नाइट	— 7.64 लाख टन
(3) विद्युत उत्पादन	— 424 मिलियन यूनिट

इस संबंध में मदवार अनुमानित वित्तीय प्रभावकारिता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) खान—II में कच्चे लिग्नाइट के कम उत्पादन होने के कारण आय में अनुमानित कमी	—23.25 करोड़ रु०
(2) टी० पी० एस०—II में कम उत्पादन होने के कारण आय में अनुमानित कमी।	—23.03 करोड़ रु०
(3) जल निकासी के लिए खर्च की गई लागत	—00.39 करोड़ रु0
(4) सालवेजिंग (बचाव पर), मरम्मत और उपकरण के अनुरक्षण पर किया गया व्यय	—00.46 करोड़ रु०
(5) खान—I से टी० पी० एस०—II तक लिग्नाइट के परिवहन पर किया गया अतिरिक्त व्यय (29.2.1992 तक)	—00.78 करोड़ रु०
जोड़	रु० 47.91 करोड़

(ग) : नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को द्वितीय खान से लिग्नाइट का उत्पादन पुन: प्राप्त किए जाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए थे और यह सुनिश्चिय किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे कि यथासंभव शीघ्र ही द्वितीय टी. पी. एस. से विद्युत के उत्पादन सुनिश्चय करें। इसके अलावा, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सतही जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए अल्पावधि कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और उन्हें दीर्घावधि उपायों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क करने की सलाह भी दी गई थी।

खान-दो से जल निकासी किए जाने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के प्रबंधन द्वारा शीघ्र कार्रवाई की गई। बाढ़ के जल की निकासी का कार्य जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह में पूरा कर लिया गया था। प्रबंधन द्वारा अपेक्षित सुधार्य क्रियाकलापों को किए जाने के बाद मलबा उत्पादन पद्धति के पुन: चालू किए जाने के संबंध में सामानान्तर कार्यवाई की गई। मलबा हटाए जाने का कार्य पुन: 19 नवम्बर, 1991 से शुरू किया गया और यह धीरे-धीरे सुदृढ़ीकृत हो गया। लिग्नाइट का उत्पादन बाढ़ से जमी गाद को तेजी से किए गए सफाई सम्बन्धी क्रियाकलापों और अपेक्षित अनुरक्षण कार्यों को किए जाने के बाद 2 जनवरी, 1992 को पुन: शुरू किया गया है।

डा० पी० वल्लल पेरूमान : श्रीमान जी, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार, कुल घाटा लगभग 47.91 करोड़ रु० का है। लेकिन एनएलसी के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल घाटा 120 करोड़ रु० का था। लिग्नाइट के उत्पादन और बिजली के उत्पादन में औसतन लगभग 120 करोड़ रु० का घाटा हुआ। बाद के दौरान 1500 करोड़ रु० की मशीनों को निष्क्रिय रखा गया। हाल के चक्रवाती तूफान से खानों में हानि पहुंची है और भारी घाटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

डा० पी० वल्लल पेरूमान : दो दिन से पूर्व ही मौसम विभाग ने अग्रिम रूप से मौसम संबंधी चेतावनी दी थी। लेकिन सम्बद्ध अधिकारियों ने फिर भी उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। और उनकी लापरवाही के कारण लगभग 120 करोड़ रु० का नुकसान हुआ।

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बात स्पष्ट करेंगे कि एनएलसी प्रबन्धन, जोकि इन खानों का प्रभारी है, ने मौसम विज्ञान द्वारा अग्रिम रूप से दी गई मौसम संबंधी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक प्रश्न पूछना है।

डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या मंत्रालय ने इस बारे में कोई जांच करवाई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है इस बाढ़ के परिणामस्वरूप कुल नुकसान 120 करोड़ रु० का ही नहीं हुआ है।

प्राधिकारियों द्वारा दिये गये सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल नुकसान 47.91 करोड़ रु० का हुआ। इसकी गणना उत्पादन, 7.64 लाख टन उत्पादन के नुकसान के आधार पर की गई है और बिजली उत्पादन नुकसान भी 424 मिलियन यूनिट का हुआ। इस तरह से ये सभी हिसाब उनके अनुसार लगाए गए हैं। अतः यह संख्या 47.91 करोड़ रुपए है। इस तरह से यह उनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, अर्थात् मौसम सम्बन्धी चेतावनी के बावजूद जो कि प्रबन्धन को 48 घन्टे पूर्व प्राप्त हुई थी, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता, बेशक इसके आने से 48 घंटा पहले मौसम की पूर्व सूचना दे दी गई थी। लेकिन जिस ढंग से बारिश हुई है, वास्तव में यह बात प्रबन्धक वर्ग के नियन्त्रण से बाहर हो गई। मैं यह बताना चाहूंगा कि 15 नवम्बर को उस स्थान विशेष पर 150 मि०मी० बारिश हुई जोकि उस क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इसलिए, यह अभूतपूर्व बात थी, यद्यपि प्रबन्धकों ने कतिपय कदम उठाए थे' लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा का नियन्त्रण करना असम्भव कार्य था।

डा० पी० वल्लन पेरूमान : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि वह खान 24 घंटों में 400 मि०मी० बारिश सह सकती है। लेकिन 72 घण्टों में वास्तव में 183 मि०मी० बारिश ही हुई थी। गारलैंड नामक एक नहर है जिसका उपयोग खान-दो से पानी निकालने के लिए किया जाता है। गारलैंड नहर के घटिया रख रखाव और अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी खानों में बाढ़ आ गई। गारलैंड नहर के रख-रखाव पर प्रबन्धक वर्ग प्रति वर्ष कागजों पर 80 लाख रु० व्यय कर रहा है लेकिन वास्तव में व्यय नहीं कर रहा है। इसलिए प्रश्न के भाग दो में माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर उपयुक्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को इस आपदा का उपयुक्त ढंग से सामना करने के लिए गारलैंड नहर को मजबूत बनाने हेतु अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने का निर्देश देने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी० ए० संगमा : यह कहना सही नहीं है कि 72 घण्टों के दौरान 183 मि०मी० बारिश हुई। 15 नवम्बर को 24 घण्टों के दौरान 183 मि०मी० बारिश हुई। जहा तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, गारलैंड नहर की क्षमता सीमित है और प्रबंधन ने काफी समय पहले पानी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन 11-12-91 तक वे 1.18 लाख गैलन पानी प्रति मिनट निकाल पाए। अब अधिकतम, इतना ही वे कर सकते थे क्योंकि नहर की क्षमता इतनी थी कि यदि वे अधिक पानी निकालते, तो पड़ोस के गांव बाढ़ग्रस्त हो जाते। उनकी यह सीमा थी और इसलिए, एक क्षमता के बाद पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम : महोदय यह प्राकृतिक आपदा के बजाय माननीय असफलता थी जिससे नेवेली में नुकसान हुआ। श्रीमान जी, प्रबन्धन के बचाव में जो कुछ कहा गया है वह सच नहीं है। वास्तविकता यह थी कि प्रबन्धन एहतियाती कदम उठाने में नाकाम रहा जिसके परिणाम-स्वरूप करोड़ों रु० की क्षति हुई. मैं माननीय मंत्री जी से खानों में बाढ़ को रोकने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के संबंध में जानना चाहूंगा। खान-दो बाढ़मग्न हो गई जबकि खान-एक सुरक्षित थी। लेकिन दोनों खानों में बाढ़ को रोकने के लिए गारलैंड की एक ही दीवार

प्रयुक्त होती है.। यह कैसे हुआ खान-दो में बाढ़ आ गई जबकि खान-एक सुरक्षित थी ? यह प्रबन्धन की असफलता के कारण हुआ । माननीय मंत्री जी क्या कृपापूर्वक यह बताएंगे कि खान-एक कैसे बाढ़ग्रस्त नहीं हुई और खान-दो बाढ़ग्रस्त हो गई जबकि दोनों खानों में गारलैंड दीवारें हैं । कोयले की आवश्यकतानुसार इसका सुरक्षित भंडार क्यों नहीं रखा गया ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि खान-एक से खान-दो तक कोयले की परिवहन लागत से 78 लाख रु० का नुकसान हो गया···

अध्यक्ष महोदय आपका प्रश्न तो अपूर्ण ही रह गया ।

श्री के० रामवूर्ति टिंडिवनाम : श्रीमान जी, मैं इसे पूरा कर रहा हूं । यह सब नेवेली में व्याप्त अधिकतम भ्रष्टाचार के कारण हुआ और प्रबंधन को मंत्रालय का पूरा समर्थन मिल रहा है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वे वहां पर हुए नुकसान व क्षति के कारणों तथा व्याप्त भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाएंगे ?

श्री पी०ए० संगमा : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं । वहां पर कोई मानवीय चूक नहीं हुई और यह एक प्राकृतिक आपदा थी । इसके विपरीत, इस आपदा का सामना करने में प्रबंधन ने बहुत अच्छा कार्य किया । जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अनुभव होने के पश्चात् हमें भविष्य के लिए योजना बनानी पड़ेगी । हमने पहले ही उन कदमों का पता लगा लिया है जिन्हें भविष्य में उठाने की आवश्यकता होगी । पहले हमें गारलैंड नहर को चौड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्षमता बढ़ानी पड़ेगी । हमें बांधों को भी मजबूत करना पड़ेगा और राज्य सरकार ने बिनाश-रोधी कार्यक्रम की एक योजना बनाई है । हमने इसको स्वीकार किया है तदनुसार ही हम कदम उठाएंगे । उनका तीसरा प्रश्न यह था कि लिग्नाइट को खान एक से ही टीपीएस-दो तक क्यों ढोया गया ? यह इसलिए किया गया क्योंकि टीपीएस-दो को चालू करना था । अन्यथा दक्षिणी क्षेत्र अन्धेरे में डूबा रहता । इसलिए यद्यपि खान-दो में लिग्नाइट का उत्पादन इस वर्ष जनवरी में ही शुरू हुआ, हमने टी० पी० एस०-दो में ऊर्जा पिछले साल 6 दिसम्बर से ही उत्पादित करनी शुरू कर दी और यह इसलिए सम्भव हो पाया कि लिग्नाइट को खान एक से ढोया गया ।

कोयले के उत्पादन के लिए विश्व बैंक से सहायता

\+

*313 श्री वसुदेव आचार्य
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा } : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस समय विश्व बैंक से कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है;

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग के लिए खानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वदेशी मशीनों पर उपयोग के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामागौंडर) : इस संबंध में विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) : 34 भूमिगत खानों के उत्पादन, उत्पादकता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाए जाने के लिए एक संयुक्त रूप में परियोजना प्रस्ताव, संभावित वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक को संदर्भगत किए गए प्रस्तावों में से एक है। कोल इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना संबंधी रूपरेखा में विनिर्दिष्ट किए गए प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर अस्थायी तौर पर 425.21 करोड़ रु० का अतिरिक्त निवेश होने का हिसाब लगाया गया है, जिसमें से विश्व बैंक की सहायता के लिए 115.10 करोड़ रु० की राशि विनिर्दिष्ट की गई है। इस संबंध में जब तक विश्व बैंक परियोजना का विस्तृत मूल्यांकन करने और इसकी प्रतिक्रिया देने तथा ऋण मुहैया किए जाने सम्बन्धी सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस परियोजना के लिए अपेक्षित मशीनरी के देशीय पुर्जों के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। किन्तु विश्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपकरणों के देशीय उत्पादक भी निविदाओं में भाग लेने के पात्र हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उत्तर में केवल भूमिगत खनन के संबंध में कहा गया है। खुले मुहानों वाली अनेक परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि भूमिगत खनन और खुले मुहानों वाली खानों की कितनी इकाइयों के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है ? दूसरे, क्या विश्व बैंक ने जनशक्त आयोजना और कतिपय अलाभकारी खानों को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई शर्तें लगाई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : तीन श्रेणियां हैं। पहली है 34 खानों का उद्धार जिसके लिए आकलन और परियोजना अनुमान तैयार किए गए है। इसी लिए मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। इस उद्देश्य हेतु 425 करोड़ रु० का अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है और इसमें से विश्व बैंक से हमने 118 करोड़ रु० की माग की है। दूसरी श्रेणी खुले मुहानों वाली खानों से सम्बन्धित है जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। प्रस्ताव विश्व बैंक के पास चला गया है, लेकिन उनसे अभी कोई उत्तर नहीं मिला है। इसी कारण से मैंने उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया है। इस श्रेणी में हमारे पास तीन खुली मुहानों की खानें है अर्थात (1) केडीहेस्लांग खुले मुहाने की खान, (2) दुधिचुआ चरण दो और (3) जाम्बाद खुले मुहाने की खान। चौथा प्रस्ताव झरिया की भूमिगत आग से निपटने के लिए है। जहां तक कोल इण्डिया लि० का सम्बन्ध है यह दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी में नवेली है, जिसमें पांच परियोजनाएं हैं, जिसके लिए हमने विश्व बैंक से सहायता मांगी है। इस तरह की कोई शर्त नहीं है लेकिन जब विश्व बैंक हमें ऋण देता है, तो वह क्रियान्वयन के लिये विशेष अवधि निर्दिष्ट करता है। यही एक शर्त है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु एककों को सहायता

*311. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लघु एककों के विकास तथा इन एककों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार के प्रयोजन से उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लघु एककों को सहायता प्रदान की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) तथा (ख) : लघु, अतिलघु तथा ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिए संसद में 6.8.1991 को नीति संबंधी उपाय रखें गये जिनका उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित लघु एककों को अधिक जीव्यता तथा विकास प्रोत्साहन देना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा दी गई तकनीकी परामर्श सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं क्रमशः 2,31,761 तथा 2,13,839 हैं।

धातु-कणों (मेटल मोड्यूल्स) का विदोहन

*314. डा० रवि मल्लू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे समुद्री क्षेत्र से धातु-कणों (मेटल मोड्यूल्स) के विदोहन के लिए कोई परियोजना शुरू की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से क्या परिणाम प्राप्त हुआ और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के क्षेत्र में सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अगस्त, 1987 में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा मध्य हिन्द महासागर बेसिन में, भारत को 1,50,000 वर्ग किलोमीटर खनन स्थल का आवंटन किया गया है। समुद्र संस्तर की स्थलाकृति एवं पिण्डिकाओं के वर्गीकरण एवं अधिकता के बारे में भी सूचना प्राप्त की गई है। अनुसंधान एवं विकास, निष्कर्षण धातुकर्म में, प्रयोगशाला स्तर पर प्रक्रम विकसित करने में सफल हुआ है जिसका प्रारम्भिक स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। निम्न मात्रा खनन प्रणाली का विकास भी लगभग पूर्ण हो रहा है। 1981 से इस कार्यक्रम पर लगभग 40,00 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में रहने वालों के लिए राशन-कार्ड

[हिन्दी]

*316· श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1991-92 के दौरान जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या जनवरी, 1990 के पश्चात बनी नई झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों को राशन कार्ड दे दिए गए हैं;

(ग) क्या राशन का कोटा घटा दिया गया है जबकि राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है; और

(घ) इस समय दी जा रही राशन की अपर्याप्त मात्रा में से कार्ड-धारकों की बढ़ी हुई संख्या को किस प्रकार राशन दिये जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान 2 75 लाख से ऊपर राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें 16 दिसम्बर, 1991 से झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को जारी किए गए 66,304 कार्ड शामिल हैं। दिल्ली प्रशासन के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों के निवासियों से आवेदन लेने की अतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है। अब यह निर्णय किया गया है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को शहर के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को कार्ड जारी करने की योजना के समान राशन कार्ड निरन्तर जारी किए जाते रहेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का

आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका प्रयोजन किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता है।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्यान्न का वितरण करते समय यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि झुग्गी/पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों को प्रति महीना प्रति वयस्क कम से कम 8 कि० ग्रा० गेहूं प्राप्त हो।

राजस्थान में उद्योगविहीन जिले

*317 श्री कुन्जी लाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उद्योगविहीन जिलों की सूची में शामिल किया गया है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन औद्योगिक एककों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन): राजस्थान में जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और चूरू को "उद्योग रहित जिले" घोषित किया गया है।

किसी क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। केन्द्र सरकार जहां संभव होता है, राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना आरंभ की है जिसके अधीन राजस्थान को पांच विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं। ये केन्द्र भीलवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ और सिरोही जिलों में एक-एक हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन विकास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं दी जायेंगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ति

318 श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
श्री राम बदन } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण परिवारों को गरीबी का स्तर निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) इस समय, राज्य-वार, कितने परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान, राज्य-वार, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे कितने परिवारों को सहायता दी गयी जिनकी वार्षिक आय 4800/- रुपये से कम थी;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान, राज्य-वार, कितने परिवारों को लाभान्वित करने का विचार है;

(ङ) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं; और

(च) इस कार्यक्रम को और अधिक परिणामोन्मुख बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा निर्धारित करने का मानदण्ड 2400 कलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह मानदण्ड 1984-85 की कीमतों पर 5 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 6400 रुपये वार्षिक आय/व्यय स्तर है। आठवीं योजना अवधि के लिए 1991-92 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा को संशोधित करके प्रति परिवार 11000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों की संख्या के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43 वें दौर (1987-88) के आधार पर, योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 346.90 लाख ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे। गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) 4800 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, जिन्हें 1990-91 और 1991-92 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी गई है, की राज्यवार सलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 1992-93 के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाए जाने वाले परिवारों की संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छठी तथा सातवीं योजना के दौरान सहायता किए गए परिवारों की संख्या क्रमश: 165.63 लाख और 181.77 लाख थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन (जनवरी-दिसम्बर, 1989) के अनुसार, 73 प्रतिशत मामलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की प्रारम्भिक वार्षिक आय की तुलना में कुल वार्षिक परिवारिक आय में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 28 प्रतिशत लाभार्थियों के 6400 रुपये की गरीबी की रेखा को पार कर लेने का अनुमान लगाया गया है।

(च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों, फील्ड दौरों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाता रहता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए हाल में उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं:—

(1) पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में सुधार करना ।

(2) 1990-91 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना और अनुसूचित जातियों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सबसिड़ी की अधिकतम सीमा को कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक बढ़ाना ताकि उन्हें अनुसूचित जनजाति के स्तर पर लाया जा सके ।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना साथ ही साथ संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

(4) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित करना ।

(5) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि करना ताकि 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में युवाओं को आय सृजित करने की कार्यकुशलता प्रदान की जा सके ।

(6) प्रारम्भ में 50 प्रतिशत खण्डों में खरीद समिति को समाप्त करना और गड़बड़ी, देरी और परेशानी को खत्म करने के लिए लाभार्थियों को सीधे नकद धनराशि का वितरण आरम्भ करना ।

(7) बैंकों के साथ ऋण सम्पर्कों को सरल बनाना ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार और लाभान्वित परिवार

(संख्या लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की संख्या	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या	
		1990-91	1991-92 (जनवरी, 1992 तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	30.3	2.63	21.2
असम	7.86	0.50	0.24

1	2	3	4
बिहार	51.9	4.16	2.05
गुजरात	9.39	0.72	0.62
हरियाणा	2.11	0.34	0.16
हिमाचल प्रदेश	0.62	0.17	0.10
जम्मू व कश्मीर	1.09	0.13	0.07
कर्नाटक	18.53	1.25	0.68
केरल	5.93	0.61	0.42
मध्य प्रदेश	32.78	3.46	1.77
महाराष्ट्र	29.06	2.14	1.35
उड़ीसा	24.5	1.50	0.64
पंजाब	1.62	0.36	0.16
राजस्थान	13.9	1.36	0.79
तमिलनाडु	28.02	1.82	1.26
उत्तर प्रदेश	61.8	5.09	3.74
पश्चिम बंगाल	25.83	2.27	1.26
अरुणाचल प्रदेश		0.08	0.03
गोवा		0.03	0.02
मणिपुर		0.05	0.04
मेघालय		0·03	0.02
मिजोरम		0.03	0.01
नागालैंड		0.04	0.04
सिक्किम	1.66*	0.01	0.01
त्रिपुरा		0.12	0.03
अंडमान व निकोबार		0.02	0.01
दादरा व नगर हवेली		0.00	0,00
दिल्ली		0.02	0.01
दमन व द्वीप		0.01	0.00
लक्षद्वीप		0.00	0.00
पांडिचेरी		0.02	0.01
अखिल भारत	346.0	28.98	17.66

*नोट : अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का योग

नई कोयला धोवनशालायें

*319. श्री लाल बाबू राय
श्री एस० बी० थोरात : } : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड का अगले तीन वर्षों के दौरान कितनी नई कोयला धोवनशालायें खोलने का विचार है और वे कहां-कहां खोली जायेंगी;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कोयला धोवनशालाओं को निजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोल इण्डिया लि० के अन्तर्गत स्थापित की जा रही नई कोयला वाशरियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र. स.	स्थान	क्षमता (मि. ट. प्र. वर्ष)	टिप्पणी
1.	मधुबंद (भारत कोकिंग कोल लि.)	2.5	यह इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोककर कोयले के लिए
2.	केडला (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.)	2.6	—तदैव—
3.	बीना (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.)	4.5	यह विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जाने वाले अकोककर कोयले के लिए हैं।
4.	पिपरवार (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.)	6.5	—तदैव—

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी प्रौद्योगिकी तथा पेटेंट अधिकार

[अनुवाद]

*320 (श्री ए. चार्ल्स) : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात तथा पैटेंट अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लेने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर कहां तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) : जैसा कि 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक 1 करोड़ रु० के एकमुश्त भुगतान तक के विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों, घरेलू बिक्रियों के लिए 5% और निर्यात के लिए 8% रायल्टी के लिए स्वत: अनुमति दे देता है, बशर्ते कि कुल भुगतान समझौते की तारीख से दस वर्ष की अवधि अथवा उत्पादन आरम्भ होने के समय से सात वर्ष की अवधि के दौरान की बिक्रीयों का 8% ही।

(2) अन्य प्रस्तावों के लिए जो सामान्य प्रक्रिया लागू है उसके अधीन सरकार का विशिष्ट अनुमोदन लेना जरूरी है।

भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकीय गति को अपेक्षित स्तर लाने के लिए प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वत: अनुमोदन की सुविधा दी गयी है। भारतीय कम्पनियां अपने वाणिज्यिक अनुमानों के अनुसार अपने विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए स्वतन्त्र होगी। यह उपाय भारतीय उद्योग को जो पूर्वानुमान तथा कार्रवाई की स्वतन्त्रता उपलब्ध करा रहा है, उससे वे विदेशी प्रौद्योगिकी के समक्ष अन्तर्लयन के लिए स्वदेशी प्रतिस्पर्धा का विकास करने के लिए प्रेरित होंगे। ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक दबाव स्वदेशी उद्योग को अनुसंधान तथा विकास मे पर्याप्त निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

मूंगफली का तेल

*321. **श्री सी. के. कुप्पुस्वामी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में मूंगफली के तेल का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) मूंगफली के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1988-89 तथा 1990-91 के दौरान मूंगफली के तेल का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)
1988-89	22.22
1989-90	18.63
1990-91	17.53

(ख) : 1991-92 के लिए मूंगफली सहित तिलहनों के उत्पादन हेतु 185 लाख मी. टन का लक्ष्य नियत किया गया है।

(ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का, जो 1989-90 तक चल रही थीं, 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया। इस योजना के जरिए, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी पर विशेष ध्यान देते हुए, वस्तुतः राज्यों को उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण उपाय करने, जिनमें पौध संरक्षण रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं का समर्थन करना।

3. उत्पादन, संसाधन और प्रबंध संबंधी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना।

4. तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

5. सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहनों की फसल के तहत क्षेत्र को बढ़ाना तथा वृक्ष और वनोपज तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि का दोहन करना।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना।

7. तेल-ताड़ विकास के लिए सहायता देना।

8. प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

9. संसाधन एककों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का पता लगाना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क में रियायत देना।

10. तेल युक्त सामग्री से तेल का पूरा दोहन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों को धन देना।

पूंजी निवेश पर छूट संबंधी नीति

[हिन्दी]

*322. श्री मोहनलाल झिकराम : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों ने पूंजी निवेश पर छूट संबंधी नीति के अन्तर्गत पूंजी निवेश किया है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी राशि का निवेश किया है ।

(ग) हमारी औद्योगिक नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(घ) इस नीति के कब तक प्रभावी रहने की सम्भावना है; और

(ङ) इस नीति के अन्तर्गत पूंजी निवेश के लिए क्या शर्तें रखी गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पूंजी निवेश पर छूट संबंधी नीति जैसी कोई नीति नहीं है और इसलिए अनिवासी भारतीयों द्वारा उक्त योजना के अधीन पूंजी निवेश किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

[अनुवाद]

*323. श्री चेतन पी० एस० चौहान
डा० लक्ष्मी नारायणन पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कई श्रेणियों के प्रतिष्ठानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयोजन से इस अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन श्रेणियों के प्रतिष्ठानों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "उद्योग" शब्द की परिभाषा को 1982 में संशोधित किया गया था ताकि निम्नलिखित को इसकी प्रयोज्यता से बाहर किया जा सके ।

(i) बागान गतिविधियों को छोड़कर सारी कृषि सक्रियाएं;

( ) अस्पताल या औषधालय,

(iii) शैक्षिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थान;

(iv) किसी सामाजिक सहायतार्थ या लोकोपकारी सेवाओं में कार्यरत संगठनों के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या प्रबन्ध वाले संस्थान,

(v) खादी या ग्रामोद्योग

(vi) सरकार के संपूर्ण प्रभुत्व से संबंधित कोई गतिविधि जिसमें रक्षा, अनुसंधान, आणविक उर्जा और अन्तरिक्ष शामिल हैं;

(vii) कोई घरेलू सेवा;

(viii) कोई पेशेवर गतिविधि या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या एक सहकारी समिति या एक क्लब द्वारा चलाई गई कोई गतिविधि यदि इस व्यवसाय या गतिविधि या व्यक्तियों के निकाय में दस से कम व्यक्ति नियोजित हैं।

2. "उद्योग" शब्द की उपर्युक्त परिभाषा को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से हटाए गए श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी वैकल्पिक सांविधिक तंत्र की व्यवस्था की जाए। तदनुसार इस पृष्ठ भूमि में अस्पताल और अन्य संस्थान (कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण) विधेयक, 1987 पेश किया गया था। तथापि, तत्कालीन लोकसभा के भंग हो जाने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया। तत्पश्चात् अप्रैल, 1990 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया। सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि नए औद्योगिक संबंध कानून की मुख्य-मुख्य बातों पर सुझाव देने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया जाए। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी जिसमें 'उद्योग' शब्द की परिभाषा का प्रश्न भी शामिल है। हाल ही में हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि विवादास्पद मुद्दों के बारे में सिफारिश देने के लिए श्री पी० ए० संगमा, राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के श्रम मन्त्रियों का एक ग्रुप गठित किया जाए। इन सिफारिशों पर अगले भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

*325. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे एककों-एककों के संबंध में कोई जांच की है जिनका कार्यकरण गत तीन वर्षों के दौरान संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों, जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित हैं, में से 4 ने पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि उठाई है। ये उद्यम निम्नलिखित हैं :

1. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०

2. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०

3. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलमेंट इण्डिया लि०

4. रांची अशोक बिहार होटल कारपो० लि०

(ग) इन उद्यमों के कार्यचालन में सुधार लाने हेतु उद्यम विशेष के संबंध में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा प्रबन्धन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

प्राइवेट बिल्डरों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी

3478. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राइवेट बिल्डरों द्वारा जनता से धोखाधड़ी करने के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

इस मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई और मैसर्स तिरुपति बिल्डर्स/एसोसिएट्स प्रवर्त्तक के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए हैं और इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच प्रगति पर है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भूमि का सौदा

[अनुवाद]

3479. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1992 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित "एन० डी० एम० सी० इन डूबिलयल लैंड डील" समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका के कार्यालय पर छापा भी मारा था और फ्लैटों के आबंटन तथा ऐसे अन्य मामलों से संबंधित कागजात जब्त किए हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पर्यावरण के सुधार तथा बेहतर स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग के समीप रेलवे पुल तथा अरबिन्द मार्ग के बीच कुशक नाले को शामिल किया जा रहा है। इस योजना के एक भाग के रूप में, अरबिन्द मार्ग के निकट 300 मीटर नाले को पहले ही शामिल किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप, लगभग 6.96 एकड़ भूमि उपलब्ध हुई है। इसके अतिक्रमण को रोकने के लिए इस संपत्ति की घेराबन्दी करना तथा इसे विकसित करना आवश्यक है। डीटीटीडीसी के अध्यक्ष ने नई दिल्ली नगर पालिका के साथ सहयोग से इस भूमि पर फूड एण्ड क्राफ्ट बाजार की स्थापना करके एक संयुक्त एन डी एम सी-डी टी टी डी सी उद्यम का प्रस्ताव किया है। उन्होंने परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार अवसंरचना की व्यवस्था करने तथा क्षेत्र का उपयुक्त रूप से विकास करने का भी प्रस्ताव किया। क्षेत्र का उपयुक्त रूप से भू-दृश्य निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने लायसेंस शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की राशि तथा इस परियोजना से अर्जित शुद्ध राजस्व का 50% देने का भी प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे तर्कसंगत पाया गया कि इससे क्षेत्र का उचित रूप से उपयोग होने के साथ-साथ नई दिल्ली नगर पालिका को इसके विकास के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा।

नई दिल्ली नगर पालिका के निर्णय में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रथम दृष्टया कोई कारण नहीं है।

लारी बेकर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं का निर्माण

3480. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लॉरी बेकर प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अब तक आरम्भ की गई आवासीय तथा अन्य परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों को अपनी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों विशेषतः आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहुत-सी आवासीय तथा सांस्थानिक भवन-निर्माण परियोजनाओं में निर्माण की लॉरी बेकर की कम कर्मशक्ति विनियोजन प्रौद्योगिकी उपयोग में लाए जाने की सूचना है। इनकी आयोजना, अभिकल्पन तथा रचना मूलतः लॉरी बेकर भी निर्मित केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों, पेशावर वास्तुकारों तथा इन्जीनियरों द्वारा भी की जाती है।

इस प्रकार की परियोजनाओं की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है। लॉरी बेकर की प्रौद्योगिकी का देश में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित निर्मिति केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से प्रसार किया जाता है। दिल्ली में एकता विहार में 'लॉरी बेकर निर्मित केन्द्र' के नाम से ज्ञात एक निर्मित केन्द्र भी स्थापित किया गया है जो लॉरी बेकर की भवन-निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा प्रदर्शन करता है।

महाराष्ट्र के मवेशी बाजार

3481. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के विनियमित मवेशी बाजार से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग; विपणन तथा निदेशालय, फरीदाबाद के पास कई वर्षों से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस रिपोर्ट को किस तारीख तक प्रकाशित कराये जाने और जनता के लिए उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क), (ख) व (ग) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अपने अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में महा-राष्ट्र के विनियमित मवेशी बाजार के संबंध में अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में मूल आंकड़े एकत्र करने के लिए महाराष्ट्र में मवेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना शामिल था। इसके अलावा, इसमें साहित्यिक सर्वेक्षण करने की भी अपेक्षा की गई थी। आंकड़े संकलित करके तैयार किए गए तथा उनका विश्लेषण किया गया और प्रारम्भिक प्रारूप वर्ष 1986–87 में उपलब्ध हुआ था। प्रारम्भिक प्रारूप की समीक्षा करने पर कुछेक पहलुओं में कमियां पाई गई थीं। अतः इसमें अतिरिक्त सूचना शामिल करने तथा आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए और अध्ययन करने का निर्णय लिया गया था। अंतिम रिपोर्ट अब उपलब्ध हो गई है और सभी संबंधितों को परिचालित की जा रही है।

संवैधानिक संशोधन

348८. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 72वीं और 73वीं सांवैधानिक संशोधनों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय मेयर परिषद् की बंगलौर में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या सुझाव दिए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) : 72वें तथा 73वें संविधान (संशोधन) विधेयक वर्ष 1991 में संसद में पेश किए गए थे दोनों ही विधेयक इस समय संसद के अलग संयुक्त समितियों के विचाराधीन है। अखिल भारतीय महापौर परिषद ने जानकारी दी है कि 11 फरवरी, 1992 को बंगलौर में मामले पर विचार करने के बाद, परिषद ने संसद की संबंधित संयुक्त समिति को नए सिरे से एक ज्ञापन दिया है। सरकार द्वारा आगे की कारंवाई संयुक्त समिति की सिफारिशों तथा संसद में विधेयक पर चर्चा के आधार पर की जाएगी।

विवरण

अखिल भारतीय महापौर परिषद द्वारा मोटे तौर पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।

1. (क) पांच वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी पंचायत/नगरपालिका को भंग नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) अधिक्रमण आधार केवल गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं होने चाहिए और स्थानीय निकाय का अधिक्रमण करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए तथा लगाए गए आरोपों को दायर करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

2. पूर्णतः स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों को विनिर्दिष्ट करते हुए संविधान में एक नए अनुच्छेद का सन्निवेश।

3. करों, महसूलों, चुंगी-करों तथा शुल्कों के निर्धारण का काम, जिसे पंचायतों/नगरपालिकाओं के सुपुर्द किया जा सकता है या उनके द्वारा विनियोजित किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343-आई के अधीन गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोग के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए तथा इसे संविधान में ही विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए अन्यथा इससे और विसंगतियां, अनिश्चितताएं तथा कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है।

4. नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड स्तर तथा अन्य स्तरों पर समितियों के गठन और संयोजन से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रावधान का परीक्षण अब तक किसी भी शहर में नहीं किया गया है और इस प्रकार की समितियों के गठन पार्षदों, वार्ड के सदस्यों, समितियों तथा इस प्रकार की समितियों के अध्यक्षों के बीच अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के नियतन जैसी अनेक समस्याओं के साथ इस प्रकार की समितियों के बीच समन्वय की समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं।

5. इन स्थानीय निकायों के संगठन तथा प्रशासन को विनियमित करने के लिए संविधान में संसद को आदर्श निगम अधिनियम, आदर्श नगर-पालिका अधिनियम तथा आदर्श पंचायत अधिनियम पारित करने का अधिकार देने के उद्देश्य से एक नया अनुच्छेद शामिल किया जाना चाहिए।

6. संशोधन अधिनियम के साथ असंगत मौजूदा कानूनों को किसी भी स्तर पर किसी भी मौजूदा पंचायत/नगरपालिका के अधिकतम कार्यकाल की अवधि को समाप्त होने तक जारी रखने से सम्बन्धित प्रावधानों को हटा देना चाहिए।

"कृभको" का विस्तार

3483. श्री एस० बी० सिदनाल : प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड" का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) "कृभको" ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान "कृभको" ने यदि कोई ब्याज अर्जित किया है तो वह कितना है; और

(ङ) "कृभको" को केन्द्रीय सरकार और वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई और इस कम्पनी ने कितनी धनराशि वापस की ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) एवं (ख) आठवीं पचवर्षीय योजना प्रस्तावों में कृभको द्वारा एच बी जे पाइप लाइन पर एक नया अमोनिया यूरिया सन्यन्त्र तथा हजीरा में एक नाइट्रोफास्फेट सयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है। तथापि आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए कृभको का शुद्ध लाभ क्रमशः 91.51 करोड़ रुपए था।

(घ) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान अतिरेक निधि के अल्पकालीन निवेशों पर कृभको द्वारा अर्जित ब्याज 15.03 करोड़ रुपये था।

(ङ) कृभको ने भारत सरकार से 342.50 करोड़ का तथा वित्तीय संस्थाओं से 79.75 करोड़ रुपये का कुल ऋण प्राप्त किया है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त 79.75 करोड़ की कुल ऋण राशि 31-3-1989 तक पहले ही वापस कर दी/दि दी गयी थी। कृभको ने भारत सरकार को भी 252.50 करोड़ रुपए का कुल ऋण पहले ही लौटा दिया है जिसमें से 230 करोड़ रुपए का भुगतान 31-3-1989 तक पहले ही कर दिया गया था तथा 22.50 करोड़ रुपए का भुगतान 1989-90 के दौरान किया गया। कृभको ने 1990-91 के दौरान भारत सरकार के किसी ऋण का भुगतान नहीं किया है।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात

3484. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में लघु उद्योगों ने बड़े उद्योगों की अपेक्षा ज्यादा निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापारिक कंपनियों में विदेशी साम्य पूंजी धारिता

3485. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल रूप से निर्यात कार्यों में रत व्यापारिक कम्पनियों में विदेशी साम्य पूंजी की अनुमति के लिए कोई मानक दण्ड निर्धारित किया है, और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने के लिए मूल रूप से निर्यात कार्य-कलापों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों हेतु 51% इक्विटी तक प्रमुख विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति है। उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट सं० 23 (1991 श्रृंखला दिनांक 31-12-1991 में ऐसी कम्पनियों में 51% तक विदेशी इक्विटी धारिता के अनुमोदन के लिए सिद्धांत और प्रक्रियाएं दी गई हैं ? नयी और मौजूदा दोनों प्रकार की कम्पनियां, लागू आवश्यकताओं के अधीन, 51% विदेशी इक्विटी तक विदेशी निवेश हेतु आवेदन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक से स्वतः अनुमोदन प्राप्त कर सकती हैं। सभी अनुमोदनों के संबंध में लाभांश के भुगतान के कारण बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संतुलन निश्चित समय अवधि की निर्यात आय से किया जाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लंबित मामले

[हिन्दी]

3486. श्री रामविलास पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले लंबित है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) (ख) (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण

3487. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बार-बार भूकम्प आने के संबंध में विशेष सर्वेक्षण कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि, हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्ति संबंधी नियमों में संशोधन

3488. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों को स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेने के लिए प्रेरित करने हेतु सेवा निवृत्ति संबंधी नियमों में कुछ संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र

[अनुवाद]

3489. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री दत्तात्रेय बंडारू
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1991 के दौरान किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में किसी नये जिला उद्योग केन्द्र की मंजूरी/स्थापना नहीं की गयी थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिए उ०प्र० (7), असम (2), तमिलनाडु (1), दमन व दीप (1), हरियाणा (4), पश्चिम बंगाल (5), उड़ीसा (4) और राजस्थान (3) में नये जिला उद्योग केन्द्रों की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समय देश में कोई नया जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में कोयला स्टाक यार्ड

3490. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर कोयला स्टाक यार्ड स्थापित किए गए हैं;

(ख) कोयला स्टाक यार्ड स्थापित करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा में कितने नए कोयला स्टाक यार्ड खोलने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) उड़ीसा में कोल इण्डिया के स्टाकयार्ड निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

(1) जगतपुर (2) राऊरकेला

(3) भद्रक (4) सम्बलपुर

किन्तु जगतपुर में स्टाकयार्ड को चालू रखने की संविदा दिनांक 6-1-1992 को समाप्त हो गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोयले के स्टाकयार्ड विशेष रूप से, कोयले के नए स्टाकयार्ड राज्य सरकारों द्वारा अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा स्थापित तथा उनका प्रबन्ध किया जाए। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रायोजन के अनुसार कोयला कम्पनियां स्टाकयार्डों के लिए कोयला की आपूर्ति करेगी। हमें अभी तक उड़ीसा में नए स्टाकयार्ड खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

बिहार में भू अभिलेखों में उन्नयन के लिए धन

3491. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उल्ला-उल्ला, भू-अभिलेख में

सुधार योजना के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी जारी की गई;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस योजना के परिव्यय में वृद्धि करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में बिहार सरकार को 150.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और रिलीज की गई थी। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत निधियां रिलीज नहीं की गई हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में निधियों की रिलीज के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना हेतु बजट प्रावधानों में 20.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

डी० डी० ए० फ्लैटों का धंसना

[हिन्दी]

3492. **श्री छेदी पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में धंस रहे मकानों की संख्या क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) सैक्टर सी, पाकेट-4, वसंत कुंज में पूर्ण होने की अवस्था में, दो मंजिले मकानों के दो ब्लाकों में जमीन धंस गई थी। इस धंसान से मात्र एक भूतल फ्लैट की नींव प्रभावित हुई थी। यह चट्टानी भू-भाग में विद्यमान गहरे खोखलेपन के कारण हुआ है। इस प्रकार की अन्य कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) यह मामला भूतपूर्व-निदेशक, भारतीय तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय भू-अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान, रुड़की तथा भारतीय तकनीकी संस्थान, दिल्ली के सिविल इन्जीनियरी विभाग को तुरन्त भेजा गया था। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भू-राडार से क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की के वैज्ञानिकों ने खोखलेपन की वास्तविक अवस्थिति का पता लगाया है। भारतीय तकनीकी संस्थान, दिल्ली की विशेषज्ञ सलाह के अधीन पता लगाए गए खोखलेपन को भरने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ किए गए हैं।

रुग्ण औद्योगिक एकक

[अनुवाद]

3493. श्री के० चोका राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने रुग्ण औद्योगिक एकक हैं और उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उनका कुल घाटा कितना है; और

(ख) ये औद्योगिक एकक अधिकतर किन राज्यों में स्थित हैं ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े एकत्रित करता है। लघु तथा गैर लघु क्षेत्र में मार्च, 1990 के अन्त तक रुग्ण औद्योगिक एककों के राज्यवार आंकड़े एवं उनके पास बैंक ऋण की बकाया राशि के ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं।

विवरण

मार्च, 1990 के अन्त तक गैर-लघु तथा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के राज्यवार वर्गीकरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु रुग्ण एककों की सं०	बकाया राशि	लघु रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि
1.	असम	8	10.33	4,512	25.73
2.	मेघालय	1	1.14	61	0.58
3.	बिहार	40	97.22	5,007	56.42
4.	अरूणाचल	—	—	29	0.24
5.	पश्चिमी बंगाल	195	652.37	37,448	263.42
6.	नागालैंड	—	—	45	0.89
7.	मणीपुर	—	—	771	1.44
8.	उड़ीसा	28	88.69	7,194	38.14
9.	सिक्किम	1	2.42	70	0.48
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2.33	21	0.03
11.	त्रिपुरा	—	—	465	1.00
12.	उत्तर प्रदेश	84	214.76	27,8[illegible]2	206.83
13.	दिल्ली	24	56.18	4,346	158.98
14.	पंजाब	28	35.11	5,938	81.99
15.	हरियाणा	46	83.44	3,186	63.70

1	2	3	4	5	6
16.	चंडीगढ़	23	48.49	290	8.28
17.	जम्मू और कश्मीर	1	7.80	1,819	7.72
18.	हिमाचल प्रदेश	15	27.54	824	7.6 8
19.	राजस्थान	46	97.51	9,987	56.31
20.	गुजरात	155	547.93	6,174	185,38
21.	महाराष्ट्र	322	1,322.96	19,208	489.04
22.	दमन और द्वीप	1	3.40	34	1.36
23.	गोवा	14	28.89	1,210	12.59
24.	दादरा और हवेली	2	1.38	7	0.59
25.	मध्य प्रदेश	47	128.44	16,716	86.21
26.	आन्ध्र प्रदेश	122	386.06	30,103	186.82
27.	कर्नाटक	82	262.48	10,252	141.46
28.	तमिलनाडु	133	273.10	9,891	215.85
29.	केरल	32	154.61	15,239	122.89
30.	पांडिचेरी	4	4.24	119	4.89
		कुल—1,455	4,538.82	2,18,828	2,426.94

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए विधान

[हिन्दी]

3494. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे संसद में कब तक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है ।

औद्योगिक पूंजी निवेश

3495. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान और 1991-92 में अब तक देश में औद्योगिक क्षेत्र में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) राजस्थान के संबंध में तुलनात्मक रूप से इसके औसत आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का इसमें वृद्धि करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) औद्योगिक क्षेत्रक में निवेश के लिए आंकड़े वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के तहत एकत्रित और संकलित किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण में वे फैक्टरियां शामिल हैं जिनमें 10 या इससे अधिक कामगार लगे हुए हैं और जो विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं अथवा जिनमें 20 या उससे अधिक कामगार लगे हुए है और जो विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नवीनतम जानकारी केवल वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा उस वर्ष के सर्वेक्षण में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दादरा व नगर हवेली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और लक्षद्वीप प्रायद्वीप को छोड़कर सम्पूर्ण देश को शामिल किया गया था। पिछले तीन वर्षों के लिए लगायी गयी पूंजी के अनुमानों को, जिसमें आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। यह कहा जा सकता है कि आंकड़े सम्बद्ध ए० एस० आई० सन्दर्भ अवधि में शामिल फैक्टरी के लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार हैं।

(ग) जी, हां।

विवरण

(लाख रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
1. आन्ध्र प्रदेश	551745	604[illegible]10	659668
2. असम	88502	112670	101819
3 बिहार	689177	743183	872155
4 गुजरात	825712	967834	1114490
5 हरियाणा	288686	3165[illegible]3	358559
6, हिमाचल प्रदेश	9405	85669	104399
7. जम्मू कश्मीर	34492	41182	49947
8. कर्नाटक	369450	400557	479473
9. केरल	223420	237659	265251
10. मध्य प्रदेश	698080	781430	890411
11. महाराष्ट्र	1478202	1684739	1884256
12. मणिपुर	158	151	128
13. मेघालय	1815	283	1794
14 उड़ीसा	228390	292036	485046
15. पंजाब	374377	407520	546661
16. राजस्थान	364877	400064	412766
17. तमिलनाडु	833485	889941	1020461
18. त्रिपुरा	1852	3224	3442
19. उत्तर प्रदेश	850878	1041962	1207068

1	2	3	4	5
20.	पं० बंगाल	697831	641482	772952
21.	अंडमान व निकोबार	1365	1123	1867
22.	चण्डीगढ़	5019	5737	5657
23.	दिल्ली	87902	69322	107953
24.	गोवा, दमन व द्वीप	27215	29736	30784
25.	पांडिचेरी	9146	11868	16378
	जोड़	8811181	9769297	11393385

×लगायी पूंजी : निर्धारित की गयी तथा वास्तविक कार्यशील पूंजी का जोड़ है।

निर्धारित पूंजी : लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार फैक्टरी के निजी स्वामित्व वाली निर्धारित परिसम्पत्तियों के घटते मूल्य का द्योतक है। निर्धारित परिसम्पत्तियां वे हैं जो एक वर्ष से अधिक सामान्य उत्पादी समय के लिए होती है।

वास्तविक कार्यशील पूंजी : को लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार फैक्टरी के निजी स्वामित्व, उसके द्वारा धारित अथवा नियंत्रित सभी वास्तविक सूचियों को शामिल करने के लिए किए परिभाषित किया जाता है।

×× केवल रिपोर्टिंग फैक्टरियां।

शहरों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि

3496. **श्री ललित उरांव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरों क विकास के लिए विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और यह धनराशि किन-किन योजना शीर्षों के अन्तर्गत दी गई है;

(ख) 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार का इन शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी राशि उपलब्ध कराने का विचार है,

(ग) क्या इस शीर्ष के अन्तर्गत बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) नगर विकास राज्य का विषय है। तथापि, राज्य सरकारों से प्रस्ताव होने पर केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता

तथा तकनीकी परामर्श प्रदान करती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित लघु तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना (आई. डी. एम. एस. टी.) शहरी मूलभूत सेवा (यू. बी. एस.) तथा निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा (यू. बी. एस. पी.) जैसी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा चुनींदा नगरों में चल रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आई. डी. एस. एम. टी. और यू. बी. एस. पी./यू. बी. एस. के तहत रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः अनुलग्नक—I तथा II में दर्शाये गये हैं। अनुलग्नक—III में बम्बई/कलकत्ता योजनाओं के ब्यौरे दर्शाये गये हैं।

(ख) बजट प्रावधान इंगित करना असामयिक होगा क्योंकि बजट प्रस्ताव संसद द्वारा अभी पारित किये जाने हैं।

(ग) तथा (घ) राज्यों को निधियों का नियतन, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों और आई. टी. एस. एम. टी. के अन्तर्गत निधियां खपाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करते हुये तथा यू. बी. एस. पी. योजना के अन्तर्गत निर्धनता स्थिति के आधार पर किया जाता है।

विवरण-I

मुख्य शीर्ष 7601 और 7602 के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास (कम लागत स्वच्छता सहित) के तहत केन्द्रीत सहायता की राज्यवार रिलीज (गत तीन वर्षों के दौरान)

रुपये लाखों में

क्र. सं.	राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	योग
1.	आंध्र प्रदेश	61.50	85.09	85.00	231.59
2.	आसाम	59.50	59.50	65.00	184.00
3.	बिहार	75.95	129.85	47.20	252.533
4.	गोवा	—	—	10.00	10.00
5.	गुजरात	191.60	59.50	80.08	331.18
6.	हरियाणा	76.00	86.50	—	162.50
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	8.00	1.82	42.50	52.32
9.	कर्नाटक	180.441	52.57	68.50	301.511
10.	केरल	61.25	5.00	55.81	122.06
11.	मध्य प्रदेश	130.32	182.23	185.00	497.55
12.	महाराष्ट्र	110.635	125.255	218.31	454.20
13.	मणिपुर	—	—	54.42	54.42
14.	मेघालय	46.00	63.50	24.60	134.10
15.	मिजोरम	—	3.50	—	3.50
16.	नागालैंड	24.00	24.20	26.00	74.20

17. उड़ीसा	71.00	68.00	178.25	317.25
18. पंजाब	46.00	89 64	—	135.64
19. राजस्थान	36.00	89.75	82.50	208.25
20. सिक्किम	20.00	29.75	—	49.75
21. तमिलनाडु	64.29	244.42	279.34	588.05
22. त्रिपुरा	27.00	20.00	20.00	67.00
23. उत्तर प्रदेश	175.026	44.00	198.50	437.526
24. पश्चिमी बंगाल	110.00	82.69	133.73	328.48
25. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
26. दादर नगर हवेली	23.235	23.75	—	46.985
27. लक्षद्वीप	—	—	25.00	25.00
28. पांडिचेरी	25.00	23.75	28.00	76.75

विवरण-II

शहरी मूलभूत सेवा और निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा के अधीन मुख्य शीर्ष 3601,3602 और 2237 के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.80	11.80	188.50
2.	बिहार	अनुपलब्ध	7.60	169.35
3.	गुजरात	—वही—	10.90	106.15
4.	हरियाणा	—वही—	3.00	27.00
5.	कर्नाटक	5.70	7.80	162.60
6.	केरल	11.76	7.50	77.90
7.	मध्य प्रदेश	3.20	3.20	167.40
8.	महाराष्ट्र	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	249.30
9.	उड़ीसा	23.81	17.20	62.90
10.	पंजाब	9.40	9.10	55.90
11.	राजस्थान	5.60	6.50	104.20
12.	तमिलनाडु	अनुपलब्ध	3.00	238.50
13.	उत्तर प्रदेश	2.85	4.00	410.00
14.	पश्चिमी बंगाल	अनुपलब्ध	2.30	189:00

1	2	3	4	5
15.	गोवा	—वही—	अनुपलब्ध	12.50
16.	अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	—वही—	12.50
17.	असाम	3.40	3.40	25.60
18.	हिमाचल प्रदेश	2 00	2.00	17.00
19.	जम्मू एवं कश्मीर	2.10	2.40	14.90
20.	मणिपुर	अनुपलब्ध	1.975	13.50
21.	मेघालय	—वही —	अनुपलब्ध	12.50
22.	मिजोरम	—वही—	—वही—	12.50
23.	नागालैण्ड	—वही—	—वही—	12.50
24.	सिक्किम	— वही—	—वही—	12.50
25.	त्रिपुरा	3.20	1.60	14.10
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11.00
27.	चंडीगढ़	—वही—	—वही —	11.00
28.	दादर नगर हवेली	—वही—	—वही—	11.00
29.	दमन और द्वीव	—वही—	—वही—	11.00
30.	लक्षद्वीप	—वही—	—वही—	11.00
31.	पांडिचेरी	—वही—	1.00	12.00
32.	दिल्ली	6.70	6.70	49.20
	योग	91.52	112.97	248.00

विवरण-III

मुख्य शीर्ष : 360 I एफ. I (1)(1)- आयोजना-भिन्न-राज्य सरकार को अनुदान सहायता	(क) बम्बई के लिये प्रधान मन्त्री का अनुदान :—तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने 1985 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई) के शताब्दी समारोह के संबध में अपने बम्बई दौरे के दौरान महाराष्ट्र सरकार को बम्बई में स्लम और आवास की विकट समस्याओं के समाधान हेतु 100 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की घोषणा की । योजना के घटक (I) स्लम उन्नयन (22.00 करोड़ रुपये); (II) धारवी विकास योजना (37.00 करोड़ रुपये) और शहरी नवीकरण तथा पुनर्निर्माण (41.00 करोड़ रुपये) है । महाराष्ट्र सरकार को अभी तक 85.00 करोड़ रुपये [(I) तथा (II) के लिये 59.00 करोड़ रुपये व (iii) के लिये 26.00 करोड़ रुपये सहित] रिलीज किये गये हैं । शेष 15.00 करोड़ रुपये (III) के लिये] उनसे मांगे गये

परियोजना रिपोर्टों आदि के ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात रिलीज किए जाएंगे।

मुख्य शीर्ष :
360 I-सी-I(1)(2)-
आयोजना-पूंजी अनुदान

(ख) **बम्बई और कलकत्ता के लिये नौवां वित्त आयोग अनुदान**

नौवें वित्त आयोग ने स्लम उन्मूलन और स्लमों के पर्यावरणीय सुधार तथा बम्बई एवं कलकत्ता नगरों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार, प्रत्येक को एक बार विशेष अनुदान सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपये की अनुशंसा इस निष्कर्ष के आधार पर की थी कि इस प्रयोजनार्थ वे भी इतनी धनराशि उपलब्ध करेंगे। निधियों की रिलीज को व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), वित्त मंत्रालय द्वारा निमंत्रित किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन

[अनुवाद]

3497. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर ने केन्द्रीय सरकार के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में निवेश कम करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान केबल्स लि० ने केन्द्रीय सरकार के साथ वर्ष 1991-92 के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौता ज्ञापन में महत्वपूर्ण सूची पत्रों में कारोबार, कर-पूर्व लाभ और प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य क्रमश: 42100 लाख, 589 लाख और 1.33 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) सरकार की 100% अंश-धारिता में से, सरकार ने अब तक लगभग 3.64% सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों/सहयोग-निधियों को आफलोड कर दिया है।

कनिष्ठ अभियंताओं के वेतनमान में विसंगतियां

3498. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अन्तर्गत कार्य कर रहे कनिष्ठ अभियंताओं तथा नक्शानवीसों के वेतनमानों में विसंगतियों के बारे में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) अण्डमान तथा निकोबार लोक निर्माण विभाग के कुछ गैर डिप्लोमा/डिग्री धारक जूनियर इन्जीनियरों, जिन्हें 1350-2200 रुपये का वेतनमान दिया गया था, द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के संबंध में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता पीठ ने आदेश दिया था कि ऐसे जूनियर इन्जीनियरों को 1.1.86 से 1400-2300 रुपये का वेतनमान दिया जाये। संघ शासित प्रशासन ने भारत सरकार का अनुमोदन लिये बिना ऐसे जूनियर इन्जीनियरों, जिन्होंने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी, को 1400-2300 रुपये का वेतनमान देने की अनुमति दे दी थी। तदनुसार, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अन्य गैरडिप्लोमा/डिग्री धारक जूनियर इन्जीनियरों को यही वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा है। संघ शासित प्रशासन से मांगे गए कुछ विवरण 16.3.92 को प्राप्त हुए हैं तथा कुछ विवरणों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान की कोई विसंगति नहीं है।

मैसर्स बर्न स्टंडर्ड कम्पनी लिमिटेड का हल्दिया एकक

3499. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के हल्दिया एकक के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : सरकार ने मैसर्स बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की जेलिंघम (हल्दिया) इकाई की क्षमता का विस्तार 10,500 टन प्रति वर्ष तक करने के उसके एक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ताकि 45.06 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीव सम्पूर्ण "आयल वैल हैड प्लेटफार्मों" का निर्माण किया जा सके।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3500. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्य मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग विभागीय संगठन और इसके कर्मचारियों को सहायता और प्रशिक्षण देता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)

(क) जी, हां।

(ख) आयोग, नए नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए, सामान्यतः एक तिमाही में एक बार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

अन्य सतर्कता कर्मचारी, जो मुख्य सतर्कता अधिकारियों के अधीन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा जांच अधिकारी आदि के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण संबंधित संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है तथा आयोग, उपयुक्त पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव संकाय संबंधी प्रावधानों इत्यादि के बारे में सुझाव दे कर जब कभी आवश्यक हो, सहायता प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 1991 में आयोग ने चार प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 67 मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया तथा आयोग ने अन्य संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सतर्कता संबंधी कार्य के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान/वार्ता देने के लिए अपने अधिकारियों को भी भेजा था।

सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की सामाजिक एवं अन्य समस्याओं के प्रति वैज्ञानिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अब तक कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार ने वैज्ञानिकों से देश के सामने जो सामाजिक और अन्य समस्याएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों में कार्य कर रहे अनेक वैज्ञानिक पेयजल, सफाई, आवास, ग्रामीण रोजगार, शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार आदि जैसी समस्याओं को हल करने के तरीके बताने के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे मुद्दों से संबंधित लघु-स्तरीय नव प्रयास एवं निदर्शन संबंधी परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता दी जा रही है।

केरल में नए उद्योग

3502. **श्री थाइल जान अंजलोज :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात केरल में कितने और किस-किस प्रकार के नये उद्योग पंजीकृत किये गए हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केरल में विदेशी सहयोग के लिए कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1 अगस्त, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक की अवधि में उद्यमियों ने केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 31 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दर्ज किये थे। ये अनुसूचित उद्योगों से सम्बद्ध विभिन्न मदों के विनिर्माण

से संबंधित है जैसे धातुकर्मी उद्योग, रसायन, दूरसंचार व्यवस्था, औषध तथा भेषज, वनस्पति तेल तथा वनस्पति, रबड़ का सामान, कागज, मशीनी औजार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि।

(ख) साधारणतया विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों में सहयोग के अधीन स्थापित होने वाली परियोजना के स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं होता है और इसीलिए विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों के ब्यौरे खासतौर से स्थापना सूची संबंधी ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन

3503. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ जोनों का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास राज्यमन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अंचलों और परिमण्डलों के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गये हैं।

विवरण

दिल्ली, नई दिल्ली, गाजियाबाद, नौएडा, फरीदाबाद के क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित परिमण्डलों सहित तीन अंचल प्रचालन में है :—

1. **नई दिल्ली अंचल-I**

परिमण्डल

(i) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल—I
(ii) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल—II
(iii) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल—IV
(iv) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल—
(v) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल—VI

2. **नई दिल्ली अंचल**—II

(i) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल नं. I
(ii) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल नं. V
(iii केन्द्रीय भण्डार परिमण्डल
(iv दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल नं. IV
(v) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल नं. VIII

3. **नई दिल्ली अंचल**—III

(i) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल—III
(ii) एमबीआरएचपी परिमण्डल (महरौली) बदरपुर, रोड़ आवासीय परियोजना (परिमण्डल)

(iii) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल—VI
(iv) दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल नं. VII
(v) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल न. III

दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों के लिए

4. मध्य अंचल

क्षेत्राधिकार : उत्तरप्रदेश, गाजियाबाद और मध्य प्रदेश को छोड़कर ।

परिमण्डल

(i) आगरा केन्द्रीय परिमण्डल, आगरा
(ii) इलाहाबाद केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद
(iii) भोपाल केन्द्रीय परिमण्डल, भोपाल
(iv) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल न. V, दिल्ली

5. उत्तरी अंचल

क्षेत्राधिकार : राजस्थान, पंजाब, हरियाणा (फरीदाबाद को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, चंडीगढ़ के संघ शासित ।

परिमण्डल

(i) चण्डीगढ़ केन्द्रीय परिमण्डल, चण्डीगढ़
(ii) जालंधर केन्द्रीय परिमण्डल, जालंधर
(iii) जयपुर केन्द्रीय परिमण्डल, जयपुर
(iv) दिल्ली केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल नं. 2, दिल्ली

6. पश्चिमी अंचल

क्षेत्राधिकार : महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण एवं दीप ।

परिमण्डल

(i) मुम्बई केन्द्रीय परिमण्डल—I, मुम्बई
(ii) मुम्बई केन्द्रीय परिमण्डल—II, मुम्बई
(iii) मुम्बई केन्द्रीय परिमण्डल—III, मुम्बई
(vi) नागपुर केन्द्रीय परिमण्डल, नागपुर
(v) मुम्बई केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल, मुम्बई
(vi) नागपुर केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल, नागपुर

7. पूर्वी अंचल

क्षेत्राधिकार : बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ।

परिमण्डल

(i) कलकत्ता केन्द्रीय परिमण्डल—I, कलकत्ता

(ii) कलकत्ता केन्द्रीय परिमण्डल—II, कलकत्ता

(iii) कलकत्ता केन्द्रीय परिमण्डल—III, कलकत्ता

(iv) पटना केन्द्रीय परिमण्डल, पटना

(v) कलकत्ता केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल नं. I, कलकत्ता

(iv) कलकत्ता केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल—II, कलकत्ता

8. **पूर्वोत्तर अंचल**

क्षेत्राधिकार : असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम।

परिमण्डल

(i) असम केन्द्रीय परिमण्डल, गोहाटी

(ii) सिल्चर केन्द्रीय परिमण्डल, सिल्चर

(iii) गोहाटी केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल, गोहाटी

9. **दक्षिणी अंचल —I**

क्षेत्राधिकार : तमिलनाडु, केरल और पाण्डिचेरी। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप।

परिमण्डल

(i) मद्रास केन्द्रीय परिमण्डल, मद्रास

(ii) त्रिवेन्द्रम केन्द्रीय परिमण्डल, त्रिवेन्द्रम

(iii) मद्रास केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल, मद्रास

10. **दक्षिणी अंचल—II**

क्षेत्राधिकार : कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश।

परिमण्डल

(i) बंगलौर केन्द्रीय परिमण्डल, बंगलौर

(ii) हैदराबाद केन्द्रीय परिमण्डल, हैदराबाद

(iii) विशाखापटनम केन्द्रीय परिमण्डल, विजाग

(v) हैदराबाद केन्द्रीय विद्युत परिमण्डल, हैदराबाद

बाजार में यूरेनियम की बिक्री

3504. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से बाजार में यूरेवियम बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक; लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का निजीकरण

3505. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एककों का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क), (ख) और (ग) : गुजरात में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निजीकरण किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, वर्ष 1991-92 के दौरान इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लि० से केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता की 20% तक राशि वित्तीय संस्थानों/सांझाकोषों के पक्ष में निकाल ली गई है।

विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयंत्र

3506. श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है और परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) : विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति के अनुसार इस उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं से प्राप्त ज्ञापन

3507. श्री तेज नारायण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सूचीबद्ध मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं।

मांग	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1. कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के अनुसार वेतनमान तथा कम से कम 1.1.86 से उच्चतर वेतनमान लागू करना।	जूनियर इंजीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के दो वेतनमान अर्थात् 1400-2300 के प्रवेश ग्रेड तथा 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर 1640-2900 के संबंध में भारत सरकार ने 22 मार्च, 1991 को आदेश जारी किए। 5 वर्षों के बाद 1540-2900 रुपये के वेतनमान में रखे जाने के बारे में यह निर्णय 1.1.86 से प्रभावी है। जूनियर इन्जीनियर/अनुभागीय अधिकारी (बागवानी) के रूप में 15 वर्षों की कुल सेवा पूरी करने के बाद भी जिन जूनियर इन्जीनियर/अनुभाग अधिकारी (बागवानी) को रु० 2000-3500 के वेतनमान में सहायक इन्जीनियर/सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका, उनको वैयक्तिक आधार पर सहायक इन्जीनियर/सहायक निदेशक (बागवानी) का वेतनमान दिया जाएगा। यह वैयक्तिक पदोन्नति 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् 1.1.1991 से प्रभावी होगी। 1.1.1986 से 2000-3500 के ग्रेड में वैयक्तिक पदोन्नति देने की मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो सका है।
2. करार के अनुसार अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों के समान काटी गई 37 दिन की मजदूरी का भुगतान तथा उत्पीड़न किये गये मामलों को हटाना।	सरकार ने इस मामले पर पहले विचार किया था तथा इसे माना नहीं जा सका है। तथापि, इस मामले पर सरकार फिर विचार करने का प्रस्ताव करती है।
3. जूनियर इन्जीनियर तथा सहायक इन्जीनियर के संवर्ग में गत्यावरोध को हटाना तथा दूसरे संवर्ग समीक्षा का अनुमोदन।	दूसरे संवर्ग समीक्षा का काम आरम्भ हो गया है और इस पर शीघ्र ही सरकारी निर्णय लिए जाने की संभावना है।

4.	नियत यात्रा भत्ते की मंजूरी (नियम यात्रा भत्ता)	इस मामले पर शहरी विकास मंत्रालय की विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) में विचार किया गया है तथा विभागीय परिषद में इस पर विचार किया जाना है।
5.	नियम 3 (ए) सी० ई० एस० और सी० ई० ई० एस० श्रेणी—II भर्ती नियम (अर्थात् सहायक इन्जीनियरों की सी० ई० एस० से सीधी भर्ती और सी० ई० ई० एस० श्रेणी—II भर्ती नियम) के प्रावधान को समाप्त करना।	सरकार का, जूनियर इन्जीनियरों के स्तर सहित इन्जीनियरों की पर्याप्त संख्या के संबंध में विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव है।
6.	सहायक इन्जीनियरों के सभी रिक्त पदों को भरना अर्थात् परीक्षा कोटा (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से) तथा आरक्षित कोटा।	सहायक इन्जीनियों के रूप में जूनियर इन्जीनियरों की पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने संबंधी मामले को संघ लोक सेवा आयोग के साथ दुबारा उठाया गया है। 105 जूनियर इन्जीनियरों (सिविल) और 7 जूनियर इन्जीनियर (विद्युत) को सहायक इन्जीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए गये हैं।
7.	पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए विभाग का विस्तार।	विभाग के विस्तार पर, समग्र कार्यभार को न कि पदोन्नति अवसरों को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाना है।
8.	विविध (स्थानीय और अंतः क्षेत्रीय स्थानांतरण के संबंध में उपयुक्त स्थानांतरण नीति बनाना)	विभाग की एक स्थानांतरण नीति है। स्थानांतरण के मामले में समस्याओं का समाधान करने के लिए एक हार्ड केस कमेटी भी है।

पिछड़े क्षेत्रों के वर्गीकरण का मानदंड

[हिन्दी]

3508. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण उनके पिछड़ेपन के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं, और

(ग) ऐसे क्षेत्रों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) : औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये गये मानदण्ड निम्न-प्रकार थे :—

(i) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जिला प्रधानतया खाद्यान्न/नकदी फसल उत्पादक है। (अन्तर-जिला तुलनाओं/परिवर्तन के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच की दरें जहां आवश्यक हों वहां पूर्व-निर्धारित आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं)।

(ii) कृषि कामगारों की आबादी का अनुपात।

(iii) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

(iv) प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे दर्जे के कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या।

(v) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत।

(vi) आबादी की तुलना में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी की तुलना में रेलवे मील दूरी।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारें निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता, कर स्थगन इत्यादि जैसी वित्तीय और राजकोषीय रियायतें दे रही हैं। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिले एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के लिए एक परिवहन राजसहायता योजना चला रही है, जिसके तहत चुनिंदा स्थान से औद्योगिक एककों तक कच्चे-माल और तैयार माल की परिवहन लागत के 90% तक राजसहायता दी जाती है।

लघु उद्योगों का संवर्धन

[अनुवाद]

3509. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने लघु उद्योग बन्द किये गये,

(ग) क्या देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए समान नीति है, और

(च) क्या पिछड़े जिलों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में शिवरामन समिति द्वारा परिभाषित या चयनित ऐसे एककों के संवर्धन के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों के विकास और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6.8.1991 को संसद में रखे गये नीति संबधी उपायों का उद्देश्य लघु उद्योग को अधिक जीव्यता और विकास गति देना है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बन्द हुए लघु उद्योगों की राज्य-वार संख्या उपलब्ध नहीं हैं। किंतु लघु औद्योगिक एककों की अखिल भारतीय गणना सम्बन्धी दूसरी संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार बन्द हुए लघु उद्योगों की राज्य-वार संख्या अनुबन्ध—I में दर्शायी गई हैं।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित नीति सम्बन्धी उपाय सारे देश में सभी राज्यों के लिए एक समान लागू होते हैं।

(घ) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए एकीकृत मूलभूत संरचनात्मक विकास (प्रौद्योगिकीय सहायता सेवाओं सहित) की एक नयी योजना को केन्द्र और राज्य संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों में सम्बन्धित प्राधिकरणों से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

31.3.1988 की स्थिति के अनुसार बन्द हुए एककों के राज्य/संघशासित क्षेत्र वार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य/संशासित क्षेत्र	बन्द एककों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	14,813
2.	असम	1,732
3.	बिहार	14,812
4.	गुजरात	18,977
5.	हरियाणा	20,981
6.	हिमाचल प्रदेश	2,856
7.	जम्मू और कश्मीर	4,031
8.	कर्नाटक	14,629
9.	केरल	11,763
10.	मध्य प्रदेश	35,479
11.	महाराष्ट्र	10,925
12.	मणीपुर	169

1	2	3
13.	मेघालय	136
14.	नागालैंड	83
15	उड़ीसा	3,607
16.	पंजाब	21,701
17.	राजस्थान	17,528
18.	तमिलनाडु	24,825
19.	त्रिपुरा	603
20.	उत्तर प्रदेश	37,249
2 .	पश्चिम बंगाल	36,607
22.	सिक्किम	36
23.	अण्डमान और निकोबार	88
24.	अरुणाचल प्रदेश	36
25.	चण्डीगढ़	640
26.	दादरा और नगर हवेली	33
27.	दिल्ली	5,020
28.	गोवा	957
29.	मिजोरम	306
30.	पांडिचेरी	722
31.	दमन और दीव	46
	कुल	=3,01,390

नोट :—31.3.1988 की स्थिति के अनुसार संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में कोई पंजीकृत एकक नहीं था।

भारत और अमेरिका के समुद्री वैज्ञानिकों का संयुक्त कार्यक्रम

3510. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका के समुद्री वैज्ञानिक कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न कार्य क्या हैं,

(ग) इस सम्बन्ध में भारत द्वारा कितना व्यय किया गया है, और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) भारतीय समुद्र में माक्रो फाउलिंग, समुद्री जीवों से जैव सक्रिय पदार्थों के प्रदूषण विरोधी गुणों एवं प्रदूषणकारी क्रस्टेशिया के लारवा विकास के न्योरोएंडाक्रिम विनियमन को नियन्त्रित करने के लिये, प्राचलो को निर्धारित करने से सम्बन्धित, तीन संयुक्त परियोजनाओ पर कार्य किया जा रहा है।

(ग) सभी व्यय पी० एल० 480 अमेरिकी फण्ड से किया गया भारत केवल अवसंरचनात्मक एवं प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करता है ।

(घ) ऐसे प्राचलों पर माक्रोफाउलिंग, पारिस्थितिकीय के सम्बन्ध में विभिन्न पदार्थों के व्यवहार को समझना एवं प्रदूषण विरोधी पौधों इत्यादि की पहचान करने में सफलता प्राप्त करना इनकी उपलब्धियों में सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में पांच अनुसंधान लेख भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां

3511. **श्री अमल दत्त :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से वर्ष-वार अब तक प्राप्त की गयी उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना को सुदृढ़ करने के लिये किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है ।

(ख) योजना को सुदृढ़ बनाने हेतु जो मुख्य कदम उठाए गये हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के कार्य में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी संतुष्टि के अनरूप उनका निर्माण करा सकें ।

(2) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि मकानों के आबंटन के मामलों में, मकानों के आबंटन अधिमानतः लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम में अथवा अगले विकल्प के रूप में परिवार के पुरुष और महिला दोनों के संयुक्त नामों में किये जाने चाहिएं ।

विवरण

योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई उपलब्धियां

क्रम सं०	वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या (संख्या)	व्यय (लाख रुपये में)
1.	1985-86	51,406	5,768.95
2.	1986.87	1,51,812	14,797.22
3.	1987-88	1,64,055	16,730.26
4.	1988-89	1,37,435	15,075.60
5.	1989-90	1,82,242	17,586,36
6.	1990-91	1,70,805	18,796.37
7.	1991-92*	1,38,574	16,943.38✤
	योग:	9,96,329	1,05,698.14

*1991-92 के आंकड़े अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों पर आधारित हैं।

✤इसमें निर्माणाधीन 111981 मकानों पर हुआ व्यय शामिल है।

दिल्ली में कार्य घण्टे

3512. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ दुकानदार तथा कारखानों के मालिक अवकाश के अवसर पर अपने व्यापार परिसर बन्द नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में कुछ दुकानदार तथा कारखाना मालिक कार्य घण्टों का पालन नहीं करते तथा रात को भी कार्य करते हैं;

(घ) क्या कुछ दुकानदार कारखाना मालिक अपने प्रष्ठिानों में साप्ताहिक अवकाश नहीं मनाते हैं,

(ङ) क्या इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त परिश्रमिक देकर अतिरिक्त कार्य करवाकर उनका शोषण किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ङ) और (च) दिल्ली प्रशासन के अनुसार राष्ट्रीय अवकाशों, साप्ताहिक अवकाशों, छुट्टी के दिनों और काम के घंटों से सम्बन्धित

दिल्ली शाप और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 और कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों की सूचना दिल्ली के विभिन्न इलाकों जैसे रमेश नगर, शालीमार बाग, रोहिणी, मंगोलपुरी, किंग्सवे कैम्प, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, सदर बाजार, चांदनी चौक, आजादपुर लाजपत नगर, कोटला मुबारक पुर, आई० एन० ए० मार्किट, सरोजनी नगर में प्रवर्तन ऐजेंसी को मिली है। जहां पर कानून के उपबन्धों का अतिक्रमण होता है, प्रवर्तन ऐजेंसी द्वारा अपराधियों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया जाता है।

सड़कों पर अतिक्रमण

3513. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
डा० लाल बहादुर रावल } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न सड़कों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों के नाम क्या हैं जहां अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात अवरूद्ध हो जाता है, और

(ग) इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) अनुलग्नक और पुलिस द्वारा सूचित किए अनुसार।

(ग) सड़कों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	सड़कों के नाम
1.	भीष्म पितामह मार्ग कोटला
2.	लाला लाजपत राय मार्ग जमरूदपुर कालेज के सामने
3.	गुरु रवीदास मार्ग
4.	मां आनन्द मई मार्ग
5.	बदरपुर में मथुरा रोड़ (एन० एच०-II)
6.	बाहरी रिंग रोड-मुनीरका मार्किट
7.	तमिल संगम मार्ग-मोहन सिंह मार्किट
8.	विवेका नन्द मार्ग-सैक्टर-1 क्रासिंग आर० के० पुरम के समीप
9.	सेक्टर-1 सब्जी मंडी के निकट चर्च रोड, आर० के० पुरम

10. अरविन्दों मार्ग-इसूफ सराय मार्किट
11. ग्रीन पार्क मार्किट
12. मालवीय नगर मार्किट
13. साही होस्पिटल मार्ग
14. मोगल मार्किट रोड
15. फिरोज गांधी मार्ग पर एक ओर
16. वीर सावरकर मार्ग
17. कालका देवी मार्ग
18. चैम्स फोर्ड मार्ग
19. कुतब रोड
20. आरा कसन रोड
21. ईदगाह रोड
22. चित्र गुप्ता रोड
23. देश बन्धु गुप्ता रोड
24. रानी झांसी मार्ग
25. पंचकुया रोड
26. राजगुरू रोड
27. मैन बाजार पहाड़गंज
28. नेहरू बाजार
29. चौक 6 टूटी
30. बरफखाना के निकट जी० बी० रोड
31. पुल बंगस का उत्तर
32. आजाद मार्किट चौक के निकट लाइब्रेरी रोड
33. जी० टी० के० रोड से नगला पार्क की ओर बाटा शोरूम के निकट शक्ति नगर सर्विस रोड
34. रूई मंडी
35. मेन रोड सदर बाजार मार्किट
36. सदर थाना रोड
37. उग्रसेन मार्ग पहाड़ी धीरज
38. पारस नाथ मार्ग
39. हिमल्टन रोड-एक ओर का फुटपाथ पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया हुआ है
40. बड़ा बाजार मार्ग दोनों ओर का फुटपाथ
41. आई० एस० बी० टी० चौक के निकट बुलवर्ड रोड के दोनों छोर
42. गुजराती समाज के समक्ष राज निवास मार्ग
43. एस० टी० ए० आफिस के निकट सिविल लाइन्स की ओर राजपुर रोड
44. माल रोड हकीकत नगर
45. मामा शाह चौक-माल रोड

46. आजादपुर मंडी मुख्य द्वार मैन जी० टी० रोड
47. फुटपाथ फ्लाई ओवर टी प्वांईट आजाद पुर
48. "एच प्वाईन्ट के निकट जी० टी० कर्नाल रोड
49. कैम्प चौक से बुराड़ी तक बुराड़ी रोड
50. फुटपाथ टी प्वाईन्ट आजाद पुर
51. शालीमार बाग रोड
52. टी प्वाईन्ट जहांगीरपुर से ई ब्लाक जहांगीरपुर वाली सड़क
53. कीकर वाला चौक तक सरस्वती मार्ग के मध्य आर्य समाज रोड
54. गली न० 4 और 8 के समक्ष न्यू रोहतक रोड औद्योगिक क्षेत्र
55. कमल रेस्टोरेन्ट और मिलिट्री रोड के निकट न्यू रोहतक रोड
56. लोहा मंडी के समक्ष नारायणा रोड/डा० गिरधारी लाल मार्ग
57. रंजीत सिंह मार्ग चौराहे पर जवाहर लाल नेहरू मार्ग
58. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकासी द्वारे (अजमेरी गेट की तरफ) भवभूति मार्ग से अजमेरी गेट चौक तक
59. आर०/ए० कमला मार्किट से आर०/ए० हमदर्द (पश्चिमी और) मिन्टो रोड
60. तुर्कमान गेट रामलीला ग्राउंड की ओर आसफअली रोड
61. श्रद्धानन्द मार्ग से अजमेरी गेट चौक (उत्तरी पश्चिमी पूर्वी तरफ)
62. रणजीत सिंह फ्लाई ओवर के नीचे दीन दयाल उपाध्य मार्ग से लगते हुये
63. बहादुरशाह जफर मार्ग बस स्टेन्ड अम्बेडकर स्टेडियम के दोनों ओर
64. पैदल पथ/औवर ब्रिज के निकट बस स्टेन्ड बहादुरशाह जफर मार्ग के दोनों ओर
65. अजमेरी गेट चौक से लगते हुये असफ अली रोड
66. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की तरफ प्रवेश और निकासी द्वार के निकट भवभूति मार्ग
67. मस्जिद के पीछे बहादुरशाह जफर मार्ग
68. आर०/ए० कमला मार्किट के बिलकुल मध्य में और मिन्टो रोड-थामसन चौराहे की सड़क के दोनों ओर मिन्टो रोड पर
69. लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग और उनके समक्ष
70. विकास मार्ग (चुंगी से मधुबन शकरपुर चौक क्रासिंग)
71. लक्ष्मी नगर टी प्वाईन्ट से मदर डेरी को पहाड गंज रोड पर
72. मौजपुर चौक पर रोड नं० 6
73. राधु सनिमा से पैट्रोल पम्प को जी० टी० रोड पर
74. जनरल स्टोर चौक पर रोहतक रोड (एन० एच०-10)
75. नांगलोई पर रोहतक रोड (एन० एच०-10) के दोनों ओर
76. नांगलोई में नांगलोई नजफगढ़ रोड
77. बिटानियां चौक के निकट रिंग रोड
78. रामपुरा पर रोहतक रोड पर जखीरा ओवर ब्रिज तक

79. औद्योगिक क्षेत्र पर पुराना रोहतक रोड
80. पुराना घन्टा घर चान्दनी चौक
81. कोड़िया पुल पर शामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग/डा० एच० सी० सेन मार्ग
82. बस स्टेन्ड लाल किला के निकट सुभाष मार्ग
83. जखीरा से नवादा तक नजफगढ़ रोड अर्थात् जखीरा से मोती नगर—राजा गार्डन से तिलक नगर
84. पंखा रोड से उत्तम नगर तक
85. नाला से जखीरा तक रामा रोड
86. नाला कीली नगर (रामा रोड) से अवन्ती चौक
87. जेल रोड से तिलक नगर चौक को हरी नगर डी० टी० सी० टर्मीनल तक
88. डाबड़ी लाइट प्वाईन्ट के निकट पंखा रोड
89. मोती नगर आर०/ए० से न्यू मोती नगर रोड को डी० टी० सी० टर्मीनल तक
90. ब्रासे एवन्यू सेन्ट्रल सेक्ट्रेटियेट फुटपाथ
91. पंडीत पंथ मार्ग पर गुरुद्वारा रकाब गंज के सामने फुटपाथ
92. जनपथ लेन फुटपाथ
93. रीगल और रीबोली के मध्य सर्विस रोड (स्लिप रोड)
94. इन्डियन आयल बिल्डिंग और जीवन भारतीय बिल्डिंग के मध्य (बड़ोदा बैंक के पीछे)
95. कनाट प्लेस के सभी कोरीडोर (बन्द मार्ग, पैदल पथ)
96. सुपर बाजार के निकट मयुर भवन पार्किंग के फुटपाथ
97 शंकर मार्किट के समक्ष सुपर बाजार पार्किंग के साथ-साथ फुटपाथ

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों में पटसन मिलों द्वारा चूक

[अनुवाद]

3514. श्री चित्त बसु
श्री तरित बरन तोपदार
श्री विजय कुमार यादव
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पटसन मिलों के मालिक भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा से संबंधित राशि कर्मचारियों के खाते में जमा करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमी का कुल बकाया राशि कितनी है,

(ग) चूककर्ता कम्पनियों के क्या-क्या नाम हैं, और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा देय राशियों के बारे में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों से वसूल किए जाने वाले अंशदान की राशि कर्मचारियों के

खातों में जमा नहीं की जाती हैं। उसे कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा किया जाता है। तथापि, भविष्य निधि की देय राशियों के बारे में वसूल किये जाने वाले अंशदान की राशि कर्मचारी के खातों में जमा की जाती हैं। यह सूचना मिली है कि अनेक जूट मिलों ने कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियों को निर्धारित खातों में जमा नहीं किया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि देय राशियों के 83.70 करोड़ रुपये तथा कर्मचारी राज्य बीमा देय राशियों के 34.66 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ग) चूककर्ता वाली कम्पनियों के नाम संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(घ) राशियों की वसूली के लिए चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी तथा दाण्डिक कारंवाई की गई है।

विवरण

क—कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्रमांक	चूककर्ता मिलों/कम्पनियों के नाम
1	2
1.	मैं० गोपालकृष्ण मिल्स, बोबली
2.	„ गोपाल जूट मिल्स, दरभंगा
3.	„ कोर्णाक जूट मिल्स
4.	„ प्रेम चन्द जूट मिल्स लि०
5.	„ एंग्लो इन्डिया जूट मिल्स कं० लि०
6.	„ कलकत्ता जूट मन्यु० कम्पनी लि०
7.	„ विक्टोरिया जूट वर्क्स
8.	„ एंगस जूट वर्कस
9.	„ श्याम नगर जूट फैक्टरी लि० (एन०एम०)
10.	„ नल्लीपेरला जूट मिल्स
11.	„ बजरंग जूट मिल्स, गुटुर
12.	„ कटिहार जूट मिल्स
13.	„ आर बी एच एम जूट मिल्स, कटिहार
14.	„ कानपुर जूट उद्योग
15.	„ फोर्ट ग्लोस्टर जूट इन्डस्ट्रीज
16.	„ हावरा जूट मिल्स कं०
17.	„ डेल्टा जूट मिल्स कं० लि०
18.	„ बिरला जूट एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०
19.	„ हुगली मिल्स कम्पनी लि०
20.	„ एलायन्स जूट मि०

1	2
21.	मैं० कमरहटी कं० लि०
22.	,, नईहाटी जूट कं० मिल्स
33.	,, केलविन जूट कं मिल्स
24.	,, केलीडोनियन जूट मिल्स
25.	,, हुकुम चन्द जूट मिल्स
26.	;, बिरला जूट एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०
27.	,, बिरला जूट मन्यु० कं० लि०
28.	,, डजहौजी जूट कं० लि०
29.	,, गंगेज मन्यु० कं० लि०
30.	,, वेमरली जूट कं० लि०
31.	,, श्री हनुमान जूट मिल्स लि०
32.	,, आकलैंड हार्डिंग्ज लि०
	,, (श्री अम्बिका जूट मि०
33.	,, तिरूपत जूट इन्डस्ट्रीज (नसकार पारा जूट मि०)
34.	,, कमोरिया जूट मिल्स
35.	,, द गौरीपुर कं० लि०
36.	,, कमक्रोहा कं० लि०
37.	,, श्री राम जूट मिल्स
38.	,, बजबज कं० लि०
39.	,, इम्पायर जूट कं० लि०
40.	,, बारानगर जूट फैक्ट्री
41.	,, मेग्ना जूट मि०
42.	,, श्री गौरी शंकर जूट मिल्स
43.	,, अगरपारा कं० लि०
44.	,, गफरचन्द्र जूट मिल्स
45	,, प्रवर्तक जूट मिल्स कं०
46.	,, नदिया मिल्स कं० लि०
47.	,, न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स कं० लि०
48	,, टीटा गढ जूट कं० लि०
49.	,, ईस्टर्न मन्यु० कं० लि०
50.	,, चम्पदानी जूट इन्डस्ट्रीज लि०
51.	,, नार्थ ब्रुक जूट कं० लि०
52.	,, एन जे ए म सी लि०
	(इकाई यूनियन जूट मिल्स कं० लि०)
53.	,, एन जे एम सी लि०
	(इकाई खारदा)

1	2
54.	मे० एन जे एम सी लि० (इकाई शारदा)
55.	,, एन जे एम सी लि० (इकाई किम्नी सन)
56.	,, भारत जूट मिल्स लि० (राज्य सरकार)

ख—भविष्य निधि

1.	मे० अम्बिका जूट मिल्स लि०
2.	,, मेग्ना मिल्स लि०
3.	,, एंगस कं० लि०
4.	,, फोर्ट विलियम
5.	,, विक्टोरिया जूट मिल्स
6.	,, नदिया मिल्स
7.	,, कनकीनारा कं० लि०
8.	,, इस्टर्न मन्यु० कं० लि०
9.	,, श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लि०
10.	,, हावरा मिल्स
11.	,, बारानगर जूट
12.	,, डेल्टा जूट कं० लि०
13.	,, गैहाटी जूट मिल्स लि०
14.	,, अमरपारा कं०
15.	,, श्याम नगर
16.	,, गौरीपुर कं० लि०
17.	,, केलविन जूट
18.	,, टीटागढ़ जूट कं० लि०
19.	,, गंगेज मन्यु० कं० लि०
20.	,, बेभरली जूट
21.	,, न्यू सेन्ट्रल जूट मि० लि०
22.	,, नार्थ ब्रूक जूट मि० लि०
23.	,, बजबज जूट
24.	,, डलहौजी जूट लि०
25.	,, कमरहाटी जूट मि०
26.	,, विजिगटन जूट मि० लि०

27. मै० प्रवर्तक जूट
28. ,, एंग्लो इन्डिया जूट मिल्स
29. ,, कलकत्ता जूट
30. ,, भारत जूट
31. ,, एम्पायर जूट
32. ,, प्रेम चन्द जूट मिल्स लि०
33. ,, वस्कारापारा
34. ,, नल्लीमारला जूट मि० लि०
35. ,, बजरंग जूट मिल्स
36. ,, ब्रह्मपुत्र जूट मन्यु० कं०
37. ,, त्रिपुरा जूट मि०
38. ,, मेघालय जूट मन्यु० कं०
39. ,, कटिहार जूट मिल्स

वसंत कुंज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वयं वित्त पोषण फ्लैटों का आवंटन

3515. **श्री मोतीलाल सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसंत कुंज में स्वयं वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के पंजीकर्ताओं को, फ्लैटों के आवंटन में कमी आयी है;

(ख) क्या वसंत कुंज में फ्लैटों के आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 130 आवेदकों ने वसंत कुंज में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैट आवंटन हेतु अपने आवेदनों को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली नगर पालिका समिति के मामलों की जांच

3516. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका समिति के वरिष्ठ सिविल इन्जीनियरों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों के निलंबन आदेश बाद में रद्द कर दिए गए थे और उन्हें पूरे वेतन और भत्तों का भुगतान किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को तुच्छ मामलों पर न तो निलंबित किया जाए और न ही उन पर मुकदमा चलाया जाए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध असाधारण दण्ड कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले अपराध की गम्भीरता की गहन जांच की जाती है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सलाह ली जाती है ताकि सामान्य मामलों पर इस प्रकार की कार्यवाही से बचा जा सके।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को स्थायी पट्टे

3517. **श्री कड़िया मुंडा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आवंटित भूमि के लिए इन समितियों को बड़ी संख्या में स्थायी पट्टे दिए जा चुके हैं;

(ख) क्या सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों को आबंटित फ्लैटों से संबंधित उप-पट्टा/अभिहस्तांतर पत्र के प्रपत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्रपत्र को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आवंटित फ्लैटों के सम्बन्ध में उप-पट्टा/अभिहस्तांतर पत्र के प्रपत्र को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रख दिया गया है। प्राधिकरण के अनुमोदन तथा सरकार की सहमति के पश्चात् यह प्रपत्र समितियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

अखिल भारतीय सेवाओं में "लियन" (पुनर्ग्रहणाधिकार) सुविधाएं

3518. **श्री एम० वी० वी० एम० मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के व्यक्तियों को गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए पांच वर्ष का "लियन" (पुनर्ग्रहणाधिकार) प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को भी दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) (ख) (ग) तथा (घ) सिविल सेवा बोर्ड ने सिफारिश की थी कि सरकारी अधिकारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र आदि में नियुक्तियां लेने की अनुमति की मंजूरी देने के लिए शासित सेवा नियमों में ढील दी जानी चाहिए। यह सिफारिश केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत में हृदय वाल्वों का निर्माण

3519. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार हृदय के ऐसे कृत्रिम वाल्वों का निर्माण करने का है जैसे अनिवासी भारतीय डाक्टर, डा० बी० आर० काल्के द्वारा बनाये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) हृदय के जिस प्रकार के कृत्रिम वाल्वों का अविष्कार डा० बी० आर० काल्के ने किया है उस तरह के वाल्वों का निर्माण करने के लिए सरकार ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर कारंवाई की जा रही है।

रसायन के क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग

3520. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रधान मन्त्री ने हाल ही की भारत यात्रा के दौरान रसायनों के क्षेत्र में सहयोग के बारे में कोई पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा चीन की सहायता से कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू करने पर विचार किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें

3521. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों के कर्मचारियों ने हाल ही में अपनी सेवा शर्तों और नियमन के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी हैं—

(1) सेवा-शर्तों सहित एक राज्य संवर्ग का गठन, नौकरियों की सुरक्षा आदि ।

(2) सभी रिक्त पदों को भरना ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन तथा भविष्य में इस पद्धति को रोकना ।

(4) गैर-योजना बजट के रूप में प्रशासनिक खर्चों के लिए निधियां निर्धारित करना ।

(5) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए दस्तकारी शिक्षकों की सेवाएं नियमित करना ।

(6) राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान सभी सेवा लाभ देना ।

(7) जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमेय है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत सहायता का भुगतान करना ।

(8) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की मार्फत नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वियन करना ।

इन मांगों को राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ अग्रेसित किया गया है कि वे इस पर शीघ्र कार्रवाई करें ।

सार्वजनिक भूमि पर कब्जा

3522. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर-

पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, छावनी बोर्ड आदि द्वारा कितने अभियान चलाए गए और उनके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या अभियान के अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं और दुकानदार अभी भी सार्वजनिक भूमि, सरकारी बाजारों में पटरियों, बरामदों में कब्जा किए बैठे है; और

(ग) यदि हां, तो अवैध कब्जाधारियों को हटाने तथा पटरियों, बरामदों आदि पर अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी भूमियों पर से अतिक्रमण हटाना एक नियमित कार्य है जिसे विभिन्न भूमि धारक अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

(ख) विभिन्न अभिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों के विरुद्ध अभियान के बावजूद भी अनेक अनधिवासी/दुकानदार विभिन्न न्यायालयों से स्थगनादेशों के बल पर अपना व्यापार पटरियों आदि पर चला रहे हैं :

(ग) अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं। पालिका निकायों द्वारा दुकानदारों/अनधिवासियों से सम्बन्धित अतिक्रमण, न्यायालयों के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करते हुए हटाए जा सकते हैं।

वेस्ट पटेल नगर के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों का पुनर्वास

3523. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शादीपुर डिपो के निकट वेस्ट पटेल नगर में झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों की शोचनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें किसी बेहतर और अनुकूल स्थान पर बसाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) (ग) इन झुग्गियों के पुर्नस्थापन के प्रश्न पर, आठवीं योजनावधि में योजना के लिए मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

गोवा सरकार द्वारा सी० बी० आई० को भेजे गये मामले

3524. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सी० बी० आई० को भेजे गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ग) उन मामलों को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गोवा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सी० बी० आई० को निम्नलिखित दो मामले भेजे गए थे—

(i) आर. सी. 53 (ए.)/91 बम्बई

(ii) आर. सी. 17 (एस.)/91 बम्बई

(ख) तथा (ग) दोनों ही मामलों में जांच का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले दो माह के भीतर इन्हें अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन मजदूरों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार

[हिन्दी]

3525. **श्री हरि केवल प्रसाद**
श्री सुखदेव पासवान
श्री ललित उरांव
श्री रामचन्द्र घंगारे
: **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन मजदूरों को, वर्षों तक भूमि उनके कब्जे में होने के बावजूद, स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) व (ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, गोआ और त्रिपुरा राज्यों द्वारा विभिन्न कास्तकारी कानूनों के अन्तर्गत खेत जोतने वाले कास्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में या तो कास्तकारी ही नहीं अथवा यदि कहीं है तो उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है।

(ग) भूमि राज्य का विषय होने के नाते, केन्द्र की केवल परामर्शी और समन्वयक भूमिका है। "भूमि किसानों की" अपनी इस नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे भूमि जोतने वालों को स्वामित्व का अधिकार दें।

खाद्य तेल का मूल्य

[अनुवाद]

3526. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्री ने खाद्य तेल का मूल्य कम करने के बारे में अहमदाबाद में कोई बैठक की थी;

(ख) क्या इस बैठक में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था;

(ग) क्या उचित दर दुकानों के बजाय निजी व्यापारिक घरानों के माध्यम से खाद्य तेल के वितरण का कोई प्रस्ताव है;

घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ङ) सरकार की नीति आयातित खाद्य तेलों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों और सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से करने की है।

पारस्परिक और लघु उद्योग

[हिन्दी]

3527. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा दखल के कारण पारस्परिक और लघु उद्योगों के संकट में पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो पारम्परिक और लघु उद्योगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) संशोधित के० वी० आई० सी० अधिनियम के तहत, ग्रामोद्योग की परिभाषा इस प्रकार है—जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम अथवा 10,000 जनसंख्या तक के कस्बे में स्थित है और संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में प्रति व्यक्ति निवेश 15,000 रु० हो। इसलिए इस मामले में विदेशी कंपनियों के अतिक्रमण करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में 836 मदों के बारे में, जिनका उत्पादन केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, बड़े तथा मझौले एककों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों में अतिक्रमण के प्रति संरक्षण की व्यवस्था है। 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी नीति में भी उक्त आरक्षण को जारी रखा गया है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को आरक्षित रखा गया है।

सरकार घरेलू प्रशुल्क हेतु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने के लिए विदेशी इक्विटी वाले उपक्रमों सहित किसी भी मझौले तथा बड़े उपक्रम की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

[अनुवाद]

3528 **निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संबंध में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिफारिशों के बारे में सरकार के क्या विचार हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) कार्यदल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं: "उपभोक्ता" "शिकायत", "सेवाओं" शब्द की परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार करना, अधिनियम में परिकल्पित तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों में वकीलों की भूमिका पर प्रतिबन्ध लगाना, प्रतितोष अभिकरणों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, प्रतितोष अभिकरणों के निर्णयों को संविधान की धारा 323 ख के अन्तर्गत लाना, दो उपक्रमों को मिलाने/एक करने के किसी प्रस्ताव के लिए जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा सीमित होती हो, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आदि। कार्यदल की रिपोर्ट पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जो इस अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार को उचित सिफारिशें करेगी।

इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निकाली गई पूंजी राशि

3530. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधान मंत्री 28 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथ्यों के विपरीत प्रमाण पत्रों के आधार पर इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा नकद घाटों को पूरा करने हेतु पूंजी राशि के प्रयोग पर लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गलत घोषणायें करने के लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (मुख्य निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा और पदेन, सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड का कार्यालय), नई दिल्ली ने अक्टूबर, 1989 से मार्च, 1991 तक की अवधि के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के निगमित कार्यालय के लेखों के निरीक्षण के दौरान यह पाया था कि वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए दी गई धन राशियों का प्रबन्धक वर्ग ने अन्यत्र प्रयोग किया था। लेखा परीक्षा विभाग ने यह भी देखा कि प्रबन्धक वर्ग के अनुसार आग्रही ऋणदाताओं को आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए भुगतान करने हेतु, सांविधिक भुगतान करने के लिए, बढ़े हुए वेतन बिल और बिजली आदि के बढ़े हुए प्रशुल्क के खर्चों को पूरा करने के लिए धनराशि का अन्यत्र प्रयोग करना पड़ा था क्योंकि कम्पनी को भारी नकद हानियां हो रही थी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को कई वर्षों से भारी नकद हानियां हो रही थी और कार्यशील पूंजी की अत्यन्त कमी, योजनेतर अल्प बजट सहायता होने के कारण कम्पनी के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं था कि वह पूंजीगत धनराशियों का प्रयोग करके नकद हानि के एक भाग के लिए अस्थाई रूप से धन की व्यवस्था करे जिसकी पूर्ति कम्पनी की पूंजी पुन:संरचना को मंजूर हो जाने के बाद की जा सकती है।

जापानी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष सेल

3531. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सेल स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 29-1-92 को भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डा० रोकुरो इशिकावा ने कथित रूप से यह कहा कि समिति ने नई दिल्ली में जैट्रो के कार्यालय में तैनात किए जाने के वास्ते किसी नये विशेषज्ञ को नामित करने के लिए जापानी विदेश व्यापार संगठन (जैट्रो) से अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य भारतीय निवेश को पर्याप्त संभावनाओं के बारे में जापानी कम्पनियों को सूचना देना और सूचना एकत्र करना था जिससे ज्यादा जापानी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बताया जाता है कि जैट्रो यह कार्रवाई करने के लिए मान गया है।

सुपर बाजार

[हिन्दी]

3532. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार संसद विहार, फरिजात, त्रिवेणी, वेस्ट इन्कलेव आदि जैसी नव-निर्मित आवास समितियों के निवासियों के लिए बाहरी रिंग रोड पर सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार को कोई शाखा खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोलने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उत्तरी दिल्ली में अब तक सुपर बाजार के नाम से लोकप्रियादि कोआपरेटिव स्टोर लि० दिल्ली की 31 शाखाएं केंद्रीय भंडार की 4 शाखाएं हैं।

(ख) और (ग) सुपर बाजार ने बताया है कि सरकार के सबंधित आवंटन निकायों द्वारा आरक्षित मूल्य पर उपयुक्त स्थान आबंटित किए जाने पर वे शाखाएं खोलेंगे। केंद्रीय भंडार का बाहरी रिंग रोड पर शाखाएं खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

3533. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा**
श्री सत्यपाल सिंह यादव
श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट, राज्यवार, कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल वितरित किया जाता है;

(ख) क्या महानगरों के निवासियों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कम मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं वितरित की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) ग्रामीण तथा शहरी, सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को समान रूप से आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल का थोक में आवंटन करती है तथा राज्य के भीतर वितरण का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। हकदारी के मापदण्ड, उचित दर दुकानों पर उनके उपलब्ध होने की आवधिकता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों और विभिन्न प्रान्तों के बीच आवंटन का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की हकदारी के मापदण्ड अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं तथा एक ही राज्य में विभिन्न जिलों के मापदण्डों में भी फर्क हो सकता है।

2. खाद्यान्न, लेवी चीनी, खाद्य तेलों का आबंटन, केन्द्रीय पूल (केन्द्रीय सरकार के पास) में उपलभ्यता, बाजार में उपलब्ध मात्रा, मौसमजन्य कारणों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक जरूरतों जैसी बातों को ध्यान में रखकर माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकता को पूरा करना नहीं होता।

3. वर्ष 1991 की अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल के आबंटन में तदर्थ बढ़ोतरी की गई थी, जो अगस्त से अक्तूबर, 1991 में खरीफ के अनाजों के लिए कमी वाला मौसम होने की बात को ध्यान में रखकर की गई थी। इसी प्रकार अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक राज्य सरकारों को लेवी चीनी के आवंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की गई।

वनस्पति तेलों का उत्पादन

3535. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति तेलों के उत्पादन के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

(ख) क्या सरकार का विचार जन स्वास्थ्य के व्यापक हित में शुद्ध घी में बढ़ती हुई मिलावट को रोकने के लिए वनस्पति घी तथा अन्य वनस्पति तेलों में रंग मिलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत सरकार ने अपने दिनांक 2-8-1991 के प्रेस नोट सं० 9 द्वारा, कुछ अवस्थिति संबंधी प्रतिबन्धों के अधीन देश में खाद्य तेलों के उत्पादन हेतु लाइसेंस खत्म कर दिया है। तथापि रेपसीड तेल/सरसों का तेल (विलायक निष्कर्षित को छोड़ कर), तिल का तेल (विलायक निष्कर्षित को छोड़कर) और मूंगफली का तेल (विलायक निष्कर्षित के अतिरिक्त) की पेराई लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित है।

(ख) से (घ) वनस्पति के लिए उपयुक्त रंग का पता लगाने हेतु 1960 में गठित एक तकनीकी विशेषज्ञ सीमित ने 1965 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया था कि वनस्पति को रंगयुक्त करना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है। सीमति का विचार था कि तिल के तेल के साथ अप्रकटरजन, जो उस समय प्रचलित था, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है। इस समय भी इसी का अनुसरण किया जा रहा है।

केरल में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र

[अनुवाद]

3536. **श्री के० मुरलीधरन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है, और

(ख) इस केन्द्र को बनाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के विषय में कोई परियोजना प्रस्ताव केरल सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है। किन्तु अर्नाकुलम के जैव प्रौद्योगिकी जिला निश्चित करने सम्बन्धी एक कार्य योजना की राज्य सरकार की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है। अन्तिम परियोजना प्रलेख अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पाम आयल के उत्पादन के लिए इण्डोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम

3537. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाम आयल का उत्पादन करने के लिए इण्डोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पाम आयल उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(ग) इन इकाइयों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है और इनमें प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिपोर्टरों को सरकारी आवास

[हिन्दी]

3538. **अरविन्द नेताम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा अधिकृत कितने रिपोर्टरों को सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं;

(ख) रिपोर्टर्स पूल में कितने रिहायसी आवास हैं; और

(ग) क्या इन रिपोर्टरों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इस पूल में रिहायशी आवासों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विद्यमान प्रेस पूल से तिरानब्वे अधिकृत प्रेस संवाददाताओं और समाचार कैमरामैनों को सरकारी आवास आवंटित किया गया है।

(ख) तथा (ग) मई, 90 तक प्रेस पूल के अन्तर्गत आवंटनों पर रोक थी जब प्रेस पूल से

पुनः आवंटन प्रारम्भ करने तथा इसमें 110 यूनिटों से 120 यूनिटों की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था। आवंटन के मार्ग-निर्देश भी पुनरीक्षाधीन थे तथा हाल ही में उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है। बढ़ाए गए एककों हेतु आवंटन शीघ्र आरम्भ होंगे।

लघु उद्योगों का विकास

[अनुवाद]

3539. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों को उनके विकास परिप्रेक्ष्य में आई बाधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं योजना अवधि में लघु उद्योगों की विकास दर क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लघु उद्योगों की अनुमानित विकास दर क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना. वधि में लघु उद्योगों द्वारा उनके विकास के सन्दर्भ में आने वाली कुछ सस्याएं इस प्रकार हैं, पर्याप्त तथा समय पर कर्ज की कमी, विपणन सम्बन्धी कमियों, स्वदेशी तथा आयातित खास किस्म के कच्चे माल की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी, श्रम सम्बन्धी समस्याएं, बड़े एककों को की गई आपूर्ति के एवज में देनदारियों के भुगतान में विलम्ब, बिजली की बार-बार कटौती/रुकावटें इत्यादि।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1985-90) के दौरान लघु उद्योगों के विकास की अनुमानित वार्षिक औसत दर 12.74% थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के दौरान लघु उद्योगों के विकास की अनुमानित औसत दर 7.86 प्रतिशत होने का अनुमान है।

विदेशी ब्रांड की शराब का उत्पादन

3540. श्री डी० पंडियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में भारतीय निर्मित विदेशी ब्रांड की शराब का उत्पादन करने वाले कुल कितने एकक हैं;

(ख) बीयर का उत्पादन करने का लाइसेंस पाने के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय द्वारा कुल कितने आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में उद्योग मन्त्रालय से सिफारिश की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : संगठित क्षेत्र में भारतीय निर्मित विदेशी ब्रांड की शराब का उत्पादन करने वाले कुल 37 एकक हैं।

(ख) आवेदन पत्र बीयर का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस पाने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान, खाद्य, प्रसंस्करण मन्त्रालय ने उद्योग मन्त्रालय को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए भारतीय निर्मित विदेशी ब्रांड की शराब बनाने हेतु 30 आवेदनों के सम्बन्ध में सिफारिश की है।

कर्नाटक में कोयले का स्टाकयार्ड

3541. **श्री जी मांडे गौडा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में वर्ष 1992 के दौरान कोयले का स्टाकयार्ड खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) स्टाकयार्डों की वर्तमान नीति के अनुसार उनकी स्थापना करने और नए स्टाकयार्डों का प्रबन्धन करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। कोयला कम्पनियों द्वारा इन स्टाकयार्डों को कोयले के प्रेषक की पेशकश राज्य सरकारों द्वारा मुहैया किए गए प्रायोजनों के अनुसार की जाएगी।

डी० डी० ए० फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि

3542. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में उन व्यक्तियों को सूचित किये बिना ही फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि कर दी है जिनके नाम में उन फ्लैटों का पहले ही आवंटन किया जा चुका है।

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का डी० डी० ए० को यह निदेश देने का विचार है कि वह अपने फ्लैट के आवंटिती को मूल्य में संशोधन की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दें; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य में संशोधन की घोषणा करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले नये फार्मूले का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों की बिक्री लागत पूर्ण होने पर लाभ-हानि रहित आधार पर वास्तविक व्यय और अनुमानित देयताओं के आधार पर निकाली जाती है। मांग पत्र तथा आवंटन पत्र के द्वारा आवंटन के समय इस प्रकार निकाली गई बिक्री लागत की सूचना दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी

3543. श्री बी० देव राजन
डा० सुधीर राय
श्री बापू हरि चौरे
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री अर्जुन सिंह यादव
श्री के० प्रधानी
श्री ललित उरांव

: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग द्वारा निर्धारित दर की तुलना में बहुत कम दर पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम है और उनमें किस दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं;

(घ) यदि हां तो इस संबंध में उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने यह सिफारिश की है कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 20 रु० प्रतिदिन होनी चाहिए। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से सबद्ध परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भी प्रावधान होना चाहिये। ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जहां कृषि क्षेत्र में 20 रु० प्रतिदिन से कम मजदूरी की दरें हैं को दर्शाने वाला विवरण, इनके द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के साथ संलग्न है।

(ग), (घ) और (ङ) न्यूनतम मजदूरी से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिश सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नोटिस में लाई गई थी। उनको यह भी सूचित किया गया था कि इस सिफारिश पर राज्यों के श्रम मन्त्री सम्मेलन में विचार किये जाने का प्रस्ताव है। 6-2-1992 को हुये राज्यों के श्रम मन्त्री सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी से संबंधित रा० ग्रा० श्र०आ० की सिफारिश को स्वीकार करने की सिफारिश की गयी।

विवरण

उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 20 रु० प्रतिदिन से कम है

क्र० सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र का नाम	न्यूनतम मजदूरी (कब से)	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00 रु० से 19.25 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (8-4-91)	

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1-11-90)	
3.	बिहार	16.50 रु० प्रतिदिन (16-10-90)	
4.	गुजरात	15.00 रु० प्रतिदिन (1-8-90)	
5.	जम्मू एवं कश्मीर	15.00 प्रतिदिन (23-3-89)	
6.	कर्नाटक	12.00 रु० से 17.65 रु० प्रतिदिन (12-7-88)	
7.	महाराष्ट्र	12.00 रु० से 20.00 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1-5-88)	
8.	नागालैंड	15.00 रु० प्रतिदिन (16-5-87)	
9.	सिक्किम	14.00 रु० 17.00 प्रतिदिन (1-1-91)	कार्यकारी आदेश द्वारा मजदूरी निर्धारित की गयी।
10.	उत्तर प्रदेश	18.00 रु० से 20.00 रु० प्रतिदिन (29-4-89)	
11.	तमिलनाडु	14.00 रु० प्रतिदिन (3-4-89)	
12.	त्रिपुरा	17.80 रु० प्रतिदिन (1-10-90)	
13.	दादरा एवं नागर हवेली	14.00 रु० प्रतिदिन (22-10-89)	

1	2	3	4
14.	लक्षद्वीप	18.00 रु० प्रतिदिन (1-9-88)	एक कार्यकारी आदेश द्वारा मजदूरी निर्धारित की गयी
15.	पांडिचेरी		
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रु० प्रतिदिन (15-12-89)	
	(ii) माही क्षेत्र	हल्के कार्य के लिए 12.00 रु० प्रतिदिन और भारी कार्य के लिए 15.00 रु० प्रतिदिन (18-2-87)	
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रु० प्रतिदिन (15-3-88)	
	(iv) करैकाल क्षेत्र	14.00 रु० प्रतिदिन या 7 लीटर धान जमा 4.90 प्रतिदिन (31-1-90)	

अखबारी कागज का मूल्य

3544. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) स्वदेशी अखबारी कागज मिलों ने जून, 1991 के बाद अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है।

प्रशासनिक व्यवस्था

[हिन्दी]

3545. श्री रामनारायण बैरवा
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक
श्री पवन कुमार बंसल
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने एवं उसमें सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क), (ख) और (ग) संवेदनशील प्रशासन की योजना में, जिसकी रूपरेखा तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने देश को अपने दिनांक 5 जनवरी, 1985 के प्रसारण में दी थी, निम्न परिकल्पना की गयी है :

(क) कार्यविधि का सरलीकरण,

(ख) प्राधिकार का प्रत्यायोजन,

(ग) जवाबदेही को लागू करना,

(घ) ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तरों तक एक प्रबोधन प्रणाली और

(ङ) लोक शिकायतों का शीघ्र और सहानुभूति पूर्वक निवारण । इन्हें बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-20 के रूप में शामिल किया गया है जिसके कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जा रहे हैं और समय-समय पर उनकी समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है । यह कार्यक्रम अभी भी प्रासंगिक है और इसमें समाविष्ट प्रशासनिक प्रणाली युक्तियुक्त है ।

तथापि, सरकार की उदारीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए और अधिक प्रशासनिक उपाय, जो विशिष्ट विषय, संगठन एवं प्रसंग-मूलक होते हैं, सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों द्वारा किए जा रहे हैं ।

अमरीकी व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत

[अनुवाद]

3546. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि, श्रीमती कार्ला हिल्स, ने उदार औद्योगिक नीति को देखते हुए केन्द्र सरकार से कोई बातचीत की गई; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत की है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) श्रीमती कार्ला हिल्स, अमेरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यू० एस० टी० आर०) ने 4 से 8 अक्तूबर, 1991 तक भारत का दौरा किया । उन्होंने, बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा भारत में हुए आर्थिक सुधारों सहित बहुपक्षीय व्यापार समझौता-वार्ताओं के यूरुग्वे राउन्ड से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श के दौरान, उन्हें इन मुद्दों पर भारत की स्थिति से अवगत कराया गया ।

गन्दी बस्तियों को नियमित करना

[हिन्दी]

3548. श्री स्वामी सुरेशानन्द : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान नियमित की गई गन्दी बस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के इस निर्णय से अनुमानत: कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इन बस्तियों में अब तक उपलब्ध कराई गई मूल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कोई भी मलिन बस्ती नियमित नहीं की गयी थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रायपुर, कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

3549. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रायपुर स्थित ताप विद्युत संयंत्र द्वारा कई शिकायतें करने के बावजूद उसे घटिया कोयले की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या मांग के अनुरूप इसे नियमित रूप से कोयले की सप्लाई की जाती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) रायचूर तापीय विद्युत गृह को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से ढेले तथा विकृत स्वरूप में कोयले की प्राप्ति होने और आपूर्ति किए गए कोयले में अवशिष्ट पदार्थ होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई है और कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के सम्बन्ध में उपाय किए गए हैं।

(ख) रायचूर तापीय विद्युत गृह को कोयले की नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान इस तापीय विद्युत गृह को 18.37 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई है।

चितरंजन पार्क कालोनी में अतिक्रमण

3550. श्री यशवतराव पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क कालोनी, नई दिल्ली के कुछ खाली पड़े भूखण्डों पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस कालोनी में ऐसे अनधिकृत अतिक्रमणों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके प्रबन्धन के अधीन जो 714 प्लाट्स हैं उन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। कालोनी ने भूमि तथा विकास कार्यालय के प्लाटों के सम्बन्ध में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, अतिक्रमण से बचने के उद्देश्य से यह सूचित किया गया है कि सरकार, सामुदायिक प्रयोजनों के लिए रखे गए भूमि तथा विकास कार्यालय के प्लाटों को तत्काल उपयोग में लाए जाने के लिए स्थानीय निकायों को आबटित करने का प्रस्ताव करती है।

दिल्ली में उचित दर की चल दुकानें

[हिन्दी]

3551. **श्री रामकृष्ण कुसमारिया**
श्री बलराज पासी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में उचित दर की चल दुकानें आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये दुकानें कब से चलाई जाएंगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लि० को नवम्बर, 1991 से "वाल्ड सिटी" क्षेत्र में, जहां कि उचित दर दुकानों को चलाने के वास्ते स्थान सुगमता से उपलब्ध नहीं है, प्रयोगात्मक तौर पर 5 चलती-फिरती उचित दर दुकानें चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अन्तरिक्ष अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

3552. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अन्तरिक्ष अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :
(क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष सुदूर संवेदन और संचार क्षमताओं का प्रयोग करते हुए विविध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर की गई विशिष्ट परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

— समस्याग्रस्त गांवों में जल साधन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत भूमि जल के संभाव्य क्षेत्रों का मानचित्रण। इन मानचित्रों से 85-92 प्रतिशत की सफलता दर से कुओं की खुदाई में सहायता मिली है।

— परती भूमि का मानचित्रण ताकि बनारोपण, बागवानी, चारा विकास इत्यादि के माध्यम से ऐसी भूमि को उत्पादक उपयोग के लिए कृषि योग्य बनाने में सहायता मिल सके।

— उपयुक्त मृदा संरक्षण उपायों के माध्यम से कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई को बढ़ाने के लिए मिनि और माइक्रो जलसंभर प्राथमिकीकरण।

— उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मत्स्य पकड़ने के संभावित क्षेत्रों को दर्शाते हुए साप्ताहिक समुद्री मत्स्य क्षेत्र के चार्टों को मत्स्य-उद्योग विभागों एसोसिएशनों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

— उपग्रह आधारित संचार कार्यक्रम के भाग के रूप में चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी के लिए आपदा चेतावनी प्रणाली, सुदूर क्षेत्रों के साथ संचार संभव बनाने के लिए ग्रामीण टेलीग्राफी तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कारों की मांग

3553. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कारों की मांग में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रमुख कार निर्माता ने कितनी कारों का निर्माण किया तथा उनकी लाइसेंसयुक्त क्षमता कितनी थी; और

(घ) देश में कारों की मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) अप्रैल-जनवरी 1991-92 की अवधि में 1990-91 इसी अवधि की तुलना में यात्री कारों की बिक्री में 7 प्रतिशत नकारात्मक विकास दर दर्ज की गई है। यह नकारात्मक विकास दर घाटे को नियंत्रित रखने के लिए सरकार की वित्तीय नीति को कड़ा करने और मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मांग में कमी के कारण हुई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कार निर्माताओं द्वारा विनिर्मित यात्री कारों का उत्पादन इस प्रकार रहा है।

	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन		
		1988-89	89-90	90-91
मारुति उद्योग	1,40,000	98,505	1,08,023	1,11,157
प्रीमियर आटो	50,000	38,743	42,313	42,925
हिन्दुस्तान मोटर्स	80,000	28,293	28,730	25,748
योग :		1,65,541	1,79,066	1,79,830

(घ) 1992-93 के बजट में घोषित सांविधिक नकदी अनुपात में कमी और ब्याज दर में कमी करने का उद्देश्य ऋण की आपूर्ति में वृद्धि करना और लागत को कम करना है। इससे सार्थक मांग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

छोटे और मझोले शहरों के समन्वित विकास के अन्तर्गत गुजरात को धन-राशि

3554. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे और मझोले शहरों के समन्वित विकास के अन्तर्गत गुजरात की विभिन्न नगरपालिकाओं को कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या आवंटित की गई धन-राशि को सही ढंग से खर्च नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	लाख रुपयों में
1988-89	191.60
1989-90	59.50
1990-91	80.08

गुजरात को, छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत शहर-वार कुल रिलीज का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है ।

(ख) धनराशि को उचित ढंग से खर्च किए जाने की सूचना है ।

(ग) उपयुक्त के वक्तव्य को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/शहर	1988-89			1989-90		
		आईडीएसएमटी	एलसीएस	योग	आईडीएसएमटी	एलसीएस	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात							
1.	आमन्द	—	—	—	—	—	—
2.	पतननार्थ	3.000	—	—	—	—	—
3.	पोरबन्दर	—	—	—	—	—	—
4.	वलसाद	—	—	—	—	—	—
5.	बरावल पत्तन	—	—	—	—	—	—
6.	पलनपुर	—	—	—	—	—	—
7.	अंकलेश्वर	—	—	—	—	—	—
8.	दहोद	3.000	—	3.000	—	—	—
9.	मेहामाबाद	12.000	—	12.000	—	—	—
10.	गोधरा	—	—	—	—	—	—
11.	भुज	6.000	—	6.000	—	—	—
12.	अमरेली	3.000	—	3.000	—	—	—
13.	मेहसाना	3.600	—	3.800	—	—	—
14.	खम्मात	20.000	—	20.000	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	कलोलसेज	—	—	—	—	—	—
16.	सनन्द		—	—	—	—	—
17.	देहगम	4.500	—	4.5(0	—	—	—
18.	दीसा	—	—	—	—	—	—
19.	महुआ	23.500	—	23.500	—	—	—
20.	बिल्लीमोरा	13.000	—	13.000	—	—	—
21.	विसा नगर	23.000	—	23 000	—	—	—
22.	उपलेंता	33.000	—	33.000	—	—	—
23.	उंझा	21.000	—	21.000	—	—	—
24.	गोंदल	—	—	—	—	—	—
25.	नवसारी	23.000	—	23.000	—	—	—
26.	हिम्मत नगर	—	—		29.750	—	29.7·0
27.	जूनागढ़	—	—	—	29.750	—	29.750
28.	सुरेन्द्र नगर	—	—	—	—	—	—
29.	बोताड	—	—	—	—	—	—
30.	मोरनी	—	—	—	—	—	—
	योग :	191 6000	0000	191.600	59 500	0.000	59.500

× छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना

(आंकड़े लाखों में)

क्रसं०	राज्य/शहर	1988-89 आईडीएसएमटी	1988-89 एलसीएस	1988-89 योग	1989-90 आईडीएसएमटी	1989-90 एलसीएस	1989-90 योग
1	2	9	10	11	12 (3-8-9)	13 (4-7-18)	14 (5-8-11)
गुजरात							
1.	आनन्द	4.520	—	4.520	7.520	—	7.520
2.	पतनेवार्थ	—	—	—	—	—	—
3.	पोरबन्द	—	—	—	—	—	—
4.	बलसाद	—	—	—	—	—	—
5.	वरावल पत्तन	—	—	—	—	—	—
6.	पलनपुर	8.600	—	8.060	8.060	—	8.060
7.	अंकलेश्वर	—	—	—	—	—	—
8.	दोहद	—	—	—	3.000	—	3.000
9.	मेहामाबाद	—	—	—	12.000	—	12.000
10.	गोधरा	—	—	—	—	—	—
11.	भुज	—	—	—	6.000	—	6.000
12.	अमरेली	—	—	—	3.000	—	3.000
13.	मेहसाना	—	—	—	3.600	—	3.600

1	2	9	10	11	12	13	14
14.	खम्भात	—	—	—	20.000	—	20.000
15.	कलोलसेज	—	—	—	—	—	—
16.	सनन्द	—	—	—	—	—	—
17.	देहगम	—	—	—	4 5000	—	4.500
18.	दीसा	—	—	—	—	—	—
19.	महुआ	—	—	—	23.500	—	23.500
20.	बिल्लीमोरा	—	—	—	13.000	—	13.000
21.	विसा नगर	—	—	—	23.000	—	23.000
22.	उपलेता	—	—	—	33.000	—	33.000
23.	ऊंझा	—	—	—	21.000	—	21.000
24.	गोंवली	—	—	—	—	—	—
25.	नवसारी	—	—	—	23.000	—	23.000
26.	हिम्मत नगर	—	—	—	29.750	—	29.750
27.	जूनागढ़	—	—	—	29.750	—	29·750
28.	सुरेन्द्र नगर	27.5000	—	27.500	27.500	—	27.500
29.	बोताड़	15.000	—	15.000	15.000	—	15 000
30.	मोरवी	25.000	—	25.000	25.000	—	25.000
		00.000	0000	80.080	331.180	0000	331.180

कोयले की लागत में कमी

[हिन्दी]

3555. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की लागत में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० में उत्पादन लागत को कम किए जाने के लिए किये गए प्रयासों में निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं :—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुन तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है ।

(2) श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा- निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण ।

(3) "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों को समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार ।

(5) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि ।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाए जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं ।

(ग) इन प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं, जहां तक श्रमशक्ति का संबंध है, वर्ष 1985-86 से इसे 6.7 लाख के लगभग कम स्थिर रखा गया है, जबकि वर्ष 1985-86 का उत्पादन 134 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 189.6 मिलियन टन तक पहुंच गया अर्थात् 41.5% वृद्धि हुई । यह बढ़ोतरी उक्त अवधि में 0.92 टन से 1-29 टन की प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त हुई । इसके परिणामस्वरूप, पहले वर्षों में यूनिट उत्पादन लागत में चल रही वृद्धि की प्रवृत्ति वर्ष 1985-86 से उलट गई । इस अवधि में उत्पादन लागत में 213.97 रु० प्रति टन से 277.18 रु० प्रति टन तक की वृद्धि हो गई, अर्थात् 29.5% तक की वृद्धि हुई । जबकि इसकी तुलना में थोक मूल्य सूचांक (सभी वस्तुओं) में 45.5% तक की वृद्धि हुई ।

कम्प्यूटर पार्क

[अनुवाद]

3556. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कम्प्यूटर पार्क हैं और वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) इस प्रकार के पार्क खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का साल्ट लेक, कलकत्ता में यह पार्क स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) देश में कम्प्यूटर पार्क स्थापित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की एक योजना है, जो शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख है। इनकी स्थापना राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या फिर उद्योग द्वारा की जा सकती है। किन्तु, भारत सरकार या फिर उद्योग द्वारा की जा सकती है। किन्तु, भारत सरकार ने सात साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है जो पुणे बंगलोर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम, गांधीनगर तथा नोएडा में स्थित हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के निम्नलिखित मानदण्ड हैं :—

(I) राज्य सरकार को भूमि तथा भवन उपलब्ध कराने के लिए सहमत होना चाहिए। वास्तविक स्थापना-स्थल के बारे में राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जा सकता है।

(II) निर्यात की संभावना होनी चाहिए, या जो राज्य इलेक्ट्रानिकी की दृष्टिसे विकसित नहीं है, वहां पूंजीनिवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना होनी चाहिए।

(III) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को तीसरे वर्ष में वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो जाना चाहिए और प्रति वर्ष कम से कम 30 करोड़ रुपए का निर्यात करना चाहिए।

(ग) (घ) तथा (ङ) सरकार ने धनराशि उपलब्ध होने पर कलकत्ता में एक साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास निगम (वेबेल), कलकत्ता के तत्वावधान में एक साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की कारंवाई शुरू कर दी है।

खान मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजना

3557. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न खानों में कार्य कर रहे मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ स्वास्थ्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जग्गैहपेटा स्थित विशाखापतनम इस्पात संयंत्र की चूना-पत्थर पिसाई एकक में कार्य करने वाले मजदूरों के लाभार्थ एक अस्पताल खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कारों के निर्माण के लिए "टेल्को" द्वारा सहयोग

3558. श्री प्रफुल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (टेल्को) ने केन्द्रीय सरकार से कारों के निर्माण हेतु जापान के होन्डा के साथ तकनीकी सहयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है;

(ख) इस प्रस्ताव में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) मैं० टेल्को लि०, बंबई ने सवारी कारों के निर्माण हेतु मैं० होन्डा मोटर कंपनी लि०, जापान से सहयोग के वास्ते अगस्त, 1985 में एक प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें करीब 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की एक बड़ी वचनबद्धता अन्तर्ग्रस्त थी।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के उत्पादों के लिए वितरक एजेंसी

3559. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के उत्पादों के लिए एकमात्र वितरक एजेंसी आवंटित किए जाने हेतु क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या पूरे देश में एजेंट नियुक्त करने के लिए हाल ही में कोई अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें नई वितरक एजेंसियों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है; और

(घ) उन पार्टियों का ब्योरा क्या है जिन्हें नई एजेंसी आवंटित की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) आई० पी० सी० एल०, ने बताया है कि एकमात्र वितरक नियुक्त नहीं किए जाते हैं क्योंकि सरकारी एजेंसियों सहित प्रत्येक स्थान पर एक से ज्यादा वितरक हो सकते हैं और आई० पी० सी० एल० भी उत्पादों को सीधे ही बेचने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) नये वितरकों के चयन के लिये 1992 में अभी तक कोई अधिसूचना अथवा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोड़ी गई कोयले की खानें

3561. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कोयले की खानों का परित्याग किया गया और किन-किन स्थानों पर;

(ख) इन खानों के परित्याग के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त खानों को पुन: चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन खानों को पुन: चालू करने हेतु कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनायी जाएगी ?

कोयला उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में कोयले का खनन

3563. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की खानों से कितना कोयले का खनन किया गया;

(ख) गत वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश को कितना कोयला आवंटित किया गया; और

(ग) अतिरिक्त कोटा के लिए किए गए निवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान कोयले का 18.34 मि० टन उत्पादन किया है।

(ख) और (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की कुल आपूर्ति 16.423 मि० टन की गई। आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति कोल इण्डिया लि० के अन्य स्रोतों से भी की जा रही है।

इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी एककों का कार्यनिष्पादन

3564. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्जीनियरी और गैर-इन्जीनियरी एककों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एककों की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने हेतु निगरानी प्रणाली में कुछ सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) इन्जीनियरी तथा गैर इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पाद वार-एकक वार निष्पादन पर विशेष निगरानी नहीं रखी जाती है। फिर भी, संपूर्ण क्षेत्र के निष्पादन की निगरानी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के जरिये की जाती है जिसमें पिछले उत्पादन के स्तर की तुलना में किसी निर्धारित समय में उत्पादन के स्तर का संकेत होता है।

भारतीय साईकल निगम, भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकल निगम तथा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का निजीकरण

3565. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय साईकल निगम, भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकल निगम तथा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का निजीकरण करने अथवा उन्हें बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उठायी गयी हानि का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों को हानि होने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। इन उपक्रमों का निजीकरण करने अथवा इन्हें बन्द करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक औद्योगिक एककों के लिए कोयला

3566 **श्री एच० डी० देवगौडा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य ने औद्योगिक एककों के लिए कोयले की कितनी मात्रा की मांग की है;

(ख) कोयले की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है; और

(ग) कोयले की पूरी मात्रा सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड : (क) और (ख) कोयले की मांग का मूल्यांकन उद्योग-वार किया जाता है और न कि यह राज्य-वार। किन्तु कोयला कंम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को, जिसमें उद्योग भी शामिल हैं, किन्तु

कर्नाटक के विद्युत क्षेत्र को छोड़कर, अप्रैल से सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा प्रेषित किए गए कुल कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े लाख टन में)

कोल इण्डिया लि०	4-59
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	2.67

(ग) लम्बी दूरी के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति कोयले की उपलब्धता तथा उत्पादित कोयले का रेलवे द्वारा संचलन किए जाने की क्षमता पर निर्भर करता है। चूंकि कोयले की आपूर्ति विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर की जानी होती है, अतः अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को जिनमें उद्योग शामिल हैं, कभी-कभी कमी का सामना करना पड़ता है। किन्तु कोयला कंम्पनियों को गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, जिसमें औद्योगिक यूनिट शामिल हैं, उन्हें तेल अथवा सड़क द्वारा कोयले की संयोजित मात्रा के न्यूनतम 50% मात्रा की आपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाएं

3569. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/सी० एस० आई० आर० द्वारा अब तक कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं तथा कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है और उनके लिए क्या अनुसंधान क्षेत्र चुना गया है सौंपा गया; और

(ख) उड़ीसा में इन प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सी एस आई आर के अधीन 41 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान हैं जो भौतिक, भू, रसायन, जीव विज्ञान, इंजीनियरी तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के अतिरिक्त ये प्रयोगशालाएं विशिष्ट परीक्षण एवं विश्लेषण, डिजाइन इंजीनियरी तथा ऑप्टीमाइजेशन, सूचना प्रचार व्यवसायियों (प्रोफेशनल्स) का प्रशिक्षण, और पुनंप्रशिक्षण, छपाई सामग्री की आपूर्ति, प्रयोगात्मक जानवरों आदि क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं में परीक्षण और अंशांकन, मरम्मत और रख-रखाव तथा फैब्रिकेशन/विशेष उत्पादों के नमूने तैयार करना शामिल है।

नवीन प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर नामक सी एस आइ आर की एक प्रयोगशाला उड़ीसा राज्य में स्वतन्त्र रूप से तथा सी एस आइ आर की अन्य प्रयोगशालाओं की भागीदारी के साथ कच्ची धातुओं तथा खनिजों, उनके खनिजों, उनके परिवहन, कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त अनुसंधान व विकास क्रियाकलाप करती है :

— कच्ची धातुओं और खनिजों के विश्लेषणों सहित मूल्यांकन/विश्लेषण/परिक्षण, धातुविश्लेषण, कोरोसिन-एरोजिन मूल्यांकन और पाईप-लाईनों के माध्यम से उत्तरी परिवहन;

— वाणिज्यिक सकेन्द्रकों सहित प्रक्रम आप्टोमाईजेशन और सुधारों पर अभिकल्पन इंजीनियरी और प्रक्रम उपकरणीकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) और नियंत्रण प्रणाली; और

— पादप संसाधनों रासायनिक धातुकर्मी उद्योगों और संगध तथा औषधीय पौधों की वाणिज्यिक खेती।

सी एस आइ आर की प्रयोगशालाओं में से एक केन्द्रीय नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान (सी एस एम सी आर आइ) भावनगर का एक क्षेत्रीय केन्द्र समुद्र जल ईरीकल्चर के क्षेत्र में बहरामपुर में कार्यरत है।

बीकानेर में विकास केन्द्र

[हिन्दी]

3569. श्री मनफूल सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बीकानेर में विकास केन्द्रों की स्थापना के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विकास केन्दों की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(घ) इस विकास केन्द्र में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विकास केन्द्र में उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राज-सहायता दिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने बीकानेर में एक विकास केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत एक विकास केन्द्र 400-800 हेक्टर क्षेत्र में विकसित किया जायेगा जिसको बिजली, दूरसंचार, पानी और बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि उद्योग को आकृष्ट किया जा सके।

(ङ) केन्द्र सरकार विकास केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले एककों के लिए कोई निवेश राजसहायता योजना नहीं चला रही है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों पर श्वेत-पत्र

[अनुवाद]

3570. श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के लम्बे समय से रुग्ण उपक्रमों पर एक श्वेत-पत्र निकालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन से संबंधित स्थिति पर एक निबन्ध (मोनोग्राफ) (खंड-I तथा I) दिसम्बर 1991 में संसद में परिचालित कर दिया था।

प्रौद्योगिकी पार्क

3571. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रौद्योगिकी केन्द्रों/पार्कों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं और विद्यमान और प्रौद्योगिकी पार्कों के विस्तार कार्यक्रमों के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इन केन्द्रों/पार्कों की सुरक्षा के उचित प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत सरकार ने पुणे, बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर तथा नोएडा में पहले ही सात साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) स्थापित कर लिए हैं। जयपुर स्थित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल तथा असम की राज्य सरकारों ने अपने-अपने सांफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब को राज्य सरकारों द्वारा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की दिशा में पहले ही कारंवाई आरम्भ कर दी गई है।

देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और निजी क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की सुरक्षा के लिए सरकार के सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के लिए सरकार द्वारा स्थायी कार्यकारी बोर्ड में सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर सलाह देने के लिए गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है।

विशेष त्रिपक्षीय समिति

3572. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों की समस्याओं पर विचार करने हेतु विशेष त्रिपक्षीय समिति के अन्तर्गत छः औद्योगिक पैनलों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रमिक संघों का नाम सहित ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक को कितने स्थान (सीटें) दिये गये हैं;

(ग) क्या कुछ अखिल भारतीय श्रमिक संघ को पैनलों में शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) 21 दिसम्बर, 1991 को बम्बई में आयोजित विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक में यह सिफारिश की गई कि कपड़ा, इंजीनियरी, जूट और रसायन तथा भूतल परिवहन और विद्युत उत्पादन एवं वितरण जैसे उद्योगों के लिए जहां रुग्णों एककों की संख्या बहुत अधिक हैं, औद्योगिक समितियों को पुनरुज्जीवित किया जाए।

(ख), (ग) और (घ) श्रम मन्त्रालय द्वारा 31-12-80 को गणना की तारीख मानकर किये गये सामान्य सत्यापन में निर्धारित किये गये अनुसार, केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के लिए औद्योगिक समितियों में सीटों का आवंटन संगत उद्योग में कार्यरत उनसे संबद्ध व्यवसाय संघों की सदस्यता संख्या के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक समितियों में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों का प्रतिनिधित्व अनुबन्ध में दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन औद्योगिक समितियों में एटक और सीटू का प्रतिनिधित्व नहीं है, तदर्थ आधार पर प्रत्येक को एक-एक सीट का आबंटन किया जाए।

विवरण

अनुबन्ध

क्रमांक औद्योगिक समिति	आवंटित सीटों की संख्या								
	इंटक	मा० म० सं०	हि० म० सं०	यूटक (एल एस)	एन एल ओ	एन एफ आई टी यू	एटक	सीटू	कुल सीट
1. भूतल	2	2	1	—	—	—	—	—	5
2. विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग	3	4	—	—	—	1	—	1	9
3. इंजीनियरी उद्योग	3	3	1	1	—	—	1	2	11
4. सूती वस्त्र उद्योग	5	1	1	—	3	—	1	1	12*
5. जूट उद्योग	6	2	—	2	—	—	1	—	11
6. रसायन उद्योग	5	2	1	—	1	—	1	2	12

*सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित औद्योगिक समिति को अभी हाल में आदेश सं० यू-14012/3/92-एल० सी० दिनांक 11-3-1992 द्वारा पुनर्गठित किया गया था, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्णय के अनुसरण में कि उन औद्योगिक समितियों में जहां उनका प्रतिनिधित्व नहीं है एटक और सीटू को एक-एक सीट आवंटित की जाए, सीटू के लिए एक सीट आवंटित की गई है।

विकास खण्ड

[हिन्दी]

3573. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के उन खण्डों के नाम क्या हैं, जिन्हें नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल कार्यकरण के लिए शामिल किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए अभिज्ञात उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के ब्लाकों की सूची, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई है, संलग्न की जाती है ।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के ब्लाकों के नाम ।

निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के ब्लाकों की सूची उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	जिला	क्र० सं०	ब्लाक
1.	अल्मोड़ा	1.	हवलबाग
		2.	भैंसियाछान
		3.	धौलादेवी
		4.	गरुड़
		5.	बागेश्वर
		6.	चौखुटिया
		7.	तकुला
		8.	तमंडा
		9.	कपकोट
		10.	हाराहाट
		11.	भिकियासैंप
		12.	स्यालदे
		13.	सल्ट
		14.	ताड़ीखेत
2.	चमोली	1.	कर्णप्रयाग
		2.	दसौली
		3.	देवल
		4.	घाट
		5.	पोखरी

1	2	3	4
		6.	ऊखीमठ
		7.	अगस्तमुनि
		8.	जोशीमठ
		9.	नारायणगढ़
		10.	गैरसैंप
		11.	थराली
3.	नैनीताल	1.	खटिया
		2.	सितारगंज
		3.	बाजपुर
		4.	गदरपुर
		5.	रामनगर
		6.	काशीपुर
		7.	ओखलकाडा
		8.	धारी
		9.	बटोलघाट
		10.	रामगढ़
		11.	कोटाबाग
		12.	भीमताल
4.	पौड़ी गढ़वाल	1.	समबेश्वर
		2.	पोखड़ा
		3.	दोगड्डा
		4.	नैनीडांडा
		5.	रिखपीखाल
		6.	पौड़ी
		7.	जहरीखाल
		8.	पावो
		9.	बीरोंखाल
		10.	कोट
		11.	खिसूं
		12.	कलजीखाल
		13.	अलीसेन
		14.	पंखेत
		15.	थांसू

1	2	3	4
5.	देहरादून	1.	चकराता
		2.	कालसी
		3.	डोईवाला
		4.	रायपुर
		5.	सहसपुर
		6.	विकास नगर
6.	पिथौरागढ़	1.	धारचूला
		2.	मुनिस्यारी
		3.	पिथौरागढ़
		4.	गंगोलीहाट
		5.	चम्पावत
		6.	बाराकोट
		7.	लोहाघाट
		8.	मुनकोट
		9.	कानाली छान
		10	डीडीहाट
		11.	बेरीनाग
		12.	पाटी
7.	टिहरी गढ़वाल	1.	चम्बा
		2.	देवप्रयाग
		3.	कीर्ति नगर
		4.	जौनपुर
		5.	थौलधार
		6.	भिलगना
		7.	प्रताप नगर
		8.	जखणीधार
		9.	जखोली
		10.	नरेन्द्र नगर
8.	उत्तरकाशी	1.	भटवारी
		2.	डुंडा
		3.	चिनीयालीसोड़
		4.	नौगांव
		5.	मोरी
		6.	पुरोला.

लघु विकास केन्द्र

3575. श्री नीतीश कुमार
श्रीमती वासवा राजेश्वरी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में 280 लघु विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विकास केन्द्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके 63 विकास केन्द्रों के अतिरिक्त हैं;

(ग) दिसम्बर, 1991 तक कितने विकास केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा उनमें कार्य आरम्भ हो गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन 280 लघु विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ङ) एक विकास केन्द्र स्थापित करने में कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त 1991 को घोषित नीतिगत उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत मूलभूत संरचनात्मक विकास (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित एक योजना का मसौदा तैयार किया गया है और इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) प्रस्तावों में शामिल किया गया है। इस योजना के ब्यौरे केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों में सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके तैयार किये जा रहे हैं। किन्तु प्रस्तावित योजना में विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शामिल किये गये जिलों को छोड़ने की परिकल्पना की गई है। अब तक 30 विकास केन्द्रों के लिए 27.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। एक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत 25-30 करोड़ रुपये आयेगी।

हरियाणा में नये उद्योग

[अनुवाद]

3576. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों के पंजीकरण के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) उन्हें स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) हरियाणा सरकार से प्राप्त चीनी के विनिर्माण हेतु केवल एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी हेतु आवेदनों के निपटान की विशिष्ट समय सीमाएं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाते हैं कि इन आवेदनों को तकनीकी प्राधिकरणों से परामर्श करके इस समय सीमा के भीतर निपटा दिया जाये।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों पर बने मकानों को गिराना

3577. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पप्पनकलां, नई दिल्ली के निकट पालम गांव के निवासियों को कुछ भूखंड आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन भूखंडों पर बने मकान गिरा दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पपनकलां के नजदीक पालम के ग्रामीणों को वर्ष 1984-85 में 1125 प्लाट आवंटित किए गये थे।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा फैंसी वस्तुएं डिजाइन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

3578. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के विभिन्न भागों में फाइबर उद्योग और फैंसी वस्तुएं डिजाईन केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये उक्त उद्योग केन्द्र किन-किन राज्यों में स्थापित किये गये हैं और उनके लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक फाइबर डिजाइन विकास-सह-सामान्य सेवा केन्द्र और त्रिवेन्द्रम, केरल में एक फाइबर डिजाइन केन्द्र स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश स्थित यह केन्द्र आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए और ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से रोजगार सृजित करने के हेतु सुल्तानपुर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मुंज सेवान बनाने के लिए एक प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट है; तथा केरल में स्थापित केन्द्र का कार्य नये डिजाइन ईजाद करने और कार्यशील संस्थानों को नियमित रूप से उत्पादन करने के लिए फाइबर सप्लाई करना तथा प्रशिक्षण देना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का ढहना

3579. **श्री सूरज मंडल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया;

(ख) कितने फ्लैटों की छत और बालकोनी ढह गई है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन फ्लैटों के निर्माण में घटिया स्तर की निर्माण-सामग्री के उपयोग की जांच करने के लिए गठित समिति की जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :

क्र०सं०	वर्ष	बनाये गये फ्लैटों की कुल संख्या
1.	1988-89	23,931
2.	1989-90	21,012
3.	1990-91	8,848

(ख) स्टील जंग तथा मकजोर कंक्रीट के कारण आर० सी० सी० पता की वजह से पीतमपुरा के पाकिट एन (पी) में फ्लैट नं० 1185 की बालकोनी का एक हिस्सा तथा पीतमपुरा के पाकिट क्यू (यू) में फ्लैट नं० 296-डी के टैरेस लेवल पर बालकोनी के ऊपर छत के निर्गत भाग का एक छोटा टुकड़ा ढह गये थे।

(ग) पीतमपुरा के एन पी ब्लाक में फ्लैट नं० 118ए की बाजकोनी ढह जाने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि :

(i) 38 बालकोनी गिराई जानी अपेक्षित हैं।

(ii) बालकोनियों की 47 मुंडेर दीवारें गिराई जानी अपेक्षित हैं।

(iii) 15 ममटी छत स्लैब गिराये जाने अपेक्षित हैं।

(iv) 18 ममटी छत स्लैबों का मजबूत किया जाना है।

(v) कमरों के कुछ आर सी सी स्लैबों को मजबूत किया जाना है।

(vi) बेतरतीब छज्जों को बदला जाना है।

(vii) पुन: प्लास्टर किया जाना है जबकि प्लास्टर विहिन दरारों की मरम्मत की जानी है तथा दुबारा प्लास्टर किया जाना है।

कोचीन मिनरल्स एण्ड रयूटाइल्स लिमिटेड, केरल द्वारा निर्यात

[अनुवाद]

3580. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन मिनरल्स एण्ड रयूटाइल्स लिमिटेड, केरल, अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा किन-किन मदों का और किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कम्पनी ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। अत: निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास निर्माण में निवेश

3581. **श्री एम० श्री० रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आवासीय परियोजनाओं में भारी निवेश करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए मुख्य संसाधन कौन-कौन से हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए निधियों की प्राक्षिप्त मांग आठवीं योजना के प्रतिपादन के सन्दर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित उपदल द्वारा 1990 की कीमतों पर 77496 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 7750 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 69746 करोड़ रुपये होंगे। आठवीं योजना के लिए आवास हेतु परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात का औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

3582. **श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुल जारी किये गये आशय पत्रों में गुजरात का हिस्सा 1990 में 8.36 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 12·7 प्रतिशत हो गया है।

(ग) किसी राज्य के औद्योगिकीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है। विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत गुजरात में कच्छ, बनासकण्ठा और भड़ोच जिलों में एक-एक विकास केन्द्र का आवंटन किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक विकास केन्द्र पर 25-30 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

मक्खन का मूल्य

[अनुवाद]

3583. **श्री नवल किशोर राय : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मक्खन पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्पाद शुल्क में कमी के पश्चात अमूल मक्खन बाजार से गायब हो गया और लगभग पन्द्रह रुपये प्रति किलो की वृद्धि के बाद फिर बाजार में आ गया;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीकमालुद्दीन अहमद) : (क) 24-7-91 तक मक्खन पर 10% की दर से मूल उत्पादन शुल्क तथा मूल उत्पादन शुल्क के 5% की दर पर विशेष उत्पादन शुल्क लग रहा था। केन्द्रीय बजट जुलाई, 1991 में मक्खन को कुछ अन्य कृषि आधारित उत्पादों के साथ 25-7-91 से उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया था। कृषि पर आधारित उत्पादों पर छूट देश की कृषि अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को बढ़ावा देने, संसाधित कृषि जन्य उत्पादों पर उपभोक्ता द्वारा खर्च की जाने वाली आय में किसान का हिस्सा बढ़ाने, कृषि जिन्सों पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा फसल कटाई के बाद की आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दी गई थी। छूट देते समय यह उम्मीद की गई थी कि इन उपायों से ऐसे उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में कुछ कमी आयेगी।

(ख) (ग) तथा (घ) मक्खन नियंत्रित वस्तु नहीं है इसलिए इसके मूल्य खुले बाजार में मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। बाट तथा नाप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियमावली 1977 के तहत बिना डिब्बा बन्द मक्खन पर बिक्री मूल्य और निर्माण/पैकिंग का महीना तथा वर्ष के बारे में घोषणा अंकित करना आवश्यक नहीं है, इसलिए मक्खन की कीमतें मांग व पूर्ति के उतार-चढ़ावों के कारण अलग-अलग समय पर घटती-बढ़ती रहती है। वर्ष 1992-93 के बजट में मक्खन पर कोई अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। हैदराबाद, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर के चार चुने हुए केन्द्रों से मक्खन की खुदरा कीमतों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी, 91 और जनवरी, 92 के बीच अमूल मक्खन के 100 ग्राम के पैकेट पर लगभग 50 पैसे की वृद्धि हुई थी।

महाराष्ट्र के छोटे और मंझोले नगरों का विकास

3584. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में छोटे और मंझोले नगरों की समेकित विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान कितने छोटे और मंझोले नगरों में कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु महाराष्ट्र को कितनी धनराशि जारी की गई थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1992-93 के लिए कुछ अतिरिक्त छोटे और मंझोले नगरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र को वर्ष के दौरान तीन शहर नियत किये गये थे और 16 दिसम्बर, 1991 को हुई स्वीकृति समिति की बैठक में इन प्रथम तीन प्राथमिकता वाले शहरों नामत: बुल्डाना, हिंगोली और चालीगांव, प्रत्येक के लिए पहले ही 25 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्वीकृति पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं।

(ग) (घ) और (ङ) अभी तक नहीं।

डा० सतीश चन्द्र समिति

[हिन्दी]

3586. **श्री मृत्युंजय नायक**
श्री अवतार सिंह भडाना
श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए नियुक्त डा० सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच इस रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) इस विषय पर डा० सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

कागज उद्योग के लिए कच्चा माल

[अनुवाद]

3587. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के लिए परम्परागत कच्चे माल जैसे लकड़ी और बांस की सप्लाई में गिरावट आयी है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परम्परागत संसाधनों की सप्लाई का ब्यौरा क्या है और उनका कितने प्रतिशत उपयोग किया गया,

(ग) कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के गैर-परम्परागत स्रोत कौन-कौन से हैं, और

(घ) क्या परम्परागत संसाधनों में गिरावट की भरपाई करने के लिए ये स्रोत पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वन नीति के कारण औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वन पर आधारित कच्चे माल के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अतः कागज उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं में से परम्परागत कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति भी एक समस्या है। कच्चे माल के उपयोग के बारे में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार कागज उद्योग के लिए अपरम्परागत कच्चे माल के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है जिनमें स्ट्रा (गेहूं और चावल से), खोई, स्टालक्स, घास, रैग्स पटसन तथा पटसन अपशेष, हैम्प, केनफ रद्दी कागज इत्यादि शामिल है। जिन प्रस्तावों में कम से कम 75% लुगदी अपरम्परागत कच्चे माल से बनाई जाती है उन को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के उपबन्धों में छूट दी जाती है। ऐसे कच्चे माल की कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय कम्पनियों का निर्यात दायित्व

3588. **श्री अंकुशराव राम साहब टोपे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ-साथ बड़ी-बड़ी भारतीय कम्पनियों ने वस्तुओं के उत्पादन और इकाइयों के विस्तार के लिए लाइसेंस पाने से पहले निर्यात दायित्व पूरे कर लिये हैं,

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की हानि का ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात दायित्व पूरा न करने वाली कम्पनियों के नाम क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार हाल ही में शुरू की गई उदार नीति को देखते हुए इन कंपनियों पर ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए जोर देने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नये उपक्रमों की स्थापना, नयी वस्तु का उत्पादन अथवा पर्याप्त विस्तार करने हेतु आशय-पत्र की मंजूरी के समय ऐसे सभी मामलों में जिनमें निर्यात दायित्व लगाया गया है, आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में तभी बदला जाता है जबकि आवेदक इस सम्बन्ध में कानूनी करार या बौंड भरता है और उसे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय द्वारा मंजूर कर लिया जाता है जो इस प्रकार से किये गये निर्यात दायित्वों की मानीटरी करता है। किसी कम्पनी को कोई और लाइसेंस मंजूर करने के लिए उसको पहले स्वीकृत लाइसेंसों में लगाए गए तथा पूरे किए गए निर्यात दायित्वों की साधारणतया समीक्षा नही की जाती है।

(ग) और (घ) हाल में उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत, कम्पनी द्वारा लिए निर्यात दायित्व को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई ढील की घोषणा नहीं की गयी है तथा तदनुसार, मौजूदा पद्धति के तहत कम्पनियों द्वारा लिए गए निर्यात दायित्व को पूरा करना होता है।

मार्च 18, 1992 को उत्तर देने के लिए इन्सैट-2ए

3589. **श्री रमेश चेन्नितला**
श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सेंट-2ए को कब छोड़ा जाएगा;

(ख) इसके कार्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इससे प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य किन-किन देशों ने इस प्रकार के उपग्रह छोड़ें हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इन्सैट-2ए का प्रमोचन जून, 1992 के लिए निर्धारित है।

(ख) इन्सैट-1 उपग्रहों के समान इन्सैट-2ए उपग्रह देश को दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाएं प्रदान करेगा।

(ग) इन्सैट-2ए और 2बी उपग्रहों के लिए स्वीकृत बजट परिव्यय के लिए 243.10 करोड़ रुपए तथा उनकी प्रमोचन सेवाओं के लिए 198.30 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(घ) इन्सैट–2ए उपग्रह का देश में ही निर्माण किया गया है। दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाओं को प्रदान करने के साथ-साथ प्रचालनात्मक उपग्रहों के निर्माण के लिए देश में ही प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता और अवसरचना का भी विकास किया गया है।

(ङ) बड़ी संख्या में अनेक देश दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए उपग्रहों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ: संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील, चीन, सी० आई० एस० (भूतपूर्व सोवियत संघ) इत्यादि। संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप (यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी) और जापान के पास भू-स्थायी मौसमविज्ञानीय उपग्रह हैं।

भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय संबंधी विचार-गोष्ठी

3590. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने सम्बन्धी विचार-गोष्ठी, जिसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, में यह सिफारिश की गई है कि भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपकरण लगाए जायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भवनों में व्यवस्था करने के लिए सेमिनार द्वारा सिफारिश किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय संलग्न अनुलग्नक में दिए गए अनुसार हैं।

विवरण

1. **आयोजना अवस्था पर**

(क) 'भवन नेटवर्क की सहायता से प्राकृतिक वायु-संचार के प्रबन्ध करने के उपाय।

(ख) अनुकूलतम प्राकृतिक प्रकाश और वायु संचार, ग्रीष्मकालीन धूप को यथा संभव कम करने के लिए भवन की ब्लाकों के अभिविन्यास तैयार करना।

2. **वास्तुकीय डिजाइन अवस्था पर**

(क) भवनों के अभिविन्यास के सन्दर्भ में अधिकतम आन्तरिक प्राकृतिक प्रकाश तथा वायु-संचार के लिए प्रबन्ध करने हेतु खिड़कियों के आकारों और अवस्थिति का निर्धारण करना।

(ख) भवन के अन्दर धूप के प्रभाव को कम करने तथा शीतलता के लिए उपयुक्त आकार के सब शेडों की व्यवस्था।

(ग) प्रकाश संचारण के लिए तथा सौर्य ताप विकिरण को कम करने के लिए खिड़कियों में समुचित ग्लास एरिया, दोहरी/तिहरी ग्लेजिंग आदि की व्यवस्था।

(घ) खिड़कियों के उपयुक्त डिजाइन तथा शीतलन और वायु संचार को बढ़ावा।

3. उनके निर्माण में कम ऊर्जा खपत वाली सामग्रियों के उपयोग द्वारा

(क) कम उत्पादन ऊर्जा के लिए चिकनी मिट्टी/उड़न राख की ईंटों तथा बलुआ चूना ईंटों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(ख) प्लास्टिसाइजर्स के उपयोग के माध्यम से सीमेंट की खपत में कटौती।

(ग) शक्ति और टिकाऊपन से समझौता किए बिना चिनाई में चूने के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

(घ) जहां भी संभव हो, मिट्टी के गारे के इस्तेमाल को बढ़ावा।

(ङ) ढलवां लोहे के मेनहोल कवरों के बजाय कंक्रीट मेनहोल कवरों का इस्तेमाल।

4. विद्युत और यांत्रिक सेवाएं

(क) ऊर्जा-दक्ष-लैम्पों और उच्च दक्षता वाले प्रकाश पुंजों का उपयोग।

(ख) ऊर्जा दक्ष ब्लास्टों का उपयोग।

(ग) निम्नलिखित के माध्यम से वातानुकूल में ऊर्जा खपत में कटौती :

(i) वातानुकूलन संयंत्र के अनुक्रम संचालन के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण।

(ii) कूलिंग टावर्स के लिए 2 स्पीड फैन मोटरों को अपनाना।

(iii) मध्यम और बड़े वातानुकूलन भार के लिए केन्द्रापसारी (सेन्टिफयूरल) मशीनों का उपयोग।

(iv) डिसुपर हिटरों और डबल सैन्डल कंडेसर के इस्तेमाल के माध्यम से कम्प्रेसर निस्सरण से पुनः ऊष्मा प्राप्त करना।

(v) जहां अपशेष ऊष्मा उपलब्ध है, समावेशन चिल्लर्स का उपयोग करना।

(vi) भवन स्वचलन प्रणाली अपनाना।

(vii) 100% ताजी वायु उपयोग के लिए हीट रिकवरी व्हील्स का उपयोग।

5. नवीकरण-योग्य तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग :

(क) पानी गर्म करने के लिए सौर्य ऊर्जा का उपयोग।

(ख) सुदूर क्षेत्रों/स्थलों में भवनों के लिए सौर्य फोटो वोल्टीय पद्धति का उपयोग।

सार्वजनिक क्षेत्र के एकक

3591. श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने एकक हैं;

(ख) इनमें से ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्हें पहले से रुग्ण रूप में घोषित किया गया है; और

(ग) इन रुग्ण एककों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 31-3-1991 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यम निर्माणाधीन थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 54 रुग्ण उपक्रम हैं जिन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है।

उद्योग विहीन जिले

3592. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू तथा अन्त में देश में राज्यवार कितने उद्योग विहीन जिले थे, और

(ख) देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में "उद्योग रहित जिलों" की संख्या 93 है। "उद्योग रहित जिलों का राज्यवार वितरण संलग्न है।

(ख) उद्योगों को देश के हर क्षेत्र में फैलाने की दृष्टि से सरकार एक विकास केन्द्र योजना चला रही है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन देश भर में 70 विकास केन्द्र बनाए जाएंगे, प्रत्येक विकास केन्द्र की लागत 25-30 करोड़ रुपये होगी और इन केन्द्रों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए बिजली, पानी और दूर संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

विवरण

क्रमांक	राज्य	संख्या
1.	असम	2
2.	बिहार	6
3.	गुजरात	1
4.	हिमाचल प्रदेश	5
5.	जम्मू व कश्मीर	7
6.	कर्नाटक	1

1	2	3
7.	केरल	2
8.	महाराष्ट्र	1
9.	मध्य प्रदेश	18
10.	मणिपुर	6
11.	मेघालय	4
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	3
14.	राजस्थान	4
15.	सिक्किम	4
16.	त्रिपुरा	3
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	पश्चिम बंगाल	5
19.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
20.	अरूणाचल प्रदेश	4
21.	लक्षद्वीप	1
22.	मिजोरम	2
23.	दादरा तथा नगर हवेली	1
	योग :	93

राज्यों को "ब्रिज कोक"

[हिन्दी]

3593. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को "ब्रिज कोक" नहीं मिल रहा है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी॰ सी॰ सी॰ एल॰) की गलत नीतियों के कारण वे बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों की "ब्रिज कोक" की मांग और आपूर्ति का वर्ष-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यों को "ब्रिज कोक" की पूरी आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड) : (क) संभवत: माननीय सदस्य "ब्रिज कोक" की आपूर्ति का सन्दर्भ दे रहे हैं। ब्रिज कोक की उत्पत्ति रखरखाव में हार्ड कोक के

विघटन होने के कारण होती है। भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) ब्रिज कोक की उपलब्धता की सीमा तक उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति कर रहा है। भारत कोकिंग कोल लि० को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कुछ यूनिटें ब्रिज कोक की मांग के लिए बन्द होने की स्थिति में है।

(ख) ब्रिज कोक की मांग का राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा रेल और सड़क दोनों से विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं को कोयले की की गई आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई हैं :

(आंकड़े टन में)

राज्य	1989	1990	1991
बिहार	29267	39913	30573
उत्तर प्रदेश	10108	5606	7330
पश्चिम बंगाल	9909	18723	2478
राजस्थान	3715	1520	—
चंडीगढ़	—	200	—
हरियाणा	1606	1298	1034
पंजाब	990	902	1210
कुल जोड़ :	55595	68162	42675

(ग) ब्रिज कोक, इस्पात संयंत्रों, दुर्गापुर परियोजना लि० (डी. पी. एल.), फर्टीलाईजर कारपोरेशन लि० (एफ. सी. आई.) और बहुत सी अन्य निजी कोकरीज में बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है और भारत कोकिंग कोल लि० में इसका उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत कम है। भारत कोकिंग कोल लि० मुख्यत: इन यूनिटों के द्वारा हार्ड कोक के उत्पादन के लिए कच्चे कोयले की आपूर्ति करता है, जिससे बाद में ब्रिज कोक तैयार किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि. से कच्चे कोयले के प्रेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयले और कोयले के उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बिहार में कुओं की खुदाई

3594. श्री शैलेन्द्र महतो : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय अनुदान से कुओं की खुदाई की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन विशेष स्थानों में यह योजना लागू की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) व (ख) दस लाख कुओं की योजना को जवाहर योजना की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

यह योजना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों में से गरीब, छोटे तथा सिमान्त किसानों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुंए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जहां भौगोलिक कारणों से कुंए खोदना सम्भव नहीं है, वहां दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि को सिंचाई तालाब, जल एकत्रीकरण ढांचों जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं और साथ ही लक्षित समूहों की भूमि विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कार्यक्रम के लिए आबंटन एक राज्य के लिए किये जाते हैं। राज्य सरकारों को उसे लक्षित समूहों की कुओं से सिंचाई की संभाव्यता वाली असिंचित भूमि के संदर्भ में, जिलों को आबंटित करनी होती है।

1990-91, 1991-92 के दौरान बिहार में पर्वतीय जिलों को रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

बिहार के पर्वतीय जिलों की दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य अंश सहित रिलीज की गई धनराशि।

(लाख रुपये में)

		वर्ष	
क्रमांक	जिला	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
1.	दुमका	2882.13	1511.94
2.	देवघर	343.34	212.35
3.	साहेबगंज	499.46	719.46
4.	गोडा	201.05	299.45
5.	रांची	604.68	1122.50
6.	लोहारडागा	156.54	190.20
7.	गुमला	187.81	804.03
8.	पश्चिम सिंहभूमि	659.73	892.10
9.	पूर्वी सिंहभूम	329.35	444.12
10.	पलामू	541.78	683.36
11.	हजारी बाग	522.33	611.75
12.	गिरडीह	389.84	233.23
13.	धनबाद	316.45	233.87
		7634.49	8058.36

तापीय विद्युत स्टेशनों को कोयले की अनियमित सप्लाई

3595. श्री अवतार सिंह भडाना
श्री शिवलाल नागजीभाई } : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक तापीय विद्युत स्टेशन को कोयले की अनियमत सप्लाई करने के क्या कारण हैं;

(ख) कोयले की सप्लाई को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अलग-अलग राज्यों के लिए कोयले की सप्लाई मूल्य अलग-अलग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) देश में, तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत (उपयोगिताओं) को प्रेषित किए गए कोयले के मामले में काफी सुधार हुआ है। अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा 112.13 मि० टन (जिसमें मिडलिंग शामिल है) की विद्युत (उपयोगिताओं) को आपूर्ति की गई थीं, जबकि इनकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 97.07 मि० टन (जिसमें मिडलिंग शामिल है) कोयले की आपूर्ति की गई थी, जो कि 14.6% के विकास को दर्शाता है। विद्युत (उपयोगिताओं) को आपूर्ति किए गए कोयले पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यक होता है तत्काल, वैकल्पिक स्रोतों से वचनबद्ध रूप में आपूर्ति को पूरा किए जाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) कोयले की पिटहैड कीमत मुख्यतः कोयले के ग्रेड तथा कोयले की कुछ अन्य विशेषताओं पर निर्भर करती है। पूर्ववर्ती पिटहैड कीमत आमतौर पर कोल इण्डिया लि० की ग्रुप की कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के सम्बन्ध एक ही होती है, केवल नार्थ ईस्टर्न राज्यों द्वारा उत्पादित कोयले को छोड़कर। आंध्र प्रदेश में सिं० को० कं० लि० द्वारा उत्पादित कोयले के संबन्ध में अलग से ग्रेड वार कीमतें अधिसूचित की गई है। कोयले की भूमिगत कीमत विभिन्न स्थानों के लिए निम्नलिखित मुद्दों के कारण अलग रहेगी—जिसमें पिटहैड से दूरी तथा परिवहन के स्वरूप का मुद्दा शामिल है। वर्तमान में कोयले के संबंध में भाड़ा सामानीकरण योजना को शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक वृद्धि से पिछड़े गुजरात के जिले

[अनुवाद]

3596. **श्री बन्धूभाई देशमुख** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त जिलों के औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और वहां किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(ग) इन उद्योगों के लिए कब तक लाइसेंस दे दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) गुजरात में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम इस प्रकार हैं—अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकंठा, सुरेन्द्र नगर और डांग।

(ख) तथा (ग) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना घोषित की है जो आंठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जाती है। इन विकास केन्द्रों में बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस योजना के अधीन गुजरात को तीन विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं, इन सभी का चयन करके घोषणा कर दी गयी है। जूनागढ़, कच्छ, बनासकांठा और भड़ौच के पिछड़े जिलों में हैं।

रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित भूमि दर

3597. **श्री रोशन लाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1888 और 1991 में रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए कितनी आरंभिक भूमि दर अधिसूचित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए वास्तव में कितना भूमि दर निर्धारित किया गया है और अधिसूचित दर निर्धारित न करने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1987 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान रिहायशी परिसम्पत्तियों के लिए रोहिणी में नियत दरें, तारीख 24-2-1988, 18-7-1989 और 6-12-1990 के परिपत्रों के तहत् अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से यथा अधिसूचित दरों के समान हैं। ये दरें इस प्रकार हैं :—

श्रेणी	सितम्बर, 87 से अगस्त, 88	सितम्बर, 88 से मार्च, 90	अप्रैल, 90 से मार्च, 91
	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर
ई. डब्लू एस. जनता	रु० 205/—	रु० 248/—	रु० 498/—
एल. आई. जी.	रु० 273/—	रु० 330/—	रु० 662/—
एस. आई. जी.	रु० 410/—	रु० 496/—	रु० 996/—

राजमहल परियोजना द्वारा मशीनों और कलपुर्जों का आयात

[हिन्दी]

3598. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजमहल परियोजना, लालमटिया (ज़िला साहिबगंज, बिहार) के लिए पिछले तीन

वर्षों के दौरान कितनी मशीनों और कल-पुर्जों का आयात किया गया और उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) किन-किन देशों से आयात किया गया तथा आयात किये गये मामले का गुणवत्ता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित मशीनरी का रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उसे भारी हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान जिन मशीनों और कल-पुर्जों को आयात करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान आयातित किए गए उपकरणों की संख्या, जिसमें उन पर किया गया व्यय भी शामिल है, को नीचे दर्शाया गया है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
उपकरण की संख्या	—	91	16
कनाडाई, डालर में कीमत	—	70954026.14 अथवा 114.58 करोड़ रु० (लगभग)	28873433.75 अथवा 52.35 करोड़ रु० (लगभग)

उपकरणों की कीमत में 2 वर्षों के दौरान उपभोग किए गए कलपुर्जे शामिल हैं।

(ख) इस परियोजना को कनाडा की सहायता प्राप्त है, अतः सभी उपकरणों का कनाडा से आयात किया गया है। उपकरणों की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार है और उनका कार्य-निष्पादन, कार्य-निष्पादन गारंटी के तहत है।

(ग) उपकरणों का अनुरक्षण संभरकों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इस संबंध में अभी तक किसी तरह की हानि होने की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान आयातित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण तथा कल पुर्जों को नीचे दर्शाया गया है :—

	कनेडियन डालर में
1. 100 टन एल. बी. ट्रेलर	187,323.00
2. कम्प्यूटर पद्धति	2210,879.00
3. एम एम एस और एम पी सी एस	953,000.00
4. स्टीटालोगर	39,000.00
5. ट्रेलिंग केबिल	280,198.20
6. कलपुर्जे	1000,000.00 (लगभग)
जोड़	46,70,400.20 (लगभग)

अथवा 11.54 करोड़ रु० (लगभग) की राशि विनिमय दर के वर्तमान स्तर पर अर्थात् एक कनाडाई डालर 24.70 रु० की दर पर।

फालतू भूमि पर अनधिकृत कब्जा

[अनुवाद]

3599. श्री प्रवीण डेका : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फालतू भूमि में जो भूमिहीन गरीबों के लिए नियत है, पर्याप्त क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस कब्जे की जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर डाली गई है जो इस भूमि का भूमिहीन गरीबों में वितरण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितने अधिकारी दोषी पाए गये और उनमें से कितने अधिकारियों को दंड दिया गया अथवा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारत सरकार को फालतू भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के बारे में समय-समय पर सूचित किया जाता रहा है।

(ख) से (ङ) राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे कानूनी खामियों को दूर करें और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त/दुरूस्त बनायें तथा अवैध कब्जे को हटाने के लिये कार्यवाही शुरू करें। राज्यों ने अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरते जाने के मामलों की सूचना नहीं दी है। इन उपायों को कार्य रूप देने की जिम्मेदारी पूर्णत: राज्य सरकारों की ही है

सीमेंट संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उपयोग

3600. श्री छीतु भाई गामीता : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु मध्यम तथा बड़े दर्जे के सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है और पिछले वर्ष में उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सीमेंट की राज्य-वार मात्रा कितनी है तथा 1992-93 के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान है, और

(ख) सरकार द्वारा अधिष्ठापित क्षमता से अधिक कार्य करने वाले सीमेंट उद्योगों के लिए प्रस्तावित पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर सीमेंट उद्योग के विकास हेतु कौन-सी योजना बनाई गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(क) बड़े तथा बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान सूचित की गयी सीमेंट संयंत्रों की संख्या, उनकी अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध I और II में दिए गए हैं।

वर्ष 1992-93 के लिए सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है।

(ख) सीमेंट उद्योग को आधारभूत सहायता अर्थात् कोयले, बिजली और कोयले व सीमेंट की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की उपलब्धता की कड़ी निगरानी की जाती है और जहां जरूरी होता है वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और निर्माता स्थापना-स्थल व पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करके अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

अनुबन्ध-I

बड़े सीमेंट संयंत्र

क्र० सं०	राज्य	एककों की संख्या	के अन्त में अधिष्ठापित क्षमता		उत्पादन	
			1990-91	1991-92 (अप्रैल से दिसम्बर)	1990-91	1991-92 (अप्रैल से दिसम्बर)
1	2	3	4	5	6	7
				(मी० टन लाख में)		
1·	दिल्ली	1	5.00	5.00	2.23	2.00
2.	हरियाणा	2	5.78	5.78	6.16	4.48
3.	हिमाचल प्रदेश	2	7.60	7.60	9.44	8.05
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1	2.00	2.00	0.84	0.76
5.	राजस्थान	10	60.62	60.62	49.01	38.76
6.	उत्तर प्रदेश	5	30.87	30.87	12.24	6.49
7.	बिहार	6	25.50	25.50	11.07	9.40
8	उड़ीसा	2	10.90	10.90	10.59	7.44

1	2	3	4	5	6	7
9.	पश्चिम बंगाल	2	8.70	8.70	4.05	3.65
10.	असम	1	2.00	2.00	1.30	0.85
11.	मेघालय	1	2.84	2.84	1.26	0.88
12.	तमिलनाडु	8	47.50	47.50	39.93	33.00
13.	आन्ध्र प्रदेश	18	107.70	107.70	78.31	67.20
14.	कर्नाटक	8	49.25	54.45	40.28	33.65
15.	केरल	1	4.20	4.20	2.25	2.15
16.	महाराष्ट्र	5	43.11	43.11	39.42	29.39
17.	गुजरात	10	50.47	50.47	39.47	30.98
18.	आन्ध्र प्रदेश	14	126.17	136.17	109.41	86.49
	योग :	97	590.21	605 41	457.56	365.63

विवरण

अनुबन्ध-II

बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों

आंकड़े लाख मी० टन में

क्र०सं०	राज्य का नाम	एककों की संख्या	क्षमता
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	9.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0.09
3.	असम	2	0.85
4.	बिहार	4	1.56
5.	गुजरात	17	8.14
6.	जम्मू और कश्मीर	2	0.53
7.	कर्नाटक	14	6.87
8.	मध्य प्रदेश	12	4.83
9.	महाराष्ट्र	2	1.08
10.	उड़ीसा	3	1.28
11.	राजस्थान	8	4.12
12.	तमिलनाडु	4	1.41
13.	उत्तर प्रदेश	2	0.80
			40.90

अप्रैल-नवम्बर, 1991 तक का

कुल सीमेंट उत्पादन—21-55 लाख मी० टन

कोल इण्डिया लि० द्वारा चलाई जा रही कोयला धोवनशालाएं

3601. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० क्षेत्रवार कितनी कोयला धोवनशालाएं चला रहा है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक कोयला धोवनशाला द्वारा कितनी मात्रा में "मिडलिंग कोल" तथा "स्लरी" का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या "स्लरी" तथा "मिडलिंग कोल" को उठाने के लिए कुछ लोगों के साथ स्थायी पट्टे के आधार पर प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० के अन्तर्गत 15 वाशरियां कार्यरत हैं। वाशरियों का कम्पनीवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

सहायक कम्पनी का नाम	वाशरियों की संख्या
(1) भारत कोकिंग कोल लि०	9
(2) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	5
(3) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1
जोड़ :	15

(ख) प्रत्येक वाशरी द्वारा अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान उत्पादित की गई मिडलिंग तथा स्लैरी की मात्रा नीचे दी गई है :

(क) भारत कोकिंग कोल लि०	(आंकड़े टन में) मिडलिंग	स्लैरी
1.	2.	3
1. दुग्दा-I	245000	32250
2. दुग्दा-II	391493	68225
3. भोजूडीह	7339	3148
4. पाथरडीह	*197325	—
5. लोडना	*52400	—
6. सुदामडीह	*369525	—
7. बरोरा	*60875	
8. मूनीडीह (24-2-92 तक)	178000	113000
9. महुदा	*54725	—
जोड़ :	1556682	216623

*(इन आंकड़ों में स्लैरी के आंकड़े शामिल हैं)

(ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० :		
1. कारगली	576000	—
2. कथारा	408422	85800
3. सवांग	256300	45600
4. गिद्डी	433950	80400
5. राजरप्पा	378225	71600
जोड़ :	2058897	283400
(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		
1. नंदन	147000	29400
जोड़ : को० इं० लि० (क+ख+ग)	3756579	529423

(ग) और (घ) भारत कोकिंग कोल लि० की वाशरियों के मामले में मिडलिंग्स का आमतौर पर प्रेषक विद्युत गृहों को किया जाता है। पाथरडीह और महुदा वाशरियों में मिडलिंग ग्रेड की स्लैरी को निजी पार्टियों और कोकरीज को जारी किया जाता है, जोकि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन कुछ सीमा तक किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की कारगली, कठारा, और गिद्दी वाशरियों के मामले में स्लैरी तालाबों में स्लैरी प्राप्त किए जाने और डम्पिंग यार्डों में डम्प किए जाने के लिए ठेकेदारों/सहकारी समितियों को नियोजित किया जाता है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की नन्दन वाशरी के मामले में स्लैरी के कुछ भाग को मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के वैशानिक विद्युत गृह को प्रेषित कर दिया जाता है और शेष स्लैरी को खुली निविदाओं के जरिए अन्य पार्टियों को दे दिया जाता है।

महानगरों में यातायात सुविधायें

[हिन्दी]

3602. **श्री गोविन्द राव निकाम : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में यातायात सुविधाओं आदि के लिए महानगर-वार क्या प्रावधान किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास मुम्बई के गन्दी बस्ती के विकास के लिए कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शहरी परिवहन राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने वार्षिक बजटों में इस प्रकार के परिवहन के लिए निधियां मुहैया करते हैं। तथापि, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास महानगरों में रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं :

(1) कलकत्ता	:	121 करोड़ रुपए
(2) बम्बई	:	32.40 करोड़ रुपए
(3) मद्रास	:	13 करोड़ रुपए

शहरी विकास मन्त्रालय के बजट के अन्तर्गत 1991-92 के लिए शहरी परिवहन संकाय निधि के लिए 5 करोड़ रुपए मुहैया किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) बम्बई के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों का विकास राज्य का विषय है। तथापि, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से बम्बई में मलिन बस्तियों के सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है :

(i) **विश्व बैंक द्वारा सहायतित बम्बई शहरी विकास परियोजना :**
कुल 282.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से बम्बई में यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है जिसमें मलिन बस्तियों के विकास के लिए 23.74 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ii) बम्बई के लिए प्रधान मन्त्री का अनुदान :

इस योजना के अन्तर्गत बम्बई में मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिए 22 करोड़ रुपये मुहैया किये गये हैं ।

(iii) नवें वित्त आयोग का अनुदान :

नवें वित्त आयोग ने एक बार की विशेष अनुदान सहायता के रूप में बम्बई में मलिन बस्ती उन्मूलन और मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये मुहैया किए जाने की सिफारिश की है । निधियों का रिलीज व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

गुजरात में पिछड़े जिले

[अनुवाद]

3603. रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात के कुछ और जिलों को पिछड़ा घोषित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्र द्वारा गुजरात में घोषित पिछड़े क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं :—अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकंठा, सुरेन्द्रनगर और डांग ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झरिया कोयला क्षेत्रों में आग

3604. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्रों में आग लगने से कोयले के भंडार नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आग बुझाने के प्रयास छोड़ने तथा झरिया कोयला खानों को त्याग देने का है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने से पूर्व झरिया कोयला क्षेत्र की 17-32 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में

बहुत पहले से ही 70 आगें लगी हुई थी। आग के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का ठीक रूप में अनुमान लगाया जाना कठिन है। किन्तु कोयला कम्पनियों ने इन आगों के कारण लगभग 37 मि० टन कोयले के भंडारों की क्षति होने का अनुमान लगाया है।

(ग) जी, नहीं। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से झरिया कोयला क्षेत्र की बड़ी आगों से निपटने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने के माध्यम से निरन्तर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 आगों को सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है और बकाया आगों को बुझाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा

3606. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की गई है और क्या इस प्रणाली में किन्हीं खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और कारगर बनाने तथा इसके कार्यकरण में खामियां दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री, जो नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण के प्रभारी मन्त्री भी है, की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबंधी एक परामर्शदात्री परिषद कर रही है, जिसमें सभी खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री, केंद्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और संसद के मनोनीत सदस्य शामिल हैं। इस परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती है। परिषद की पिछली बैठक (13वीं) 23/24 अगस्त, 91 को हुई थी। यह परिषद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करती है और अपनी बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के प्रस्तावों पर विचार करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारें इस प्रणाली की नियमित रूप से परिवीक्षा करती हैं तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को अन्यत्र भेजे जाने से रोकने के लिए जमाखोरों, कालाबाजारियों और अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाएं। इसके अलावा, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें, जिनमें उपभोक्ता, विशेष रूप से महिलाओं, स्वैच्छिक तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों।

कोर क्षेत्र का कार्य निष्पादन

3607. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर क्षेत्र के उद्योगों का कार्य निष्पादन हाल के वर्षों में असंतोषजनक रहा है, और

(ख) यदि हां, तो कोर क्षेत्र के उद्योगों का कार्य निष्पादन बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) और (ख) अप्रैल–जनवरी, 1991-92 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोर क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इससे यह पता चलता है कि अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान अप्रैल-जनवरी, 1990-91 की तुलना में ज्यादातर क्षेत्रों में वृद्धि हुई है ।

वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में एक मन्त्रिमण्डल समिति का गठन किया गया है जो अन्य समस्याओं के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करेगी और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उचित निदेश देगी ।

विवरण

कोर क्षेत्र कार्य-निष्पादन

क्र॰सं॰ क्षेत्र	उत्पादन अप्रैल-जन॰ 1990-91	उत्पादन अप्रैल-जन॰ 1991-92	% परिवर्तन अप्रैल-जनवरी 1991-92 अप्रैल-जनवरी 1990-91
1. पावर (बि॰यू॰)	218.042	236.846	8.6
2. कोयला (मि॰ टन॰)	160.750	177.920	10.7
3. बिक्री योग्य इस्पात (मि॰ टन॰)	7.502	8.216	9.5
4. सीमेंट (मि॰टन॰)	39.810	43.814	10.1
5. उर्वरक (मि॰ टन) (एन+पी) कुल	7.512	8.200	9.2
6. पैट्रोलियम [मि॰ टन]			
[1] कच्चा तेल	27.551	25.463	--7.6
[2] रिफाइनरी थ्रूपुट	42.952	42.190	—1.8

बि॰यू॰ : विलियन यूनिट एम॰टी॰—मिलियन टन

फिल्म का नाम । इंदुज 92. धी॰ के ।

सीमेंट का मूल्य

3608. श्री आर॰ जीवरत्नम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में अक्तूबर 1991 से दिसम्बर 1991 के दौरान सीमेंट का बिक्री मूल्य क्या था, और

(ख) संपूर्ण देश में फरवरी-मार्च, 1992 के दौरान सीमेंट का मूल्य क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) : 15 अक्तूबर, 1991, 15 नवम्बर, 1991, 16 दिसम्बर, 1991 और 14 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में सीमेंट के मूल्य इस प्रकार हैं :

	15-10-91	15-11-91	16-12-91	14-2-1992
दिल्ली	110-115	106-112	94-105	106-114
कलकत्ता	112-127	110-127	105-121	98-115
बम्बई	105-110	100-110	100-110	100-105
मद्रास	98-103	98-103	98-103	98-103

मारुति उद्योग लिमिटेड का निजीकरण

[हिन्दी]

3609. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने कम्पनी का निजीकरण किये जाने का विरोध किया है;

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड का निजीकरण किए जाने का क्या आधार है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्णय लेने से पहले कम्पनी के कार्यकरण की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में ज्ञान है और उसने मारुति उद्योग लिमिटेड के और आगे विकास को ध्यान में रखकर तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाने के लिए सुजुकी मोटर कारपोरेशन को अपनी इक्विटी 40% से बढ़ाकर 50% करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललिता पार्क के लिए भूमि

3610. **श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम'**
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ललिता पार्क, दिल्ली को भूमि आवंटित की थी और इस भूमि के लिए भुगतान के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भूमि का कब्जा कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्कूल चलाने के लिए शिक्षा निदेशालय को आवंटित किया गया भूखंड उन्हें नहीं सौंपा गया था क्योंकि भूमि अनधिकृत-अतिक्रमणाधीन थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दूसरे स्थल की शिनाख्त की गई है जिसमें क्षेत्र के भूमि उपयोग में परिवर्तन करना आवश्यक है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ औपचारिकताएं आरम्भ की गई हैं तथा इन औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् शिक्षा निदेशालय को स्थल आवंटित किया जाएगा।

वस्त्र उद्योग के लिए त्रिपक्षीय समिति का गठन

3611. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों ने वस्त्र उद्योग के अलावा अधिकांश उद्योगों में श्रमिक प्रबन्ध मंडलों के प्रतिनिधित्व और सरकार के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थाई समिति वस्त्र मन्त्रालय में भी गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री पवन सिंह घटोवार : (क) और (ख) श्रम मन्त्रालय ने सूती वस्त्र उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों का गठन किया है। सूती वस्त्र उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक 21 फरवरी, 1992 को आयोजित की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग की उत्तर पुस्तिकाओं की खुली बिक्री

3612. श्री राम सागर
श्री उदय वीर प्रताप सिंह } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से सम्बन्धित संघ लोक सेवा आयोग की उत्तर पुस्तिकाओं की ऊंचे प्रीमियम पर खुली बिक्री के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कदाचारों को रोकने और संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस मामले की भली-भांति पड़ताल की गई है और कदाचार संबंधी ऐसी कोई जानकारी देखने में नहीं आयी है जिससे कि हाल की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की सत्यनिष्ठा और गोपनीयता पर कोई आंच आती हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कई एक परीक्षाओं में एक समान कोरी उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाता है और इन उत्तर पुस्तिकाओं को मात्र लेखन सामग्री के रूप में ही माना जाता है और ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं। इसके अलावा 27 फरवरी, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में उद्धृत नमूने पर ऐसे कोई विशिष्ट संकेत चिन्ह अंकित नहीं है जिसे कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में इन उत्तर पुस्तिकाओं को उपयोग में लाए जाने से पूर्व चिन्हित किया जाता है। अतः इस आरोप में कोई सार नहीं है कि उत्तर पुस्तिका की फोटो-प्रति इसी परीक्षा की थी।

इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ

[अनुवाद]

3613. **श्री वी० कृष्ण राव**
श्री के० एच० मुनियप्पा } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ हैं,

(ख) कर्नाटक राज्य में इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ की कितनी कम्पनियां हैं,

(ग) क्या निकट भविष्य में कर्नाटक में इन कम्पनियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केवल एक ही इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ है जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी, 1992 से भारतीय उद्योग परिसंघ (सी० आई० आई०) कर दिया गया है।

(ख) कर्नाटक राज्य में सी० आई० आई० की 253 सदस्य कम्पनियां हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कर्नाटक में सी० आई० आई० के सदस्यों में लगभग 50% से अधिक सदस्य लघु औद्योगिक क्षेत्र से 30% सदस्य मझोले क्षेत्र से और 10% सदस्य बड़े क्षेत्र से हैं। निकट भविष्य में सी० आई० आई० की सदस्य कम्पनियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि सी० आई० आई० में मोटे तौर पर उद्योग की संपूर्ण छवि का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को राजसहायता में वृद्धि

3614. **श्री के० प्रधानी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 अप्रैल, 1992 से गरीबी रेखा को 11,000/- रुपये तक बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य वर्ग के लोगों में से प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राजसहायता देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को गतिविधियों के लिए 50 प्रतिशत राज सहायता (सबसिडी) दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 5000/- रुपए प्रति परिवार है । छोटे किसानों के लिए यह राज सहायता निवेश लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है । सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, गैर कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती है । छोटे किसानों कृषि मजदूरों, गैर कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों के वर्ग के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा गैर-सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में 3000/- रुपए प्रति परिवार है तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में यह 4000/- रुपए प्रति परिवार है ।

विदेश भेजने के लिए लोगों की भर्ती करने वाले अनधिकृत एजेंट

3615. **श्री राम निहोर राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विदेश भेजने के लिए लोगों की भर्ती करने वाले कितने अनधिकृत एजेन्ट हैं; और

(ख) ऐसे अनधिकृत एजेन्टों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) अनधिकृत विदेशी भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध जब कभी श्रम मन्त्रालय को शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें समुचित कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है । अनधिकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध वर्ष 1986 से 1990 के दौरान प्राप्त 1022 शिकायतों को पुलिस अधिकारियों के पास भेजा गया है ।

उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती का प्रभाव

3616. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती से बाजार में उर्वरकों के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे तथा सीमान्त कृषकों को यह छूट अब भी मिल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है तथा कृषकों की सहायतार्थ क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) बाजार में उर्वरकों के मूल्य 14 अगस्त, 1991 से उर्वरकों के मूल्य में औसतन 30 प्रतिशत की वृद्धि की सीमा तक प्रभावित हुए हैं ।

(ग) और (घ) लघु और सीमान्तरीय किसानों को संशोधन पूर्व दरों पर उर्वरक खरीदने के लिए सहायता देने की योजना 1991-92 के दौरान जारी है ।

हैदराबाद में रामचन्द्रपुरम में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकक

3617. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में रामचन्द्रपुरम में स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक प्रमुख उत्पादक एकक को कम आर्डर मिलने के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस एकक को कम आर्डर मिलने के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) "भेल" के रामचन्द्रपुरम हैदराबाद स्थित उत्पादन एकांश में इस समय थर्मल (ताप) सेटों, गैस टर्बाईन अनिम्न सेटों और आयल रिगों जैसे उनके उत्पादों के संबंध में क्रयादेश की स्थिति कमजोर है ।

(ग) और (घ) विनिर्माण--सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भेल और इसके एकांशों की क्षमता उपयोगिता की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है । इसके अलावा, भेल इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

1. निर्यात बढ़ाना;

2. संघ व्यवस्थाओं के साथ बोलियां लगाना;

3. उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से, व्यापार के नए क्षेत्रों में विविधीकरण करना ।

केरल में लघु उद्योगों को बढ़ावा

3618. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश**
श्री रमेश चेन्नितला } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार केरल में पंजीकृत लघु तथा मझौले उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उक्त राज्य में बड़े और मझौले उद्योगों की स्थापना हेतु कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) क्या वर्ष 199 -93 के दौरान सरकार ने केरल में ऐसे लघु एककों को बढ़ावा देने के लिए कोई निर्णय लिया है जो सहायक उद्योगों का भी विकास कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, केरल में लघु उद्योग विकास संगठन के सीमा क्षेत्र में आने वाले स्थाईतौर पर पञ्जीकृत लघु उद्योगों की अनन्तिम) संख्या 57738 थी।

(ख) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केरल में बड़े तथा मझौले उद्योग लगाने के लिए 1985 से 1990 के दौरान स्वीकृत आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1985	25	24
1936	17	18
1987	22	7
1988	22	5
1989	13	7
1990	7	4

(ग) और (घ) संसद में 6 अगस्त 1991 को रखे गये लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने व मजबूत करने संबंधी नीतिगत उपायों में यह उल्लेख किया गया है कि लघु सहायक एककों के जरिये तकनीकी आर्थिक जीव्यक्षम रूप में उत्पादन करने के लिए बड़े सरकारी/निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित हिस्से-पुर्जों, सघटकों, उप-सयोजनों आदि को बढ़ावा दिया जायेगा और विद्यमान लघु उद्योग विकास संगटनों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उद्योग परिसंघों को सब-कंट्रेक्टिंग केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ये प्रस्तावित उपाय केरल सहित देश के सभी लघु एककों के लिए लागू हैं।

सुल्तानपुर में विकास केन्द्र

[हिन्दी]

3619. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है और यदि हां; तो अब तक ऐसे कितने विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है,

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना किन स्थानों पर की गई है,

(ग) शेष विकास केन्द्रों की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार सुल्तानपुर में भी ऐसे विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जून, 1988 में एक विकास केन्द्र योजना घोषित की थी। उक्त योजना के अधीन 70 विकास केन्द्रों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 64 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गयी है। विकास केन्द्रों के नाम व स्थापना-स्थल अनुबन्ध में दिए गए हैं। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

विकास केन्द्रों का चयन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मामले में राज्य सरकार ने चयन के लिए सुल्तानपुर के नाम पर सुझाव नहीं दिया था।

विवरण

आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या—70

चुने गए विकास केन्द्रों की संख्या—64

विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2
आन्ध्र प्रदेश (4)	
1. हिंदपुर	अनतपुर
2. खम्मम (खेमसुर मंडल)	खम्मम
3. ओंगोले	प्रकाशम
4. विजयानगरम-बोबिली	विजयानगरम
असम (3)	
5. अखलाबंध	नौगांव
6. रंगजूली	गोलपाड़ा
बिहार (6)	
7. भागलपुर	भागलपुर
8. हजारीबाग	हजारीबाग
9. जासोरिया	औरंगाबाद
10. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
11. पूर्णिया काबा	पूर्णिया

1	2
गोवा (1)	
12. इलेक्ट्रोविकसिटी	वर्ना प्लेटू
गुजरात (3)	
13. गांधी ग्राम	कच्छ
14. पालनपुर	बनासकंठा
15. वागरा	भड़ौच
हरियाणा (2)	
16. बावल	महेन्द्रगढ़
17. जुलाना	जींद
हिमाचल प्रदेश (1)	
18. शिमला	शिमला
जम्मू और कश्मीर (2)	
19. गंदेरवाल	श्रीनगर
20. सम्भा	जम्मू
कर्नाटक (3)	
21. धारवाड़	धारवाड़
22. गिल्लेसूगर	रायचूर
23. हसन	हसन
केरल (2)	
24. चेरतलई	अलप्पी
25. तेलीचेरी	कनानूर
मध्य प्रदेश (6)	
26. बोराई	दुर्ग
27. चंदपुरा	गुना
28. घिरोंगी	भिण्ड
29. खेड़ा	धार
30. सतलापुर	रायसेन
31. सिलतारा	रायपुर
महाराष्ट्र (5)	
32. अकोला	अकोला
33. चन्द्रपुर	चन्द्रपुर

1	2
34. धुले	धुले
35. नांदेड़	नांदेड़
36, रत्नागिरि	रत्नागिरि
मणिपुर (1)	
37. कांगलाटोंकरी	सेनापति
नागालैंड (1)	
38. दीमापुर	कोहिमा
उड़ीसा (4)	
39. छत्रपुर	फ़ंखा
40. चिपलिमा	सम्बलपुर
41. चौदवार	कटक
पांडिचेरी (1)	
42. करायकल	पांडिचेरी
पंजाब (2)	
43. भटिंडा	भटिंडा
44. पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान (5)	
45. आबू रोड	सिरोही
46. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
47. बीकानेर	बीकानेर
48. झालाबार	झालाबार
49. धौलपुर	धौलपुर
तामिलनाडु (3)	
50. इरोड	पेरियार
51. मइलादुथररेड-पुम्पुयरेड	तंजाबुर
52. तिरूनेल्वेली (गंगाईकोन्डन नानूर ब्लाक)	तिरूनेल्वेलि—कट्टाबामन
त्रिपुरा (1)	
53. चम्पामुरा-जोगिन्दर टवगर मुले वगर	पश्चिम त्रिपुरा

1	2
उत्तर प्रदेश (8)	
54. बचोली-बुजुर्ग	झांसी
55. बन्धारा	शाहजहांपुर
56. चौधरपुर	मुरादाबाद
57. दिबियापुर	इटावा
58. खुर्जा	बुलन्दशहर
52. मुंगरा-सथारिया	जौनपुर
60. शहजंवा	गोरखपुर
61. शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल (3)	
62. दुबराजपुर	बीरभूम
63. जलपायगुरी	जलपायगुरी
64. मालदा	मालदा

×× प्रत्येक राज्य के सामने कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस राज्य को आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या दर्शाते हैं।

नेपाल में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम

[अनुवाद]

3620. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र को नेपाल में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम की स्थापना की अनुमति देने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उन कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्हें अनुमति दी जानी है,

(घ) क्या नेपाल सरकार इन कंपनियों को सक्षम और सुदृढ़ आधारभूत अवसंरचना, नियमित विद्युत आपूर्ति और प्रक्रियायें जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने नेपाल में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 14 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। इनमें से 9 उद्यमों में कार्य हो रहा है तथा शेष 5 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) तथा (ङ) औद्योगिक संयुक्त उद्यमों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए इन्डो-नेपाल संयुक्त आयोग के अधीन एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया गया जिसमें भारत और नेपाल के अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त आयोग ने टास्क फोर्स कीसिफारिशें स्वीकार कर लीं।

क्षेत्रीय भेदभाव

3621. **श्री रूप चन्द पाल : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में 1961 से 1981 के दौरान प्रति व्यक्ति आय और कृषि श्रमिकों की उत्पादकता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) क्या योजना आयोग के अध्ययन ने इस बात का खुलासा किया है कि पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है जबकि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों ने विकास किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) योजना आयोग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1985 में प्रस्तुत की थी। दल ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि-उत्पादकता का अध्ययन किया तथा इसके 1970-73 से 1980-82 तक की अवधि शामिल थी। उत्पादकता को निबल बोए गए क्षेत्र की प्रति इकाई उपयोगिता के रूप में मापा गया। 1961 से 1981 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कृषि मजदूर की प्रति व्यक्ति आय तथा उत्पादकता का अध्ययन नहीं किया गया।

(ख) तथा (ग) योजना आयोग पचवार्षिक रूप से राज्यवार गरीबी के प्रभाव-क्षेत्र का अनुमान लगाता है वर्ष 1972-73 (प्रथम सरकारी अनुमान) तथा वर्ष 1987-88 के अनुमान (नवीनतम) सारणी-1 में प्रस्तुत किए गए हैं : यह देखा जा सकता है कि उल्लिखित अवधि में सभी राज्यों तथा क्षेत्रों में गरीबी के प्रभाव-क्षेत्र में कमी आई है।

(घ) सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन में तथा गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने में तुलनात्मक रूप से अधिक गरीब राज्यों का पक्ष लेने की नीति को जारी रखा जाए।

विवरण

क्षेत्र	राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत					
		1972-73			1987-88		
		ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	55.8	43.4	54.5	42.7	30.0	40.8
	उड़ीसा	71.0	43.3	68.6	48.3	24.1	44.7
	पं० बंगाल	64.0	35.9	56.8	30.3	20.7	27.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम	48 2	33.8	47.0	24.5	9.4	22.8
केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	61.4	44.8	58.6	41.5	21.4	36 7
	उत्तर प्रदेश	53.0	51.6	52.8	37.2	27.2	35.1
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	43.9	34.0	41.1	21.2	12.9	18.4
	महाराष्ट्र	53.9	34 3	47.7	36.7	17.0	29.2
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	21.5	29.9	23.1	11.7	11.7	11.6
	हिमाचल प्रदेश	15.5	12.5	15.1	9.7	2.4	9.2
	जम्मू व कश्मीर	36.1	51.6	39.0	15.5	8.4	13.9
	पंजाब	21.5	21.8	21.5	7.2	7.2	7.2
	राजस्थान	47.5	39.3	46.0	26.0	19.4	24 4

दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	57.7	43.8	54.9	33.8	26.1	31.7
	कर्नाटक	52.3	45.8	50.5	35.9	24.2	32.1
	केरल	57.8	52.7	56.9	16.4	19.3	17.0
	तमिलनाडू	63.0	52.2	59.7	39.5	20.5	32.8
छोटे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (+)		37.6	26.7	30.2	11.8	4.7	7.7
अखिल भारत		54.1	41.2	51.5	33.4	20.1	29.9

टिप्पणी : (+) नागालैंड तथा समग्र संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित 1972-73 के लिए अनुमान

टायरों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

3622. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरो ने वर्ष 1983-86 के दौरान मोटर-वाहनों के टायरों में मूल्य वृद्धि की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिश पर थोक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट प्रकार के ट्रक व बस टायरों को कम सीमा शुल्क की दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रख दिया है ताकि इन टायरों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानक

3623. श्री विनय कटियार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो प्रत्येक वर्ष पूर्व मानकों में संशोधन करके नए मानक निश्चित करता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किए गए ऐसे मानकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन मानकों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की योजना को अब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित मानकों की संख्या नीचे दी गई हैं :

प्रकाशित मानक

वर्ष	कुल	नए	संशोधित
1988-89	831	501	330
1989-90	763	425	338
1990-91	755	439	316

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो में एक हिन्दी मानक प्रकाशन सलाहकार समिति है, जो हिन्दी में प्रकाशन हेतु मानकों का चयन करती है। जब मानक निर्माण के चरण में ऐसे मानकों की पहचान की जाती है, तब उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है। यदि पहले प्रकाशित हो गए मानकों को अनुवाद हेतु पहचान की जाती है तो उनके अनुवाद अलग से प्रकाशित किए जाते हैं।

(ङ) लागू नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

3624. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक आवास सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो 1992 तक कितने मकान उपलब्ध कराये जाने की संभावना हैं; और

(ग) शेष कर्मचारियों को कब तक मकान दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री एम० अरुणाचलम : (क) केन्द्रीय सरकार के पास पहले से ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण पूल वास के निर्माणार्थ एक योजना है।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान दिल्ली में पूर्ण हुए/पूर्ण होने वाले क्वाटरों की संख्या नीचे दी गई है :—

(i) सरदार पटेल मार्ग पर टाईप-V के क्वार्टर	—	21
(ii) पिंजरापोल में टाईप IV के क्वार्टर	—	256

(ग) आवंटन वर्ष 1992-93 के लिए आमन्त्रित किए गए सीमित आवेदनों के अनुसार लगभग 35000 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नियमित वास और 1635 कर्मचारी होस्टल वास के आवंटनार्थ प्रतीक्षारत हैं। साधारण पूल वास का और अधिक निर्माण कार्य आरम्भ करना भविष्य में निधियों के नियतन पर निर्भर करेगा। इसलिए वह समय-सीमा व्यक्त करना सम्भव नहीं है कि कब तक शेष कर्मचारियों को वास मुहैया किया जा सकता है।

लक्षद्वीप के लिए रोजगार की सम्भावना

[अनुवाद]

3625. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए सातवीं योजना के दौरान क्षेत्रवार रोजगार सम्भावना के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं योजना में लक्षद्वीप समूह के लिए रोजगार की कितनी संभावनायें निर्धारित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कियान्विन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं में रोजगार के लिए लक्ष्य एवं संभावनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के योजना दास्तावेज में उपलब्ध सूचना सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के तहत सृजित सतत रोजगार के अनुमान 826 व्यक्तियों के रूप में दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान निर्माण चरण में सृजित किया गया अनुमानित रोजगार 17.70 लाख मानव दिवस था। (स्कीम वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं)।

आठवीं योजना के दौरान 9400 रोजगार के अवसर पैदा किए जाने का अनुमान लगाया गया है। (क्षेत्रवार ब्यौरे अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं) तथापि अनुमान प्रस्तावित परिव्ययों से संबद्ध है जिन्हें अन्तिम रूप देते तथा समय संशोधित किया जाता है।

विवरण

क्षेत्रक	रोजगार	
	सतत (नियमित व्यक्ति)	निर्माण चरण में (लाख मानव दिवस)
1. कृषि एवं संबद्ध	72	0.96
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्र	9	1.12
3. ऊर्जा	57	0.95
4. उद्योग एवं खनिज	41	0.57
5. परिवहन	69	3.18
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5	
7. सामान्य आर्थिक सेवाएं	26	0.53
8. सामाजिक सेवा	377	10.32
9. सामान्य सेवाएं	170	0.07
जोड़	826	17.70

स्रोत : प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) लक्षद्वीप

विवरण

लक्षद्वीप में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सृजित किए जाने वाले रोजगार के अनुमान

क्षेत्रक	अनुमानित रोजगार सम्भावना
कृषि	1741
पशुपालन	1591
मछली पालन	802
पत्तन	928
पर्यटन	1637
उद्योग	674
अन्य	2027
जोड़	9400

स्रोत : प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)—लक्षद्वीप

गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खनन के नए क्षेत्र

3626. **श्री मोहन रावले**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी } : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट खानें खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कोल इण्डिया लि० के अन्तर्गत चल रही कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) वर्तमान कोयले का खनन कार्य (जिसमें लिग्नाइट खनन कार्य शामिल है), केवल गृहीत खनन तथा लौह एवं इस्पात उद्योग के उपयोग के लिए खनन कार्य और ऐसे छुट-पुट क्षेत्रों में खनन कार्य, जोकि आर्थिक विकास के लिए उपयोगी नहीं है और जिनमें रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है, को छोड़कर के लिए उपयोगी नहीं है और जिनमें रेल परिवहन अपेक्षित नहीं हैं, को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

कोयले/लिग्नाइट के खनन कार्य में निजी क्षेत्र को भागीदारी दिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण ब्यूरो के अधिकार

3627. **डा० वसन्त रंगपी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण ब्यूरो को सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के परिसमापन को सिफारिश करने अथवा इसके आदेश देने के अधिकारों से वंचित करके उसे इन इकाइयों के केवल पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव भेजने का अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इकाईयों के पुनरुद्धार हेतु सरकार का श्रमिकों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, जहां औद्योगिक रुग्णता बहुत अधिक है, के लिए एक पृथक शाखा की स्थापना करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन मण्डल, जिसके पास सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उद्यम भेजे जा रहे हैं, ऐसे एककों को पुनरुद्धार के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों से सलाह कर सकता है।

(घ) जी, नहीं।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रम अधिनियम के अधीन मामले

3628. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रम अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के विरुद्ध राज्य-वार कितने मामले चलाए गए;

(ख) इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कितने ठेकेदारों को दण्डित किया गया; और

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों के विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत

ठेकेदारों के विरुद्ध 34 मामले दायर किए गए। राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अधिनियम के उल्लंघन के लिए 27 ठेकेदारों को दंडित किया गया।

(ग) जी, नहीं।

लोनी रोड को चौड़ा करना

[हिन्दी]

3629. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा, जी० टी० रोड से आगे लोनी रोड को चौड़ा और विकसित करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क को कितना चौड़ा करने का विचार था और क्या योजना के अनुसार सड़क चौड़ा करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 435 मीटर से आगे इस मार्ग को 1.5 मीटर की मध्य पट्टी के साथ 7.5 मीटर प्रत्येक के दो यानीय मार्गों के रूप में चौड़ा करने का प्रस्ताव था। तथापि, भूमि आदि की अनुपलब्धता के कारण सड़क के कतिपय हिस्सों में अपेक्षित चौड़ाई का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों के आयात पर व्यय

3630. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 की अपेक्षा वर्ष 1992-93 के दौरान खाद्य तेलों के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी राशि कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए खाद्य तेलों के आयात तथा उनकी मात्रा के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काउन्टर मैगनेट शहरों का विकास

3632. **भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी, दिल्ली से लगने वाले काउन्टर मैगनेट-शहरों के विकास की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने काउन्टर मैगनेट शहरों के निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आगरा (फिरोजाबाद) को राजधानी दिल्ली का काउन्टर मैगनेट शहर घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार तथा अनुमोदित की गई क्षेत्रीय योजना 2001-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित पांच सम सुविधा सम्पन्न देशों के विकास की परिकल्पना की गई है :

(1) पटियाला,	पंजाब
(2) हिसार,	हरियाणा
(3) बरेली,	उत्तर प्रदेश
(4) कोटा,	राजस्थान
(5) ग्वालियर,	मध्य प्रदेश

(ग) समसुविधा सम्पन्न क्षेत्रों के निर्धारण के लिये निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गये :

(1) नोडालिटी पर विचार।

(2) स्थानिक विचार

(3) आकार तथा व्यवहार्यता पर विचार

(4) दूसरा तथ्य यह था कि सम सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों को प्रवसन प्रवाह को रोकने के लिए भावी रोधकों के रूप में और शहरीकरण का सन्तुलित ढांचा प्राप्त करने के लिए अपनी स्थापना के क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में भी कार्य करना चाहिये।

(घ) सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय राजसहायता योजना

[अनुवाद]

3633. प्रो० श्रीमती रीता वर्मा
श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री अन्ना जोशी
श्री चेतन पी. एस. चौहान

: क्या प्रधानमन्त्री 24 जुलाई 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना पुन: आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता; और

(ग) लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों को ध्यान में रखते हुए जिसमें ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में आसानी के लिए लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (प्रौद्योगिकीय सहायता सेवा सहित) की एक नयी योजना भी शामिल है, सरकार ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लघु एककों के लिए एक केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना आरंभ करना जरूरी नहीं समझती।

दिल्ली में भूमि की दरें

[हिन्दी]

3634. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के विभिन्न भागों में भूमि का बाजार मूल्य नए सिरे से निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के प्रत्येक भाग में आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की क्या नई दरें निर्धारित की गई हैं;

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) इन दरों को कब से लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने नई दरें निर्धारित करते समय जनता की टिप्पणियां मांगी थीं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) 1-4-1992 से लागू भूमि की दरों के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग), (घ) (ङ) तथा (च) पूर्व निर्धारित रिहायशी दरें पूर्ववर्ती अधिसूचित दरों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी मूल्यों में यथा परिक्षिप्त बाजार प्रवृत्ति और आय-कर प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जाती है। पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक दर, केन्द्रीय अंचल को छोड़कर, जहां यह दुगुनी है, रिहायशी दर से दुगुनी निर्धारित की जाती है।

भूमि तथा विकास कार्यालय के नियंत्रणाधीन सरकारी भूमि के लिये भूमि दरें ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाती है। जनता के विचार आमंत्रित नहीं किए जाते हैं।

मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये शफरी मत्स्य पालन

[अनुवाद]

3635. **श्री माग्ये गोवर्धन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु शफरी मत्स्य पालन के लिये जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं ने अब तक कितनी प्रगति की है : और

(ख) इस सम्बन्ध में विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के लिये कोई प्रयास किये जा रहे हैं, तो वे क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और ख) बायोटेक्नोलाजी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकीय साधनों का प्रयोग करते हुये भारतीय प्रमुख शफरी मछलियों एव उनकी संकर प्रजापतियों के अधिक मात्रा में मण्डारण के साथ 25 टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष तक शफरी मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने के लिये 1989 में गहन शफरी संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया था। प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों के लिये क्रमश: 10 और 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जा सका है। केन्द्रीय स्वच्छ जल एवं जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर में 26-9-1991 को स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से देश में पहली बार 1578 टन प्रति हेक्टेयर मछली की पैदावार की गई, जो उत्पादन-लक्ष्य से अधिक है।

यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं कृषि मन्त्रालय के पूर्ण सहयोग से सफलता-पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य कृषि एवं मत्स्य पालन विभाग भी इससे सम्बद्ध है। यह परियोजना पूर्णत: स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर आधारित है और इसके लिये कोई विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात नही किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्य और रहन-सहन की स्थिति

3636. **श्री माग्ये गोवर्धन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों की कार्य और रहन-सहन की स्थितियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के क्या-क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इनके कार्य और जीवन-यापन स्थिति में सुधार लाने हेतु ऐसे निष्कर्षों के आधार पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) जी, हां। श्रम ब्यूरो देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिक के कार्य व रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण करता है। ब्यूरो ने अब तक प्रत्येक श्रेणी से संबंधित कर्मकारों के 4 अध्ययन आयोजित किए हैं; इन अध्ययनों के निष्कर्ष श्रम ब्यूरो की सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट, नीति निर्धारण और कारंवाई कार्यक्रमों के प्रयोग के लिए सरकार और जनता को उपलब्धता करवाई जाती है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भूमि

3637. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जामिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा अपने परिसर को विकसित करने के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान को मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कितनी भूमि अधिगृहित की जाएगी अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि को विश्वविद्यालय को सौंपने का विचार है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1992 तक वास्तव में कितनी भूमि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी जायेगी; और

(घ) शेष भूमि को हस्तांतरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 94.68 एकड़

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कैम्पस की बृहद योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

3638. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे और उनमें कुल कितने प्रशिक्षणार्थी थे;

(ख) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितने प्रशिक्षणार्थी थे और उनमें राज्य-वार कितने प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदायों के थे ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत देश में राज्यवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या तथा उनमें प्रशिक्षण सीटों की कुल संख्या को दर्शाने वाले विवरण क्रमशः अनुबंध I व II पर सलग्न हैं।

(ख) एवं (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

31-7-1990 के अनुसार

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	औ. प्र. सं./औ. प्र. केन्द्रों की कुल संख्या	प्रशिक्षण सीटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	263	40.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	204
3.	असम	21	4,140
4.	बिहार	33	13,502
5.	गोवा	15	2,844
6.	गुजरात	137	24,860
7.	हरियाणा	106	14,432
8.	हिमाचल प्रदेश	32	3,392
9.	जम्मू और कश्मीर	32	3,532
10.	कर्नाटक	171	19,256
11.	केरल	248	36,446
12.	मध्य प्रदेश	68	17,040
13.	महाराष्ट्र	210	45,288
14.	मणिपुर	6	496
15.	मेघालय	3	512
16.	मिजोरम	1	240
17.	नागालैंड	3	320
18.	उड़ीसा	26	5,936
19.	पंजाब	112	17,600
20.	राजस्थान	58	6,592
21.	सिक्किम	1	112
22.	तमिलनाडु	279	30.802
23.	त्रिपुरा	3	528
24.	उत्तर प्रदेश	237	49,216
25.	पश्चिमी बंगाल	28	9,860
26.	अण्डमान और निकोबार	1	64
27.	चण्डीगढ़	3	896
28.	दादर नगर हवेली	1	176
29.	दमन व द्वीप	2	288
30.	दिल्ली	31	7,368
31.	लक्षद्वीप	1	64
32.	पांडिचेरी	4	496
	योग	2,137	3,55,602

विवरण-II

1991-92 के दौरान राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्राधिकार में देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या और उनमें प्रशिक्षण सीटों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण। 31-07-91 के अनुसार

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	औ. प्र. सं./औ. प. केन्द्रों की कुल संख्या	प्रशिक्षण सीटों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	266	40292
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	240
3.	असम	21	4,232
4.	बिहार	36	13,928
5.	गोवा	15	2,944
6.	गुजरात	154	26,214
7.	हरियाणा	107	14,436
8.	हिमाचल प्रदेश	32	3,392
9.	जम्मू और कश्मीर	32	3,532
10.	कर्नाटक	180	20,184
11.	केरल	255	41,996
12.	मध्य प्रदेश	68	17040
13.	महाराष्ट्र	228	46,688
14.	मणिपुर	6	496
15.	मेघालय	4	556
16.	मिजोरम	1	240
17.	नागालैंड	3	404
18.	उड़ीसा	26	5,936
19.	पंजाब	112	17,600
20.	राजस्थान	59	6,644
21.	सिक्किम	1	144
22.	तमिलनाडु	301	31,762
23.	त्रिपुरा	3	528
24.	उत्तर प्रदेश	250	50,288
25.	पश्चिम बंगाल	30	1,100
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	176
27.	चंडीगढ़	3	912
28.	दादर व नागर हवेली नगर	1	192
29.	दमन और दीव	2	288
30.	दिल्ली	36	7936
31.	लक्षद्वीप	1	64
32.	पांडिचेरी	4	496
	योग	2,240	3,69,880

रुग्ण उद्योगों को बंद करना

3639. **श्री के० वोक्का राव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध शासकीय परिसामापक कार्यालयों में अपर्याप्त कर्मचारी होने के कारण सरकार की "एक्जिट पोलिसी" लागू करने में अड़चनें आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो रुग्ण उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन, नियोक्ता को अभीष्ट बन्द करने की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले उपयुक्त सरकार को आवेदन करना पड़ता है। यदि उपयुक्त सरकार आवेदन की तारीख से साठ दिनों की अवधि में अनुमति देने के आदेश को सूचना नहीं देती है तो आवेदित अनुमति साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर स्वीकृत समझी जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में घाटा

3640. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन आंकड़ों के अनुसार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में कुल संचित घाटा कितना है;

(ख) इन घाटों के क्या कारण है;

(ग) क्या कारपोरेशन के पास "पेपर बोर्ड" और अखबारी कागज सहित 45 करोड़ रुपये के कागज उत्पाद बिना बिके पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) कागज और कागज उत्पादों के बिना बिके स्टाक को निपटाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) फरवरी, 1992 तक संचित घाटा 387 करोड़ रुपये (अनन्तिम और गैर-लेखा परीक्षित) है।

(ख) आधार संरचनात्मक और प्रचालनात्मक समस्याएं जो मुख्यत: बिजली, परिवहन तथा जनशक्ति से सम्बन्धित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निधियों की कमी के कारण राज्य सरकारों से कम क्रयादेश प्राप्त होना, धन की कठिन समस्या के कारण बड़े खरीददारों द्वारा खरीददारी, तथा सस्ते किस्म केरूप आयातित अखबारी कागज की उपलब्धता।

(ङ) बड़े उपभोक्ताओं को उधार की सुविधा तथा अन्य प्रोत्साहन।

एच एम. टी. घड़ियों की मरम्मत की दुकानों का बन्द किया जाना

3641. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने बिक्री संबधी कार्यों के निजीकरण के भाग के रूप में संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित अपने शोरूम में घड़ी मरम्मत काउन्टर बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह लाभकारी कार्य निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में ये तथाकथित अधिकृत बिक्री और सेवा एजेन्ट छोटी-सी मरम्मत। कार्य के भी अत्यधिक और मनमानी दर से पैसे वसूल कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का राजधानी में अपने विद्यमान शोरूम में मरम्मत की दुकान पुन खोलने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और देश में अन्यत्र, एच० एम० टी० के अधिकृत सेवा एजेन्टों की नियुक्ति कम्पनी के मानदण्डों के अनुसार, उनके पास मरम्मत के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उपकरणों को ध्यान में रखकर की जाती है। साथ ही एच० एम० टी० के पास, विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्यों के शुल्कों की एक निर्धारित मानक अनुसूची है।

(घ) उपरोक्त "क" में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों के आयात के लिए धनराशि

3642. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के तुरन्त ऋण के लिए 2000 करोड़ रुपये (800 मिलियन डालर) की धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन उर्वरकों का किसानों से क्या मूल्य लिया जाएगा तथा उनको इनका वितरण तथा विक्रय किस प्रकार किया जाएगा; और

(घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां जिन उर्वरकों के मामले में हम पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है उनके आयात के वित्त प्रबन्धन के लिए विदेशी मुद्रा अपेक्षित है।

(ग) उर्वरक का प्रतिदिन अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और उर्वरक की खपत मूल्य देश भर में एक समान है। आयातित उर्वरक के मूल्य में उतार चढ़ाव सरकार द्वारा वहन किया जाता है और उसका किसान द्वारा भुगतान किये जाने वाले मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उर्वरक सहकारी और सार्वजनिक दोनो क्षेत्र मे विक्रेताओं के जरिये देश भर में वितरित किया जाता है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में नये संयंत्र स्थापित करने तथा कुछ वर्तमान एककों के विस्तार की परिकल्पना है। कुछ वर्तमान संयंत्रों के आनुनिकीकरण, पुनर्वास एव रेट्रोफिटिंग पर भी उत्पादन बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को परिवहन राज सहायता

3643. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के परिवहन राजसहायता संबंधी दावे केन्द्रीय सरकार के पास लबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दावों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) परिवहन राज सहायता योजना के तहत अण्डमान तथा निकोबार केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा 2, 79, 15, 674/- रुपये के दो दावे भेजे गये हैं। उचित दावों का भुगतान धन उपलब्ध होने पर कर दिया जायेगा।

कर्नाटक में औद्योगिक विकास केन्द्र

3644. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों का आबंटन किया गया और ये कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार का विचार बेलगांव में भी औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर भी औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(च) विकास केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के अधीन, कर्नाटक को तीन विकास केन्द्र अर्थात, धारवाड़, हसन तथा रायचूर आवंटित किये गये हैं।

विकास केन्द्रों का चयन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों के "प्रस्तावों में बेनगांव शामिल नहीं है। कर्नाटक के 3 विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन किया जा चुका है और प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दे दी गई है।

ब्लाक स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्माल स्केल प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

3645. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्माल स्केल प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशनों ने केन्द्रीय सरकार से प्लास्टिक के कच्चे माल के निबंन्धित मूल्य को तर्कसंगत बनाने और इन पर लगने वाले बिक्री कर को कम करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विभिन्न प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशनों ने प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के मूल्यों को तर्कसंगत बनाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

(ग) बजट प्रस्तावों में प्लास्टिक की विभिन्न कच्ची सामग्रियों व उनके मध्यकों पर सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क की पुनः संरचना करके इस बारे में पहले ही कार्रवाई कर ली गयी है।

कर्नाटक में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाने का आधुनिक संयंत्र

3646. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिप्टन इंडिया लिमिटेड कर्नाटक के धारवाड़ में आधुनिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाने का संयंत्र स्थापित कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति दे दी है,

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(घ) इस संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) लिप्टन इंडिया लिमिटेड से धारवाड़ में प्रसंस्कृत खाद्य बनाने का आधुनिक संयंत्र लगाने के लिए 1988 से 1992 (29-2-92 तक) के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापित, उपर्युक्त मद को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और सरकार से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवास वित्त कम्पनियां

3647. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास वित्त कम्पनियों को संसाधनों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे मुद्रा प्रणाली की मांगों के अनुरूप ब्याज दर प्रणाली को लचीला बनवाना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता एक ऐसी प्रमुख बाधा है जिसका सामना आवास वित्त कम्पनियों को करना पड़ता है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचित किया गया है कि आवास वित्त संस्थान रेहन प्रणाली की परिवर्तनीय दर की मांग करते रहे हैं तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ इनके विचार-विमर्श के दौरान यह मांग उठाई गई है।

आई० आर० एस०-1 बी० उपग्रह

3648. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी निर्मित द्वितीय दूर संवेदी उपग्रह आई० आर० एस०-1 बी० ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे उपग्रह प्रौद्योगिकी में देश को एक विशेषज्ञता हासिल हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अगस्त 29, 1991 को छोड़ा गया आई० आर० एस०-1 बी० उपग्रह, देश में प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध के विविध उपयोग के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन सेवाए प्रदान करने के लिए छोड़े गये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की शृंखला में द्वितीय उपग्रह है। अपने पूर्ववर्ती आई० आर० एस०-I ए० के समान आई० आर० एस०-1 बी० उपग्रह एक अत्याधुनिक त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत उपग्रह है, जिसे समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रहों की समतुल्य प्रौद्योगिकी से स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। उपग्रह में रखी उप-प्रणालियों के श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन तथा आई० आर० एस०-I बी० कैमरों से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिबिम्बकियों ने इस उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्जित देश की विशेषज्ञता को सिद्ध किया है। आई० आर० एस०-ए० उपग्रह ने इसमें रखी सभी प्रणालियों के संतोषप्रद कार्यकरण सहित तीन वर्षीय प्रचालनात्मक कालावधि से अधिक कक्षीय

प्रचालन को सफलतापूर्वक जारी रख कर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जटिल उपग्रहों के निर्माण और प्रबन्ध में भारत की सामर्थ्यता को प्रमाणित कर दिया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धनराशि का उपयोग

3649. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई पर्याप्त राशि का उपयोग योजनाओं के लिए न करके अन्य प्रयोजनार्थ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः यह धन कितना है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) सरकार को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की निधियों का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग के बारे में किसी विशेष मामलों की जानकारी नहीं है। तथापि, जवाहर रोजगार योजना जैसे मन्त्रालय के कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। चूंकि, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बड़ी संख्या में एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए कुछ मामलों में निधियों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ हो सकता है।

(ख) उपरोक्त के सन्दर्भ में शिकायतों के मामले में, मन्त्रालय निरन्तर उन्हें उचित जांच और कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज देता है। गरीबी उन्मूलन के लिए निधियों के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग की संभावनाओं को कम करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मार्गदर्शिकाओं की समीक्षा की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और आबंटियों को घाटा

[हिन्दी]

3650. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और आबंटियों को कोंडली परिसर में भारी घाटा हुआ है जैसा कि 21 जनवरी, 1992 के 'जनसत्ता" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोंडली घरोली में स्व वित्त पोषित योजना के मकानों के

सम्पादन में विलम्ब हुआ है। तथापि, स्व वित्त पोषित योजना के उपबन्धों के अनुसार यदि 2 वर्ष की अवधि के अन्दर आबंटी को फ्लैट नहीं मिलता है तो मकानों का निर्माण पूरा न किया जाने की स्थिति में तत्पश्चात् 2½ वर्ष की सीमातीत अवधि से अन्तिम मांग पत्रों को जारी करने की तारीख तक प्रथम छः महीनों के लिए 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से तथा तत्पश्चात 10% वार्षिक दर से जमा राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

डिजाइन समस्याओं का समाधान करने में लगे समय के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ था। अब समस्याओं का समाधान हो गया है तथा कार्य की गति को बढ़ाने तथा अधिकतम सम्भव सीमा तक विलम्ब की कसर निकालने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना को दिसम्बर, 1993 तक पूरा किये जाने की आशा है।

खाद्य तेलों की कीमतें

[अनुवाद]

3651. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
डा० ए० के० पटेल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेपसीड तथा सरसों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकारी खाद्य तेलों का आयात कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जमाखोरों तथा सट्टेबाजों और मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए गये अभियान का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) तिलहन उत्पादन में कुल मिलाकर प्राप्त की गई नियमित प्रगति और साथ ही रेपसीड तथा सरसों के सम्भावित रिकार्ड उत्पादन के बावजूद खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बना हुआ है। इस अन्तर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य तेलों की उपलभ्यता तथा मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखें और जमाखोरी-विरोधी अभियान चलाएं। खाद्य तेलों के विक्रेताओं/संसाधकों तथा विनिर्माताओं द्वारा रखी जाने वाली तिलहनों तथा तेलों की स्टाक की सीमाएं लगातार निम्न पैमानों पर जारी हैं। भंडारण नियन्त्रण आदेश को सख्ती से लागू किया जा रहा है और खाद्य तिलहनों व तेलों के जमाखोरों व कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।

मध्यस्थता बोर्ड (संयुक्त सलाहकार तंत्र) द्वारा दिये गए पंचाटों पर निर्णय

3652. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता की योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये मध्यस्थता बोर्ड द्वारा सेवा निवृत होने पर तथा सेवा के दौरान अर्द्ध वेतन अवकाश का नकद भुगतान करने के बारे में दिये गये पंचाटों पर कोई निर्णय किया है;

(ख) (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) (ख) और (ग) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर अर्द्ध वेतन अवकाश का नकद भुगतान करने तथा सेवा के दौरान अर्जित अवकाश (न कि अर्द्ध वेतन अवकाश) का नकद भुगतान करने के सम्बन्ध में मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गये निर्णय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कारंवाई की जा रही है । इस मामले पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है ।

पेट्रो रसायन परियोजनाओं की स्थापना

[हिन्दी]

3653. **श्रीमती शीला गौतम**
श्री तेज नारायण सिंह } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान किन-किन राज्यों ने अपने यहां पेट्रोरसायन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजे थे, और

(ख) किन-किन राज्यों ने पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर और सीधी सहभागिता का प्रस्ताव किया था ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) (क) और (ख) 7वीं योजना के दौरान अधिकतर राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किसी न किसी पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिए थे । किन्तु ऐसी किसी भी परियोजना में केन्द्रीय सरकार की 40% इक्विटी भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ ।

तेलों का मिश्रण

[अनुवाद]

3654. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल में विभिन्न तेलों का मिश्रण करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाने वाले तेलों की गुणवत्ता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर समझते हुए किस प्रकार के तेलों का मिश्रण करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। सरकार ने किन्हीं भी दो खाद्य वनस्पति तेलों के सम्मिश्रण को, मानव शरीर के लिए स्वास्थ्यकर हों, अनुमति दी है।

खाद्य तेलों का आयात

[हिन्दी]

3655. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1992 के "औबजर्वर आफ बिजनिस पालिटिक्स" नई दिल्ली में फैल्योर आफ वोलन्टरी प्राइस स्कीम प्रोम्पटेड आयल इम्पोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) तीन लाख टन खाद्य तेल का आयात किस स्थिति में है, इसका कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(ङ) स्वैच्छिक मूल्य निर्धारण योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान सरसों और अरण्डी की कितनी फसल होने का अनुमान है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), (ख), (ग) और (ङ) मूंगफली के तेल के मूल्यों पर स्वैच्छिक मूल्य निर्धारण की कोई योजना अथवा अधिकतम सीमा नहीं थी। व्यापारियों ने सरकार की अपील पर केवल सकारात्मक रुख अपनाया था और खुदरा स्तरों पर खुले मूंगफली के तेल की कीमत प्रति कि० ग्रा० 4 रु० से 5 रु० तक घटाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अहमदाबाद और बम्बई में मूल्य पुन: व्यापारियों के नियंत्रण के बाहर हो गए और अन्ततः उन्होंने अपनी विवशता जाहिर कर दी। तथापि, जनवरी, 1992 के तीसरे सप्ताह से मूंगफली तेल के मूल्य में काफी कमी दर्ज की गई है।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने आर० बी० डी० पामोलीन की 1.08 लाख मी० टन मात्रा का आयात करने का अनुबंध किया है जिसका मूल्य लागत बीमा भाड़ा सहित लगभग 104.76 करोड़ रुपये है। इसमें से 2% की घट-बढ़ निकालकर लगभग 1.07 लाख मी० टन की संपूर्ण अनुबंधित मात्रा, जिसका लागत बीमा भाड़ा मूल्य लगभग 103.51 करोड़ रुपये है, पहुंच चुकी है।

(च) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान सरसों और रेपसीड का उत्पादन 58-60 लाख मी० टन के लगभग होगा।

नेहरू रोजगार योजना

[अनुवाद]

3656. **श्री गुरूदास कामत : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू रोजगार योजना संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नेहरू रोजगार योजना के प्राधिकारियों तथा बैंक प्राधिकारियों के बीच सहयोग का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : समन्वय तथा सहयोग का कोई अभाव नहीं है। तथापि, ऋण आवेदनों को अनुमोदित करने और ऋणों के संवितरण में विलम्ब से संबंधित प्रचालन मामले समीक्षा बैठकों में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए हैं।

ये मामले भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उपयुक्त रूप से उठाए गए हैं।

नए औद्योगिक लाइसेंस

[हिन्दी]

3657. **श्री श्रीकान्त जैना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने नये औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किए गए।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटाया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उड़ीसा राज्य में उद्योगों के स्थापना के लिए अप्रैल 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अधीन चार औद्योगिक लाइसेंस और दो आशय पत्र जारी किये गये थे।

(ख) दिनांक 29-2-92 को आशय पत्र दिये जाने हेतु 33 आवेदन लम्बित पड़े थे।

(ग) औद्योगिक अनुमोदन दिये जाने के लिए आवेदनों का निपटान करने हेतु समय सीमा निर्धारित की हुई है। अतः निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निपटान सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के उपाय किये जाते हैं।

उड़ीसा में उद्योग

3658. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस नीति के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने उद्योग स्थापित किए गए; और

(ग) ये उद्योग किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और उनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य थे :—

— अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना।

— अधिकतम और उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करना।

— उच्चतर रोजगार पैदा करना।

— पिछड़े क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक विकास करके क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना।

— कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषि आधार को सुदृढ़ बनाना और इष्टतम अन्तर क्षेत्रीय संबंध को बढ़ावा देना।

— निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों का तेजी से विकास करना।

— निवेश के उचित फैलाव से आर्थिक संघवाद और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा छितरे हुए लघु किन्तु बढ़ रहे एककों में मुनाफे के छितराव को बढ़ावा देना।

(ख) और (ग) : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन 1989 से फरवरी, 1992 को अवधि के दौरान उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए 15 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं। मंजूर किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में उपक्रमों का नाम और पता, स्थापना स्थल, विनिर्माण की मद (मदें) और क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

3659. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में हुई प्रगति सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में लगाये गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) किसी राज्य के औद्योगिकीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। जहां कहीं संभव होता है केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में मदद करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में स्थापित किये गये उद्योगों के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा नहीं रखे गये हैं। किन्तु उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किये गये आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस तथा उड़ीसा के लिए प्रस्तुत किये गये औद्योगिक उद्यम ज्ञापन नीचे दिये गये हैं:—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (उड़ीसा के लिए)
1989	13	शून्य	—
1990	5	3	—
1991	2	3	23

विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत उड़ीसा को 4 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं। इस योजना को 8वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा।

कोयले पर रायल्टी

3660. **श्री राजेश कुमार**
श्री पीयूष तीरकी
श्री ललित उरांव : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को देय कोयले पर रायल्टी की धनराशि बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि का भुगतान करने/जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बिहार सरकार को जनवरी, 1992 तक प्रेषित किए गए कोयले की रायल्टी की देय राशि की अदायगी कर दी गई है। फरवरी, 1992 तक प्रेषण किये गए कोयले की देय राशि, जोकि मार्च, 1992 में देय है, उसकी मार्च, 1992 के दौरान अदायगी कर दिए जाने की संभावना है।

टोडापुर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

3661. **श्री राजेश कुमार**
श्रीमती शीला गौतम } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष, 1987 में टोडापुर (दिल्ली) में तैयार फ्लैट आबंटित किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पानी के कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तक : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पाइप लाइनें पहले ही बिछा दी हैं और पानी का कनेक्शन देने के लिए दिल्ली नगर निगम को प्रभारों का भुगतान भी कर दिया है। तथापि, इन कनेक्शनों की व्यवस्था हैदरपुर जल शोधन संयंत्र के दूसरे चरण के चालू हो जाने के बाद की जाएगी। एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण टैंकरो और प्रत्येक 1000 लीटरों की क्षमता वाले दो पी० वी० सी० टैंकों के जरिए जलापूर्ति कर रहा है।

बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

3662. **श्री राजेश कुमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ग) बिहार राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पेय जल के लिए बिहार को सहायता

3663 **श्री राजेश कुमार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में पेय जल समस्या के समाधान हेतु कोई सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए पटना तथा रांची में जल आपूर्ति, मल-जल निर्यास और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु एकीकृत परियोजनाओं पर व्यवहार्यता

रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। 177.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति संघटकों का काम दो चरणों में आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से प्रस्ताव के संशोधन के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां

[अनुवाद]

प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्राप्त उपलब्धियों का योजनावार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा लाभ की राशि स्वदेश भेजा जाना

3665. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री चेतन पी० एस० चौहान
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत कुछ बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों ने वर्ष 1990 और 1991 के दौरान लाभ की बहुत बड़ी धनराशि स्वदेश भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान लाभ की कितनी राशि स्वदेश भेजी; और

(ग) इन कंपनियों के प्रति यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) इसका संबंध वित्त मंत्रालय से है। ऐसी जानकारी इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं की जा रही है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में पुनर्वास कार्यक्रम

3667. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन खान-I, खान II के "लैंड हाउस रिहेबिलीटेशन प्रोग्राम" के अन्तर्गत कितने परिवार शामिल है;

(ख) कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और कितने लोग अभी नियुक्ति की प्रतीक्षा में है; और

(ग) रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किन-किन मानदंडों को अपनाया जाता है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) खान I परियोजना में 2837 परिवारों को विस्थापित किया गया था, जिसमें से अभी तक 1658 परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है। खान-II परियोजना में विस्थापित किए गए परिवारों की संख्या 1996 है, जिसमें से 1248 परिवारों का अभी तक पुर्नवास कर दिया गया है।

(ख) अभी तक एन० एल० सी० द्वारा 1574 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। रोजगार के लिए 140 अतिरिक्त मामले प्रक्रियाधीन है।

(ग) विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान किये जाने संबंधी मानदंड वर्ष 1981 में निर्धारित किए गए थे। रोजगार प्रदान करने की पात्र चार श्रेणियों को प्राथमिकता क्रम में नीचे दर्शाया गया है :—

(1) ऐसे व्यक्ति, जिनके आवासों का आवासीय स्थल के साथ अधिग्रहण कर लिया गया है।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिनको सम्पूर्ण कृषि भूमि आवास तथा आवासीय स्थलों के साथ अधिगृहीत कर ली गई है।

(3) ऐसे व्यक्ति जिनकी सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहण कर ली गई है।

(4) ऐसे व्यक्ति जिनकी कृषि भूमि आंशिक रूप में अधिग्रहण कर ली गई है।

उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अन्तर्गत मुआवजे की तारीख आवेदकों की परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण करती है। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य रोजगार प्राप्त किए जाने का पात्र होगा। रोजगार निम्नलिखित तरजीह क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया जाता है; —जैसे मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पुत्र, पुत्री और दामाद। रोजगार प्राप्त किए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस योजना के अन्तर्गत पांचवीं कक्षा पास होगी। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में विस्थापित व्यक्तियों के लिए अकुशल स्तर पर 60% पदों को आरक्षित रखा गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त मजदूर

3669. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों में कितने अतिरिक्त मजदूर है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस अतिरिक्त श्रम शक्ति को उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले राशन की मात्रा

[हिन्दी]

3670. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन ने उचित दर की दुकानों के द्वारा सप्लाई किये जाने वाले राशन अर्थात चीनी, चावल, गेहूं की मात्रा में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) दिल्ली में पिछले दिसम्बर तक गेहूं, चावल और चीनी का कितनी-कितनी मात्रा में वितरण किया गया और जनवरी, 1992 से इनको कितनी मात्रा का वितरण किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जून, 1991 से दिल्ली को गेहूं का आबटन केवल दिसम्बर, 91 और जनवरी, 92 के महीनों को छोड़कर, जब आबंटन 64800 मी० टन प्रति माह था, 72000 मी० टन प्रतिमाह रहा है। चावल के मामले में जून, 1991 से आबंटन, अगस्त से नवम्बर, 91 के महीनों को छोड़कर, जिसमें आबंटन 27000 मी० टन प्रति महीने रहा, प्रतिमाह 20000 मी० टन० रहा है।

दिल्ली के लिए लेवी चीनी का सामान्य आबटन 8720 मी० टन है। अगस्त, 91 से केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी के आवटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है। दिल्ली प्रशासन उठाई गई खाद्यान्नों और लेवी चीनी की मात्रा उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए सभी उचित दर दुकानों को वितरित करता है।

(ग) जून, 1991 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाई गई चावल और गेहूं की मात्रा नीचे दी गई है :

(मात्रा मी० टन० में)

महीना	गेहूं	चावल
जून, 91	46800	11000
जुलाई, 91	69900	15400
अगस्त, 91	43100	11900
सितम्बर, 91	63200	16900
अक्तूबर, 91	76900	23000
नवम्बर, 91	49200	14100
दिसम्बर, 91	66800	9100
जनवरी, 92	74200	17400

तमिलनाडु में औषध निर्माता इकाईयां

[अनुवाद]

3671. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र में कितनी औषध निर्माता इकाईयां हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी पूंजी और उत्पादन तथा वित्तीय स्थिति का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन इकाईयों ने अपने उत्पादों के लिए कोई विपणन नीति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इन इकाईयों ने हाल ही में अनेक लोकप्रिय उत्पादों का उत्पादन बन्द कर दिया है, और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० का सहायक गतिविधि के तौर पर एक औषध सूत्रयोग एकक सहित मद्रास में एक शल्यक उपकरण संयंत्र है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी, उत्पादन और हानि के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	ग्रास ब्लाक	उत्पादन	शुद्ध हानि
1988-89	6.10	12.96	6.13
1989-90	6.28	15.69	5.61
1990-91	6 31	14 95	8.82

(ख) और (ग) जी, हां। नीति के एक भाग के रूप में सूत्रयोगों का विनिर्माण भी शुरू किया गया है। राज्य सरकार से इस एकक द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए पर्याप्त संरक्षण देने के लिए कहा गया है। इस एकक द्वारा विनिर्मित शल्यक उपकरणों की मांग पैदा करने के लिए गहन विपणन नीति और कार्य आरम्भ किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में पारम्परिक उद्योग

3672. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता से तमिलनाडु मे पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) के० वी० आई० सी० के क्षेत्राधिकार में पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सहायता दी जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता दी गई जो निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाख रु० में
1988-89	2091.58
1989-90	1766·07
1990-91	2227.34

राजस्थान की जल आपूर्ति योजनाएं

[हिन्दी]

3674. श्री गिरधारी लाल भार्गव
श्री रामनारायण बैरवा
प्रो० रासा सिंह रावत
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई राजस्थान की परियोजनाओं और जल आपूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक योजना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन सभी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए वर्ष वार राजस्थान सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक नए राजस्व गांवों/ढाणियों तथा द्विपक्षी/बहुपक्षी सहायता हेतु दो परियोजनाओं के अलावा, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/मिनी-मिशनों के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन के लिए राजस्थान राज्य सरकार से 1380 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/मिनी मिशन के अन्तर्गत 96.304 करोड़ रुपये लागत की 1380 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। राज्य सरकार से 399.59 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राजस्व गांवों/ढाणियों के लिए दो परियोजनाओं के बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने का अनुरोध किया गया है। वित्त मन्त्रालय को 593.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली छ: परियोजनाएं द्विपक्षी/बहुपक्षी सहायता प्राप्त करने के लिए भेज दी गई हैं। 23.76 करोड़ रुपये की लागत वाली शेष 9 परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

(ग) 9 परियोजनाओं के बारे में 31-3-92 तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आवंटन योजनावार आधार पर नहीं किया जाता जिसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताओं और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिशी मिशन आदि के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	(करोड़ रुपए में) धनराशि
1988-89	53.090
1989-90	44·550
1990-91	42.587
	140.227

पैकेटों पर मूल्य अंकित करना

3676. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि खाद्य और अन्य वस्तुओं को पैकेटों में बेचने वाली अनेक कम्पनियां पैकेटों पर मूल्य निर्माण की तिथि और आवश्यक जानकारी अंकित नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राजस्थान से ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार खुदरा पैकेजों के ऊपर बिक्री मूल्य और विनिर्माण/पैकिंग के महीने और वर्ष की घोषणा करना अनिवार्य है। तथापि, पैकजों की कुछ श्रेणियों को उपर्युक्त अनिवार्यता से छूट प्राप्त है।

(ख) राजस्थान सरकार को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों पर मूल्य अंकित करना

3677. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना छोड़ दिया है, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

18 मार्च, 1992 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में वित्तीय संकट

3678. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक**
श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके पास विद्युत उपकरण निर्माण के आर्डर बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कितने निर्माण एकक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; और

(घ) इन एककों को कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) भेल, उपभोक्ताओं से अधिक बकायों के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। इसके अलावा मुख्यत: बड़े उपभोक्ताओं के संसाधन संकट के कारण कम्पनी की क्रयादेश स्थिति कमजोर है।

(ग) भेल के त्रिची, हरिद्वार, रानीपेट, भोपाल और हैदराबाद एकांशों की क्षमता उपयोगिता, भारी बकायों और क्रयादेशों की कमी के कारण, गम्भीर रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है।

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए भेल, निम्नलिखित उपाय कर रही है :

1. उपभोक्ताओं से अपने बकायों की वसूली करने के लिए अधिक प्रयास करना;
2. निर्यात (माना गया और भौतिक) बढ़ाना;
3. क्रयादेशों की कमी पूरी करने के लिए, संघ व्यवस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं के लिए बोलियां निर्धारित करना;
4. व्यापार के नए क्षेत्रों में विविधीकरण करना।

औद्योगिक विकास

3679 **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए नीति बनाने हेतु विशेष कार्य दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

[अनुवाद]

3681. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्ण औद्योगिक एककों को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने और कामगारों को अधिसूचना देने से मुक्त करके ऐसे एककों के मामले में निर्णय की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का रुग्ण एककों के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाने पर प्रतिबन्ध लगाने का भी विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3682. **श्री राम नारायण बैरवा**
डा० लाल बहादुर रावल
श्री एम.वी. वी. एस मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०, कार्यक्रम राज्यवार किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) वर्ष 1992-93 में इस लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है अथवा नियत करने का विचार है, और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अब तक क्या उपलब्धियां रही है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1991-92 तक ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत कवर किए गये जिलों को दर्शाने वाला राज्यवार संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं लेकिन निधियों की रिलीज जिलों को की जाती है। योजना के अन्तर्गत, आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के लिए भारत सरकार, यूनिसेफ तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर धनराशि दी जाती हैं। 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई निधियों की रिलीज को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध 2 पर दिया गया है।

(ग) अभी नियत नहीं की गई है।

(घ) महिलाओं के समूह बनाने से संबधित निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण अनुबन्ध-3 पर दिया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत 1991-92 तक कवर किए 241 जिलों की सूची

1. **आंध्र प्रदेश**
   1. अदीलाबाद
   2. श्रीकाकुलम
   3. कुडप्पा
   4. महबूबनगर
   5. अनन्तपुर
   6. विजयनगरम्
   7. प्रकाशम्
   8. मेडक
   9. करीमनगर
   10. नेल्लोर
   11. निजामाबाद
   12. कुरनूल
2. **असम**
   1. करीबयांगलोंग
   2. धुबरी
   3. दारांग
   4. शिवसागर
   5. नौवगांव
   6. सोनितपुर
   7. लखीमपुर
   8. नालबाड़ी
   9. उत्तरी कच्छार
3. **अरूणाचल प्रदेश**
   1. पूर्वी कामेंग
   2. पश्चिमी सियांग
   3. तिरप
   4. तिवांग
   5. ऊपरी सुमानसिरी
   6. लोहित
   7. पूर्वी सियांग

4. बिहार

1. हजारीबाग
2. मधुबनी
3. गोपालगंज
4. समस्तीपुर
5. पलामू
6. सिवान
7. लोहारडग्गा
8. देवघर
9. सारन
10. गोड्डा
11. गया
12. पटना
13. औरंगाबाद
14. जहानाबाद
15. वैशाली
16. सीतामढ़ी
17. रांची
18. मुज्जफरपुर
19. पश्चिमी चम्पारन
20 पूर्वी चम्पारन
21. रोहतास

5. गोवा

1. पणजी

6. गुजरात

1. अहमदाबाद
2. जूनागढ़
3. पंचमहल
4. भड़ौच
5. सुरेन्द्रनगर
6. बनासकाठा
7. कच्छ
8. सूरत
9. अमरेली
10. मेहसाना
11. बलसाड़

7. हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सिरसा
3. सोनीपत
4 गुड़गांव
5. रिवाड़ी
6. रोहतक
7. भिवानी
8. फरीदाबाद
9. करनाल

8. हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा
2. शिमला
3. चम्बा
4. मंडी
5. सिरमौर
6. कुल्लू
7. सोलन

9. जम्मू व कश्मीर

1. डोडा
2. कुपुवाड़ा
3. ऊधमपुर
4. बड़गाम
5. जम्मू
6. श्रीनगर

10. कर्नाटक

1 बीजापुर
2. चिकमगलूर
3. मैसूर
4. धारवाड़
5. गुलबर्गा
6. रायचूर
7. दक्षिण कन्नड़
8. कोड़ागू
9. कोलार
10. बेलारी
11. शिमोगा

11. केरल
   1. वामिनाड़
   2. पालघाट
   3. इडुक्की
   4. मल्लपुरम
   5. कन्नानौर
   6. कोझीकोड़
   7. अलापुझा
12. मध्य प्रदेश
   1. शाहडोल
   2. छिंदवाड़ा
   3. गूना
   4. रायपुर
   5. राजगढ़
   6. सरगुजा
   7. शाजापुर
   8. भिण्ड
   9. टीकमगढ़
   10. सिहोर
   11. सिधी
   12. रीवा
   13. मुरैना
   14. बस्तर
   15. खारगोन
   16. पन्ना
   17. रायगढ़
   18. धार
   19. झबुआ
   20. रायसेन
   21. होशंगाबाद
   22. ग्वालियर
   23. उज्जैन
13. महाराष्ट्र
   1. उस्मानाबाद
   2. भण्डारा
   3. नासिक
   4. धुले
   5. ठाणे
   6. शोलापुर
   7. यावतमाल
   8. बीड़
   9. रायगढ़
   10. चन्द्रपुर
   11. गढ़ चिरोली
   12. जलगांव
   13. नान्देड़
   14. बुलधाना
   15. वर्धा
14. मणिपुर
   1. इम्फाल
   2. उखरूल
   3. चुरचंद्रपुर
   4. थाबल
   5. विष्णुपुर
   6. टामेंगलोंग
15. मेघालय
   1. पश्चिमी खासी हिल्स
   2. पूर्वी गारो हिल्स
16. मिजोरम
   1. आइजजवाल
   2. लुंगलेइ
17. नागालैंड
   1. कोहिमा
   2. मोकोकचुंग
   3. त्वैंनसंग
   4. जोनोपोटो
18. उड़ीसा
   1. कालाहांडी
   2. बोलांगीर
   3 धेनकनाल
   4. सम्बलपुर
   5. सुन्दरगढ़
   6. कोरापुट
   7. कटक
19. पंजाब
   1. गुरदासपुर
   2. भटिण्डा
   3. फिरोजपुर
   4. संगरूर

5. होशियारपुर
6. कपूरथला

20. राजस्थान
1. बांसवाड़ा
2. पाली
3. अलवर
4. भीलवाड़ा
5. जोधपुर
6. टोंक
7. उदयपुर
8. सीकर
9. बाड़मेर
10. धौलपुर
11. जालौर
12. डूंगरपुर
13. भरतपुर
14. सवाईमाधोपुर

21. सिक्किम
1. पश्चिमी जिला
2. दक्षिणी जिला

22. तमिलनाडु
1. धर्मपुरी
2. पेरियार
3. तिरूची
4. साउथ आरकोट
5. नोर्थ आरकोट
6. पुडुकोटाई
7. सालेम
8. थंजावुर
9. त्रिरूनेलवेनी
10. कोयमबटूर
11. पासुमपान तिरुमगम

23. त्रिपुरा
1. त्रिपुरा पश्चिम
2. त्रिपुरा उत्तर

24. उत्तर प्रदेश
1. बस्ती
2. बांदा
3. सुल्तानपुर
4. इटावा
5. देवरिया
6. इलाहाबाद
7. गोरखपुर
8. नैनीताल
9. पौड़ी
10. रायबरेली
11. गोंडा
12. शाहजहांपुर
13. मैनपुरी
14 हरदोई
15. उत्तर काशी
16. बदायूं
17. बाराबंकी
18. प्रतापगढ़
19. पिथौरागढ़
20. फरुखाबाद
21. देहरादून
22. जौनपुर
23. अलमोड़ा
24. फैजाबाद
25. मिर्जापुर
26. वाराणसी
27. आजमगढ़
28. बलिया
29. गाजीपुर
30. हमीरपुर
31. फतेहपुर
32. मऊ

25. पश्चिमी बंगाल
1. पुरलिया
2. बांकुरा
3. जलपाईगुड़ी
4. दक्षिणी 24 परगना
5. उत्तरी 24 परगना
6. हुगली
7. मिदनापुर
8. बर्द्धवान

संघ शासित क्षेत्र का नाम
1. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह
2. दादरा व नगर हवेली
3. दिल्ली
4. लक्षद्वीप
5. पांडिचेरी

विवरण II

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई वर्षवार धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92 (29-2-91 तक) (अनन्तिम)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	60.18	54.23	36.82
2.	असम	41.35	23.17	10.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5.58	10.18	13.14
4.	बिहार	26.90	72.64	25.25
5.	गोवा	9.87	4.55	4.20
6.	गुजरात	61.90	11.36	20.40
7.	हरियाणा	24.58	36.65	45.94
8.	हिमाचल प्रदेश	16.94	42.83	19.52
9.	जम्मू व कश्मीर	17.67	10.10	—
10.	कर्नाटक	33.11	44.93	43.76
11.	केरल	25.42	28.73	17.12
12.	मध्य प्रदेश	63.72	42.88	23.63
13.	महाराष्ट्र	20.53	46.96	27.27
14.	मणिपुर	13.13	—	46.01
15.	मेघालय	4.13	5.16	—
16.	मिजोरम	6.75	12.73	10.59
17.	नागालैण्ड	17.64	10.46	8.89
18.	उड़ीसा	21.44	23.73	60.99
19.	पंजाब	28.12	24.48	27.18
20.	राजस्थान	27.27	35.35	19.15
21.	सिक्किम	3.95	1.01	4.05
22.	तमिलनाडु	31.10	57.38	49.15
23.	त्रिपुरा	0.80	12.71	1.33
24.	उत्तर प्रदेश	109.38	128.34	68.54
25.	पश्चिम बंगाल	51.42	29.82	22.87

1.	2	3.	4.	5.
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.28	0.16
2.	दादरा व नगर हवेली	1.52	—	—
3.	दिल्ली	—	—	—
4.	लक्षद्वीप	3.67	3.04	1.71
5.	पांडिचेरी	1.20	—	4.48
	योग	6.67	3.32	
	कुल योग	729.55	773.70	612.15
	स्वयंसेवी एजेंसियां को सहायता देने हेतु का पार्ट को रिलीज की गई निधियाँ *जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिये आपूर्तियाँ तथा उपकरण *निगरानी सैल (राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं)	171.74	125.00	135.00
	कुल योग	901.29	898.71	747.15

विवरण-III

1985-86 से लेकर 1991-92 तक (जनवरी, 1992 तक) ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना के अन्तर्गत राज्यवार निर्धारित लक्ष्य तथा बनाए गए समूह

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समूह बनाने का लक्ष्य	बनाए गए समूह
1.	आन्ध्र प्रदेश	2610	2679
2.	असम	2750	1044
3.	अरुणाचल प्रदेश	467	58
4.	बिहार	4950	2539
5.	गोआ	230	225
6.	गुजरात	2354	1182
7.	हरियाणा	1410	1089
8.	हिमाचल प्रदेश	1472	1334
9.	जम्मू व कश्मीर	1816	732
10.	कर्नाटक	2070	1784
11.	केरल	1475	1075
12.	मध्य प्रदेश	5000	5176
13.	महाराष्ट्र	3010	1914
14.	मणिपुर	495	701
15.	मेघालय	461	241
16.	मिजोरम	356	372
17.	नागालैंड	490	382
18.	उड़ीसा	2878	2932
19.	राजस्थान	3532	2121
20.	पंजाब	1410	1404
21.	सिक्किम	290	232
22.	तमिलनाडु	2966	2665
23.	त्रिपुरा	418	496
24.	उत्तर प्रदेश	7560	7042
25.	पश्चिम बंगाल	2180	1499
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	150	44
2.	दमन व द्वीप	70	—
3.	दिल्ली	150	14
4.	चंडीगढ़	50	—
5.	लक्षद्वीप	160	50
6.	पांडिचेरी	150	107
7.	दादरा तथा नगर हवेली	120	72
	अखिल भारत: योग	52500	41205

नोट : 1983-84 तथा 1984-85 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

राजस्थान में मरूभूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3683. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या है, जहां मरूभूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि का नियतन किया गया;

(ग) क्या मरूभूमि का विस्तार रूक जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राजस्थान के 11 जिलों अर्थात् बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, श्री गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनु; जोधपुर, नागौर, पाली तथा सीकर में मरूभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान के लिए 3800 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 1990-92 के दौरान किया गया आबंटन 1989-90 के आबंटन के समान ही है।

(ग) इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेत के टीलों का समतलीकरण तथा शेल्टर बेल्ट, पौधरोपण, घास वाली भूमि का विकास, भूमि तथा नमी संरक्षण तथा जल संसाधन विकास पर विशेष बल देते हुए वनरोपण जैसी गतिविधियों के माध्यम से अन्ततोगत्वा मरूस्थलीकरण पर नियत्रण पाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में आवास निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता

3684. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में आवास समस्या का समाधान करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट सहायता

[अनुवाद]

3685. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बजट सहायता बोझ को कम करने के लिए सरकार ने क्या-क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार रूग्ण सरकारी उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए इक्विटी की बिक्री के द्वारा एकत्रित धन से एक सामान्य कोष स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली बजटगत सहायता का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाये गये प्रस्तावित कदमों में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खुले बाजार से सीधे-सामान्य शेयर पूंजी जुटाना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाण्ड जारी करना, जनता से राशियां जमा करने के लिये कहना, आंतरिक/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाना, अधिकाधिक आन्तरिक संसाधन पैदा करना आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि 1992-93 के बजट-भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार 1992-93 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष को संसाधन प्रदान करने हेतु 1000 करोड़ रुपये के सामान्य शेयरों की और बिक्री करने पर विचार करेगी जिससे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनस्थापिन से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की देख-रेख होगी।

पामोलीन की कालाबाजारी

[हिन्दी]

3686. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया
श्री रामकृष्ण कुसमारिया
श्री बलराज पासी

: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन को सुपर बाजार से बाहर कालाबाजारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) वर्ष 1991 के दौरान पामोलीन की कालाबाजारी के कितने मामले पकड़े गए,

(घ) दिल्ली में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं, और

(ङ) इस समय एक महीने में सुपर बाजार में पामोलीन कितनी बार वितरण किया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन और सुपर बाजार, दिल्ली ने कहा है कि उन्हें सुपर बाजारों से बाहर पामोलीन की चोर बाजारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि वर्ष 1991 के दौरान खाद्य और आपूर्ति विभाग की प्रवर्तन शाखा और जमाखोरी विरोधी सेल, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मैसर्स ज्योति बिस्कुट फैक्टरी, गुरुद्वारा श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली के व्यापार परिसर की जांच की थी जहां 300 कि० ग्रा० पामोलीन का अनधिकृत स्टाक पाया गया। दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1977 के उपबधों के उल्लंघन के लिए श्रीनिवासपुरी कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया गया है।

(घ) सुपर बाजार, दिल्ली ने दिल्ली में अपनी शाखाएं खोलते समय विभिन्न बातों, जैसे उचित स्थान की उपलब्धता, बाणिज्यिक व्यवहार्यता, प्रत्याशित पूंजी व्यय और समाज के कमजोर तबके को सेवा प्रदान करने के सामाजार्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखा है।

(ङ) इस समय सुपर बाजार में पामोलीन के स्टाक की उपलब्धता के आधार पर उपभोक्ताओं को इसकी बिक्री का काम सभी कार्य दिवसों को (एक घंटे के लंच अवकाश से अतिरिक्त) प्रतिदिव पूर्वाह्न 10.00 बजे से शाखा के बंद होने के समय तक नियमित रूप के चलता रहता है।

राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3687. **श्री संतोष कुमार गंगवार**
श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान राजपत्रित अधिकारियों सहित जिन कर्मचारियों के विरुद्ध गड़बड़ियों तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई है उनकी संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है और कितने मामले न्यायालयों में भेजे गए; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) वर्ष, 1991 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1902 मामलों की जांच की जिनमें शामिल 435, अधिकारियों पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप थे। इनमें से 2802 राजपत्रित स्तर के थे।

(ग) तथा (घ) सूचना निम्न प्रकार है :—

(i) जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है उनकी संख्या —1097

(ii) जिन अधिकारियों के विरुद्ध मामलों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजा गया है, उनकी संख्या :—279

(iii) जिन अधिकारियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले समाप्त किए गए या अन्यथा निपटाए गए उनकी संख्या :—397

(iv) विचारण के लिए अदालतों को भेजे गए मामलों की संख्या :—351 जिनमें 437 अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे।

भारत कनाडा औद्योगिक सहयोग

[अनुवाद]

3688. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कनाडा के सहयोग से उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या भारत-कनाडा के संयुक्त दल ने राजस्थान का दौरा किया है और इस प्रयोजनार्थ स्थान का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में प्रायः सहयोग के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का उल्लेख नहीं होता है और तदनुसार किसी विशिष्ट स्थापना स्थल से संबंधित विदेशी सहयोग अनुमोदनों के ब्यौरे केन्द्र में में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा भारत-कनाडा के दल का राजस्थान का ऐसा कोई दौरा प्रायोजित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बर्न स्टेंडर्ड के रिफ्रैक्ट्री तथा सिरेमिक एककों का हस्तांतरण

3789. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फजल समिति की सिफारिशों के अनुरूप बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफैक्ट्री तथा सिरेमिक एककों को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) फजल समिति की सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) फजल समिति की सिफारिश के अनुसार बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) के रिफैक्टरी और सिरेमिक एककों को इस्पात विभाग को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को उस विभाग ने सहमति नहीं दी है।

(ख) फजल समिति ने सिफारिश की थी कि बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी एककों को इंजीनियरी एककों से पृथक करके या तो बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के अधीन सहायक कंपनी बना दी जाए अथवा इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत रिफैक्टरीज लिमिटेड (बी० आर० एल०) के साथ उनका विकास कर दिया जाए।

बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड को लाभ/घाटा

3690. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक मैसर्स बर्न स्टेंण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड को इंजीनियरी, रिफैक्ट्री और सिरेमिक डिविजनों के पृथक-पृथक ब्यौरे सहित, कितना लाभ अथवा घाटा हुआ;

(ख) रिफैक्ट्री और इंजीनियरी डिविजनों में घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष मुकदमेबाजी, विधिक कार्यवाही पर मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के इंजीनियरी और रिफ्रैक्ट्री एकांशो का पिछले तीन वर्षों में हुए लाभ/घाटे का ब्योरा इस प्रकार है :

लाभ+(/हानि(—)

(रु० लाखों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
इंजीनियरी प्रभाग	(+) 107.00	(—) 218.38	(+) 241.57
सुदूर तट प्रभाग	(—) 367.09	(—) 200.90	(+) 165.75
आर एण्ड सी प्रभाग			
सेलप	(+) 559.95	(+) 710.19	(+) 770.86
अन्य एकांश	(—) 729.94	(—) 888,79	(-) 885.57
	(—) 430.80	(—) 597.88	(—) 38.89*

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और वेतन बकायों के भुगतान को छोड़कर।

(ख) वर्ष 1989-90 में इंजीनियरी प्रभाग को घाटा मुख्यत: हावड़ा कारखाने में बिगड़े औद्योगिक संबंधों के कारण उठाना पड़ा। क्रयादेशों की कमी, आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण सुदूर तट प्रभाग को घाटा हुआ। सेलम को छोड़कर रिफ्रैक्ट्री एकांशों में, बेशी जनशक्ति, पुरानी प्रौद्योगिकी, अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी तथा उनको उत्पाद रूपरेखा में क्रयादेश की कमी, घाटे के मुख्य कारण हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक के दौरान, कम्पनी मुकदमेबाजी और/अथवा कानूनी खर्चों पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है :

(रु० लाखों में)

1988-89	1989-90	1990-91
7.57	8.40	15.42

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की व्यवहार्यता रिपोर्ट

3691. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की रिफ्रैक्ट्री एण्ड सिरेमिक यूनिटों ने उसके राष्ट्रीयकरण के बाद वर्क्स संख्या 2, लालकुये और दुर्गापुर वर्क्स के बारे में कभी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार की हुई अर्थक्षम रिपोर्ट उन्होंने कितनी बार प्रस्तुत की है,

(ग) क्या कम्पनी ने कभी यूनियन के साथ इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) रिफ्रैक्ट्री एण्ड सिरैमिक (आर एण्ड सी) वर्क्स यूनियन, रानीगंज ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, एक रानीगंज सं० 2 और दुर्गापुर के सम्बन्ध में मैसर्स सुन्दर कन्सल्टेंट्स द्वारा तैयार की गई तथा मैसर्स रिफ्रैक्टरी स्पेशिलटीज (आई) लिमिटेड आसनसोल द्वारा तैयार की गई। दूसरी रिपोर्ट केवल रानीगंज सं० 2 कारखाने के बारे में है। ये रिपोर्टें अभी जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान ही प्राप्त हुई है और इनकी सूक्ष्म संवीक्षा की जानी है।

होडल, फरीदाबाद में उर्वरक कारखाना

[हिन्दी]

3692. **श्री एस०एन० बेकारिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद जिले में होडल केमिकल उर्वरक कारखाना खोलने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है, और

(ग) यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि ग्रामीण उद्योग के लिए योजना

[अनुवाद]

3693. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-ग्रामीण उद्योग लगाने हेतु कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना विनियोजन किया गया;

(ग) क्या इस योजना का कोई पुनरीक्षण किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं वे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हथकरघों तथा हस्तशिल्पों के संवर्धन से संबधित थीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

3694. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री बापू हरि चौरे
श्री बी० देवराजन
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार एक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को संशोधित करने संबंधी प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अधिनियम के संशोधित हो जाने तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों सहित न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

चीनी मिट्टी उद्योग को स्टीम कोयला

[अनुवाद]

3695. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में हाल ही में स्टीम कोयले की घटिया किस्म तथा दोषपूर्ण सप्लाई के कारण चीनी मिट्टी उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पर्याप्त स्टीम कोयले की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) 1991 में गैर-वर्षा के मौसम के दौरान उत्पादन में वृद्धि हेतु खुले मुहानों की खानों के पास खोली गई नई चीनी मिट्टी यूनिटों की संख्या क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सरकार द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्रों को कोयले के संचलन के मामले में रेलवे वैगनों के आवंटन में, जिसमें विद्युत, सीमेंट, इस्पात, रेलवे और उर्वरक क्षेत्र शामिल हैं, तरजीही दी जा रही है। रेलवे वैगनों की उपलब्धता समित होने के कारण अन्य उपभोक्ताओं को, जिसमें सेरेमिक उद्योग शामिल है, रेल द्वारा कोयले का संचलन किए जाने पर प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा कोयले के प्रेषण और उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी उपभोक्ताओं को, जिसमें सेरेमिक उद्योग के उपभोक्ता भी शामिल है, इसकी उपलब्धता में सुधार किया जा सके। सेरेमिक उद्योग आमतौर पर कुछ चुनिंदा भूमिगत खानों से कोयले की आपूर्ति किए जाने पर जोर देता है जिनका उत्पादन कोयले के भंडारों के समापन के कारण मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ा है। यदि उद्योग अन्य स्रोतों से भी कोयला स्वीकार करता है तो इसका संतोषप्रदत्ता स्तर काफी ऊंचा हो जाएगा।

(घ) माननीय सदस्य का संदर्भ इस संबंध में शायद वर्ष 1991 के दौरान देश में स्वीकृत की गई ओपेनकास्ट खानों से है। वर्ष 1990-91 तथा 1991–92 के दौरान सरकार ने देश में 4 नई बड़ी ओपेनकास्ट कोयला खान परियोजनाओं को स्वीकृति दी। ये परियोजनाएं स्वयं कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं के अलावा हैं।

कोयला खान क्षेत्रों में निरक्षरता

[हिन्दी]

3696. श्री राम लखन सिंह यादव, श्री मानी भट्टाचार्य : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में निरक्षरता की दर ऊंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस. बी न्यामगौड) : (क) से (ग) इस सबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित भूमि दर

3697. **श्री रोशन लाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1991 में रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए कितनी आरम्भिक भूमि दर अधिसूचित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोहिणी में आवासीय परिसंपत्तियों के लिए वास्तव में कितना भूमि दर निर्धारित किया गया है और अधिसूचित दर निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1987 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान रिहायशी परिसम्पत्तियों के लिए रोहिणी में नियत दरें, तारीख 24-2-1988, 18-7-1889 और 6-12-1990 के परिपत्रों के तहत अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से यथा अधिसूचित दरों के समान हैं । ये दरें इस प्रकार हैं :

श्रेणी	सितम्बर, 87 से अगस्त, 88	सितम्बर, 88 से मार्च, 90	अप्रैल, 90 से मार्च, 91
	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर	प्रति वर्ग मीटर
ई० डब्लू० एस० जनता	रु० 205/-	रु० 248/-	रु० 498/-
एल० आई० जी०	रु० 273/-	रु० 330/-	रु० 662/-
एम० आई० जी०	रु० 410/-	रु० 496/-	रु० 996/-

सैंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कोयला उत्पादन के लक्ष्य

3698. श्री राम लखन सिंह यादव, प्रो० अशोक आनन्द राव देशमुख : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैंट्रल कोलफील्ड्स लि० के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किए गए थे और ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं;

(ख) निर्धारित लक्ष्य पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य का सन्दर्भ कच्चे कोयले के उत्पादन लक्ष्यों के संबंध में है। पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए कोयले का वास्तविक उत्पादन तथा उत्पादन लक्ष्यों को नीचे दर्शाया गया है :

(मि० ट० में)

सैंट्रल कोलफील्ड्स लि०

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	प्रतिशतता में उपलब्धि
1988-89	28.00	28.07	100.25
1989-90	28.00	28.61	102.18
1990-91	29.17	30.05	103.02

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंगरेनी कोयला खानों से कोयला अन्यत्र जाना

[अनुवाद]

3699. **श्री श्री० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू की पिछली फसल और चालू फसल के दौरान कृष्णा जिले में तम्बाकू उत्पादकों के पास सिंगरेनी कोयला खानों से तम्बाकू संसाधित करने हेतु अपेक्षित कोयला नहीं पहुंच पा रहा है; यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कोयला घोटाले की पूरी जांच कराई गई है,

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा और इस बारे में क्या कारंवाई की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) सि० को० कं० लि० तम्बाकू बोर्ड गंतूर के परामर्श के अनुसार तम्बाकू के पकाई के लिए प्रत्येक वर्ष कोयले की आपूर्ति; आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम और तम्बाकू बोर्ड को, आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में तम्बाकू का उत्पादन करने वाले लोगों में आगे वितरण के लिए कर रहा है। तम्बाकू उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति संबंधी योजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए दिनांक 27-7-1991 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृष्णा जिले के उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति ए०पी० एस० टी० सी० के जरिए की जाती है। सि० को० कं० लि० ने यह सूचित किया है कि कृष्णा जिले के तम्बाकू उत्पादकों की कोयले की आवश्यकता, जैसाकि वर्ष 1991-92 के लिए ए० पी० एस० टी० सी० द्वारा 19,600 टन का प्रक्षेपण किया गया था, और इतनी ही मात्रा ए० पी० एस० टी० सी० को आपूर्ति कर दी गई है। ए० पी० एस० टी० सी० ने इस कोयले के उठान का कार्य दिनांक 23-10-91 से कोटागुडम से सड़क द्वारा शुरू किया है और उठान का कार्य दिनांक 6-3-92 तक पूरा कर लिया गया है। यदि इस संबंध में कोई विशिष्ठ शिकायतें अथवा परेशानी हो तो उन्हें

सिं० को० कं० लि० के नोटिस में उपयुक्त कार्रवाई के लिए लाया जा सकता है।

विजयवाड़ा तापीय विद्युत स्टेशन के लिए कोयले की सप्लाई

3700. श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, विजयवाड़ा तापीय विद्युत स्टेशन द्वारा की गई कोयले की मांग पूरी करने में असफल रही है जबकि उसने वैगनों की सप्लाई के लिए धनराशि भी दे दी है;

(ख) क्या विजयवाड़ा तापीय विद्युत स्टेशन पहुंचने वाला कोयला केरल के तापीय स्टेशन पहुंच गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सिंगरेनी कोयला खानों से विजयवाड़ा तापीय विद्युत स्टेशन को कोयले की पर्याप्त सप्लाई समय से सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। रेलवे मन्त्रालय ने यह सूचित किया है कि उन्होंने अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान विजयवाड़ा तापीय गृह को प्रतिदिन संयोजित 203 वाक्सों की तुलना में प्रतिदिन औसतन 183 कोयले के वाक्सों की आपूर्ति की है, जोकि 90% से अधिक की संतोषप्रदत्ता को दर्शाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विजयवाड़ा तापीय विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति, स्थायी संयोजन समिति द्वारा निर्धारित कोयले की मात्रा के अनुसार संयोजित कोयला कंपनियों द्वारा की जाती है। इस विद्युत गृह की आपूर्ति किए कोयले के कार्य पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और समय से तथा उपयुक्त रूप से कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चय करने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

औषधों के लिए विक्रय एजेंसियां

3701. श्री के० पी० रेड्डया यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित औषधों के लिए एकमात्र विक्रय एजेंसियों के आबंटन हेतु रखी गई शर्तें क्या है; और

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आबंटित की गई एजेंसियों की संख्या कितनी है और बाजार में औषधों की बढ़ी हुई लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) औषध निर्माण में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, बंगाल इम्युनिटी लि० और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० उनके द्वारा निर्मित औषधों के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"काउन्टर मैगनेट" शहर के रूप में औद्योगिक जिलों का विकास

[हिन्दी]

3702. डा० लाल बहादुर रावल क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बड़े और औद्योगिक जिलों को "काउन्टर मैगनेट" शहर के रूप में विकसित करने के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चुने गये जिलों को "काउन्टर मैगनेट" शहर के तौर पर कब तक विकसित किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (ख) तथा (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राज्य सरकार के परामर्श से बरेली नगर का क्षेत्रीय योजना-2001, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सम-सुविधा सम्पन्न (काउन्टर मैगनेट) क्षेत्र में रूप में चयन किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सम-सुविधा सम्पन्न (काउन्टर मैगनेट क्षेत्रों का विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दीर्घावधि लक्ष्य के रूप में किया जाएगा, तथा इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों का पुनर्वास

3703. डा० लाल बहादुर रावल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर दिल्ली में कुल कितनी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियां है;

(ख) क्या सरकार का उक्त कालोनियों के लोगों का पुर्नावास करने के लिए प्लॅट-भूखंड आबंटित करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या सरकार का मंगोलपुरी की झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी को अन्यत्र ले जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) इस संबध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार केवल उन पात्र झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को शिफ्ट करके पुर्नस्थापित करने पर विचार किया जाता है जहां भू-स्वामित्व एजेंसियों को परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) यह कार्य भू-स्वामित्व एजेन्सियों का है कि वे अपनी भूमि से झुग्गी-झोंपड़ियों को शिफ्ट करने की समय--सीमा के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को बतायें।

(घ) तथा (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों बहुल क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई

[अनुवाद]

3704. श्रीमती सुशीला गोपालन
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री कोडीकुन्नील सुरेश
श्री टी० जे० अंजलोज
श्री के० मुरलीधरन
प्रो० के० वी० थामस
श्री पी०सी०थामस

: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान केरल को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कार्यक्रमवार कितनी राशि आवंटित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क), (ख) व (ग) नवम्बर, 1991 में 27-17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं प्राप्त हुई थीं। उनकी जांच की गई थी और दिसम्बर, 1991 में राज्य सरकार से कुछेक स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था जिसकी अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) केरल तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 1992-93 के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु निधियों के आबटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सम्पदा कार्यालय के रिकार्ड

3705. श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा कार्यालय के कुछ रिकार्ड नष्ट कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे रिकार्डों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो भविष्य, में इन रिकार्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), (ख) तथा (ग) लाइसेंस शुल्क के निर्धारण और वसूली से संबंधित कुछ रिकार्ड हाल ही में बन्दरों द्वारा फाड़ दिये गये थे अथवा क्षतिग्रस्त कर दिये गये थे किन्तु अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की सहायता से ये रिकार्ड पुनः बनाये जा सकते हैं।

(घ) कुछ कमरों में, जहां आवश्यक है, खिड़कियों की मरम्मत करने और तारों की जाली लगाने संबंधी कार्यवाही कर दी है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने से पूर्व खिड़की बन्द करने तथा दरवाजों की तालाबन्दी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

[हिन्दी]

3706. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार में शामिल पाये जाने के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने मामले निपटाये गये हैं तथा कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है, और

(घ) सरकार का बाकी मामलों को कब तक निपटा देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) अपर महाप्रबन्धक और उससे ऊपर के रेंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का केवल ऐसा मामला है जिसकी अगस्त, 1990 से जांच की जा रही है। इस मामले को 6 महीने में निपटा दिए जाने की सम्भावना है।

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3707. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ब्लाकों का चयन किए जाने में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं जहां नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की गई है और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) पुरानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह नई प्रणाली किस प्रकार भिन्न है;

(ग) देश में राज्यवार कितने ब्लाकों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की गई है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं को अनुपलब्धता के क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में खाद्य मन्त्रियो के सम्मेलन में हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रसार के कार्य में बेहतरी लाने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना और कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के तहत आने वाले ब्लाकों की पहचान की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध

किया गया है कि वे जहां भी आवश्यक हो अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलें, उन लोगों को राशन कार्ड जारी करें जिन्हें अब तक राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं; जाली यूनिटों/कार्डों को समाप्त करें और अभिज्ञात ब्लाकों में उचित दर दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी की प्रणाली को मजबूत बनाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को शामिल करके उचित दर दुकानों/ग्रामीण स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें। हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और इसमें आय अथवा व्यवसाय के आधार पर लाभ भोगियों में भेद नहीं किया जाता फिर भी यह अभिज्ञात क्षेत्रों में, जहां आबादी का कमजोर वर्ग रहता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रसार कार्य में बेहतरी लाने हेतु उठाया गया एक कदम है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए यथा अभिज्ञात ब्लाकों की संख्या दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्य को किए गए सामान्य आबंटन में से इन अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन निर्धारित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य समूची आवश्यकता को पूरा करना नहीं होता है।

(ङ) अगस्त और अक्तूबर, 1991 में राज्य खाद्य मन्त्रियों के साथ हुई बैठकों में राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए अभिज्ञात ब्लाकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	120
अरुणाचल प्रदेश	48
असम	69
बिहार	156
गोवा	—
गुजरात	84
हरियाणा	44
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू व कश्मीर	26
कर्नाटक	94
केरल	21
मध्य प्रदेश	201
महाराष्ट्र	114

1	2
मणिपुर	22
मेघालय	30
मिजोरम	20
नागालैंड	28
उड़ीसा	143
पंजाब	—
राजस्थान	122
सिक्किम	4
तमिलनाडु	56
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	145
पश्चिम बंगाल	128
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
चंडीगढ़	—
दादरा व नगर हवेली	1
दमन व दीव	1
दिल्ली	—
लक्षद्वीप	5
पांडिचेरी	—

आंध्र प्रदेश ने पुष्टि की है कि मण्डलों के तुल्य भूतपूर्व ब्लाक, जिनकी पहचान की गई है केवल 120 हैं। सिक्किम में जिलों को ब्लाक के तुल्य मान लिया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों का दोहन

[अनुवाद]

3708. **श्री विजय नवल पाटील : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों के दोहन की जांच करती है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास योजनाओं हेतु पर्याप्त संसाधन दोहन में कौन-कौन से राज्य सफल नहीं हुए; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकांश राज्यों ने योजनाओं के लिए प्रस्तावित/वचनबद्ध

स्तर पर अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाए हैं। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों पर योजना के वित्त-पोषण के लिए विचार नहीं किया गया था क्योंकि इन्हें चालू राजस्व से ऋणात्मक संतुलन के सुधार के लिए छोड़ दिया गया था।

(ग) जिन राज्यों का वास्तविक संसाधन जुटाव प्रस्तावित स्तरों तथा इस प्रकार कुल संसाधनों से कम है, उनके मामले में परिव्ययों को संशोधित करके अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कम किया गया है। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित परिव्ययों के लिए निर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों के व्यय में कमी के मामले में केन्द्रीय सहायता में कटौती की जाती है।

दूरदर्शन के दूसरे चैनल के लिए योजना

3709. **श्री मृत्युञ्जय नायक : क्या योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दूरदर्शन के लिए दूसरा राष्ट्रीय चैनल स्थापित करने के लिए मल्टी मिलियन योजना मंजूर की है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह योजना कब तक मंजूर होगी ?

योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हंसराज) : (क) से (ग) यह स्कीम सूचना एवं प्रसारण मन्त्री द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 में क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमों में से है। योजना आयोग इससे सिद्धान्ततः सहमत है। फिर भी इसके ब्यौरे आयोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया जाना, योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा, जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आटे के थैलों की बिक्री

3710. **डा० सी० सिलवेरा**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल } : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डधारियों को एगमार्क आटा बेचने का है,

(ख) यदि हां, तो 10 किलोग्राम के थैले का मूल्य कितना तय किया गया है,

(ग) क्या उन्हीं थैलों को अन्य प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न दरों पर भी बेचने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दरों के अन्तर के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केंद्रीय सरकार उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण के लिए गेहूं आबंटित करती है। कुछ राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं में उनकी गेहूं की हकदारी के कोटे के प्रति वितरण करने के लिए गेहूं के इन आबंटनों की कुछ मात्रा को आटे में बदलने के प्रबन्ध किए हैं। आटे का अन्तिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा नियत किया जाता है।

दिल्ली प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं की कुछ मात्रा को अनछने आटे में बदलने के प्रबन्ध किये हैं। ये आटा उपभोक्ताओं को उनकी गेहूं की हकदारी के प्रति 38 रु० प्रति थैली की दर से 10 कि०ग्रा० की उपभोक्ता थैलियों में वितरित किया जाता है। उपभोक्ता प्रति महीने एगमार्क आटे की एक थैली लेने के हकदार है। अन्य एजेंसियों, जैसे सुपर बाजार, दिल्ली केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लि० भी 10 कि०ग्रा० की उपभोक्ता थैलियों में आटा बेचते हैं, जिनकी प्रति 10 कि०ग्रा० की थैली का मूल्य 48.50 रु० है। ये एजेन्सियां गेहूं को अपनी आवश्यकता को भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली गेहूं की खुली बिक्री के तहत प्राप्त करती है, जिसके मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्यों से अधिक हैं। अतः इन एजेंसियों द्वारा बेचे जाने वाले आटे के मूल्यों में अन्तर है।

आटे की थैलियों की उपलब्धता

3711. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आटे की थैलियां खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), (ख) और (ग) राजधानी में आटे की थैलियों की कमी के बारे में कोई सूचना नहीं है। सुपर बाजार, दिल्ली, केन्द्रीय भण्डार दिल्ली, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजधानी में उपभोक्ताओं को 10 कि०ग्रा० की थैलियों में आटा (गेहूं का आटा) बेचते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने उचित दर दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को उनके गेहूं के कोटे की हकदारी के प्रति वितरण हेतु फरवरी, 92 में 4 लाख बोरी अनछना आटा सप्लाई किया है। आटे की बिक्री में लगे अभिकरण आपूर्ति की स्थिति की परिवीक्षा करते रहे हैं।

अमूल मक्खन पर विक्रय मूल्य अंकित करना

3712. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अमूल मक्खन के पैकटों पर विक्रय मूल्य अंकित किए बिना ही इसका विपणन कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पैकटों पर विक्रय मूल्य अंकन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), (ख) और (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत मक्खन के गैर-डिब्बाबन्द पैकों पर विक्रय मूल्य संबंधी घोषणा करना अपेक्षित नहीं है।

प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग

[हिन्दी]

3713. **श्री साइमन मरान्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन प्रशासनिक सेवाओं और प्रबन्धन के क्षेत्र में सहयोग करने को सहमत हो गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मन्त्री तथा चीन लोक गणराज्य के कार्मिक मन्त्रालय में कार्यकारी उप मन्त्री द्वारा पेईचिंग में 21 फरवरी, 1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सिविल सेवाओं, कार्मिक प्रबन्ध और लोक प्रशासन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इसमें मोटे-तौर पर सहयोग के निम्न स्वरूप शामिल किए गए हैं :

(क) व्यावसायिक अध्ययन दौरों का आदान-प्रदान।

(ख) सिविल सेवाओं कार्मिक प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन के विषयों पर व्याख्यान देने तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सिविल सेवाओं, कार्मिक प्रबन्ध और लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान प्रदान।

(ग) दोनों देशों की सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करना।

(घ) प्रासंगिक सामग्री का आदान-प्रदान।

समझौता ज्ञापन में, ऐसे अन्य सहयोग को शामिल करने की भी व्यवस्था है जिसे आपसी सहमति द्वारा तय किया गया हो। आरम्भ में यह समझौता ज्ञापन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा; जब तक दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार इसके समाप्त होने की अवधि से कम से कम छ. माह पहले इस समझौता ज्ञापन को संशोधित अथवा समाप्त करने की अपनी मंशा अधिसूचित नहीं करता।

बाजार से लिए गए ऋण का कर्नाटक को आवंटन

[अनुवाद]

3714. **श्री ऑस्कार फर्नान्डीस :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बाजार से लिये गए ऋण से राज्य को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए बाजार ऋणों को 159.58 करोड़ रु० के स्तर से बढ़ाकर कम से कम 200.00 करोड़ रु० तक करने का अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार-विमर्श किया गया था लेकिन इसे वर्ष 1991-92 के लिए प्रायोजित कुल बाजार ऋणों के साथ समायोजित नहीं किया जा सका। वर्ष 1991-92 में कर्नाटक के लिए आबंटन 166.98 करोड़ रु० का था तथा बाजार ऋणों के आबंटन में 1९ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर्नाटक राज्य को गत 1990-91 में पहले ही दी गई थी।

केरल में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को वित्तीय सहायता

3715. **श्री के मुरलीधरन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को आवास-निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार को इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) 1992 के दौरान कितने आवास बनाये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस अरुणाचलम) : (क) और (ख) जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत एक आश्रय उन्नयन योजना विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में कार्यान्वियाधीन है। इस योजना के अन्तर्गत हुडको आश्रय उन्नयन के लिए रियायती शर्तों पर प्रति रिहायशी एकक 3000 रुपये तक का ऋण मुहैया करता है। इसके अतिरिक्त, प्रति एकक 800 रुपये की दर से केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जाती है और राज्य सरकारें 200 रुपये प्रति एकक की दर से आर्थिक सहायता मुहैया करती है।

(ग) गत तीन वर्षों में इस केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत केरल सरकार के विभिन्न कार्यान्वियन अभिकरणों को स्वीकृत हुडको ऋण/केन्द्रीय आर्थिक सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि	स्वीकृत केन्द्रीय आर्थिक सहायता
	(लाख रुपयों में)	
1989—80	315.00	80.00
1990—91	797.85	202.63
1991—92 (29.2.92 को)	1795.83	478.89

(घ) हुडको द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (29.2.92 की स्थिति के अनुसार) केरल में 59861 रिहायशी एककों के उन्नयन के लिये 6 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

केरल में शहरी मूलभूत सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में दिनांक 11.12.91 के अतारांकित प्रश्न सं० 3425 के उत्तरों में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : विषय के रूप में उपर्युक्त वर्णित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक—II में शहरों के विवरण में---

निम्नलिखित शब्दों और भवनों के लिए	इस प्रकार पढ़ा जाये
7. पुन्तूर	7. पुनालूर
13. कोट्टायम	13. कोझीकोड
15. वैकुम	15. वडाकरा
16. पलाई	16. पालाक्कड
19. पिरावम	19. पय्यान्नूर
14. छेंगनाचेरी	14. शोरानूर
17. इराट्टुपेट्टा	17. ओट्टाप्पलम
25. छलाकुड्डी	25. चित्तुर-टाटामंगलम
21. इलूर	26. मेट्टानूर
20. कलामसेरी	21. कन्नूर
23. इरजलाकुडा	23. मन्नारक्कड
24. कुन्नमकुलम	24. कुथुपारम्बा
22. त्रिचूर	22. थालीप्परम्बा
26. कोडगंलूर	20. कालपेट्टा
18. थोडुपुझा	18. थालेसरी

2. संसद प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना अपूर्ण थी। राज्य सरकार द्वारा प्रथमतः सम्मिलित किये जाने वाले नगरों के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने के कारण त्रुटि हुई। असुविधा के लिये खेद है।

3. चूंकि राज्य सरकार से पुष्टि/स्पष्टीकरण प्राप्त करने में कुछ समय लग गया, इसलिये शुद्धि पत्र अब प्रस्तुत किया जा रहा है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों दिल्ली में कुछ संस्थाओं जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट आन हैल्थ एण्ड फेमिली वैलफेयर, आई. सी. एम. आर, डब्ल्यू. एच. ओ, यूनिसेफ आदि संघठनों का, जिनका देश में नाम है, एक सेमीनार हुआ था जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से, जो दवाइयां बैन हो चुकी हैं, उस तरह की 15 हजार बैन ड्रग्स की हिन्दुस्तान समेत तीसरी दुनिया में बिक्री की जाती है और इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संघ की ओर से ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट के ऊपर भी वैन है और उसको भी हिन्दुस्तान में बिना बाधा के बेचा जाता है। इसलिए

मेरी इस सिलसिले में कहना है कि सरकार अभी तक कोई ड्रग्स पालिसी संसद् के समक्ष नहीं रख पराई है और इस तरह से 15 हजार बैन ड्रग्स का बिना संकोच विक्रय होता है, तो मैं आप से और आपके माध्यम से सरकार 1 कहूंगा कि यह जो बैन ड्रग्स हैं जिनके बारे में भारत सरकार के आई. सी. एम. आर., नेशनल हैल्थ इंस्टीट्यूट आन हैल्थ एण्ड फैमिलि वेलफेयर और डब्ल्यू. एच. ओ. वगैरह बार-बार आग्रह करते हैं फिर भी अध्यक्ष जी सरकार की तरफ से कोई बयान तक अभी नहीं दिया जाता है, तो मैं कहूंगा, नम्बर एक—इंटिग्रेटेड ड्रग पालिसी संसद के सामने रखे और 15 हजार बैन ड्रग्स को, जो सिर्फ वचन में नहीं है, कथा में नहीं है बल्कि सचमुच में बैन ड्रग्स को बाजार में बेचा जा रहा है, तो इनको रोक इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, यह बताया जाए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान केरल राज्य में 'एड्स' होने की एक बहुत ही विचलित कर देने वाले समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस देश के लोगों में अत्यधिक चिन्ता का कारण है। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि केरल में 'एड्स' की बीमारी बढ़ती जा रही है और प्रति वर्ष 'एड्स' रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक व्यक्ति की 'एड्स' से मृत्यु हो गई। गैर-सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से व्यक्तियों की इस भयानक बीमारी से मृत्यु हो गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में सभी संभव कदम उठाए। केरल के लोगों में 'एड्स' की बीमारी सबसे अधिक है क्योंकि वे खाड़ी के देशों में काम करते हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मुझे इस बात पर आपत्ति है। उन्हें इस बात को प्रमाणित करना होगा। इतनी आसानी से वह ऐसा नहीं कह सकते। उन्हें इसे यहां प्रमाणित करने दीजिए **(व्यवधान)**।

आप यहां पत्र लाइये। हम केरल से निर्वाचित संसद सदस्य भी इससे चिन्तित हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यदि सदस्य इसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं तो मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करूंगा **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद : ऐसा कहना उनके लिए अनुचित है। उन्हें यहां पर दस्तावेज लाने चाहिए। **(व्यवधान)**। आप पत्र लाइये तभी हम उसका उत्तर दे सकेंगे। वह जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। हम भी 'एड्स' के मामले से चिन्तित हैं। वह यह छवि बना रहे हैं कि केरल एड्स के रोगियों से भरा हुआ है। यह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने के बजाए हम केरल के सदस्य जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलें।

श्री ई० अहमद : हम देश में सबसे स्वस्थ व्यक्ति हैं। इन्हें आने दीजिए और हमारी चिकित्सा सुविधाओं, हमारे चिकित्सा संबंधी कल्याणकारी कार्य इत्यादि को देखने दीजिए। आप आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं करते हैं। ((व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय ··· ··

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसे सरकार की जानकारी में लाए हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग बम्बई में काम कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करूंगा। केरल के प्रतिष्ठित अस्पतालों में एड्स से ग्रस्त रोगियों को रखने के लिए पृथक वार्ड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह इसके बारे में विशेष रूप से कहना चाहते हो ?

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे ताकि इसमें और वृद्धि न हो और इससे लोगो के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े।

श्री रमेश चेन्नीतला (कोट्टायम) : मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी अन्य विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम आशा और प्रार्थना करें कि वह यहां न हो और सभी सावधानियां बरतें कि यह बीमारी यहां न हो।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, समाचार पत्रों में 'एड्स' के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। मैं अपने साथियों से सहमत हूं। प्रश्न यह है कि यहां पर और अधिक चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए रोगी आ रहे हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं। परन्तु उन्हें इस मुद्दे को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि इससे केरल के लोगों का अनादर हो।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरा ऐसा इरादा नहीं है।

श्री रमेश चेन्नीतला : महोदय, मैं किसी अन्य बिषय पर बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। चूंकि/ आप किसी अन्य विषय पर बोल रहे हैं इसलिए मैं प्रो० कुरियन को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार को अधिक जानकारी हो सकती है। हम उनसे जानकारी प्राप्त करें।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : परसों········

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, यह क्या है ? मैंने आपको कई बार बोलने की अनुमति दी है। आप थोड़ी देर के लिए इन्तजार क्यों नहीं करते। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय माननीय सदस्य यह छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक राज्य विशेष में 'एड्स' रोगियों की संख्या काफी अधिक है। महोदय, यह सही नहीं है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि इस तरह के कोई अपरोप हैं तो उन्हें कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया जाए। यह सही नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, समाचार पत्रों में केन्द्र सरकार की अन्तर्मन्त्रालयीय समिति द्वारा बम्बई हाई-कोची गैस पाइप लाइन के प्रस्ताव को नामंजूर करने के सम्बन्ध में अनेक समाचार प्रकाशित किये हैं। यह बताया गया है कि यह सम्भव नहीं है और इससे राज्य में शोक और विस्मय व्याप्त है।

राज्य में राजनीतिज्ञ, आयोजक और पर्यावरणीय वर्ग बम्बई तट से कोची तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के पक्ष में एक मत था।

केरल के औद्योगिक विकास के लिए यह पाइप लाइन बहुत ही सहायक होगी।

हाल ही में केरल के सदस्यों ने कायमकुलम विद्युत ताप परियोजना का प्रश्न उठाया है। यह अत्यन्त आघातपूर्ण है कि सरकार की अन्तर्मंत्रालयीय समिति ने बम्बई हाई-कोची गैस पाइप लाइन का प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिया है।

"केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा नियुक्त नौ सदस्यीय समिति द्वारा पाइप लाइन प्रस्ताव के विरुद्ध की गई सिफारिश राज्य के लिए प्रहार के रूप में देखी गई है राज्य की गत दो दशकों से औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है जिसने घोर विद्युत संकट का गैर-विवादास्पद और दीर्घकालीन हल निकालने के रूप में इस परियोजना को देखा है।"

क्या मैं सरकार से इस मामले पर शीघ्र ही विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं? केरल के मुख्य मन्त्री यहां पर आए और उन्होंने पेट्रोलियम मन्त्रालय में एक अभ्यावेदन भेजा। वह इस मामले पर कार्यवाही कर रहे थे। पिछले दो दशकों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इससे न केवल केरल राज्य को सहायता मिलेगी बल्कि इस ग्रिड से सभी दक्षिणी राज्यों का लाभ होगा। अत: क्या मैं माननीय मन्त्री जी और सरकार से इस मामले पर विचार करने को अनुरोध कर सकता हूं। यदि इसे अस्वीकार कर दिया गया है तो केरल के औद्योगिक विकास के लिए इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

टिहरी बांध के बारे में

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पर मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी कुछ मदद करने का काम करें। अनेक बार इस सदन में टिहरी डैम पर प्रश्न उठा है और उस पर अनेक प्रकार के निवेदन भी सरकार की तरफ से हुए थे। अभी अध्यक्ष जी, लगभग 10-12 दिनों के पहले सुन्दर लाल बहुगुणा जो इस आन्दोलन का वहां नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अनशन शुरू किया। माफ करियेगा, उनके अनशन को आज 20

दिन हो गये । 2-4 रोज के पहले वह टिहरी में धरना देकर बैठे थे । पुलिस ने न केवल उनकी गिरफ्तारी की बल्कि गुण्डों के द्वारा वहां पर उनके साथ बैठे हुए लोगों की पिटाई की और बहुत बुरे तरीके से विरोध करके उनको भगाने का काम किया है । इसके बाद सुन्दर लाल जी को वहां से गिरफ्तार करके रुड़की की जेल में बन्द कर दिया गया । रुड़की की जेल में उन्होंने अनशन शुरू किया । फिर सरकार ने एक दिन ऐसा तय किया कि हम उनको रिहा करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई की लेकिन अनशन पर बैठे श्री सुन्दर लाल जी ने अपने अनशन को फिर टिहरी में जाकर शुरू किया । जैसा कि मैंने कहा कि उसको 20 दिन हो रहे हैं । मामले में नया पहलू हैं उन पर मैं बहस नहीं छेड़ना चाहता हूं । लेकिन पिछले 3-4 दिनों मे अखबारों में यह खबरें अधिकृत ढंग से आई है जिन में पर्यावरण मन्त्री श्री कमलनाथ के कुछ बयान आदि आये हैं कि उस बांध के बारे में उनके मन्त्रालय का सख्त विरोध है और न केवल पर्यावरण के मामले को लेकर बल्कि जब भूकम्प आया था उस समय जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, उनको भी लेकर सख्त विरोध है । अब एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि रूस से इस बांध के लिए जो पैसा आना था, वह आना बन्द हो गया है । अभी मुझे एक जानकारी यह मिली है । और वहां से लिखित पत्र आये हैं कि ठेकेदार अपने खुद के पैसों से बांध के काम को आगे चला रहे हैं क्योंकि सरकार से पैसा नहीं दिया जा रहा है । वहां प्लास्टिंग चल रहा है । ठेकेदार सारी व्यवस्था और सारी परिस्थिति को अपने हाथ में लिये हुए हैं । प्रशासन की भी परवाह न करते हुए जैसे कि वे ही जमीन के मालिक हैं, देश के मालिक हैं, वहां बांध के काम को आगे ले जा रहे हैं । पैसा मिलेगा, शायद यह उन्हें विश्वास है । मैं जानता हूं कि सरकार के बीच भी इस मुद्दे को लेकर विवाद है लेकिन मेरे पास यहां बहुगुणा जी का पत्र है जो उन्होंने प्रधान मन्त्री जी को लिखा था और उसकी प्रतिलिपि हमें भेजी है । तीन रोज पहले यानी कि 15 तारीख का यह पत्र है । उसमें उन्होंने प्रधान मन्त्री के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया है और कैसे प्रधान मन्त्री ने वहां की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक ढग से समझा और उससे सुन्दर लाल जी को ऐसा अहसास हो गया कि अब यह मामला किसी न किसी रूप में हल होने की बात हो जायेगी लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही है ।

अध्यक्ष जी, मुझे सुन्दर लाल जी के प्राण के बारे में चिन्ता है । आज उनके अनशन को 20 दिन हो गये । वह गांधीवादी व्यक्ति हैं । आप सब उन्हें जानते हैं । बहुत सख्त अनशन पर वह बैठे हैं । आप जानते है कि सुन्दर लाल जी का नाम केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में भी लोग जानते हैं । राइट लाइवलीहुड जिस का आल्ट्रनेटिव नोबुल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, वह पारितोषिक भी उन्हें मिला था, "चिपको" और उसके साथ जुड़े पर्यावरण से संबंधित उनके काम को लेकर । आज उस व्यक्ति की जान वहां खतरे में पड़ी है । यहां सरकार के एक विभाग का यह कहना कि सुन्दर लाल जी की भूमिका बड़ी दुरस्त है, यह शब्द भले ही उनके न हो लेकिन मानना है कि वहां बांध का काम आगे बढ़ना ठीक नहीं है । सरकार के दूसरे अंग का विचार है कि यह काम होना चाहिए । वे अपने हाथों में सारी चीजें लेकर काम करते हैं । लाल जी यहां बैठे हुए हैं । मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस टिहरी के सवाल पर इस सदन के भीतर और सदन के बाहर बहुत सख्त विरोध व्यक्त करने का काम हो चुका है ।

इस सदन में उनके अनेक सदस्यों ने यह सवाल यहां पर छेड़ा है । आधे घण्टे की बहस एक बार यहां पर हुई थी, हमारे इस प्रश्न को लेकर और यहां पर जितने प्रश्न इस मुद्दे पर आये हैं, उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने इस सदन के भीतर इसके विरोध में अपनी

स्पष्ट भूमिका रखने का काम किया है और वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उस इलाके से इस सदन में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लाल जी से भी, आपके माध्यम से, उन से विनती करने की बात आती है, नहीं आती है, नियमों में बैठता है कि नहीं बैठता है, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें कम से कम इतनी भूमिका तो अपनाना चाहिए कि टिहरी और गढ़वाल के इलाके में पुलिस और मजिस्ट्रेट का इस वक्त जो आतंक चला है, ठेकेदारों के जरिये, उन ठेकेदारों के आतंक को रोकने में वे कुछ भी कदम वहां पर नहीं उठा रहे हैं, यह बात एक तो वहां की जाय क्योंकि 20 तारीख को वहां पर एक बहुत बड़ा जन सम्मेलन होना है। मुझे लगता है कि कुछ संसद के सदस्य भी उस दिन वहां पर पहुंच जायेंगे लेकिन वहां पर एक आतंक का जो वातावरण है, उस आतंक के वातावरण से वहां बहुत परेशानी लोगों में है। मेरी प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश की सरकार से, आपके माध्यम से, कि वे भी इसमें कुछ सचेत होकर वहां की स्थिति पर काबू पाने का काम करें।

अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि सुन्दर लाल बहुगुणा जी की जान बचाने के लिए जो कोई भी सरकार को कदम उठाना जरूरी है, वह कदम उठाने के लिए भी आप सरकार को कहें।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, जो बातें आर्ज साहब ने कहीं हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि 28 फरवरी को जब अनशनकारी लोग सो रहे थे, कोई प्रदर्शन करना, नारे लगाना, आन्दोलन करना, ऐसा कोई एजीटेशनल सवाल नहीं था और ऐसी हालत में सोते समय पुलिस का जाकर लोगों को पकड़ना और 8 दिन तक रिमाण्ड न देना, यह जो विहित प्रक्रिया है, इण्डियन पैनल कोड की, उसके भी खिलाफ है और किन्हीं परिस्थितियों में सुन्दर लाल जी बहुगुणा तो रिहा कर दिये गये लेकिन उनके साथ जो 18 लोग गिरफ्तार किये गये थे, आज भी वे जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा।

[हिन्दी]

दूसरी बात, सरकार को स्पष्ट रूप से इस सदन और देश के सामने यह बताना चाहिए कि टिहरी परियोजना की अभी स्थिति क्या है, क्योंकि, रूस से हमको जो इमदाद मिलने वाली थी, आज उस देश के बिखर जाने के बाद उस इमदाद में पूरी कटौती की गुंजाइश पैदा हो गई है और इस बात की पूरी सम्भावना है कि उस परियोजना को पूरा करने में जो सम्पूर्ण सहायता मिलने वाली थी, उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह लग गया है। ऐसी स्थिति में सरकार उस परियोजना को पूरा करायेगी, नहीं करायेगी ? भूकम्प आने के बाद जो परिस्थिति निर्माण हुई है जिसके बारे में तमाम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यह कहा जा रहा है कि अब पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी हालत में उस परियोजना को पूरा करना पर्यावरण के विरुद्ध होगा और ऐसा एक अखबारी बयान, अखबारों के ही जरिये हम लोगों की जानकारी में आया कि पर्यावरण मन्त्रालय कहता है कि जो तकनीकी सुधार करने के बाद उस परियोजना को हमने निर्देश दिये थे, उस परियोजना के टेक्नो-क्रेट्स ने उसको पूरा नहीं किया इसलिए हमारी तरफ से जो छूट मिलनी चाहिए, पर्यावरण की तरफ से नो आब्जैक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, उसे देने पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं वह हम रिजेक्ट कर देंगे या नहीं देंगे। ऐसी स्थिति हो गई है इसलिए सरकार को तीन मुद्दों पर बयान

देने की जरूरत है कि जो लोग सुन्दर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. उनके साथ सरकार का क्या व्यवहार होगा ? नवम्बर-2, वह परियोजना किस की मदद से, रूस की इमदाद न मिलने के बाद पूरी की जाएगी या नहीं की जायेगी ? नवम्बर—3, भूकम्प आने के बाद तकनीकी दृष्टि से उस परियोजना का पूरा किया जाना क्या अब भी वांछित रहा है ? इस समय स्थिति पर जो देश में शंका और प्रतिशंका का वातावरण है, उसका निदान करने के लिए सरकार को एक सम्पूर्ण वक्तव्य इस सदन के सामने देना चाहिए, यह मैं आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम यह भी महसूस करते हैं कि टिहरी बांध के पर्यावरण पक्ष की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मित्रवर जार्ज फर्नाण्डीज ने जो प्रश्न अभी उठाया है, उसके एक पहलू के बारे में, मैं समझता हूं कि सारा सदन एकमत होगा कि श्री सुन्दर लाल जी बहुगुणा जैसे व्यक्ति, जिन्होंने पर्यावरण के सन्दर्भ में इतना काम किया है, इतनी तपस्या की है, उनके अनशन का अगर बीसवां दिन है तो यह चिन्ता की बात है। हमारा उनसे भी अनुरोध होगा जिनका भी उन पर प्रभाव है उनसे अनुरोध होगा कि इस प्रश्न पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके कारण इस समस्या की ओर ध्यान, इस देश का गया है कि वे अपना अनशन समाप्त करें। इसी आशय की चर्चा कल रात्रि को ही मैंने मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश से की थी और उन्होंने भी मुझे कहा कि वे भी उन्हें अपील करने वाले हैं कि वे अपना अनशन समाप्त करें। इस प्रश्न पर कि वहां पर बांध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और बनना चाहिए तो किस हाइट का बनना चाहिए, इस पर जहां विशेषज्ञों में दो मत हैं, वहां साधारण जनता में भी दो मत हैं, इस सदन में भी एकआध बार चर्चा हुई है। हमारे वहां से निर्वाचित लोगों ने इसका विरोध किया था और खास करके भूकम्प के बाद, मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, जब केन्द्रीय सरकार, जितना उनके पास तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर उनका मन बना है उसकी जानकारी से हम सदन को अवगत कराएं क्योंकि केवलमात्र पर्यावरण मन्त्री ने एक बात लिखी है, सरकार इस मामले में कुछ भी न करे, इससे काम नहीं चलेगा और भारत सरकार का इस मामले में तकनीकी परामर्श के आधार पर क्या मत बनना है इसकी हमको जानकारी मिलेगी तो शायद हम अपनी प्रतिक्रिया इस बांध के सन्दर्भ में भूकम्प के बाद खास करके सही रूप से दे सकेंगे।

मेरी प्रदेश सरकार से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है, अभी तक उनको जितनी जानकारी मिली है, तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा, उसके आधार पर उनको लगता है कि भूकम्प के बाद भी वहां पर कोई खतरा नहीं है और अगर यह बांध नहीं बना तो उस क्षेत्र का अहित हो सकता है मैंने जैसे प्रारम्भ में कहा कि यह जो सारा मामला है उसके दोनों पहलू हैं और उन दोनों पहलुओं में कौन सा पहलू ज्यादा वजनदार है उसके बारे में जब निर्णय हो सकेगा, जब भारत सरकार के पास जितनी जानकारी है उसके आधार पर अपना मन बनाकर इस सदन के सामने रखे, इसी बात का अनुरोध करते हुए मैं जार्ज साहब की आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम भी अनुरोध में शामिल है ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अनशन तो समाप्त होना चाहिए । **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अपना मन बनाए, जैसे आडवाणी जी ने कहा और प्रदेश सरकार भी इस पर फिर से विचार करे, यह कहना तो ठीक है । हम लोग सुन्दर लाल जी की इज्जत करते हैं लेकिन क्या किसी बांध को बनने से रोकने के लिए जान की बाजी लगाना, यह उचित तरीका है । **(व्यवधान)** कल नर्मदा की इतनी बड़ी विकास योजना हाथ में ली गई है तो अब कोई हो सकता है कि पर्यावरण के बारे में तीव्रता से अनुभव करे, मगर फिर भी वे कौन-सा रास्ता अपनाएं कि अगर नर्मदा के विकास की योजना ली गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे । जैसे कि आडवाणी जी ने कहा है कि जार्ज साहब अपने प्रभाव का उपयोग करें और सुन्दर लाल जी को छोड़ दिया गया है वे अनशन तोड़ दें और फिर सारे मसले पर केन्द्र में विचार हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, जरूर विचार होना चाहिए मगर अनशन चलता रहेगा तो वहां तनाव रहेगा ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, इस अनुरोध में हम अन्य लोगों के साथ है ।

इन बड़ी योजनाओं के बारे में, कई व्यक्तियों ने कतिपय चिन्तायें व्यक्त की है, जो अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी कार्य किया है । श्री वाजपेयी ने नर्मदा परियोजना का उल्लेख किया है । उनके प्रतिनिधि हमारे पास आये थे और उन्होंने भी विस्थापित व्यक्तियों के बारे में कतिपय शंकाएं व्यक्त की हैं । अब यदि कतिपय शंकायें हैं और श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जैसे व्यक्तियों द्वारा कतिपय प्रश्न उठाए जाते हैं और वे आम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो सरकार लोगों के दिमाग से शंकाएं दूर करने के लिए क्या उपाय करेगी ? अब विकास परियोजनाएं होनी हैं । कतिपय आपत्तियां हो सकती है और वे सही दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकती है । लेकिन देश में एकमत कैसे उत्पन्न किया जाए और लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाये ? यह टकराहट जैसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह लोगों को सहमत करने के लिए होनी चाहिए । इसी लिए हम सरकार से आग्रह करते है कि वह नेताओं और अन्य सभी सम्बन्धित लोगों को विश्वास में लें और उनके समक्ष सभी बातें रखें तथा लोगों को इस बात से संतुष्ट करें कि यह देश के हित में किया जा रहा है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं, और यह कि जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, उनका उचित ढंग से पुनर्वास किया जायेगा । यह एक अत्यधिक गम्भीर पक्ष है । जिस ढंग से चिन्ताएं व्यक्त की जाती हैं, हम यह कहकर कि ये प्रवर्तित है, उनसे छुटकारा नही पा सकते । नहीं । हमें स्थिति से एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ निपटना है । यह मेरा अनुरोध है ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, कल्याण सिंह जी का बयान और आडवाणी जी ने जो बातें कही हैं, अनशन तोड़ने के लिए अनुरोध करना, हम सब इसके लिए अनुरोध करते हैं ।

यह कोई दल विशेष के नेता नहीं हैं। पर्यावरण के बारे में, चिपको आंदोलन भी उन्होंने चलाया और पर्यावरण के बारे में उनको विशेष ज्ञान है, इसके लिए वे तकलीफ उठाते हैं, देश के जन-नेता हैं। इसलिए मैं कुमार मंगलम जी से भी अनुरोध करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तो अनशन तोड़ने के लिए अनुरोध करेंगे ही, भारत सरकार की ओर से भी अनुरोध किया जाए, क्योंकि उनके मूल्यवान जीवन की रक्षा की जा सके, हम लोग भी इस बारे में अपील करें कि बहुगुणा जी तुरंत अनशन तोड़ दें।

दूसरा सवाल यह है कि इस सदन में हम लोगों ने इस बारे में बहुत शंका व्यक्त की है, मैं यह बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं, इस बारे में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तीन दिन से अखबारों में यह आ रहा है कि कमलनाथ जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, टिहरी डैम बनाने की जो अन्तरिम अनुमति दी थी, उसको वापिस लेने वाले हैं। जब ऐसा है तो बहुगुणा जी जिस चीज के लिए अनशन कर रहे हैं और पहाड़ी लोगों की खातिर जो काम कर रहे हैं, वह कारण समाप्त हो जाएगा, अगर सरकार इस बात को मान लेती है। तो सरकार इसको लीक करने के बजाए, तीन दिन से लीकेज हो रहा है, अखबार वालों को कहा जाता है कि—श्री कमलनाथ के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है, मेरा कहना है कि यह इतना बड़ा सवाल है, सारा सदन इसके लिए चिंतित हैं, तो सरकार का जो रूख है; तकनीकी रूख है, जैसे रूस ने कह दिया है कि हम पैसा नहीं देंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को बताया जाए, ताकि इसके बारे में सदन अपना मन बना सके।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें हुई हैं, सदन की ओर से अपील की जाए कि बहुगुणा जी अनशन तोड़ दें। जहां तक तकनीकी मामला है, इस मामले पर बहुत समय और साधन व्यय इसकी उपयोगिता के बारे में किया गया है। जल-ससाधन हमारे देश का सबसे बड़ा धन है। अगर हम इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो बाढ़ आ जाती है, पानी न रहने से सूखा पड़ जाता है, विद्युत संकट पड़ जाता है। विद्युत संकट आ जाती है, इसलिए पर्यावरण के नाम पर बहुद्देश्यीय नदी परियोजनाओं को बंद करना देशहित और मानवता के खिलाफ बात है। रवि राय जी ने ठीक कहा कि यदि पर्यावरण मंत्री कोई काम चुपके से करते हैं तो यह ठीक नहीं है, सरकार को एक आवाज से बोलना चाहिए, भीतर से उलझन पैदा न करें, उपद्रव न कराएं। जहां तक विस्थापितों की बात है, उनके बारे में हम सब मांग करें, लेकिन उनको रोक कर रखना देश हित के खिलाफ है, इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे देश का भाग्य जुड़ा हुआ है, यह किसी एक इलाके का मामला नहीं है। पानी से विद्युत पैदा होती है, कोयले से पैदा विद्युत से पर्यावरण बिगड़ता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नहरों के दोनों किनारों पर वृक्ष लगाने के आदेश दे दिए जाएं तो पहले से 50 गुना ज्यादा वृक्ष हो जाएंगे। इसी तरह से रेल-पथ के दोनों ओर तथा सड़कों के दोनों ओर सारे देश में वृक्ष लगाना राष्ट्रीय नीति का हिस्सा होना चाहिए। यदि यह काम हो जाएगा तो सारा देश बागान हो जाएगा। पर्यावरण का काम राष्ट्रीय नीति का हिस्सा होना चाहिए।

बहुगुणा जी से अनशन तोड़ने की अपील की जाए, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चन्दूलाल जी क्या आपको इस मुद्दे पर बोलना है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : इस मुद्दे पर और दूसरे मुद्दे पर भी।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर तो अवश्य, अन्य पर शायद 'नहीं'।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : महोदय, वह भी अत्यधिक आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : तब आप अन्य मुद्दे विषय पर बोलें। मैं इसके बाद आपको एक अवसर प्रदान करूंगा। आप इस पर कृपया बाद में बोलें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : अध्यक्ष महोदय, टिहरी बांध का मुद्दा लगभग सभी दलों द्वारा उठाया गया है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि श्री सुन्दरलाल बहुगुणा किसी दल विशेष से संबद्ध व्यक्ति नहीं हैं। वह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविज्ञ हैं। मैं और सरकार भी सभा के साथ एक स्वर में अपना अनशन छोड़ने का अनुरोध करना चाहते हैं। इस विषय पर इस सभा में विभिन्न सरकारों के साथ कई बार चर्चा हो चुकी है। जैसा कि श्री भोगेन्द्र झा ने ठीक ही इंगित किया है, तकनीकी और वित्तीय पक्षों पर भी चर्चा हुई है। पर्यावरण और उपयोगिता दृष्टिकोण दोनों से ही समान रूप से सशक्त भावनाएं हैं। मेरे विचार से इस विषय को बार-बार उठाने की बजाए यह कहना अच्छा होगा कि सभी दल इस विषय पर चिंतित हैं। मेरे विचार से इस विषय में निरन्तर यह बहस करने से कि क्या यह सही है या गलत, क्या यह तकनीकी रूप से पूर्ण है या नहीं आदि की उपेक्षा हम सभी को किसी समय विशेष पर एक साथ बैठकर इस सत्र के दौरान हमारे पास समय है—समाधान निकालना चाहिए। इसमें कोई भी दल दोषी नहीं हैं। यह एक विकास संबंधी मामला हैं। हमें इस विकास संबंधी विषय को इस अर्थ में लेना चाहिए कि यह देश के हित में है। क्या लाभ ऐसा है कि यह न्याय संगत है या नहीं है। कतिपय अन्य समस्याएँ भी हो सकती है।

मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि पहले हम इस पर मिल बैठकर चर्चा करें और इसके बारे में एक पूरा चित्र तैयार करें और वातावरण को और अधिक विभ्रमित करने की अपेक्षा जैसा कि ठीक इंगित किया गया है—लोगों के माध्यम से एक संयुक्त विचार को सामने लाया जाना चाहिए ताकि एक विकास परियोजना पूरी हो सके।

तथाकथित रिसाव के संबंध में, माननीय पर्यावरण मंत्री के नजदीकी स्रोतों ने इस विषय आदि का उद्धरण दिया है, मेरे विचार से माननीय मंत्री जी यहां उपस्थिति हैं, वे यह पता लगायेंगे और यदि आप चाहें, तो वापस आकर सभा को जानकारी देंगे। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, श्री बहुगुणा की भूख हड़ताल और टिहरी बांध से संबंधित मामला उठाया गया था। क्या आप इस समय कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : रिसाव के सम्बन्ध में आप क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, रिसाव एक अत्यन्त छोटा-सा मुद्दा है।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं पहले सभा में नहीं था। मेरे सहयोगी, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री मुझे बता रहे थे कि वहां क्या हुआ है। मेरे विचार से यहां उपस्थित सदस्य प्रसन्न होंगे यदि

वे मुझे बतायेंगे कि क्या चर्चा हुई थी। सभा में जो चर्चा हुई थी उससे वे मुझे अवगत करा रहे थे। मैं राज्य सभा में था। राज्यसभा में भी ऐसा ही एक मुद्दा उठाया गया था।

मैंने इस सभा में पहले ही बताया है कि टिहरी बांध परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जुलाई, 1990 में प्रदान की गई थी। परन्तु यह स्वीकृति कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई थी। मैंने कई माह पहले सभा में यह भी बताया था कि इनमें कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई है। मैंने इसको टिहरी बांध अधिकारियों के ध्यान में भी लाया था और हम उनके साथ कार्यवाही कर रहे हैं। श्री सुन्दर लाल बहुगुणा की गिरफ्तारी से उनको रिहा करने के बाद से उपवास पर है। मैं यहां माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था जिसमें किसी समझौता वार्ता या चर्चा के लिए आवश्यक जानकारी, आदान-प्रदान करने के लिए कहा था। श्री सुन्दर लाल बहुगुणा भी मुझे कुछ समय पहले मिले थे और उन्होंने मेरे से स्थिति के बारे में पूछा था। हम सभी को पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुमोदन का यह अर्थ नहीं है कि केवल सरकार को कार्य करना है, बल्कि गैर-सरकारी व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को रोकने के लिए मेरे मंत्रालय को नोटिस जारी किये गये हैं हम उन पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। कोई छलकपट नहीं है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैंने सदन में बताया है और मैं इसे पुनः दोहराता हूं कि यदि पर्यावरण शर्तें पूरी नहीं की जा रही है, तो टिहरी बांध से पर्यावरण स्वीकृति वापस लेने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। यदि उनका उल्लंघन किया जायेगा तो मैं उस स्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा। हमारा रवैया इस बारे में कतई स्पष्ट है, क्योंकि यह केवल विकास का ही प्रश्न नहीं है। इससे कई बातें जुड़ी हुई हैं और भूकम्प के बाद तो और अधिक। मैंने उस क्षेत्र माननीय सदस्यों से भी चर्चा की है। माननीय सदस्य मेरे यह कहने का बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने कर्नल खंडूरी जी तथा अन्य से भी इस विषय पर चर्चा की है और उन्होंने मुझे लिखा भी है, मेरे से मिले भी हैं, तथा मैंने उनके विचार जानने के लिए उनके साथ चर्चा भी की है, क्योंकि वे लोगों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए मैं निरन्तर यह अन्तःक्रिया कर रहा हूं। ऐसा कोई छलकपट नहीं है कि कोई कुछ गुप्त जानकारी दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब खुला है और जो कुछ शर्तें है, गुप्त जानकारी के लिए कुछ भी नहीं है। जो पूरा नहीं किया गया है, वह पूरा नहीं किया गया है। गुप्त जानकारी देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस सभा में मैंने एक अत्यधिक स्पष्ट और खुला रवैया अपनाया था। इसलिए, मैं सदस्यों को केवल जानकारी प्रदान करना चाहता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह कहा है कि आवाह क्षेत्र अभिक्रिया, खतरा प्रबन्धन योजनाओं आदि पर पर्यावरण प्रभाव से संबंधित मामलों पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री को विगत सप्ताह लिखा था कि हम श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी के साथ चर्चा कर सकते हैं और इस चर्चा के लिए मैं कोई भी मंच, कोई भी जानकारी, कोई आवश्यक आदान प्रदान करने के लिए अत्यधिक इच्छुक हूं। क्योंकि यह अच्छी स्थिति नही है कि बहुगुणा जी यह आन्दोलन कर रहे है— पहले उनको गिरफ्तार किया गया और अब वे अनशन पर है, और ऐसी भी रिपोर्ट मिली है मैं नहीं जानता कि वे सही है या नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। इसलिए, महोदय मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि टिहरी बांध से पर्यावरण स्वीकृति वापस लेने का यह मुद्दा, जैसा कि मैंने राज्य सभा में बताया है, सक्रिय रूप से विचाराधीन है। और ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार से, हम श्री सुन्दरलाल बहुगुणा से उनके आन्दोलन को वापस लेने का अनुरोध कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, उन्होंने पहले से ही व्याप्त···भ्रम को और भी गूढ़ बना दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वे शर्तें क्या हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है और किन-किन शर्तों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हमें यह मानना चाहिए कि उन्होंने किसी भी मुद्दे को भ्रम पूर्ण नहीं बनाया है तथा कोई आश्वासन नहीं दिया है। वह मामले की बहुत सावधानी पूर्वक जांच करेंगे।

आपकी ओर से तथा संसद सदस्यों की ओर से मैं कुछ कहना चाहूंगा।

मैं, श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी को जानता हूं। मुझे उनसे मुलाकात करने तथा पर्यावरण सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के कई अवसर प्राप्त हुए हैं। वह एक महान् आत्मा वाले पुरुष हैं। तथा पर्यावरण से संबधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें उनके मार्ग निर्देशन तथा आशीर्वाद की आवश्यकता है। वे स्वस्थ और भले-चंगे रहें। हमें पर्यावरण की सुरक्षा जानी चाहिए तथा उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। विकास के कार्य करने चाहिए। लेकिन यदि कभी ऐसा लगे कि ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं तो हमें इनके बीच एक सतुलन कायम करना होगा।

टिहरी बांध को लेकर लोगों के विभिन्न मत हैं। हमें उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा तथा उन पर सावधानी पूर्वक कार्यवाही भी करनी है। निश्चय ही सरकार द्वारा मुद्दे का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। हम, लोक सभा के सदस्य, यह अनुरोध करेंगे कि वह अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें तथा पर्यावरण विज्ञों को अपना मार्ग निर्देशन देना जारी रखें। हमारा उनसे अनुरोध है कि वह इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले आन्दोलन को अपनी दिशा प्रदान करें और हम आशा करते हैं कि वह हमारे अनुरोध की ओर ध्यान देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट देश का सबसे बड़ा प्लांट है और वह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन वहां पर दल्ली राजहरा से आयरन ओर आता है। परन्तु तीन साल बाद खत्म होने वाला है। अभी तक दिल्ली राजहरा से बैलाडीला तक रेल लाईन निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लेकिन तीन साल बाद भिलाई का कारखाना बन्द होने का खतरा बनता जा रहा है। भिलाई में जितने भी कर्मचारी है चाहे स्टील प्लांट के हों, चाहे स्टील के मंत्री हों, सभी चिन्तित हैं कि यह बड़ा कारखाना जो सबसे अधिक लाभ दे रहा है वह तीन-चार साल के बाद बन्द हो जायेगा। यदि उसके लिए रेलवे लाइन नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से विशेष अनुरोध करता हूं कि उस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तत्काल काम शुरू करें। यदि नहीं कर सकेंगे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और बुरा परिणाम होगा। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जिला बस्तर जो कि आदिवासी जिला है, यह हरियाणा से भी बड़ा है, लेकिन वहां रेलवे लाइन नहीं है। इसके कारण हो वहां का विकास नहीं हो रहा है,

आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। वहां तरह-तरह की धातु हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनका भी ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज आपके जरिये हमारी सरकार से विशेष अनुरोध करता हूं कि वहां रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कार्य शुरू करें।

दूसरी बात यह है कि मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो सुन्दरलाल बहुगुणा जी से अनशन बन्द करने की अपील की है। मैं भी उनको चालीस साल से जानता हूं। जब मैं अखबार में था तभी से मैं और वे अखबार की दुनिया से सम्बन्धित रहे है। उनको पर्यावरण के बारे में व्यक्तिगत जानकारी बहुत है। उनकी बातों पर हमें विचार करना चाहिए और उनको मानना चाहिए। वे संसद सदस्य नहीं हैं। इसलिए अध्यक्ष जी ने जो उनसे अपील की है पूरे सदन की तरफ से मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं दो-चार और सदस्यों को मौका दूंगा। आज कालिंग अटेंशन भी है, लेकिन उससे पहले मुझे अनाऊंसमेंट करनी है।

(**व्यवधान**)

12.42 म. प.

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह जानकारी देनी है कि कार्य मंत्रणा समिति ने आज सुबह हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(एक) शुक्रवार, 20 मार्च, 1992 को निर्धारित बैठक रद्द की जाए।

(दो) सदन की बैठक सोमवार, 23 मार्च, मंगलवार, 24 मार्च और बुधवार, 25 मार्च, 1992 को शाम 8.00 बजे तक हो, जिससे कि सरकारी कार्यों की महत्त्वपूर्ण मदों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था हो सके। अर्थात् (एक) वर्ष 1991-92 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा। (दो) वर्ष 1992-93 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान, (तीन) वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान तथा सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को पारित करना। वित्त मन्त्री गुरुवार; 26 मार्च, 1992 को, किसी गैर-सूचीबद्ध कार्य का निष्पादित किए बिना तथा औपचारिक मदों को निपटाए बिना; प्रश्न काल के पश्चात् वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को पारित किया जा सकता है।

(तीन) आज के दिन की समाप्ति पर निपटाए न जा सके अध्यादेशों के प्रति स्थापन से सम्बन्धित विधायी कार्य को गुरुवार, 26 मार्च, 1992 को लिया जा सकता है।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि सदस्यों को नियम 377 के अन्तर्गत मामलों से सम्बन्धित नोटिसों को जो आज, 18 मार्च, 1992 की सायं 6.00 बजे तक पटल पर रखने की अनुमति दी जाए

जो सोमवार 23 मार्च, 1992 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए विधि मान्य होगा। प्राथमिकता प्रदान करने लिए इनका बैलट किया जाएगा।

मैं आशा करता हूं कि सदन उपर्युक्त सिफारिशों से सहमत है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने आज भी प्रश्न पूछा था, आज दूसरों को मौका दें।

डा० छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश में एड्स के रोगी

अध्यक्ष महोदय : अभी हुआ है।

डा० छत्रपाल सिंह : वह केरल के बारे में था, मैं पूरे देश का मामला उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं किसी अच्छे विषय पर बोलने के लिए चांस दूंगा, मुझसे आप मिलना।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि बिहार में, झारखण्ड मुक्ति मोर्चे के आन्दोलनकारियों ने यह निर्णय लिया है कि यदि सरकार इस महीने की 22 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं करती है, जैसा कि उनके आन्दोलन में मांग की गई थी, तो वे एक पक्षीय रूप से बिहार में झार खण्ड राज्य की घोषणा कर देंगे। इसके साथ ही, समाचार-पत्रों में यह रिपोर्ट भी छपी है कि आन्दोलन के नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का भी निर्णय लिया है। वे सशस्त्र संघर्ष भी शुरू करने जा रहे हैं।

यह बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि हम पहले से ही पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से ग्रस्त है। इसलिए, यह निहायत ही जरूरी है कि सरकार सामने आए, आन्दोलनकारी नेताओं को बुलाए, उनके साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें, तथा उसका सौहार्दपूर्ण हल निकालें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो देश के अन्य स्थानों पर भी समस्या खड़ी की जाएगी जो राष्ट्रहित के विरुद्ध होगी।

यह नितान्त आवश्यक है कि गृहमन्त्री जी आन्दोलनकारी नेताओं को बुलाएं और उनके साथ बातचीत करें जिससे कि इस देश की एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए कोई समाधान ढूंढ़ा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आप इस नाजुक मुद्दे पर गृहमन्त्री जी के साथ बातचीत करें। तो बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज के समाचार-पत्रों में "पाकिस्तान दक्षिण भारत में अपना जासूसी जाल फैलाने लगा है' शीर्षक से एक बहुत ही गंभीर समाचार प्रकाशित हुआ है। पाकिस्तान का गुप्तचर संगठन आई०एस०आई० पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व के अलावा दक्षिणी राज्यों में अपना जाल फैलाने लगा है। इस संगठन के बारे में मेरे पास पहले से कुछ सूचनायें हैं। यह समाचार बहुत ही गंभीर है। एक पर्सनल नाम श्री जी० एस० चावला है जिसने सरकार को बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दी है कि दक्षिण क्षेत्र केरल और तमिलनाडु—में कुछ फंडमेंटेलिस्ट्स छोटे-छोटे संगठन बना रहे हैं और एंटी-इण्डिया गतिविधियों में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष जी, देश की गुप्तचर एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दी है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, प्रेस अटैची—जिनके बारे में कहा जाता है—आई० एस० आई० के सदस्य हैं, ने तमिलनाडु और केरल की यात्रा की और इन सगठनों से सम्पर्क किया। क्या यह भी सच है कि इन उग्रवादी संगठनों ने केरल और तमिलनाडु में ट्रेनिंग कैम्प लगाये और इनके लिट्टे के साथ संबंध हैं ? क्या भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने सरकार को यह खबर दी है कि पाकिस्तान की तीनों फोरसेज लैण्ड, नेवी और एअर फोर्स के अधिकतर लोग इस आई०एस०आई० में शामिल है। पिछले दिनों भारतीय सैनिकों ने भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो आई०एस०आई० से सम्बन्ध रखते हैं ? क्या कुछ माह पूर्व पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर केरल, तमिलनाडु के दौरे पर गये थे ? क्या यह भी सही है कि हाई कमिश्नर ने पिछले दिनों कश्मीर के बारे में आपत्तिजनक प्रेस स्टेटमेंट दिया था और भारत सरकार की ओर से उन्हें बुलाया गया, तब इन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया था ? अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ समय पहले से इस हाई कमिश्नर को हिन्दुस्तान से निकालने की बात उठाई गयी थी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि क्या होम मिनिस्टर भारतीय एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर और प्रेस एटैची, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आई०एस०आई० के मेम्बर्स है, कोई कारंवाई करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : अध्यक्ष जी, हरियाणा के लगभग आधे भाग में हिसार में स्थित पैट्रोल के डिपो से डीजल व पैट्रोल उपलब्ध होता है।

अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से हरियाणा के बहुत से भागों में विशेषकर जींद, हिसार जिलों में स्थित पैट्रोल पम्पों पर और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डीजल आऊटलेट बुरी तरह से शुष्क और खाली पड़े हुए हैं। गेहूं की फसल में जब उसका दाना पकने लगा है और इसे पानी की अत्यंत आवश्कता है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे किसानों को अपार हानि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में किसानों के डीजल पम्पों तथा ट्रकों पर अपना गन्ना शुगर मिलों में पहुंचाने पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा में विशेषकर हिसार डिपो जो कि इस समय तेल से बिल्कुल खाली है. उसमें डीजल, पेंट्रोल इत्यादि उपलब्ध कराने का पग उठाया जाए, धन्यवाद।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब स्पीकर, मैं आपके जरिए एक बहुत ही अहम मसला उठाना चाहता हूं। 5000 हज यात्री तीन खेप में समंदर के रास्ते 92 के हज में जाने वाले हैं। उनकी पहली खेप 7 अप्रैल को जाने वाली थी। पिछला जो आखिरी हज का जहाज था, वह इस साल अन सी/वर्दी डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया कि वह एक जहाज और जो कि अंडमान निकोबार के रास्ते पर चलता है, उसे वह हज की तीन खेप ले जाने के लिए मुहैया करेंगे और उस जहाज को 17 मार्च को बम्बई पहुंचना था, लेकिन आज 18 है और वह नहीं पहुंचा है और इस बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ लोगों की दरख्वास्त पर एक स्टे दे दिया है कि जब तक वहां पर 15 दिन के अन्दर जहाज बदली में देने का सवाल सरकार तय न करे तो हजियों के लिए जहाज न हटाया जाए।

एक जहाज सरकार ने पोलैण्ड से मंगवाया है, वह 15 अप्रैल तक आने वाला है। मेरी यह दरख्वास्त है कि हजियों की इन तीन खेप को वक्त पर सउदी अरब पहुंचाने के लिए और इस साल उनका हज नागा न हो, इसके लिए जहाज का फौरन इन्तजाम किया जाए। पानी के जहाज और हवाई जहाज के किराए में तकरीबन 7000 रुपए का फर्क है। पानी के जहाज वाले हवाई जहाज से नहीं जा सकते। अगर सरकार मजबूर है कि पानी का जहाज मुहैया नहीं कर सकती तो फिर उनके लिए हवाई जहाज का प्रबन्ध करना पड़ेगा तो सरकार के लिए फिर लाजिम होगा कि जो फर्क है, उनको बर्दाश्त करे चूंकि आखिरी वक्त में हाजी अपना पैसा नहीं दे सकते। वरना सरकार से मेरी यह भी गुजारिश है कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने 15 दिन से कुछ और मोहलत मांगे कि पोलैण्ड का जहाज वक्त पर आ जाएगा और उस कमी को पूरी कर देंगे अंडमान निकोबार के रास्ते पर, और इस जहाज के लिए जो प्रोग्राम पहले प्रधान मंत्री ने खुद तय किया था, उस प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा और ये जहाज फौरन बंबई भेजा जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्रि लक्ष्मन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं बहुत भारी दिल से एक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस वक्तव्य पर अपना भाव व्यक्त करने लिए उठी हूं कि केरल एड्स रोग से बुरी तरह प्रभावित है तथा यहां पर एड्स के रोगियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। उन्होंने ऐसा कहा है लेकिन यह सच नहीं है। उनका बयान गुमराह करने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक बयान दिया गया था कि सन् 2,000 तक समूचे भारत में संभवतः हमारे 25 प्रतिशत लोग इस रोग से प्रभावित होंगे, न कि केवल केरल में। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एड्स प्रभावित रोगियों में 40 प्रतिशत दूसरे राज्यों के हैं। मुझे राज्य का नाम लेने में दिलचस्पी नहीं है लेकिन हमारे राज्य का नाम लेकर उन्होंने ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है और यह सही नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मणिपुर के लोग अपनी विभिन्न

शिकायतों की सरकार द्वारा उपेक्षा किए जाने के कारण काफी लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं। प्रमुख शिकायतों में से एक शिकायत संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को मान्यता न दिया जाना है। इस सम्बन्ध में उनके शिष्टमंडल भी आते रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में हमारी भाजपा की राज्य इकाई ने भी प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया है। जिसमें एक लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं इस समय उनकी विधान सभा की बैठक स्थगित चल रही है। इससे कानून और व्यवस्था का भी मसला खड़ा हो रहा है। उनका आन्दोलन एक नया मोड़ ले रहा है। जिसमें यहां तक कि हिन्दी फिल्मों, हिन्दी पुस्तकों तथा हिन्दी समाचार-पत्रों को भी देखने और पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे अब कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है और चूंकि विधान सभा वहां कार्य नहीं कर रही है: यह आवश्यक है कि प्रधानमन्त्री इस मुद्दे पर पहल करें और मणियुर भाषा को सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करते हुए। सदन में एक विधेयक लाएं। और सरकार को वहां व्याप्त परिस्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप हरकत में आना चाहिए तथा सदन में एक बयान देना चाहिए।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से जलपाई गुड़ी डिविजनल टाउन, के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की 'सरकिट बेन्च' स्थापित करने की मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उस मुद्दे पर पहल की थी। 3 जून, 1988 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वहां एक सरकिट बेन्च स्थापित करने का निर्णय सुनाया। इस प्रयोजन हेतु, जलपाई गुड़ी डिविजनल टाउन स्थित नबाव-बाड़ी में कई कमरे निर्धारित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जुलाई, 1990 में श्री दिनेश गोस्वामी, तत्कालीन विधि और न्याय मन्त्री, को अपना मत व्यक्त हुए एक पत्र लिखा था कि सरकिट बेन्च की स्थापना जलपाईगुड़ी डिविजनल टाउन स्थित नवाब-बाड़ी में की जानी चाहिए। इस अवसर पर, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा व्यक्त किए गए मत का भी जिक्र करना चाहूंगा। उनका कहना है कि केवल केन्द्रीय सरकार ही सरकिट बेन्च स्थापित किये जाने के स्थान के बारे में निर्णय कर सकती है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आवश्यक कदम उठाए जाने का आग्रह करता हूं। जिससे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की सरकिट बेन्च को जलपाई गुड़ी स्थिता नबाब-बाड़ी में स्थापित किया जा सके।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की दयनीय दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पिछले दस वर्षों से वे सप्ताह में पांच दिन कार्य करते है। दिल्ली, देहरादून; कलकत्ता और देश के अन्य भागों में स्थित सभी चारों राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों में विकलांग कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन कार्य करते हैं।

लेकिन हाल ही में उन्होंने सम्पूर्ण प्रणाली में परिवर्तन किया है। जब पूरे देश में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एक सप्ताह में पांच दिन कार्य कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को आधा दिन अधिक कार्य करने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है। हाल ही में उन्होंने इन कर्मचारियों को सप्ताह में छ: दिन कार्य करने का आदेश दिया है। इसलिये वे सरकार को बार-

बार अभ्यावेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह एक दिन की वृद्धि इन कर्मचारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रही है। यदि एक दिन में एक घन्टे की ही वृद्धि होती तो इतनी कठिनाई नहीं होती। लेकिन शनिवार को कार्यालय में आना-जाना शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए अत्यधिक कठिन होती है। कार्य-दिवसों में एक दिन की वृद्धि का अर्थ है कि उन्हें एक दिन अधिक आना पड़ेगा। यह बहुत कठिन है। इसलिए सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति अधिक सहानुभूति अपनानी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि उन कर्मचारियों के लिए छः दिन के सप्ताह को कम किया जाना चाहिए और इसे सम्पूर्ण देश में अखिल भारतीय विकलांग संस्थान के विकलांग कर्मचारियों के लिए पांच दिन के सप्ताह की पुरानी प्रणाली में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं कल्याण मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मन्त्रियों को सभा पटल पर पत्र रखने के लिए कहेंगे। पीछे बैठे हुए सदस्यों को अगले दिन अवसर दिया जायेगा और सामने बैठे हुए सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी अपने हाथ न उठाये।

(व्यवधान)

12.58 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकारिणी की समीक्षा

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग सहायक सचिव (तकनीकी) भर्ती विनियम, 1991, जो 3 अगस्त 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3(8)/90 डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1567/92**]**

(2) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1568/92**]**

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1569/92]

(2) (एक) कार उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कार बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कार बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी 1570/92]

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० बड़ोदरा तथा रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं डा० चिन्ता मोहन की ओर से वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० बदोदरा तथा रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1571/92]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1572/92]

12.59 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) प्रस्तुत करता हूं।

12.59½ बजे

लोक लेखा समिति

ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

(1) 6—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी ग्यारहवां प्रतिवेदन;

(2) अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव सम्बन्धी बारहवां प्रतिवेदन;

(3) निर्धारण प्रक्रिया—संक्षिप्त तथा संवीक्षा निर्धारण संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

1.00 म०प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.01 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

पश्चिम बंगाल में जूट कर्मकारों की लम्बे समय से चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री बसु देव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर वस्त्र मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उन पर एक वक्तव्य दें :

"पश्चिम-बंगाल में जूट कर्मकारों की लम्बे समय से चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति और सम्बन्धित मामलों में समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम"। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : हड़ताल समाप्त हो गई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें यह खुशखबरी देनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, यदि आचार्य जी पहले अपना कालिंग-अटेंशन मोशन ले आते, तो शायद यह हड़ताल पहले समाप्त हो जाती।

1.02 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के कामगार अपनी मांगों के समर्थन में 28 जनवरी, 1992 से हड़ताल पर थे।

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग का त्रिपक्षीय समझौता 25-2-91 को समाप्त हो गया। मजदूर संघों ने एक नया मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक नया वेतन करार भी शामिल था। पटसन उद्योग में हड़ताल को टालने के लिए मैंने 30/12-1991 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री से अनुरोध किया था कि वह राज्य श्रम विभाग को इस आशय की सलाह दें कि वह बातें शुरू करें तथा पटसन उद्योग के लिए पारस्परिक सहमति से एक ऐसे वेतन समझौते को तैयार करे जिससे सभी संबधित व्यक्ति संतुष्ट हों।

पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग के तत्वावधान में भारतीय पटसन मिल संघ (आई० जे० एम० ए०), राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन० जे० एम० सी०) तथा मजदूर संघों के परिसंघ के प्रतिनिधियों के बीच अनेक दौर की त्रि-पक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकें हुई। आई० जे० एम० ए० ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिसे मजदूर संघों का परिसंघ मानने को तैयार नहीं था। इस प्रकार कोई समझौता नहीं हो सका जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के कामगार 28 जनवरी, 1992 से हड़ताल पर चले गए।

एन० जे० एम० सी० की पांच मिलों (जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है), न्यू सैन्ट्रल जूट मिल्स कं० लिमिटेड (जो कि कामगार सहकारी समिति है) तथा भारत जूट मिल (जिसे पश्चिम बंगाल की सरकार संचालित करती है) को हड़ताल के प्रभाव से मुक्त रखा गया। उसके बाद डेल्टा जूट मिल तथा नादिया जूट मिल्स को उनके प्रबन्धकों और कामगारों के बीच हुई द्विपक्षीय करार के फलस्वरूप दुबारा खोल दिया गया। आई० जे० एम० ए० ने डेल्टा जूट मिल से दुबारा खोले जाने के बाद त्रि-पक्षीय चर्चाओं से स्वयं को अलग कर लिया था लेकिन उसे पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की हड़ताल के समाधान के लिए वार्ताएं पुनः शुरू करने के लिए मना लिया गया था।

औद्योगिक विवादों को, जिसमें हड़ताल भी शामिल है, सुलझाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तंगत राज्य सरकार एक उचित प्राधिकरण है। मैंने 31-2-92 तथा 28-2-92 पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री से पुनः अनुरोध किया था कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की हड़ताल का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करके समझौता कराएं उसके बाद आई० जे० एम० ए० के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री के साथ मुलाकात की तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने मुख्यसचिव से कहा कि वह दोनों पक्षकारों के साथ बातचीत करे तथा समझौता करवाएं। वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में आए इस संकट को पूरा करने के लिए मिल प्रबन्धकों तथा मजदूर संघों के परिसंघ के बीच चल रही वार्ताओं की जानकारी हासिल करने के लिए राज्य सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए रहे।

एक सप्ताह पहले श्रम राज्य मन्त्री श्री पी० ए० संगमा और मैंने पश्चिम बंगाल मे पटसन उद्योग में चल रही इस हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की थी। इस बैठक के बाद हमने संयुक्त रूप से अपील जारी करके आई० जे० एम० ए० से अनुरोध किया था कि वह श्रमिकों का ध्यान रखे तथा एक उदार दृष्टिकोण अपनाए। इसके साथ ही हमने संबंधित मजदूर संघों से भी

यह अपील की थी कि वे पटसन उद्योग के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए ताकि उसकी अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

इन परिचर्चाओं के फलस्वरूप 17 मार्च, 1992 को राज्य सरकार, मजदूर संघों के परिसंघ तथा आई० जे० एम० ए० के बीच एक नये वेतन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी आशा है कि अब पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मंत्री जी ने हड़ताल के बारे में जो बयान दिया है वह हास्यास्पद है। हम पश्चिम बंगाल की सरकार और खासतौर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु को बधाई देते हैं जिन्होंने हड़ताल खत्म करने के लिए इनीशिएटिव लिया। जूट मजदूर और जूट उद्योग पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। एक समय जिस उद्योग में ढाई लाख मजदूर काम करते थे अब घटकर एक लाख चालीस हजार हो गए हैं। मजदूरों की संख्या घट रही है लेकिन जूट मालिकों का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है। यह एक ताज्जुब की बात है। जूट मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने के लिए हर समय पिछले बाइस वर्षों के दौरान उन्हें चार अथवा पांच बार हड़ताल का सहारा लेना पड़ा।

हड़ताल न करने से उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कभी भी नहीं होती। वर्ष 1984 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और यह समझौता 1990 में समाप्त हो गया। वर्ष 1990 से ही सभी मजदूर संगठन अन्य समझौते के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मालिकों का जो संगठन है, आई० जे० एम० ए० ने कोई भी ऐग्रीमेंट करने के लिए इन्कार कर दिया। इस लिए हड़ताल करनी पड़ी और हमारे देश का 425 करोड़ रुपये टोटल लौस हुआ है।

[अनुवाद]

आर्थिक दृष्टि से हड़ताल कर देने से 6 करोड़ रुपए मूल्य के— निर्यात बिक्री पर 1.21 करोड़ रुपए, घरेलू बिक्री पर 3.57 करोड़ रुपए और 15.21 लाख रुपए के सरकारी राजस्व की पटसन के माल की 6000 टन की दैनिक उत्पादन हानि होती है। हाल में अब श्रमिकों को प्रतिदिन 1.51 करोड़ की मजदूरी गंवानी पड़ती है। यह एक राष्ट्रीय हानि है।

[हिन्दी]

हम एक बार नहीं कई बार मिले। टैक्सटायल मिनिस्टर से मिले।

[अनुवाद]

हमने श्रम मन्त्री से बातचीत की। वे एक कुशल श्रम मन्त्री हैं जो त्रिपक्षीय समिति के चेयरमॅन भी हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करने अथवा उन्हें हटा देने के लिए मजदूर संगठनों के साथ एक समिति का गठन किया गया है। हम प्रधान मन्त्री महोदय से भी मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे तुरन्त हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन मन्त्रियों से मिलने पर आवश्यक मामलों पर चर्चा करने के पश्चात, केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। केन्द्रीय

सरकार का उत्तर यह था कि केन्द्रीय सरकार के पास हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार संघ सरकार—के पास विधान बनाकर उद्योग पर आक्रमण करने का अधिकार है। सिंथेटिक ग्रेन्यूल्स बनाने की अनुमति प्रदान करके वे पश्चिमी बंगाल के अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण उद्योगों का विनाश कर रहे हैं। इससे उद्योगों में कार्यरत 1-4 लाख कर्मचारी ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि 40 लाख पटसन उत्पादक भी प्रभावित होंगे जिनकी जिन्दगी और मौत इस उद्योग से जुड़ी हुई है।

जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ और जट मिलें पश्चिम बंगाल में थी और पटसन उत्पादक क्षेत्र तत्कालीन पूर्वी बंगाल में थे तो उस समय भारत के पहले प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पश्चिम बंगाल के किसानों को आश्वासन दिया था कि वे अधिक पटसन उगाएं और आत्मनिर्भर बने। पटसन का उत्पादन करके पश्चिमी बंगाल आत्मनिर्भर बन गया। अब उन्हें क्या कीमत मिल रही है? सिन्थेटिक ग्रेन्यूल्स की अनुमति देकर, केन्द्रीय सरकार ने पटसन उद्योग का विनाश करने का निर्णय ले लिया। लेकिन बाद में सरकार ने पटसन पैकेजिंग के आदेशात्मक उपयोग के लिए विधान बना दिया। उद्योगपति विधान का उपहास कर रहे हैं। वे इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

मैंने इसे देखा है जब मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति था। मैंने अनेकों सरकारी उपक्रमों का दौरा किया है। मैंने सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग का दौरा किया। मैंने देखा है कि वे सिन्थेटिक बैगों का प्रयोग कर रहे हैं। बैगों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे पटसन बैगों के अनिवार्य उपयोग के आदेश का उपहास कर रहे हैं।

पटसन कर्मचारियों को हड़ताल क्यों करनी पड़ी? उन्हें प्रत्येक समझौते के लिए हड़ताल क्यों करनी पड़ती है? केन्द्रीय सरकार, जो हस्तक्षेप करने और कदम उठाने के लिए उत्तरदायी है; वह क्यों प्रयास नहीं कर रही है ताकि वेतन समझौता तय हो सके? इसमें अनेक कठिनाईयां हैं। पटसन उद्योग में सकट क्यों है? राष्ट्रीय बाजार पर बंगलादेश जैसे छोटे से देश का प्रभुत्व क्यों स्थापित हो रहा है? इसके विविधिकरण की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? पटसन आधुनिकीकरण के लिए कोष था। लेकिन पटसन आधुनिकीकरण कोष का पुरानी और समाप्त प्रायः हो चुकी मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? पटसन उद्योग हमारे देश का प्राचीनतम उद्योग है। टूटी-फूटी मशीनरी को बदलने की आवश्यकता है।

क्या में मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल की इस व्यापक और सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग को बचाने के लिए और न केवल 1-4 लाख कर्मचारियों बल्कि 40 लाख पटसन उत्पादकों के जीवन की रक्षा हेतु क्या सरकार के पास इस उद्योग के आधुनिकीकरण करने हेतु एक विस्तृत योजना तैयार करने का विचार है?

[हिन्दी]

इनका जो संकट है इससे उनको बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है? सरकार के हाथ में कुछ मिलें हैं।

[अनुवाद]

एन. जे. एम. सी. की पांच अथवा छः मिलों को उनके पूर्ण मालिकों द्वारा अपसर्जित कर दिया

था और सभी छ: मिलों को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और तब बाद में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

एन. जे. एम. सी. में 32000 अथवा 32000 कर्मचारी हैं। लेकिन एन. जे. एम. सी. प्रबन्धन ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि सरकार का एक अथवा दो मिलों को जीवनश्रय न बनाकर और इन्हें जीवन श्रय बनाने के लिए धन खर्च न करके, इन सभी मिलों को कोई पैकेज प्रदान करके एवम् इन मिलों को विविधिकरण की अनुमति न देकर इन्हें बेच देने का विचार है। एन. जे. एम. सी. की एक सहायक कम्पनी, माडर्न जूट मिल के बारे में मैं यह जानता हूं कि इसे चार वर्ष के लिए बन्द कर दिया गया था। हमारे प्रयासों के बाद इस मिल को खोला गया था। विविधिकरण के लिए सम्भावनाएं, गुंजाइश है, किन्तु धन का निवेश नहीं किया जा रहा है और विविधिकरण की अनुमति नहीं दी जा रही है।

पटसन उद्योग का यह संकट है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस उद्योग का आधुनिकीकरण करके और इसका विविधिकरण करके इसे बचाने के लिए कोई प्रस्ताव है? सरकार के ठोस उपाय क्या हैं?

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, यह एक अच्छी बात है कि पटसन श्रमिकों की हड़ताल, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री के हस्तक्षेप से आपसी बातचीत के माध्यम से समाप्त हो गई।

प्रश्न यह पैदा होता है कि यह पटसन उद्योग, जो हमारे देश का सबसे पुराना उद्योग है और जो निर्यात अर्जन उद्योग का प्रमुख साधन भी है, अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे देश के अन्य भागों में और उद्योगों का स्थापना कर रहे हैं और स्वयं पटसन उद्योग के विकास के लिए लोगों का निवेश नहीं कर रहे हैं। पटसन उद्योग की इतनी अधिक कठिनाइयों का यही प्रमुख कारण है।

इस बार श्रमिकों के हड़ताल का आश्रय लेना पड़ा और लम्बी हड़ताल के बाद वे अपनी कुछ मांगों को मनवाने में सफल हुए हैं, हालांकि उनकी अधिकतर मागे पटसन मिल मालिकों द्वारा पूरी नहीं की गई हैं।

हमारे पास श्रम विभाग नाम का एक विभाग है। प्रश्न यह है कि पटसन उद्योग के मामले में यह विभाग क्या भूमिका अदा कर रहा है। पटसन मिलों में हम देख सकते हैं कि जब एक पटसन मिल श्रमिक जो एक पटसन मिल में 35 अथवा 40 वर्ष कार्य करने के पश्चात् नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब वह सेवा से निवृत्त हो जाता है, जब उसकी छटनी कर दी जाती है, उस समय उसके फेफड़ों में टी० बी० हो जाती है। इसमें भविष्य निधि का प्रावधान है। लेकिन पटसन मिलों के मालिक, पटसन मिल श्रमिकों के भविष्य निधि खाते में अंशदान नहीं कर रहे है। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पटसन मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों के भविष्य निधि हिस्से में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। श्रम मन्त्री महोदय भी यहां पर मौजूद हैं, हमारे विचार से वे एक कर्मशील व्यक्ति हैं, परन्तु पटसन उद्योग के मामले में वे चुप बैठे हुए हैं। वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

पटसन मिलों में अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं किन्तु श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा लाभ प्रदान नहीं किए जाते। हालांकि इसके लिए वे दशकों से मांग कर रहे हैं। लेकिन अन्य उद्योगों में यह सुविधा मिल रही है। पटसन उद्योग श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा लाभों से वंचित रखा गया है। श्रम मंत्रालय, पटसन उद्योग मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। समस्या यह है कि कच्चा पटसन इकट्ठा करने से लेकर, तैयार उत्पादन तक, हर स्तर पर कठिनाईयां हैं। भारत पटसन निगम नामक एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है हमारी सरकारी का ही एक संगठन है, इसे बाजार से पटसन की खरीद करनी होती है और इस संगठन के मूल्य गिर जाने के समय बाजार में हस्तक्षेप करना होना है ताकि कृषकों, भूमि जोतने वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। लेकिन क्या हो रहा है ? भारतीय पटसन निगम ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। वे पटसन व्यापारियों के दलाल बन गए हैं।

खेतिहरों का समर्थन करने की बजाय, किसानों का समर्थन करने की बजाय, वे व्यापारियों के दलाल बन गये हैं। न केवल पश्चिम बंगाल में ही अपितु बिहार, असम और त्रिपुरा में भी जूट उत्पादकों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं।

सभापति महोदय : एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछिये।

श्री अनिल बासु : हमारे देश में 12 लाख जूट उत्पादक हैं। मैं माननीय वस्त्र मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उनका इस ओर ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया समुचित रूप से कार्य करे। क्या वे कच्चे जूट की खरीद को राष्ट्रीय-कृत करने पर विचार कर रहे हैं ? क्या वे पश्चिम बंगाल में व्यापारियों की बजाय, पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपेंगे जोकि बुनियादी स्तर पर कार्य कर रही हैं। वे एल० आई० सी० एजेन्टों की भांति जे० सी० आई० के एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनके माध्यम से वे जूट खरीद सकते हैं, जिसकी एन० जे० एम० सी० मिलों के लिए जरूरत होती है। क्या वह जे० सी० आई० के पुनर्गठन और भारी मात्रा में कच्चे जूट की खरीद में जे० सी० आई० की भूमिका पर विचार करने को तैयार हैं ?

साथ ही साथ, जब आप कच्चे जूट की खरीद करने जा रहे हैं तब आपको इसके लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा। इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों और मिल के क्षेत्रों में भी गोदाम बनाने होंगे। गोदामों का निर्माण किये बिना, आप जूट नहीं रख सकते, क्योंकि जूट का उत्पादन वर्ष के कुछ खास महीनों में किया जाता है। उन महीनों के दौरान, आपको पूरे वर्ष उत्पादन के लिए जूट इकट्ठा करना होता है। आपको इसे गोदामों में रखना होगा। अगर आप गोदाम नहीं बनाते हैं तो आप इसे खरीद कर एन० जे० एम० सी० मिलों को सप्लाई नहीं कर सकेंगे।

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एन० जे० एम० सी० के० अन्तर्गत पांच मिलें हैं। यह शिकायत है कि एन० जे० एम० सी० के पुनर्निर्माण करने की बजाय, वस्त्र मन्त्रालय सभी मिलों को बेचने जा रहा है। उनकी परिसम्पत्ति लगभग 300 करोड़ रु० की है, किन्तु आप इसे निजी जूट मिल मालिकों को काफी कम दामों पर देने जा रहे हैं। वस्त्र मन्त्रालय निजीकरण के नाम पर, जूट सामन्तों के पीछे चल रहा है। और वे जूट सामन्तों को 20 करोड़ रु० में पांच मिलें बेचने का

निर्णय ले रहे हैं जो परिसम्पत्ति 300 करोड़ रु० की है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ?

एक अन्य समस्या, जिसका जूट उद्योग इस समय सामना कर रहा है। वह सिंथेटिक थैलियों के कारण है। इसके लिए अनिवार्य प्रावधान था। किन्तु सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग और यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी जूट के थैलों की इस अनिवार्य खरीद की अवज्ञा कर रहे हैं और वे एच० डी० पी० ई० के थैले चाहते हैं। इस प्रकार, जूट के थैलों के लिए अनिवार्य प्रावधान सरकारी क्षेत्र की ईकाइयों के लिए होना चाहिए।

अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, हड़ताल कर रहे कामगारों की मांगों में से एक प्रमुख मांग— पश्चिम बंगाल के सभी लोगों और अन्य जूट उत्पादक राज्यों की यही मांग है कि जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। राष्ट्र के हित में, जूट उत्पादकों के हित में, देश के श्रमिकों के हित में, पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यह एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। इसका भविष्य काफी उज्जवल है। इस उद्योग को उन निजी जूट मिल मालिकों के हाथों में सौंपकर नष्ट मत होने दो जो अपने हितों के लिए पूरे उद्योग को नष्ट कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मेरा विचार है कि वस्त्र मन्त्री और श्रम मन्त्री इस ओर ध्यान देने के लिए एक साथ बातचीत करेंगे कि कर्मचारियों को भविष्य निधि दिया जाये उन्हें ई एस आई सुविधा भी दी जाये, एन. जे. एम. सी. मिलों को निजी जूट मिल मालिकों को न बेचा जाये, जे. सी. आई. का पुनर्निर्माण किया जाये और जूट की खरीद सहित सम्पूर्ण जूट उद्योग का राष्ट्र हित में राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री हन्नान मोल्लाह। आप एक स्पष्ट प्रश्न रखिए न कि एक लम्बा भाषण।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मेरे सहयोगियों ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं उनसे सहमत हूं और इसलिए मैं उन मुद्दों को दोहरा नहीं रहा हूं। उन्होंने जो बातें कहीं हैं और मांगें रखी हैं, मैं उन सभी से सहमत हूं। चूंकि मैं जूट श्रमिकों के आन्दोलन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हूं, इसलिए मैं केवल कतिपय विशिष्ट प्रश्न ही पूछना चाहूंगा।

प्रथमतः, हालांकि हड़ताल समाप्त हो गई है, और समझौता हो गया है, फिर भी उनकी कई मांगें, जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं, पूरी नहीं हुई हैं। मैं वस्त्र मन्त्री और श्रम मन्त्री दोनों से ही स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत जूट मिल के श्रमिकों की समस्याओं और उनके समझौते के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठायेगी। क्या वेतन वृद्धि और अन्य लाभों को, जो समझौते में शामिल हैं, उन 30,000 श्रमिकों के मामले में क्रियान्वित किया जायेगा जो एन. जे. एम. सी. की पांच अथवा छः मिलों में काम कर रहे हैं क्योंकि उन मिलों में हड़ताल नहीं थी ? एन. जे. एम. सी. को सरकार चलाती है। यह उन प्रश्नों में से एक है जिसका केन्द्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से उत्तर देना होगा।

मेरा दूसरा प्रश्न भविष्य निधि के सम्बन्ध में है। राज्य सरकार भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती। हमने सुना है कि प्रबन्धन ने 100 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। अतः

यह प्रबन्धन काफी चालाक है और राष्ट्र विरोधी है। हमें जूट प्रबन्धन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सम्बन्ध में काफी कटु अनुभव है और अब सरकार उन्हें श्रमिकों के योगदान के बिना स्वतन्त्र रूप से उद्योग चलाने की अनुमति दे रही है। क्या सरकार भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करके इसे कठोर बनायेगी ताकि श्रमिकों के अंशदान और मालिकों के अंशदान को भविष्य निधि में जमा कराने के लिए जूट प्रबन्धकों पर दबाव डाला जा सके और श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि से वंचित न रखा जाये। यह एक अन्य प्रश्न है जिसका मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की योजना है।

तीसरे केन्द्रीय सरकार को ई. एस. आई. अधिनियम संशोधन करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ई एस. आई लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिल रहा है जिनकी आय प्रतिमाह 1600 रु० तक है। कर्मचारियों ने मांग की है कि 1600 रु० प्रतिमाह की आय सीमा को बढ़ाकर 3000 रु० प्रतिमाह करना चाहिए। अत: मैं माननीय श्रममन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसी सत्र में 3000 रु० प्रतिमाह तक आय सीमा बढ़ाकर ई. एस. आई. अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। इन बातों को हड़ताल में स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु कुछ मांगें की गई थीं। ये कुछ आम मुद्दे हैं। जिनका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं किन्तु ऐसे भी विशेष प्रश्न है जिन्हें मैं करना चाहूंगा।

सिंथेटिक कच्चे माल के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया गया था। क्या सरकार इस प्रावधान को और कठोर बनायेगी और सिंथेटिक कच्चे माल के आयात पर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगायेगी। 'कम्पलसरी पैकेजिंग एक्ट' का उल्लंघन करके अनेक लोग जूट के थैलों की बजाय सिंथेटिक थैलों का प्रयोग कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे :

मेरा अगला प्रश्न आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में है। मैं जानता हूं कि अनेक मिलें श्रमिकों को कम पारिश्रमिक दे रही हैं क्योंकि वे वर्तमान समय में (समान) मजदूरी नहीं दे सकतीं। बी. आई एफ आर. की सिफारिशों से, उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए वे कम मजदूरी दे रहे हैं। रुग्ण मिलें, जिन्हें नुकसान हो रहा है और बी. आई. एफ. आर. के अन्तर्गत आती है, उन्हें जूट विकास निधि मिलनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो मिलें—प्रेमचन्द जूट मिल्स और करोना जूट मिल्स को नुकसान हो रहा है। किन्तु आज उनकी सहायता कर रहे हैं जो पैसा लेकर भाग रहे हैं। क्या सरकार कमजोर इकाईयों अथवा उद्योगों को जूट विकास निधि से ऋण प्रदान करेगी और उन्हें व्यवहार्य ईकाइयां बनाने का प्रयास करेगी ? इस प्रश्न पर भी चर्चा करनी होगी।

मेरा अगला प्रश्न विविधीकरण के सम्बन्ध में है। बेकार जूट से अखबारी कागज तैयार किया जा सकता है और इसी प्रकार की अन्य चीजें भी तैयार की जा सकती हैं। सरकार को स्वयं ही अनुसंधान और विकास ईकाइयों की स्थापना करनी चाहिए और इस प्रकार की चीजों के प्रयोग के लिए मालिक पर दबाव डाला जाना चाहिए क्योंकि मालिक स्वयं इसका प्रयोग नहीं करेंगे ? इस प्रश्न पर भी निर्णय लेना होगा, क्योंकि समझौते में इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है—

यह मांग की गयी है कि बी. आई. एफ. आर. की एक शाखा कलकत्ता में खोली जानी चाहिए। हड़ताल में की गई 43 मांगों में से यह भी एक थी। क्या केन्द्रीय सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी अथवा नहीं ?

डी. जी. एस. एण्ड डी. को जूट मिलों से अधिक मात्रा में जूट का सामान खरीदना चाहिए और मासिक कोटा आधार पर नियमित रूप से क्रयादेश देना चाहिए । मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मुद्दे को क्रियान्वित करेगी अथवा नहीं ।

अत: महोदय, ई एस. आई. एक्ट और भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए । जे. सी. आई. को कच्चे जूट की अनिवार्य रूप से खरीद करनी चाहिए । अन्ततः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उन मांगों को स्वीकार करेगी अथवा नहीं ।

सभापति महोदय : श्री सुदर्शन राय चौधरी जी, अधिकतर मुद्दों को समाहृत कर लिया है ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : जी हां, तो मैं क्या कर सकता हूं ? कुछ मुद्दों को दोहराए जाने की आवश्यकता है चूंकि समस्याएं स्थायी हैं । विवरण में यह बताया गया है कि नए वेतन समझौते के साथ, जिस पर कल ही हस्ताक्षर हुए हैं । यदि पूरे देश में नहीं तो, पश्चिम बंगाल में तो जूट उद्योग के सामान्य स्थिति में आने की उम्मीद है । मुझे आशंका है कि सामान्य स्थिति का सरकार के लिए कुछ अलग अर्थ है, क्योंकि जूट उद्योग कुछ चिरस्थायी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसके बारे में मेरे मित्र यहां पहले ही बोल चुके हैं । ऐसा लगता है कि मिल मालिकों को उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी करने को छोड़ दिया गया है । उन्होंने अपना एक उत्पादक-संघ और सामन्तवादी जागीरदारी बना ली है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह कर्मचारियों को 228 करोड़ रुपए की उपदान की तथा अन्य देय राशि देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही हैं । वे दण्डात्मक प्रावधान वास्तव में क्या हैं जिन पर कि सरकार द्वारा उन झूठी मिल मालिकों के विरुद्ध विचार किया जा रहा है जिन्होंने कर्मचारियों को देय भविष्य निधि, उपदान तथा बोनस देने से इन्कार कर दिया है । सिन्थेटिक एच० डी० पी० ग्रे-यूल्स के सम्बन्ध में सरकार की क्या भूमिका है जो कि आयात किए जा रहे हैं और जिसमें लगभग 80 करोड़ रुपए की वार्षिक विदेशी मुद्रा का व्यय भी शामिल है । रुपए के अवमूल्यन के पश्चात् यह लागत भी बढ़ी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सबको रोका जायेगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार का अनिवार्य पैकेजिंग आदेश की सीमेंट और उर्वरक को अनिवार्य रूप से पटसन की बोरियों में ही पैक किया जाना चाहिए । अधिक कठोरता से क्रियान्वित किया जाएगा । मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस आदेश की अवज्ञा हो रही है और यह व्यवहार के स्थान पर उल्लंघन के रूप में अधिक क्रियान्वित हुआ है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ज्यादा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस अनिवार्य पैकेजिंग आदेश के अधीन लाया जाएगा ताकि सीमेंट और उर्वरक के अलावा अन्य उद्योगों के माल को भी केवल पटसन की बोरियों में ही पैक किया जाए ।

अन्त में, मैं प्रबन्धन में कर्मचारियों की भागीदारी के बारे में पूछना चाहता हूं । देश में पटसन मिल की मुख्य खराबी प्रबन्धन में गैर-जिम्मेदाराना दृष्टिकोण और व्यवसायिकता के अभाव के कारण हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पटसन मिल प्रबन्धन में अब कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और क्या सरकार इस पर उचित विधान लाएगी ।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, पटसन कर्मचारियों की हड़ताल 28 जनवरी 1992 को शुरू हुई । पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री के हस्तक्षेप से यह 17 मार्च को समाप्त हुई । महोदय, हड़ताल के कारण कई करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि हम बोरियों का निर्यात

नहीं कर सके। कल सभा में महाराष्ट्र के एक माननीय सदस्य ने बताया कि बोरियों की कमी के कारण उनकी चीनी मिल बन्द होने वाली है।

एक अवस्था में, आई० जे० एम० ए० भारतीय पटसन मिल संगठन का राज्य सरकार और श्रम संगठनों के साथ समझौता हुआ कि वह मामले को निपटा लेंगे। तदन्तर वे अपनी बात से मुकर गए। उस स्थिति में, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भारतीय पटसन मिल सगठन ने राज्य सरकार के अनुदेशों पर ध्यान क्यों नहीं दिया और केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार और श्रम संघों के साथ समझौता करने के लिए भारतीय पटसन मिल संगठन को कार्यवाही करने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कालिंग अटेन्शन रखा। पहले रख देते तो शायद पहले ही स्ट्राइक खत्म हो जाती। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि हम मुख्यमन्त्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बीच-बचाव करके स्ट्राइक को खत्म करा दिया। उन्होंने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इन्टरवीन क्यों नहीं किया। वे चाहते थे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्टरवीन करे। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि इन्डस्ट्रीयल डिस्प्युट्स एक्ट-1947 के अन्तर्गत यह सबजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हम चाहते हैं कि कोई अनावश्यक रूप से इसमें हस्तक्षेप न करे।........(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इसका कोई तरीका है।

श्री अशोक गहलोत : दो तीन बार हमने मुख्यमन्त्री जी को लिखा।.. (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : चालीस दिन तक स्ट्राइक चली और किसी दिन आप कलकत्ता गए।

श्री अशोक गहलोत : हम जानबूझकर नहीं गए।

श्री बसुदेव आचार्य : मुख्यमन्त्री जी से जाकर मिल सकते थे।

श्री अशोक गहलोत : हम बात कर रहे थे। अधिकारी हमारे सम्पर्क में थे। वहां के जूट कमिश्नर आए हुए हैं। हमारी कोशिश थी कि स्ट्राइक जल्दी से जल्दी समाप्त हो। स्ट्राइक शुरू होने से पहले हमने मुख्यमन्त्री जी को लिखा। ...(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : हम यहां पर नहीं उठाते तो यह हाऊस में नहीं आता।

श्री अशोक गहलोत : मुख्यमन्त्री जी ने पहले ही स्ट्राइक खत्म करा दी। ....(**व्यवधान**) मन्त्रालय ने इस पर चिन्ता जाहिर की है और निवेदन किया है मुख्यमन्त्री जी से कि आप स्टेट के लेबर विभाग से सम्पर्क करके कोई तरीका निकाले कि स्ट्राइक न हो। उन्होंने कोशिश की और दो-तीन मीटिंग्स भी की। उसके बावजूद उनको नोटिस देना पड़ा और स्ट्राइक बन्द हुई। माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की है उसके लिए कहना चाहूंगा कि जूट पैकेजिंग एक्ट जूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए लाया गया था। तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव जी ने सही समय पर इस बात को देखा कि जूट इण्डस्ट्री कमजोर होती जा रही है और उसको मजबूत करना है। यह सोचकर यह एक्ट ही नहीं बनाया गया,ब ल्कि मैं समझता हूं जो जूट माडर्नीइजेशन फण्ड बनाया गया है वह 150 करोड़ रुपये का, जूट डवलपमेंट फण्ड है उसमें 100 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अन्दर

मेडेटरी किया गया है कि जूट बैग्स को कम्पलसरी यूज किया जाये। इसमें फूड आर्टिकल में 100 प्रतिशत जूट पैकेजिंग एक्ट लागू है। सुगर में 100 प्रतिशत लागू है, यूरिया फर्टिलाइजर में 100 प्रतिशत लागू है और सीमेंट में 76 प्रतिशत लागू है। माननीय सदस्यों को भी जानकारी है कि यह मैटर सब-ज्यूडिसिस है, कई लोग कोर्ट के अन्दर गये, उनको स्टे मिला हुआ है। इसलिए हम इस पर ज्यादा कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से इस एक्ट को लागू करवायें और जूट इण्डस्ट्री को मजबूत बनाने में कोई कमी नहीं आने देंगे।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जूट माडर्नाईजेशन फण्ड स्कीम पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें करीब 22 आवेदन पत्र थे, उनको 88.5 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक एप्लीकेंट्स इसमें आयें। जब तक इसका आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक इण्डस्ट्री मजबूत नही हो पायेगी। प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ नहीं पायेगी। इसलिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है। हम ज्यादा पैसा रख सकें इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जहां तक सिक मिल्स को देने की बात है जो रूल्स बने हुए हैं उसी के अन्दर ही मंजूरी मिल सकती है, खाली मिनिस्ट्री से रेगुलेट नहीं करते हैं। मिनिस्ट्री तो फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस जो आई. एफ. सी. आई. के हैं उनके माध्यम से सारे पैकेज देखकर ही उसको देने की बात तय करती है। इस फण्ड के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसको आधुनिकीकरण की तरफ ले जायें।

इसी तरह से जूट डवलपमेंट फण्ड है उसके लिए 100 करोड़ रुपये रखा गया है। उसमें हमारी कोशिश है कि उसको फ्लेक्सीबल बनायें। अभी जो आइटम वाइज लगाया गया है उसके माध्यम से पूरा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। हम केबिनेट में गए हैं, हमारी कोशिश है जल्दी से योजना बनाकर दूसरी जो मिल्स हैं वहां पर चाहे रिजूट एण्ड डवलपमेंट का वर्क हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन करने की बात हो जिसके बारे में हमने कहा हम बड़े रूप में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनायें जिससे जो यह मेंडेटरी एक्ट बना हुआ है जूट पैकेजिंग का इस पर निर्भरता कम हो सके। जूट का मार्केट सब जगह बढ़ सके। इसके लिए कई फिस्कल कंसेशंस भी दिये हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी मशीनरी पर जो लगी है वह घटाई है। कस्टम ड्यूटी भी है यार्न के लिए अभी हाल ही में बजट पर वित्तमन्त्री ने प्रपोज किया है कि जो जूट के हैंड यार्न बनाएगा उसमें एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हम चाहते हैं कि आर एण्ड डी का वर्क हो। मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहूंगा नेशनल सेंटर फार जूट डवलपमेंट की स्थापना हुई है उसका हैड क्वार्टर कलकत्ता रखा गया है. नोएडा में ब्रांच आफिस है वहां पर रिसर्च होगी और दूसरा काम होगा। हमारी कोशिश है हम डाइवर्सिफिकेशन को तेज गति से आगे बढ़ायें।

एन० जे० एम० सी० के बारे में आप शंका प्रकट कर रहे हैं, मुझे दुःख है कि मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, या तो आप जानबूझकर राजनैतिक तौर पर कहते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, पिछले सत्र में भी इसी हाउस में बात आई थी, मैंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार का कोई इरादा एन० जे० एम० सी० की मिल्स हैं उनका निजिकरण करने का नहीं है, न हमने इस तरह की बात की है। न ही जो आप आंकड़े दे रहे हैं ·· (व्यवधान) ·· आपने 300 करोड़ या 30 करोड़ की बात कही है और ये जो आंकड़े दे रहे हैं

हाऊस में भी, कलकत्ता में भी और कलकत्ता के बाहर भी, कृपा करके आप वास्तविकता को सामने रखें, यह मेरा आपसे निवेदन है। किसी प्रकार की प्रापर्टी को प्राइवेट हाथों में देने का काम नहीं है····

श्री अनिल बसु : अधिकारी के बारे में नहीं कहा।

श्री अशोक गहलोत : उस पाइन्ट पर भी आ रहा हूं। इसमें कोई ऐसा योजना नहीं बनी है, न प्रोग्राम ही बनाया है देने का। जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, उन्होंने सिर्फ सूचना देने की बात की थी।

श्री वसुदेव आचार्य : लेकिन इसको वायेबल बनाने के लिए क्या प्रोग्राम है? यह तो होना चाहिए नहीं तो इन्टरनल डेथ हो जाएगी।

श्री अशोक गहलोत इसके बारे में आप लोग खुद सुझाव दे सकते हैं कि वरकर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आपने कलकत्ता का उदाहरण पेश किया है कि जो न्यू सैन्ट्रल जूट मिल है, को-आप्रेटिव सैक्टर के अन्दर देश की पहली मिल है जो वरकर्स के हाथों में चल रही है और अच्छी चल रही है बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो मिल घाटे में थी, वह प्रॉफिट में आ गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एन० जे० एम० सी० की बाकी मिलों को भी वरकर्स के हाथों में सौंपने का प्रोग्राम बनायें ताकि वे मिलें भी वायेबल हो सकें।

श्री अनिल बसु : वरकर्स का पार्टिसिपेशन कैसे होगा?

श्री अशोक गहलोत . वरकर्स की पार्टिसिपेशन तो एक छोटी सी बात है, हम तो वरकर्स को पूरा मालिक बनाना चाहते हैं। चूंकि कलकत्ता में यह हो चुका है, इसलिए आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम यू० पी० या गुजरात वालों के लिए कहें तो हो सकता है कि उनकी समझ में देरी से आये। मैं तो समझता हूं कि वैस्ट बंगाल के लोगों की समझ में आयी हुई बात है और उनकी आंखों के सामने मिल चल रही है और जो घाटे में थीं, वरकर्स ने प्रॉफिट में करके दिखाया है। यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जो री-स्ट्रक्चरिंग प्लान है उसके बारे में अभी आईजोलेशन में बात नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की इन्डस्ट्री हैं, चाहे एन० टी० सी० की बात करें, हमारे संगमा जी बैठे हुए है, वे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको वायेबल बनाया जाये क्योंकि आपको मालूम है कि कितना घाटा हो रहा है? जो लेबर स्ट्रेंग्थ 19 हजार होनी चाहिए, वह 31 हजार की है। आप समझ सकते हैं कि घाटे का क्या कारण है और फिर पुरानी मशीनरी है आपको मालूम है कि घाटे का कारण एक नहीं है बल्कि कई कारणों से घाटा हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब मिल ली गयी थी तो वह घाटे में चल रही थी और इसलिए ली गयी थी कि किस तरह से वरकर्स के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करें और आज भी सरकार के सामने यह बात है कि वरकर्स के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाये कि मिलों को वायेबल किया जाये। किस प्रकार से मिलें ऐसी स्थिति में आ जायें कि वरकर्स को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

श्री हन्नान मोल्लाह : एग्रीमेंट उसमें लागू करना चाहिए?

श्री अशोक गहलोत : उसके बारे में प्वांयट से प्वांयट बात करूंगा। तो एन०जे०एम०सी० की मिलों को स्ट्राईक से बाहर रखा गया और यह बात हमारी टैक्सटाईल मिनिस्ट्री में आयी हुई है। इसके लिए जो प्रोसीजर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नार्म्स बने हुए हैं, उसके अन्तर्गत हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिक एन्टरप्राईसेज से बात कर रही है और हमारी कोशिश है कि इस दिशा में जल्दी ही कारवाई कर सकें। इसमें आपकी मांग थी लेकिन इसको अलग रखने का सवाल नहीं है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति बनी है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट के नार्म्स के आधार पर उसका फैसला हो जाये जिसे लागू करवाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक पी० एफ० की बात है, संगमा जी यहां बैठे हुए हैं, वे बहुत चिन्तित हैं और इस दिशा में जो फिगर्स मेरे पास हैं, वे भी चिन्ताजनक हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में आज श्री संगमा जी का क्वश्चन था तो मैं समझता हूं कि 56 मिलें डिफाल्ट्स हैं और पी० एफ० में 39 मिलें डिफाल्ट्स हैं। मगर 83.7 करोड़ रुपये ड्यू हैं पी० एफ० के लिए और 34.66 करोड़ रुपया ई. एस. आई. के ड्यू हैं। यह चिन्ता की बात है। मैं समझता हूं कि श्री संगमा जी आवश्यक कारवाई कर रहे हैं।

जे० सी० आई० के बारे में आपने शंका प्रकट की है, उसके बारे में मदद करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जे० सी० आई० आपसे कोई अलग नहीं है और न आप जे० सी० आई० से अलग हैं। पहले भी कई बार इस सदन में सवाल कर चुके हैं कि जे० सी० आई० पूरी तरह से मार्किट में नहीं जाती है। ग्रोअर्स से सम्पर्क नहीं करती है

श्री अनिल बसु : क्या फंड्स नहीं है ?

श्री अशोक गहलोत . उनके पास फंड्स नहीं है। एक सौ करोड़ रुपये का ड्यू एन० जे०एम० सी० आई० के अन्दर था। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था····

श्री बसुदेव आचार्य : यह तो सवाल दूसरा है····

श्री अशोक गहलोत : नहीं, वह आपके लिए दूसरा सवाल है पर हमारे लिए दूसरा नहीं है ·· हम तो मिलकर चल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उनके कुछ प्वांयट्स है, कुछ प्राब्लम्स हैं····

श्री अशोक गहलोत : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जे० सी० आई० को वाईंड अप करने का सवाल नहीं है। जे० सी० आई० महत्वपूर्ण है। जे० सी० आई० जिन कारणों से बनाया गया है, वे हमेशा मौजूद हैं।···**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : उनको बैंक से फार्म नहीं मिलते और गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट भी नहीं है, तो जे० सी० आई० कैसे चलेगा ?

श्री अशोक गहलोत : आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूं। जे० सी० आई० इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि वह जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, उसके पास फण्ड्स की कमी क्यों पैदा हुई उसका एक उदाहरण मेरे सामने है जो मैंने पिछली बार आपको निवेदन किया था और जब मैं कलकत्ता गया तो मैंने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया था कि आप इसमें इन्टरवीन करें और

उन्होंने मेरी बात से सहमति प्रकट कर लेबर मिनिस्ट्री को मेरे सामने आदेश दिया था। आज हमारा 10 करोड़ का माल, नडिया और बजबज जूट मिल है, वहां जे० सी० आई० का 10 करोड़ का माल पड़ा है, पिछले तीन-चार साल से अधिक समय हो गया है। वह 10 करोड़ का माल खराब होने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। हमने बहुत निवेदन किया क्योंकि हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इन्टरवीन करके माल निकलवाए और मुझे उम्मीद है कि अब नाडिया मिल और कलकत्ता के अन्दर वहां पर मिल खुल गई है। अब इस समस्या का भी समाधान जल्दी होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जे० सी० आई० की जो एजेन्सी है जिसके बारे में आपने कहा कि वहां की पंचायत और दूसरे लोग भी खरीदें, उसमे पहले से ही नेटवर्क, बना हुआ है उसमें यह काम हो रहा है और हम इसको और भी मजबूत बनाएंगे। बाकी सारे पाइंट्स मैं समझता हूं कि करीब-करीब कम्प्लीट हो गए हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : संगमा जी भी जो बोले हैं, ई० एस० आई० और पी० एफ० के बारे में···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए।

समापति महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.50 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.52 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.50 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.54 म० प० पर पुन: समवेत हुई

2.53 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर के शाहपुरा क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : सभापति महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सैंट्रल इण्डिया में एक आयल रिफाइनरी बनाये जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शाहपुरा के पास गैस फिलिंग प्लांट निर्मित है, जिसके लिये गैस ट्रक व ट्रेन से लाई जा रही है। जबलपुर के पास ही जबेरा में आयल मिलने की उम्मीद से ड्रिलिंग प्रारम्भ कर दी गयी है। अत: सैन्ट्रल इण्डिया में डाली जाने वाली रिफाइनरी के लिए इससे उपयुक्त कोई और स्थान नहीं हो सकता।

शहपुरा में रिफाइनरी बनाने से फिलिंग प्लांट बनाने का खर्च बचेगा। फिलिंग प्लांट के लिए गैस लाने का खर्च भी बचेगा। इस बचत से रिफाइनरी के लिए आयल लाया जा सकेगा। ड्रिलिंग के परिणामस्वरूप यदि जबेरा में आयल मिल गया तो फिर रिफाइनरी के लिए आयल पाइपलाइन से लाया जा सकेगा। आर्थिक कठिनाईयों के दिन में बचत के दृष्टिकोण से यह सर्वोत्तम प्रस्ताव है।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सेन्ट्रल इण्डिया में स्थापित होने वाली आयल रिफाइनरी शहपुरा, जबलपुर, जिला, मध्य प्रदेश, में शीघ्र स्थापित करने की कार्यवाही करें।

(दो) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में 'नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता'

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :

"देश में शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला बस्तर में पुरुष और महिला शिक्षा का प्रतिशत एकदम नीचे है। शिक्षा की कमी से ही वे आज की विकास दौड़ में भाग नहीं ले पा रहे हैं और वे अपने आपको देश की मुख्य धारा से बहुत दूर महसूस कर रहे हैं। शिक्षा की कमी से ही वर्षों से वे शोषण के शिकार होते आ रहे हैं और ये शोषण तीनों स्तरों पर विद्यमान हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

इसलिए जरूरी है कि शिक्षा में आज की जो रफ्तार है उसमें जोड़ते हुए आदिवासियों को साथ ले चलने का निश्चय किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 45 जिले हैं उसमें 38 जिलों में नयी शिक्षा नीति में बहुत ही लोकप्रिय योजना के तहत नवोदय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं पर बस्तर जिले का नाम अब तक नहीं जुड़ पाया है। इस तरह यहां के नवयुवक इस दौड़ में बहुत पीछे रहेंगे।

अत: केन्द्र शासन से मेरा अनुरोध है कि बस्तर में नवोदय विद्यालय खोलने का, राज्य शासन द्वारा जो प्रस्ताव किया जाता है इसे इस वित्तीय वर्ष में अवश्य शामिल करने का निर्देश दिया जाए।"

(तीन) मध्य रेलवे की पचोरा और जामनगर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने तथा इस अजंता की गुफाओं तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरनदोल) : जलगांव जिले में, मध्य रेलवे पर पचास और जायनेर के बीच छोटी रेल लाइन है। आजकल यह रेल लाइन घाटे में चल रही है। मैं रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलकर इसे अंजन्ता की गुफाओं तक बढ़वायें।

यह पता चला है कि जापान सरकार ने अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के विकास के लिए 195 करोड़ रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया है। यदि उस सरकार से बातचीत की

जा सके तो मैं महसूस करता हूं कि वे इस रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि यह लाइन परिवर्तन किया जाता है, तो देश में पर्यटकों के लिए भी अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में भ्रमण करना बहुत आसान और सुविधाजनक होगा।

अतः, मैं माननीय रेल मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह आसपास के क्षेत्रों में कृषि और उद्योग के विकास के हित में इस छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की अनुमति दें। इस लाइन पर ट्रैफिक से रेलवे को भी अच्छी आय होगी।

(चार) आगरा उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित विषय की ओर नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"आगरा नगर में टेलीफोन एक्सचेंज तथा आगरा स्थिति फाउंड्री नगर एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों की हालत बहुत खराब है, जिसके कारण करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा देने वाली फाउंड्री उद्योग प्रति वर्ष आगरा आने वाले लगभग दो लाख देशी-विदेशी पर्यटकों व जूता, कालीन, शिल्प कार्य करने वाले कुटर उद्योगियों, व्यापारियों व अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं को भारी असुविधा होती है। पुराने टेलीफोन संयंत्र कालातीत हो जाने के कारण जर्जरित हो गए हैं। काम नहीं कर पाते हैं। रख-रखाव योग्य न रह पाने के कारण सामान्य टेलीफोन की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। इसलिए पुराने सभी टेलीफोन संयंत्रों को बदला जाना आवश्यक है। लाइनों की एक बार गहन जांच कर क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत किया जाना आवश्यक है।

लगभग बारह हजार टेलीफोन कनेक्शन चाहने वाले प्रतीक्षार्थियों की सूची लम्बित है। आठ हजार रुपया जमा कराकर "टेलीफोन लगवाओ" योजना के अन्तर्गत भी अनेक वर्षों से प्रतीक्षार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षार्थियों को पर्याप्त संख्या में फोन देने की कोई योजना शासन ने नहीं बनायी है। संजय प्लेस में दस हजार लाइनों के प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज में भी केवल पांच हजार लाइनें डाली जा रही हैं। वहां दस हजार लाइनें अविलम्ब डाला जाना आवश्यक है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा में आधुनिकतम प्रौद्योगकीयुक्त टेलीफोन संयंत्र लगाने के बारे में शासन ऐसी समयबद्ध योजना बनावे जिसमें पुराने टेलीफोन सन्यन्त्रों का बदलाव भी हो सके साथ ही प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन मिल सकें।

3.00 म० प०

(पांच) बिहार के जहानाबाद क्षेत्र के उचित विकास के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : भारतवर्ष एक संघीय देश है। (जहां पर भिन्न-भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। बिहार राज्य आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य में उग्रवादी संगठन तेजी से बढ़ रहा है तथा निर्दोष लोगों की सामूहिक

हत्या की जा रही है। उस संगठन में दलित वर्ग, पिछड़ी जाति व गरीब वर्ग के नौजवान जा रहे हैं। इसमें जहानाबाद संसदीय क्षेत्र शिकार बना हुआ है। इसका मुख्य कारण पिछड़ापन है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सैंकड़ों गांव जिसकी आबादी 500 से 1000 की है सभी के सभी पिछड़ी जाति के गरीब एवं दलित वर्ग की आबादी है जहां पर अभी तक प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है तथा अभी भी उन सब गांव के लोग मिट्टी मिला पानी पीते हैं। ये ही सब कारण हैं। अतः सरकार से मांग करता हूं कि खास कर राज्य सरकार को यह सब कार्य को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करे ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके तथा उग्रवाद की तरफ से नौजवानों को रोका जा सके।

(छः) गुजरात के खेड़ा जिले में कापडबंज तथा थासरा तालुके में चट्टानों को विच्छिन्न करने की प्रक्रिया को तेज करके रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर (कापडबंज) : महोदय, गुजरात के खेड़ा जिले के कापडबंज तथा थासरा तालुके पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। क्योंकि वहां पर बहुत कम वर्षा होती है तथा सिंचाई के संसाधन भी काफी कम है, इस क्षेत्र के काफी संख्या में ग्रामीण युवक बेरोजगार हैं। रोजगार देने का एक मात्र साधन, यदि कोई है, तो वह है चट्टानों की जांच कार्य जो कि विभिन्न खनिज से परिपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में बाक्साइट, चूना पत्थर, बेन्टोनाइट बजरी तथा रेता मिट्टी जैसे खनिजोंके काफी अच्छे भण्डार हैं। फिलहाल जो कार्य चल रहा है, उसमें केवल लगभग 1100 श्रमिक लगे हुए हैं, जो कि उत्साहवर्धक नहीं है।

यह अत्यावश्यक है कि चट्टानों के जांच के कार्य पर जोर दिया जाए तथा अधिक खनिज प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए जिससे इस जरूरतमंद क्षेत्र में यथेष्ट रोजगार के अवसर तथा राजस्व पैदा किया जा सके।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में कोई गंभीर कदम उठाए।

(सात) बिहार की गंडक और कोसी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री शिवचरण सिंह (वैशाली) : उत्तर बिहार की मुख्य समस्या भयंकर बाढ़, नौ लाख हैक्टर जमीन में जल जमाव और सिंचाई व्यवस्था के अभाव है। फलतः यहां के चार करोड़ लोगों की हालत दयनीय हो गई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार अपनी असमर्थता पहले ही जाहिर कर चुकी है। इसलिए केन्द्रीय सरकार का अब यह दायित्व हो गया है कि वह इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करें। बाढ़ नियंत्रण के लिए शीघ्र सार्थक कदम उठाया जाए, जल निकासी की व्यवस्था करायी जाए जिससे यहां किसान इस जमीन में प्रतिवर्ष पचास लाख टन अनाज आसानी से उपजा सके। इसके प्रथम चरण में भावा कमांड क्षेत्र में लोअर एवं अपर नून जल निकासी परियोजनाओं को कार्यान्वित करायें ताकि यहां के स्थानीय किसान प्रतिवर्ष 66 लाख क्विंटल अनाज उपजा सकें। कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए यह एक बड़ा कदम होगा।

अधूरी गंडक तथा कोसी सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं योजना अवधि में अवश्य पूरा कराया जाए। गंडक योजना एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय एव अन्तर्देशीय सिंचाई परियोजना है। मैं इसके लिए केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

3.05 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 11 तथा 12 पर एक साथ ही आगे चर्चा करेंगे। प्रो० रासासिंह रावत बोल रहे थे। वे उपस्थित नहीं हैं।

डा० सुधीर राय

3.06 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

***डा० सुधीर राय (बर्दवान) :** सभापति महोदय, मैं उस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक चुनावों की समस्या पर सरसरी तौर विचार करता है तथा उसका समाधान भी सरसरी तौर पर ही करना चाहता है। महोदया, चुनाव समस्या को सुलझाने हेतु कोई गम्भीर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं तथा समस्या को सुलझाने के लिए कोई हार्दिक पहल नहीं की जा रही हैं। 1952 में जब पहले चुनाव कराये गये थे तब भारत के काफी संख्या में लोग अशिक्षित थे तथा कई लोगों के मन में यह आशंका थी कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो पायेंगे। परन्तु स्वर्गीय श्री सुकुमार से ने उन चुनावों को इतने अच्छे ढंग से करवाया था कि जिसके लिए सारे विश्व ने उनकी प्रशंसा की तथा बधाई दी। परन्तु जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, चुनाव, भुजबल, पैसों के बल पर तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर कर लड़े जा रहे हैं।

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

महोदय धीरे-धीरे चुनाव तमाशा ही बनते जा रहे है। अतः मेरी राय में, इस समस्या पर अनियत रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमें कुछ गंभीर प्रयास करने चाहिये तथा सुनियोजित कार्य योजनाएं बनानी चाहिए ताकि चुनाव समस्या का सही हल निकाला जा सके। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव सुधार के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। यदि इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के साथ-साथ मतदान सूची प्रणाली को अपनाया जाता तो छोटी से छोटी पार्टी भी अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन कर

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सकती है। हमें पता होना चाहिए कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 38% मत मिले थे। परन्तु उन्होंने ने 62% सीटों को हासिल किया था क्योंकि उस समय समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः कांग्रेस इसी तरह कम वोट मिलने के बावजूद भी अधिक सीटें प्राप्त कर लेती थी। संक्षेप में इसी कारण से हमारी पार्टी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा मतदान सूची को शुरू करने को काफी दिनों से मांग कर रही है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक चुनाव आयुक्त के बजाय हमें तीन चुनाव आयुक्त रखने चाहिए। मैं श्री शेषन के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। समाचार पत्र सभी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं कि यदि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता से विचार विमर्श करने के बाद की जाती तो, चुनाव आयुक्त समाचार पत्रों की आलोचना का लक्ष्य नहीं बनते तथा इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति न होती। दूसरी बात यह है कि मतदाताओं को चुनाव के समय इसके पूर्व बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र तत्काल दिये जाने की आवश्यकता है। चुनाव सुधारों हेतु बहु-उद्देश्यीय पहचान-पत्र अत्यावश्यक हैं। तभी जाली मतों की संख्या कम हो सकती है। तीसरी बात सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचायती विधेयक या नगरपालिका विधेयक में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण का उल्लेख है। संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण क्यों नहीं है? इस स्थानों के आरक्षण तथा महिलाओं को मताधिकार देने से इस सामंती तथा पुरुष प्रधान समाज में अवश्य ही सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान भारत के कई भागों में विधि और व्यवस्था की स्थिति ठीक तरह से काम नहीं करती है। अतः चुनाव अवधि के दौरान विधि और व्यवस्था ठीक तरह काम करे, इस हेतु कदम उठाने होंगे। आचार संहिता के राजनैतिक पार्टियों द्वारा अनुपालन हेतु कदम उठाये जाने चाहिए ताकि अन्यथा चुनाव के नाम पर इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति कायम रहेगी तथा लोग चुनाव प्रक्रिया और संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास खो देंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार के मरणोपरांत चुनाव रद्द नहीं किये जाते हैं, तो यह निर्दलीय उम्मीदवार के साथ अन्याय होगा।

कई ऐसे विख्यात लोग रहे हैं जैसे आचार्य कृपलानी, डा० लंका सुन्दरम या जय सुर्या (कानून राज्य मन्त्री) जो किसी भी राजनैतिक पार्टी से जुड़े बिना इस सम्माननीय सदन क सदस्य बने हैं। वे लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संसद के सदस्य बने। तथापि इस विधेयक में निर्दलीय उम्मीदवार के मरने पर चुनाव को रद्द नहीं करने वाले प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान के पैराग्राफ 14 में दिये गये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मैं यह और महसूस करता हूं कि इससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का भी उल्लंघन होगा। क्योंकि यह उचित नहीं हैं कि यदि एक निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो भी चुनाव कराये जायेंगे तथा चुनाव रद्द तब ही कराये जायेंगे जब कोई मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का उम्मीदवार मर गया हो। संक्षेप

में, मुख्य बात यह है कि यदि हम लोग संसदीय लोकतन्त्र को बनाए रखना चाहते हैं तथा संसदीय एवं विधान सभाओं के चुनावों में लोगों का विश्वास कायम रखना चाहते हैं, तो हमें चुनाव सुधार हेतु एक अधिनियम पारित करना होगा। चुनाव में प्रक्रिया भुजबल प्रदर्शन तथा धन के प्रभाव को प्रभावी न होने देने के लिए हमें शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि हम लोगों की आवाज सही ढंग से सुन सकें।

अतः महोदया मैं पुनः दोहराना चाहूंगा हूं कि हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, मतदाताओं की सूची, महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तथा एक चुनाव आयुक्त की बजाय तीन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अपनाना चाहिए। इन मांगों के साथ, मैं आपको, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए, पुनः धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर : अध्यक्ष महोदया, हमारे विशाल देश के कतिपय भागों में आतंकवाद और हिंसा की घटनाओं में अवश्य ही तीव्र वृद्धि हुई है। साथ ही साथ संसद और राज्य की विधान सभाओं के राजनैतिक चुनावों में खड़े होने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। परिणाम-स्वरूप चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का भारी खतरा भी बढ़ गया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर, चुनाव को रद्द करने की सुविधा प्रदान करता है। महोदया, इस संबंध में, यह स्थिति अपने आप में कई अनचाहे परिणामों और समस्यात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं। पहला, यह चुनाव प्रक्रिया को लम्बा करके चुनाव लड़ रहे अन्य उम्मीदवारों के लिये अनावश्यक रूप से परेशानी खड़ा करती है। इससे चुनाव आयोग के साथ-साथ आने वाली सरकार पर, उपचुनाव कराने के लिये अतिरिक्त भार पड़ता है। और, सामान्य जनता भी अपने मतदान द्वारा चुनाव प्रक्रिया में बार-बार भाग लेने से अनावश्यक रूप से परेशान होती है।

यहां, इस मामले से सम्बद्ध कतिपय अन्य निदानात्मक कदमों और मूल रूप से चुनाव सुधार से सम्बद्ध विषय का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा। पहला, चुनाव प्रचार की अवधि को अधिकाधिक दो सप्ताह तक के लिए सीमित किया जाए। दूसरे संसदीय और विधान सभा के चुनावों में व्यय की जाने वाली निधि की सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। तीसरे, चुनाव प्रचार के दौरान शराब के मुक्त प्रयोग को कड़ाई से नियंत्रित किया जाए। आजकल चुनाव के दौरान धनशक्ति, जनशक्ति और हिंसा का भी प्रभाव होने की स्थिति में सुझाये गए उपचारी उपायों का विशेष महत्व हो। इसके अलावा राजनैतिक दलों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अतिक्रमण की अनुमति न दी जाए। जहां तक 18 वर्ष की आयु सीमा का सबंध है, इस प्रकार के कई मामले पाये गए हैं जिनमें मतदान करने वालों की आयु 18 वर्ष के करीब या उससे भी कम थी। इस दोष को दूर करने के

लिए किसी दोषमुक्त पद्धति को अपनाना चाहिए। सीमा क्षेत्रों में भी विशेषकर बंगलादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य के मतदान करने की सम्भावना और खतरा हमेशा रहता है। अतः, प्रत्येक का परिचय पत्र होना नितान्त आवश्यक है। राजनैतिक चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदार को एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से लड़नेकी अनुमति न दी जाए. भविष्य में चुनाव प्रक्रिया की क्षमता को सुधारने के लिए इलेट्रोनिक मशीनों को लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।

पंजाब राज्य में 19 फरवरी 1992 को लोकसभा और राज्य विधान सभा के आम चुनाव कराने का निर्णय किया गया। राज्य में वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में और वहां चुनाव प्रक्रिया के भंग होने के खतरे को नियन्त्रित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 में संशोधन लाना आवश्यक बन गया जिससे किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने की स्थिति में ही चुनाव को रद्द करने तक सीमित किया जा सके। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था राष्ट्रपति द्वारा जनवरी, 1992. में पंजाब में चुनाव कराने का शापन जारी किया, अत इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता हुई। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि मेरी तरह यह सम्मानित सभा भी, विद्यमान परिस्थिति के कथित घटनाक्रम के पीछे तर्काधार से पूरी तरह सहमत है।

अतः, अन्त में मैं अपने विद्वान सहकर्मी श्री गिरधारी लाल भार्गव से 17 मार्च 1992 को इस संबंध में प्रस्तुत किए गए सांविधिक प्रस्ताव को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं 17 मार्च 1992 को हमारे गतिशील मन्त्री महोदय श्री विजय भास्कर रेड्डी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राज्यसभा द्वारा यथा पारित रूप में और संशोधन हेतु लाये गए विधेयक का पूर्ण मन से समर्थन करता हूं।

श्री शोभनाद्रिश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमें विद्वान विधि और कानून मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव में इस संशोधन को बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था। यह हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की एक महत्वपूर्ण कमी है। निस्सन्देह हमारे संसदीय लोकतन्त्र में हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं ने मान्यता प्राप्त एवं अन्य राजनैतिक दलों के अलावा व्यक्तिगत भूमिकाओं को विशेष महत्व दिया है।

यह स्थिति बहुत ही मनोरंजक है। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक कितने ही चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर कोई पाबन्दी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो इस समय दो अथवा तीन अथवा चार चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 500 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करने के लिए पर्याप्त धन है, तो वह देश के सभी 520 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। यदि वह महान व्यक्ति मार दिया जाता है अथवा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो

सारी चुनाव प्रक्रिया भंग हो जायेगी क्योंकि सभी 520 चुनाव क्षेत्रों में चुनावों को रद्द कर दिया जायेगा। अतः यह सही दिशा में एक सही कदम है।

यद्यपि माननीय मन्त्री ने एक निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव को रद्द न करने के लिए कदम उठाया है, तथापि आप एक राजनैतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया तेल, पोस्टर····छपाई इत्यादि की लागत में वृद्धि के कारण बहुत ही महंगी हो गई है। अतः, किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में भी सबंधित दल किसी अन्य को नाम निर्देशित कर सकता है। यदि दुर्भाग्यवश किसी कारण से उस उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए। उस राजनैतिक दल के दूसरे उम्मीदवार के प्रस्ताव के साथ चुनाव जारी रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उम्मीदवार उसी राजनैतिक दल द्वारा सुझाया गया है जिसका वह सदस्य है।

उसके पश्चात् हम अनेक बार यह देखते हैं कि कतिपय उम्मीदवार दो अथवा तीन चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, वे एक चुनाव जीतने पर क्षेत्र की उम्मीदवारी स्वीकार करते हैं और दूसरे से त्याग पत्र दे देते हैं। आम चुनावों के पश्चात् शीघ्र ही पुनः चुनाव लड़ने में राजनैतिक दलों को ही नहीं बल्कि उनको समर्थन देने वालों को भी परेशानी होती होगी। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। वे चुनाव प्रचार में अत्याधिक धन और शक्ति का भी व्यय करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, इस स्थिति से बहुत ही परेशानी हो रही है। उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि उस उम्मीदवार को सभी लोग चाहते हैं और पसन्द करते हैं, तो उसके दो चुनाव क्षेत्रों से खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का साहस करना चाहिए। उसे दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव क्यों लड़ना चाहिए (**व्यवधान**) जो मैं कह रहा हूं वह आपके नेता के लिए और हमारे नेता के लिए भी है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। यह एक नीति का प्रश्न है, जिसके लिए मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं।

यदि आप अधिनियम में उस संशोधन को लाते हैं—इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता हमारा हो या आपका—कोई भी व्यक्ति दो चुनाव क्षेत्रों से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता।

श्री ए० सी० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप अपने हित में कृपया सावधान रहें। आपको पार्टी से बाहर नहीं भेजा गया है।

श्री शोभनाद्रीश्वरा राव वाड्डे : हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी को भी इसका सुझाव देता हूं। उन्होंने यह तो कहा कि बजट सत्र के समाप्त होने से पूर्व व्यापक चुनाव सुधार लाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। सभी अधिनियमों तथा नियमों के बावजूद चुनावों पर धन जाति, समुदाय तथा धर्म का प्रभाव पड़ता है चाहे इस सभा में हम जो कुछ भी कहें। यह हमारा व्यावहारिक ज्ञान है।

इन बातों के प्रभाव को कम करने के लिए यही समय उचित है जब सरकार को उस अनुपातिक सूची प्रणाली आरम्भ करने के बारे में सोचना चाहिए जो कुछ देशों में प्रचलित हैं, और जिसके अनुसार कुछ सीटों का निर्वाचन जनता करती है और कुछ सीटों का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दी गयी सूची के अनुसार होता है। जब ऐसा हो जायेगा तो बूथ कब्जा करने या जाति तथा धर्म को उकसाने और करोड़ों रुपये का व्यय करने के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकेगा—मैं यह नहीं कहता कि यह पूरी तरह समाप्त हो जायेगा।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी को इसका सुझाव देता हूं जो उसकी जांच करने के लिए काफी परिपक्व तथा अनुभवी व्यक्ति है।

मुझे हैरानगी है कि उपचुनावों में भी सरकार ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग नहीं किया। जबकि वे उपलब्ध हैं। सरकार ने पहले ही उन पर बहुत सा धन व्यय कर दिया है। लेकिन सरकार उनको उपयोग में लाना ठीक क्यों नहीं समझती?

आप जानते हैं कि श्री पी० वी० नरसिम्हाराव हमारे राज्य के नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में चुनाव में खड़े हुए थे। हमारे राज्य में हमारी पार्टी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टी है। हमने उनके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया (व्यवधान) जिसके कुछ निश्चित कारण हैं आप चाहे विश्वास कर या नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि पहली बार दक्षिण से, और वह भी हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश से, एक तेलगू व्यक्ति इस देश का प्रधान मन्त्री बना है। इसलिए उनके लिए सम्मान दिखाते हुए हमने उनके विरुद्ध कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया यद्यपि हमारे कुछ मित्रों ने हमें दोषी भी ठहराया।

किन्तु खेदपूर्वक जो बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि आन्ध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया, दुर्भाग्य से नन्दयाल संसदीय उप चुनावों में बड़े पैमाने पर चालाकी बरती गयी। बूथों पर कब्जा किया गया। उनके महत्वपूर्ण, नेताओं ने परस्पर होड़ लगायी कि उन्हें माननीय प्रधान मन्त्री के लिए उन्होंने इतना बहुमत एकत्रित किया। सभी ने अपने-अपने ढंग से प्रयत्न किया था। दुर्भाग्य से जिला उच्च अधिकारी राजस्व प्रशासन तथा पुलिस अधिकारी सब में सांठ गांठ थी। उन सभी ने राजनीतिकों को सहायता दी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : अपनी पार्टी के विधानसभा सदस्यों तथा पार्टी सदस्यों से पूछिए कि क्या उन्होंने प्रयास किया है अथवा नहीं?

श्री सोमनाथ्रीश्वरा राव वाड्डे : माननीय मन्त्री जी ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में लोकतन्त्र को बनाये रखना है तो किसी भी कीमत पर ऐसी बातों का परिहार करना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देता हूं कि सर्व प्रयोजन पहचान पत्र जारी किए जायें यद्यपि ये निश्चित कीमती पड़ेंगे । उस पहचान पत्र को चुनावों के लिए और बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए या इस संसदीय चुनाव या विधानसभा के चुनाव या हमारी स्थानीय निकायों के चुनाव में वोट डालने के लिए भी उपयोग में लाया जाये । लागत को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर वहन करें । केवल केन्द्र सरकार को धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है ।

मुझे आशा है कि माननीय विधि तथा न्याय मन्त्री जी इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे । और बजट सत्र के समाप्त होने से पहले व्यापक चुनावी सुधार करेंगे जिससे हमारी चुनावी प्रक्रिया में एक अच्छी शुरूआत होगी ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : सभापति महोदया मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । लगभग 13 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और चुनावी सुधारों के बारे में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मोटे तौर पर इसके लिए कोई विरोध नहीं है । इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था । और एकमत से पारित कर दिया गया था ।

प्रवर्तक से लेकर सभा के सभी लोगों ने कहा "यदि सरकार जल्दी ही चुनाव सुधारों का आश्वासन देते हैं, तो हम उसका समर्थन करेंगे ।" यहां भी हम वही बात देख रहे हैं । एक या दो मित्रों को छोड़कर बाकी सभी के इस विधेयक के लिए कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु, प्रत्येक व्यक्ति ने व्यापक चुनाव सुधारों की बात की यानी वे चाहते थे कि जल्द ही सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाये ।

श्रीमान्, यह विधेयक सबसे पहले 1985 में प्रस्तुत किया गया था । फिर एक अध्यादेश जारी किया गया था -- और इस व्याप्तगत हो जाने दिया गया था । 1990 में जनता दल की सरकार के शासन के दौरान तत्कालीन विधि तथा न्याय मन्त्री जी दीनेश गोस्वामी ने व्यापक चुनाव सुधार की इच्छा व्यक्त की । उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इस मामले की गहराई से जांच की इस समिति ने इसके बारे में भी विचार किया और यह विधेयक का एक हिस्सा है जोकि दूसरी सभा के समक्ष इस लिए लम्बित पड़ा है कि इसे 1990 में उन्होंने प्रस्तुत किया था । फिर 1991 में चुनाव आयोग ने इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की और यह निर्णय लिया गया कि इसे पारित कर दिया जाये । इस सरकार ने अध्यादेश जारी किया था । पंजाब के चुनाव करवाने के कारण हमारे पास यह अध्यादेश जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था । हाल ही के चुनावों में हिंसा के कारण अनेक लोगों की जानें गईं ।

पूरे देश में, 13 संसदीय क्षेत्रों में से पंजाब के 4 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव उम्मीदवार की मृत्यु के कारण रद्द कर दिए गए थे । देश में 34 विधानसभा क्षेत्रों में से 28 पंजाब में थे । 31

सीटें हुई थी जिनमें से 25 अकेले पंजाब में विधानसभा चुनावों में हुई थीं। इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास इन अध्यादेश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, वही अध्यादेश अब विधेयक के रूप में सदन के समक्ष है। अत: मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसे पारित करें।

महोदय, इस वाद-विवाद के दौरान श्री गिरधारी लाल भार्गव से लेकर श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे तक प्रत्येक सदस्य ने सुझाव दिया है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। सरकार भी इस संबंध में गम्भीर है। हम लोग अच्छी तरह से मामले की गहराई में गए हैं मैं अपने पूर्ववर्ती सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इसमें बहुत अधिक रुचि ली तथा वे इस मामले की गहराई में गए। वे तीन अथवा चार विधेयक सामने लाए हैं। 4 विधेयकों में से जो उन्होंने लोक सभा में प्रस्तुत किए हैं उनमें एक पहले ही दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है तथा वह चुनाव उपयुक्त की सेवा संबंधी शर्तों के संबंध में है। दूसरा विधेयक 11वें संविधान संशोधन के संबंध में है जिसका अर्थ है अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तथा क्रमावर्तन करता है, जो कि लम्बित पड़ा है। मैंने भी एक विधेयक प्रस्तुत किया है। दूसरा 70वें संविधान संशोधन के संबंध में है, यह चुनाव उपयुक्त की नियुक्ति से सबंधित है। वह भी लम्बित पडा है इसके संबंध में मैं विधेयक की व्यापकता में जाना चाहूंगा। इसे पहले लिया जाना चाहिए। इसके सुधारों के संबंध में मैं विपक्ष के सभी मित्रों से परामर्श करने के बाद बताऊंगा।

दिनेश गोस्वामी समिति ने इन बातों के बारे में व्यापक अध्ययन किया है। उन्होंने कई सुधारों का सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि निर्वाचन आयोग तीन सदस्यों का एक निकाय होना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता की सलाह से की जानी चाहिए, अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य चुनाव उपयुक्त की सलाह ली जानी चाहिए; 1981 की जनगणना के आधार पर नवीन सीमा निर्धारण किया जाना चाहिए। अब हम 1991 की जनगणना करने जा रहे हैं। चुनाव होने है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों के लिए आवर्तन का सुझाव दिया है। अत: दिनेश गोस्वामी समिति की ये सिफारिशे हैं उन्होंने बहु-प्रयोजनीय फोटो सहित पहचान पत्रों को आरम्भ किए जाने का भी सुझाव दिया है। इस पर काफी अधिक व्यय आएगा किन्तु फिर भी हमें इस पर विचार करना है। अन्य सिफारिशें हैं। किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; ऐसे उम्मीदवार जो इस संबंध में गम्भीर नहीं है उन्हें नामांकन पत्र भरने से रोका जाना चाहिए ...यह एक जोखिम बनता जा रहा है। यह एक दूसरा मोड़ भी ले रहा है। हाल के चुनावों में शायद माननीय सदस्यों ने देखा हो कि स्वयं पार्टी उम्मीदवारों को 20-25 समर्थकों का समर्थन मिला तथा उन्होंने स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। चुनाव बूथ में 25 एजेन्ट होंगे। जब वे चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो यह चुनाव प्रचार नहीं लगता अपितु, ऐसा लगता है कि सेना घूम रही है। हम प्रत्येक उम्मीदवार के लिए लगभग 4 उप निरीक्षक

1 हैड कांस्टेबल तथा 2 कांस्टेबल देते हैं। इन 20 उम्मीदवारों के साथ लगभग 80 पुलिस के लोग घूम रहे होंगे। इन्हें निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता। यह बहुत ही गम्भीर बात है।

वे उम्मीदवार जो इस संबध में गम्भीर नहीं है उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नमूना उपचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए सांविधिक समर्थन दिया जाना चाहिए। बूथ पर कब्जा करने से बचने के लिए विधायी उपाय किए जाने चाहिए। यह एक अन्य गम्भीर मामला है जिस पर हम सबको विचार करना है।

राज्यों को वित्त सहायता देना एक अन्य मामला है जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करवा चाहिए।

आटोमोबाइल को चलाना, युद्धास्त्र रखना, चुनाव के दिन शराब की बिक्री तथा वितरण को चुनाव संबंधी अपराधी माना जाना चाहिए। दल-बदल के कानून के अधीन अयोग्यता स्वैच्छिक इस्तीफे और पार्टी विहप के विरुद्ध मतदान करने या अनुपस्थित रहने तक सीमित होना चाहिए। ये बातें हैं जिन पर समिति ने विचार किया है। इनमें से बहुत सी बातों को प्रस्तावित विधेयक में लाने के लिए हम भी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सत्र के समाप्त होने से पहले हम सभी विपक्षी दलों से परामर्श करेंगे। यदि इन बातों के संबध में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो हम इसे अब भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसे विचार के लिए लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त हाल के संसदीय चुनावों तथा विधान सभा चुनावों में हमने कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं तथा साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रस्ताव श्री रमेश चेन्नीथल्ला, श्री गजपति द्वारा दिया गया है तथा अन्य प्रस्ताव यह है कि यदि पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द करने की बजाय पार्टी को दूसरे उम्मीदवार का नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। यह भी विचाराधीन है। हम दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा हाल के चुनावों में एकत्र किए गए अनुभवों, सब पर विचार करेंगे। मैंने भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विचार के लिए पेपर तैयार करने आरम्भ कर दिए हैं। यह इस माह अथवा अगले महीने के अन्त से पहले कर लिया जाएगा। हम प्रत्येक के साथ परामर्श करने के बाद एक व्यापक विधेयक के साथ सामने आएगे।

जहां तक इस विधेयक का संबंक है। यह बहुत अधिक विवादस्पद नहीं है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे एकमत से स्वीकार कर ले। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन सुधार संबंधी इस व्यापक विधेयक में वे केवल उस उम्मीदवार की मृत्यु पर जो कि गम्भीर नहीं है, चुनाव न रद्द करने पर विचार करेंगे अपितु एक ऐंसा उचित तन्त्र भी तैयार करेंगे जिससे कि गंभीर उम्मींदवार की मृत्यु हो जाने पर भी चुनाव रद्द न किए जाए।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उन्होंने यह कहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आपने ऐसा कहा था ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैंने यह कहा था मैं पुनः यह दोहराता हूं कि यह एक ऐसी सिफारिश है जिसके संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य सुझाव सदस्यों ने भी दिया है। हम सब इकट्ठे बैठेंगे तथा किसी सर्व सम्मत निर्णय पर पहुंचेंगे। केवल तभी हम विधेयक सामने लायेंगे। यह केवल पार्टी का मामला नहीं है। हम देश में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री जी ने यह बात स्वीकार की है कि वे एक विस्तृत बिल या तो चालू सत्र में या फिर अगले सत्र में लायेंगे। मैंने भी इस अध्यादेश को निरस्त करने वाली बात इसलिए रखी है कि केवल एक मामूली से संशोधन के लिए यदि हम अध्यादेश लायेंगे तो फिर अध्यादेश लाने की गरिमा जो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षरों से जारी हो वह कम होती हुई चली जायेगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि लोकतन्त्र में जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज माना जाता है और जहां पर हम इस समय विराजमान हैं यह भारतवर्ष की सबसे सर्वोच्च संस्था या जमात है। इस देश में वोट नहीं डालने दिया जाता, वोट डालने से रोका जाता है, जाली मतदान होता है, जबर्दस्ती मतदान होता है और धनशक्ति के साथ मतदान होता है। यदि यहां जो बैठे हुए लोग हैं वे ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो पायेंगे कि चुनाव एक तौर से मात्र नाटक बनकर रह गये हैं। स्वतन्त्र चुनाव नहीं हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। लोकतन्त्र के लिए शान्तिपूर्ण चुनाव का जो मूलाधिकार है, वह नहीं होता है। कहीं जाति, कहीं नारे के आधार पर जीतकर आ गये तो मैं समझता हूं कि वह सच्चा लोकतन्त्र नहीं है।

सभापति महोदया, हमारे देश के लोकतन्त्र का यह दसवां चुनाव हुआ है लेकिन विधानसभाओं के पता नहीं कितने चुनाव हो चुके हैं। इन सारे चुनावों में गम्भीर अनियमिततायें हुई हैं। इस चुनाव में कुछ कमजोरियां भी हमारे सामने आयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे कमियां और कमजोरियां अभी तक दूर नहीं की गयी हैं। अब आप कह दें कि अगले सत्र में एक बहुत बड़ा बिल लायेंगे, पता नहीं वह कब आयेगा ? अभी लोकसभा के कुछ चुनाव होने बाकी हैं। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत कैसी है ? आप तो केवल लोकसभा के कराना चाहते हैं, विधान सभा के नहीं क्योंकि लोकसभा में आपकी शक्ति बढ़नी है इसलिए मेरा कहना है कि यदि चुनाव सुधार करने के बाद चुनाव करेंगे तो अच्छा होगा। फिर आपका क्या ठिकाना है ? वोट होते हैं आप हारे तो आपकी छुट्टी और आप राष्ट्रपति के पास चले जायेंगे कि लोकसभा भंग कर दो। हमें ऐसा लगता है क्योंकि पहले 11 महीने में रहे और चले गये और अब बार-बार लगता

है कि पता नहीं सरकार कितने दिन चले ? अभी तक 5 साल तक का कोई ठिकाना नहीं है। मैं समझता हूं कि रोज ही चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा इसलिए हम चुनाव सुधार की मांग कर रहे हैं। अभी राजनैतिक दलों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सब ने चुनाव संबंधी व्यापक विधेयक लाने की मांग की है।

सभापति महोदया, मैं एक-दो सुझाव आपके सामने रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हर आदमी नाम जुड़ा नहीं सकता है, उनको प्रक्रिया मालूम नहीं है, इसमें दोष किसका है ? मैं समझता हूं कि जिस पुरुष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वह दुख पायेगा। इसलिए वोटर लिस्ट में आदमी का नाम जुड़वाने का काम प्रशासन का हो तो अच्छा होगा। अब यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आये, उसने अपना नाम लिखवा दिया तो आपके पास कोई उपचार नहीं है और इसके अतिरिक्त आपकी वोटर लिस्ट की भी प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मतदाता को पहचान-पत्र इश्यू करें जिसमें मतदाता का नाम होगा, निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसका फोटो होगा तो बोगस मतदाता बनने से रुका जा सकेगा। अत: वोटर लिस्ट मे अनिवार्य रूप से आदमी का नाम होना चाहिए और तभी सच्चा लोकतन्त्र आयेगा। यदि कोई बेईमानी करना चाहेगा तो बोगस वोट डालने की प्रक्रिया नहो चलेगी। इसलिए आइडेंटिटी कार्ड की अनिवार्यता को शुरू करें। इससे मतदाता के बच्चों के लिए अस्पताल, स्कूल में दाखिला लेने में सुविधा होगी यदि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार कोई सुविधा देती है तो वह उसे मिलेगी। साथ ही वोट करने का अधिकार उसके लिए कम्पलसरी कर दिया जाये ताकि अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर देश के सच्चे लोकतन्त्र का आनन्द ले सके। यदि पहचान-पत्र नहीं दिया जायेगा तो धनी वर्ग उसका लाभ उठाते है, इसलिए भी जरूरी है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं किसी पार्टी की सरकार है तो कलेक्टर मिल जायेगा, राज्य सरकार कहीं कुछ नहीं कर पायेगी। इसलिए प्रशासन चुस्त होना चाहिए विशेष कर चुनाव के दिनों में। प्रशासन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और प्रशासन का राजनीतिकरण नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे और यदि प्रशासन गड़बड़ हो गया तो आप जितनी भी प्रकार की व्यवस्था कर लें, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते।

दूसरा मेरा यह निवेदन करना है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, उसको 50 प्रतिशत से अधिक वोट लाने आवश्यक हों, यह अनिवार्य किया जाए। अब एक बार दो बार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जाति-बिरादरी के आधार पर कम वोट ले आएगा और कम वोट लाने वाला भी यहां पर सत्ता में आकर बैठ जाएगा। इसलिए इतने परसेंटेज में वोट लाना अनिवार्य होगा तो मेरी यहां पर मांग है कि कम से कम 50 प्रतिशत वोट जिसके आए वही जीतने वाले उम्मीदवार हों। इस संबध में आप उचित व्यवस्था करेंगे।

एक मेरा निवेदन यह है कि आप खर्च के बारे में भी विचार करिए। आपने एक लोकसभा के चुनाव के लिए खर्चा डेढ़ लाख रुपया रखा है। मुझे पता नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं अपने

सीने पर हाथ रखकर कह दें कि वे भगवान की सौगंध खाते हैं कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि निष्ठापूर्वक काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, वह झूठी सौगंध खाते हैं। कौन व्यक्ति आता है डेढ़ लाख रुपए में ?....(व्यवधान)....आपके निर्वाचन क्षेत्र में आकर लोगों से पूछ लूंगा कितना आपने चंदा लिया है । मेरा निवेदन यह है कि 25 लाख से एक करोड़ रुपये तक खर्च होते हैं। सवा लाख में कोई व्यक्ति नहीं आता है। इसलिए चुनाव में खर्च की जो सीमा है यह आप ईमानदारी से बढ़ा दें, आपको इसमें क्या ऐतराज हो सकता है ? वह व्यक्ति कहीं से भी चन्दा इकट्ठा करके, पार्टी से लेगा, लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसकी सीमा बढ़ा दें तब तो ईमानदारी से वह बयान कर सकेगा, वरना भारत के संविधान की झूठी सौगंध संसद सदस्य बनते हुए खाते हैं, फिर शेक हैण्ड करते हैं, बाकायदा दस्तखत करते हैं कि वाह-वाह, आज तो लोकसभा में मैं भगवान की सौगंध खाकर आया हूं। या तो वह एंटी विचार रखता होगा कि सौगंध का असर नहीं हो या पांव पर पांव गोडा रखना होगा। भगवान की सौगंध को आप बचाएं और खर्च की सीमा को बढ़ाएं। मेरा निवेदन है कि 1991 के चुनाव में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस प्रकार का मेरा अनुमान है। पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, वीडियो कैसेट चलाते हैं। इस-लिए मेरा निवेदन है ...सभापति जी, मुझे दो मिनट का समय चाहिए। या तो गवर्नमेंट यह काम करे कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का बिल लाए कि राजनीतिक दल वह खर्चा वहन करें जिन पोलिटिकल पार्टीज के कैंडीडेट हों। पोलिटिकल पार्टीज के कैंडीडेट्स को खर्चा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार वहन करे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक प्रकार की बात हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगा।

इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि चुनाव में लाठियों, बन्दूकों और बमों का खतर-नाक उपयोग होता है और कई बार तो विधान सभाओं में ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जिनके खिलाफ अपहरण और डाके डालने के मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरा मतलब यह है कि इन सारी बातों को आप रोकें और अन्त में मेरा यह निवेदन है कि इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग करने वाली बात आपने 1989 में लागू करने वाली बात कहीं थी। उसका उपयोग होने लग जाएगा तो ठीक प्रकार से वोट का पहचान-पत्र होगा और वह मशीन में जाएगा, बटन को दबाएगा और कितने वोट पड़े तुरन्त शाम को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। इस इलेक्ट्रानिक मशीन का आप उपयोग करेंगे, यह आप से मेरा विनम्र निवेदन है। इसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में हमारी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने तड़ी दे दी , गाड़ी मुख्य चुनाव आयुक्त की आगे आ रही थी, उन्होंने कहा कि इसको गोली से उड़ा दो। इस तरह की बात नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को आप निष्पक्ष रखना चाहते हैं तो उसकी नियुक्ति प्रधान मन्त्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होगी तब तो मैं समझता हूं कि बात बन जाएगी। अगर केवलमात्र राष्ट्रपति जी ने उसकी घोषणा कर दी और आपने रिकमेंड कर दिया तो मैं समझता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चर्चा जैसे आज सदन

में और सदन के बाहर हो रही है, यह चर्चा बराबर बनी रहेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त जब पद से मुक्त हो जाए तो कहीं भी केन्द्र में और राज्य में नौकरी में न जाए। इसी प्रकार से चुनाव की घोषणा हो जाने के तत्काल बाद केन्द्र और राज्य सरकारें कामचलाऊ सरकारें हों। आकाशवाणी और दूरदर्शन का उपयोग भी उनको नहीं करना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार वाली बात जो आपने की है, चुनाव का जो कोड बना हुआ है, उसका दुरुपयोग करना दण्डनीय अपराध नहीं है। मेरा मतलब यह है कि इसको दण्डनीय बनाया जाए। 1951 में लोक सभा में 489 सीटों के लिए 1974 निर्दलीय उम्मीदवार थे, प्रत्येक सीट के लिए 4 थे। 1991 में 533 सीटों के लिए 8609 उम्मीदवार थे और प्रत्येक सीट के लिए 16 उम्मीदवार हो गए। मेरा निवेदन यह है कि····। मैं अन्तिम एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। निर्दलीय उम्मीदवारों को या तो आप चुनाव लड़ने से रोक दें और केवल पोलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े होते हैं या तो और सुविधा पाने के लिए या सौदेबाजी करने के लिए कि इतनी गाड़ी है, ट्रक हैं तो मैं छुड़वा दूंगा, मैं कैंडीडेट बन जाता हूं। या कहीं पर और

[हिन्दी]

किसी की मदद करने के लिए वह खड़े होते हैं तो आप निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाएं या फिर आप उनकी जमानत राशि अगर 500 रुपए रखते हैं तो उनकी 10 हजार कर दीजिए। कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार है जो मैदान में आएगा? वह ढाई सौ रुपए में अनुसूचित जाति जनजाति का फार्म भर देगा, 500 रु० होंगे तो दूसरी जाति का फार्म भर देगा। आप उनकी जमानत की राशि बढ़ा देंगे तो लोग कम आएंगे। इसी प्रकार के निर्दलीय उम्मीदवार को कहें कि एक हजार मतदाता, दस विधायक और दो सांसद होंगे, इन सबसे दस्तखत कराकर लाओ, तब जाकर तुम निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हो। मैं समझता हूं कि मैंने आपको कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। इस आर्डिनेंस को निरस्त करने के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मेरी ने पार्टी उसका समर्थन किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की सदारत में एक समिति बनी थी—चुनाव सुधार समिति, मैं उसका मेम्बर था। वह पिछली बार नवीं लोक सभा में बनी थी, वह तो डिसाल्व हो गई। मेरा कहना यह है कि आप संसद सदस्यों की एक समिति बना दें जो चुनावों में सुधार हो सकता है, उन सुझावों को आपको पेश कर दें और आप इसी सत्र में एक कंप्रिहेन्सिव बिल चुनाव सुधार पर, निर्दलीय वाली बात पर, पहचान-पत्र जारी करने पर, वोटर लिस्ट में नाम लिखे जाने और इलेक्ट्रानिक मशीनों के उपयोग पर एक कंप्रिहेन्सिव बिल लाने को आश्वासन आप दें तो····(व्यवधान)····एक बार और हो जाए। मैंने अध्यादेश वाला प्रस्ताव रखा है, इस अध्यादेश पर कहीं भी जोर देने वाली बात नहीं है। आप अपने श्रीमुख से इसी सत्र में इस बिल को लाने की बात कहेंगे और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया, अब आप तेलुगु में संपुष्टि करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भार्गव जी, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मन्त्री महोदय मेरी बात का कुछ जवाब दें तभी मैं कुछ कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप इसे तेलुगु में कहिए।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : आप क्या चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : वह इसे तेलुगु में चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अंग्रेजी में आपका वक्तव्य उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बड़े आराम से अंग्रेजी जानता हूं और बोल सकता हूं लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और जो व्यक्ति हिन्दी जानता है और हिन्दी जानते हुए भी हिन्दी नहीं बोलता है, वह हिन्दी का अपमान करता है।···**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : हम लोग भी इसी लिए हिन्दी में बोलते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह आपका मत है **(व्यवधान)**

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी (करनूल) : महोदय, श्री भास्कर ने जिन अधिकांश बातों का उल्लेख किया है, उनके उत्तर दे दिए गए हैं। जैसाकि मैंने आपको अपने भाषण में बताया था कि यह लगभग सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य है। लेकिन सभी व्यक्तियों ने उस व्यापक चुनाव कानून की बात की है जिसकी इस विशेष समय में आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने उन्हीं बातों का जिक्र किया है। जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनसे अधिकांश सरकार के भी विचाराधीन है। जब विधेयक पारित किया जाता है, तो यह एक अधिनियम बन जाता है। और इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली के लिए केवल कतिपय नियम ही बनाए जाने हैं, और इन नियमों को भी शीघ्र अधिसूचित कर दिया जाएगा। अन्य सभी बातों पर न केवल सरकार द्वारा ही, बल्कि राजनैतिक दलों के सभी नेताओं द्वारा भी व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। हम किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस सभा में एक विधेयक लाएंगे। यह बाद में—यदि इस सत्र में नहीं तो, अगले सत्र में लाया जाएगा।

मैं एक बात श्री भार्गव को बताऊंगा कि जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, वे राजनीति को इसमें लेकर नहीं आए, लेकिन वह कह रहे थे कि क्या यह सरकार यहां बनी रहेगी अथवा नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने हमें हाल ही में जो अवसर दिया था वह इसके प्रतिकूल सिद्ध हुआ है कि यह सरकार पांच वर्षों तक बनी रहेगी और इसमें संदेह भी नहीं है।

मैं विपक्ष के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाने जा रहा हूं और हम विचार-विमर्श करेंगे, मैं पुन: आशा करता हूं कि अप्रैल की समाप्ति से पूर्व—इस सत्र में अथवा अगले सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस ले लेंगे। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये दोनों मिलकर चल रहे हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जी नहीं, हम साथ मिलकर कभी नहीं चले। हाल ही में उन्होंने अवसर दिया था। आप जल्दी ही हमारे साथ हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमारा साथ चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : आप हमारे साथ कितनी बार मिलकर चले हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय : भार्गव महोदय, क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मुझे निवेदन करना है कि यह बिल इसी सत्र में आना चाहिये। अभी माननीय मंत्री जी ने जो यह बात कहकर तालियां बजवा दीं कि हम 5 साल तक रहेंगे, रावण का अहं भी इस देश में नहीं चला। इसलिये कल का किसी को कोई भरोसा नहीं है। मैं इसलिये फिर कहता हूं कि जितना जल्दी आप काम कर जायेंगे, दुनिया आपको याद रखेगी। यदि इस भरोसे बैठे रहेंगे कि 5 साल तक हमने चलना है, ऐसा सोचकर चले तो आप एक काम भी नहीं कर पायेंगे। चूंकि माननीय मन्त्री जी ने मेरी बात को स्वीकार किया है कि वे बिल तो लायेंगे परन्तु इस सत्र में नहीं लायेंगे, अगले सत्र में लायेंगे, अत: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद, मैंने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तापित अध्यादेश को निरस्त किये जाने का जो प्रस्ताव रखा है, यदि हाउस मुझे ऐसी अनुमति दे देगा तो मैं उसे वापस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने कहा है कि कोशिश करेंगे। इसी सेशन में हम लाने की कोशिश करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बाद, मैं अपने, अध्यादेश को निरस्त करने सम्बन्धी संकल्प को वापस ले रहा हूं।

सभा की अनुमति से संकल्प को वापिस ले लिया गया।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य द्वारा संकल्प वापिस लिये जाने हेतु सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्यगण : जी हां, जी हां।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : अब मैं विचारणीय प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करती हूं :

प्रश्न यह है कि :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेलक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.58 म०प०

भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी; उपस्थित नहीं है श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जून, 1992 को उद्घोषित भारतीय रैडक्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश; 1992 (1992 की अध्यादेश सं० 3) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदया, आप जब सभापतित्व तब कर रही हैं। तब मेरे लिए यह संकल्प प्रस्तुन करना एक अत्याधिक गर्व की बात है और आपके लिए मैं यथासंभव संक्षिप्त रहने की कोशिश करूंगी। मैं यह सांविध्रिक संकल्प प्रस्तुत करती हूं क्योंकि हम अध्यादेश राज के बिचार के विरुद्ध हैं। लेकिन मैं भारतीय रैडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 का भी इसकी विषय वस्तु के कारण विरोध करती हूं। यह विधेयक भारतीय रैड क्रास सोसायटी को केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्रालय को एक विभाग बनाने और भारतीय रैडक्रास सोसायटी की स्वायत्तता को पूर्वतः समाप्त करने की चेष्टा है।

4.00 म० प०

(राव रामसिंह पीठासीन हुए)

उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण में, यह बताया गया है कि यह विधेयक भारतीय रैड-क्रास सोसायटी की आन्तरिक खींचतान जिसके कारण वह अपनी सांविधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकी है। के काटण अनिवार्य हो गया है ;

मेरे मतानुसार, यह एक कमजोर सा तर्क है। कृपया मुझे बताएं कि आज कौन-सा संगठन आन्तरिक कलह और भ्रष्टाचार से ग्रस्त नहीं है। परन्तु क्या किसी बुरी वस्तु के साथ अच्छी वस्तु को भी फैंक दिया जाए ? महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप आए हैं····(**व्यवधान**)···· महोदय, इण्डियन रैडक्रास सोसायटी अपनी स्थापना के समय से अपने चेयरमैन का चयन करने सहित अपने नियमों का भी पालन करती आई है। परन्तु स्वर्गीय श्रीमती गांधी के कार्यकाल के दौरान एक उपबन्ध किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति इण्डियन रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे और यही कारण हैं कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इस प्रकार इण्डियन रेडक्रास सोसायटी की स्वास्थयता समाप्त होनी शुरू हो गई। परन्तु इस विधेयक स्वायत्तता समाप्त करने में अन्तिम कील सिद्ध होगा। इस विधेयक में चेयरमैन द्वारा प्रबन्धकों और इन्डियन रेडक्रास सोसायटी की अन्य स्थायी समितियों की बरखास्तगी करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार : इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : परन्तु इसे 'सभापति द्वारा' पढ़ा जाना चाहिए। परन्तु यह सच है कि राष्ट्रपति जी के प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान है। महोदय, जिन्हें नहीं मालूम कि राष्ट्रपति कार्य करता है और सरकार के परामर्श से कार्य करता है?

इस समय, किस की बात हो रही है? केन्द्र सरकार की बात हो रही है और विभाग कौन-सा है। वह स्वास्थ्य विभाग है। अतः सभापति महोदय अपने आप ही स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उस विभाग का प्रभारी कौन है? श्री फोतेदार इसके प्रभारी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां। यह विभाग श्री फोतेदार के नियंत्रणाधीन है। यदि श्री फोतेदार अचानक चले जाते हैं और उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आता है तो भी नौकरशाही बरकरार रहेगी। इसलिए इस संदर्भ में 'राष्ट्रपति' के स्थान पर 'चेयरमैन' पढ़िए.....**(व्यवधान)**..... यह विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से महासचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैंने अभी-अभी जो कहा है वह इस पर भी लागू होता है। इसलिए सभी नियुक्तियां सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति से होंगी। चूंकि मैं उनके स्थायी रहने की बात फिर से नहीं कहना चाहती फिर भी उन्हें बहाल कर दिया गया है।

खंड 4 (ब) चेयरमैन को प्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार देता है कि वह कोषाध्यक्ष के परामर्श से एक मुख्य शीर्ष से दूसरे मुख्य शीर्ष में समुचित बजटीय आबंटन करे। कोषाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है इससे स्पष्ट है कि प्रबन्ध निकाय के बजट आबटनों के उपयोग संबंधी अधिकार को भी मंत्रालय द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है।

सोसायटी के उपसचिव स्तर व उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार को भी चेयरमैन अपने हाथ में ले रहा है। स्पष्टतः चेयरमैन इस अधिकार का प्रयोग सभी अधिकारियों को अपने नियंत्रण में करने के लिए करेंगे ताकि निधियों के विवरण अथवा अन्य किसी मामले में कोई भी सरकार के निर्णय का विरोध करने का साहस न कर सके। इस विधेयक के अन्य आपत्तिजनक प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि यह विधेयक बोर्ड में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम करता है। प्रारम्भ में 2? सदस्यों का प्रावधान था। परन्तु अब नये उपबन्ध के अनुसार इसमें राज्य की शाखाओं से केवल 12 सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य में रेडक्रास समितियां हैं और प्रारम्भ में उन्होंने काफी सीमा तक वित्तीय सहायता की थी और आज राज्य की रेडक्रास सोसायटियों को भी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाएगा। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें पांच महीने का वेतन नहीं दिया गया है। मेरे विचार से राज्य के प्रतिनिधियों

की संख्या कम करना पुनः सोसायटियों की स्वायत्तता समाप्त करने का प्रयास है। इन सभी बातों का आशय भारतीय रेडक्रास सोसायटी को स्वास्थ्य मन्त्रालय से सम्बद्ध करना है। यह कहने की बात नहीं है कि इसका मतलब दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप भी होगा क्योंकि इसकी कार्यवाही उस राजनीतिक दल की इच्छा पर निर्भर करेगी जो उस समय केन्द्र में सत्ता में होगी। वह आपका दल भी हो सकता है अथवा कोई अन्य भी हो सकता है परन्तु स्थिति वही रहेगी।

अब मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात की जानकारी चाहती हूं। इस अधिनियम के क्या परिणाम हो सकते हैं। भारतीय रेडक्रास सोसायटी—रेडक्रास सोसायटी की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से सम्बद्ध है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की यह शर्त है कि इसकी सभी सम्बद्ध संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगी। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां वे सरकार से धनराशी प्राप्त करती है इन नियमों में ढील नहीं दी जाती।

इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यालय यहां है। वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम इस विधेयक के माध्यम से क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो मुझे आशंका है कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी को अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी से असम्बद्ध हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा।

इसके साथ ही रेडक्रास सोसायटियों का विश्व संघ है। भारतीय रेडक्रास सोसायटी उनसे भी सम्बद्ध है। विश्व संघ ने अपने नियमों में इस बात की शर्त है कि यदि कोई राष्ट्रीय संस्था अपने संविधान में परिवर्तन करती है तो उसके लिए संघ की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस विधेयक से शर्त का भी उल्लघन होगा। भारतीय रेडक्रास सोसायटी की स्वायत्ता समाप्त करके, उसे केन्द्र सरकार से सम्बद्ध करके और विश्व निकायों की शर्त का उल्लंघन करके और अपने संघीय ढांचे की स्वायत्ता समाप्त करने, इस विधेयक से हमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता अत्यन्त आवश्यक है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी से सहायता की कब आवश्यकता होती है? हमें संकट के समय इसकी सहायता की आवश्यकता होती है। चाहे वह प्राकृतिक विपदा हो या बाहरी आक्रमण या कुछ और हो। इन सभी मामलों में हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है। वे इतने कड़े प्रावधान करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम सहायता के इतने बड़े स्रोत से वंचित रह जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी न तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और न ही विश्वबैंक है। यह बात हमें अच्छी समझनी चाहिए।

महोदय, मुझे इन मुद्दों पर आपत्ति है और इन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या सरकार ने इस विधेयक को तैयार करने से पूर्व भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था। यह एक ऐसा निकाय है जो कि न तो पक्षपाती है और न ही छोटा है। इसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है। इस निकाय को परामर्श किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझती कि आपने उनसे विचार-विमर्श किया है। अत: मैंने जो भी कारण बताए हैं उनकी वजह से न केवल मैं अपना सांविधिक संकल्प ही प्रस्तुत करूंगी बल्कि इस विधेयक का विरोध भी करूंगी।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय अब विचारणीय प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम 1920 में और आगे सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं उनका एक-एक करके उत्तर देने का प्रयास करूंगा और इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण पेश करूंगा ताकि इस बात का पता चले कि जो कुछ कहा गया है वह सही है अथवा नहीं। मैं उस गलत छवि को अपने अन्तिम भाषण से दूर करूंगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी आंतरिक झगड़ों के कारण वार्षिक आम बैठक बुलाने वार्षिक लेखों को पारित करने और बजट का अनुमोदन करने जैसे सांविधिक उत्तरदायित्व पूरे नहीं कर पायी है। भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम जो 1920 में अधिनियमित हुआ था कुछ पुराना पड़ गया है। और वर्तमान सशोधनों का उद्देश्य है इसमें कतिपय अनियमितताओं और त्रुटियों को दूर करना है। इस अधिनियम में अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मैं पुन: अपनी बात दोहराता हूं कि इस अधिनियम में सोसाइटी के अध्यक्ष की नियुक्ति के सबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं तो केवल यही बता रहा हूं कि इस विधेयक में किस बात का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में सोसायटी के प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबन्ध निकाय की रचना अथवा मुख्य कार्यकारी तथा खजांची की नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सोसायटी के सम्पूर्ण प्रबन्ध ढांचे से संबधित लिए जाने वाले निर्णय को स्वयं प्रबन्ध निकाय द्वारा बनाए जाने वाले नियमों पर छोड़ दिया गया है।

हाल ही में भारतीय रेड क्रास सोसायटी के कामकाज को लेकर कई वर्गों द्वारा तीखी आलोचना की गई थी तथा जिस तरह से सोसायटी का काम-काज किया जा रहा था वह अधिनियम में उल्लिखित सोसायटी के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के विपरीत था। मुकदमेबाजियों की वजह से सोसायटी मुख्य कार्यकारी की नियमित रूप से नियुक्ति करने में भी अक्षम थी।

सदन के सम्मुख लाए गए विधेयक में सोसायटी के प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति, प्रबन्ध निकाय की रचना तथा महा सचिव एवं खजांची की नियुक्ति से संबंधित उपबन्ध स्वयं अधिनियम में ही किए गए हैं। विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि मौजूद प्रबन्ध निकाय का अस्तित्व दिनांक 23 जनवरी, 1992 के अध्यादेश की घोषणा के शीघ्र पश्चात् समाप्त हो जाएगा तथा अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर नए प्रबन्ध निकाय का गठन फिर से किया जाएगा। विधेयक में सोसायटी के प्रेसीडेन्ट को यह शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है कि प्रबन्ध निकाय के

सोसायटी के कामकाज के प्रबन्धन में पूरी तरह से असफल हो जाने अथवा प्रबन्ध निकाय द्वारा सोसायटी के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य करने की स्थिति में वह उसका कामकाज अपने हाथ में ले लें।

यदि माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में ऐसी तनिक सी भी कोई शंका हो कि विधेयक संगठन की स्वयंसेवी प्रकृति को बदलना चाहता है तो मैं उसे दूर करना चाहूंगा। इसके प्रारम्भ के समय से ही, दो वर्षों की अल्प अवधि को छोड़कर, राज्य का प्रधान हमेशा ही सोसायटी का प्रेसीडेन्ट रहा है। वर्तमान में सोसायटी के प्रेसीडेन्ट को केवल निम्नलिखित के बारे में शक्ति प्रदान की गई है :

(एक) प्रबन्ध निकाय की सिफारिश पर मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति करना।

(दो) प्रबन्ध निकाय द्वारा मुख्य कार्यकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से पूर्व तत्संबंधी मंजूरी प्रदान करना।

(तीन) असाधारण मामलों में प्रबन्ध निकाय का कामकाज अपने हाथों में ले लेने की शक्ति।

राज्य के प्रधान में कतिपय आरक्षित शक्तियां निहित हैं जिससे कि वह आन्तरिक कठिनाइयों के कारण पड़ने वाले दवाब और अवरुद्धता की स्थिति में संस्थान के जारी तथा प्रभावशाली काम-काज को बरकरार तथा सुरक्षित रख सके। नए प्रबन्ध सोसायटी की स्वयं सेवी प्रकृति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं : सोसायटी के कार्यों का प्रबन्ध पहले की ही तरह प्रर्णरूपेण प्रबन्ध निकाय द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध निकाय की रचना में यह व्यवस्था की गई है कि इसके 18 सदस्यों में से केवल 6 का मनोनयन किया जाएगा और शेष 12 सदस्यों का चुनाव होगा। यह सोसायटी की प्रजातान्त्रिक प्रकृति को सुनिश्चित करेगा। सरकार का उद्देश्य सोसायटी की स्वयंसेवी तथा स्वायत्तशासी प्रकृति को ज्यों का त्यों बनाये रखना है।

विधेयक में आन्तरिक वाद-विवादों के कारण डूबी सोसायटी को अव्यवस्था का शिकार होने से बचाने के लिए 23 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित किए जाने की व्यवस्था है।

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि रेड क्रास सोसायटी युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय समूचे विश्व में मानवतावादी तथा अन्य राहत कार्य करती है। प्रथा के तौर पर सभी राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटियां स्वयं राज्य के प्रधान द्वारा निरन्तर रूप से नेतृत्व प्राप्त करती रही हैं। इससे संगठन की गरिमा और प्रभाव बढ़ता है भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने भी अपने प्रारम्भ से ही इस प्रथा का अनुसरण किया है। भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम, 1920 में सोसायटी के कार्य प्रबन्ध के सम्बन्ध में पूर्ण स्वायत्तता की व्यवस्था करती है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है इसके कारण वर्तमान संशोधनों द्वारा अधिनियम की मूल योजना प्रभावित हो। इसका उद्देश्य उपचारी तंत्र प्रदान करना है जिससे प्रबन्ध निकाय द्वारा आन्तरिक कलह के कारण अपने कर्त्तव्यों

तथा कार्यों का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार से असफल हो जाने पर, उसे समय से ठीक किया जा सके। यहां तक कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी के प्रबन्ध निकाय द्वारा भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम, 1920 की धारा 5 के अन्तर्गत निर्मित मौजूदा नियमों के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति ही सोसायटी का प्रेसीडेन्ट है। सोसायटी के प्रेसीडेन्ट पद पर सुशोभित होने के कारण उनके लिए यह देखना लाजमी था कि सोसायटी प्रभावशाली ढंग से कार्य करे। अधिनियम के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन संतोषजनक ढंग से करें। चूंकि प्रबन्ध समिति द्वारा बनाए गए नियमों, जैसे कि वे वर्तमान में हैं, सोसायटी में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों के लिए उपचारी तन्त्र की व्यवस्था नहीं है, अतः अब स्वयं अधिनियम में ही आवश्यक उपबन्धों को शामिल किया जाना आवश्यक होग या है जिससे कि हाल ही में सोसायटी के मुकदमेबाजी में फंसने तथा उसके आन्तरिक कलह के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रसन्नताजनक परिस्थितियों को दूर कर सोसायटी की कार्यप्रणाली को पुनः सही मार्ग पर लाने के लिए त्वरित और प्रभावकारी कदम उठाए जा सकें।

यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी संस्थान पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियां हमेशा किसी बाहरी प्राधिकारी में निहित होती है। इस तथ्य के होते हुए कि यह शक्ति ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है जो स्वयं राज्य के प्रधान से कम नहीं है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि सोसायटी की स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता के साथ किसी परोक्ष मकसद से अथवा दुर्भावना तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा—वह भी बड़े बुद्धिमतापूर्ण ढंग से।

मुझे पक्का यकीन है कि विधेयक को सदन के सभी सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा। अब, मैं सिफारिश करता हूं कि माननीय सदन विधेयक पर विचार करें तथा उसका अनुमोदन करें।

सभापति महोदय :

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 1992 को उद्घोषित भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधित) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश 3) का निरनुमोदन करता है"

"कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम, 1920 में और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव के लिए कतिपय संशोधनों को विचारार्थ प्राप्त किया गया है। संशोधन सं० 1- श्री गिरधारी लाल भार्गव। क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को उस पर 25 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत । वह यहां नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ? माननीय मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे कि यह वास्तव में नया विधेयक है । भारतीय रेड क्रास सोसायटी की रचना में पूर्णरूपेण परिवर्तन किया जा रहा है तथा प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधियों की संख्या घटायी जा रही है । प्रेसीडेन्ट को काफी व्यापक शक्तियां प्रदान की जा रही है । महोदय, विधेयक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रेसीडेंट महोदय स्वनिर्णय से कार्य करेंगे । अत: संविधान बहुत स्पष्ट है । उन्हें मन्त्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करना होगा । वह ऐसा करने के लिए बाध्य हैं ।

अब महासचिव की अतिलङ्घन की शक्ति, उसको नियुक्त करने की शक्ति, सभी कुछ का विधान है । यह एक ऐसा मामला है जहां हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि बहुत ही कम समय में, इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए; तथा इसे प्रवर समिति को भेजना चाहिए; एक सप्ताह में इस पर रिपोर्ट दी जा सकती है—सात दिन हैं । अभी भी समय है । हम इस संबंध में सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे जिसका मैं विश्वास दिला सकता हूं । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ।

सभापति महोदय : विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए तो मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि कुल मिलाकर यह विधेयक के मार्ग में बाधा बनने के लिए नहीं है । मैं कह रहा हूं कि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दी जा सकती है । हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा निकाय है कि जहां राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए; इसे दलगत से दूर रखा जाये । जैसा कि आप जानते हैं कि चयन समिति में हम इस मामले पर पूरा ध्यान दे सकते हैं; इस पर खंडवार विचार किया जा सकता है तथा बहुत ही सीमित अवधि में इस पर रिपोर्ट दी जा सकती है । हम नहीं चाहते कि अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेश व्यपगत हो जाए । किन्तु दिए गए समय में, हम रिपोर्ट दे सकते हैं ।

सभापति महोदय : जहां तक सदन तथा सभापति का संबंध है, विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है । क्या मन्त्री महोदय इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री राम कापसे (थाणे) : ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे प्रवर समिति को न भेजा जा सके । हम समय बद्ध कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

सभापति महोदय : इसके बारे में निर्णय लेना सरकार तथा सभा का कार्य है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मेरा इतना ही आपसे आग्रह है, सोमनाथ बाबू ने जो यहां पर प्रस्ताव किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं । मन्त्री जी ने अभी अपने

वक्तव्य में यह कहा कि इस सोसायटी का जो अभी तक काम रहा है, उसको उन्होंने स्थिति बहुत ही घृणित कहा है। इससे सख्त शब्द का इस्तेमाल मैं भी नहीं कर सकता हूं, इस इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के काम को लेकर। यूं तो इस संस्था की देखभाल सरकार ही करती थी यानी राष्ट्रपति के या उसके अध्यक्ष के चाहे जो अधिकार रहें, उनको इस्तेमाल वह कर पायें या न कर पायें, अनेक वहां पर हरकतें वगैरह हो गई हैं, यह सारी चीजें सही हैं। लेकिन आपका जो स्वास्थ्य मन्त्रालय आज इस पर कानन यहां पर ला रहा है तो उस स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास जो अधिकार थे, इनकी दुरूस्ति करना न करना, मगर उसके बावजूद जो स्थिति वहां रही, आज आपने उसको बहुत ही सही शब्दों में यहां पर वर्णन किया।

[अनुवाद]

भारतीय रेड क्रास सोसायटी की स्थिति भी बहुत घृणित है।

[हिन्दी]

तो इसमें कुछ जो दुरुस्तियां करनी हैं, वह बहुत ही मौलिक दुरुस्तियां इसमें होनी हैं इसलिए मेरी मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि सोमनाथ बाबू ने यह नहीं कहा कि इसको लम्बे अर्से के लिए महीने दो महीने ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुद्दे पर आइए। आप भाषण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मेरा इतना ही कहना है कि सोमनाथ बाबू का जो प्रस्ताव हैं, उसमें उन्होंने समयबद्धता की बात की है। आप कहिए कि एक सप्ताह के भीतर, आज से. सलैक्ट कमेटी इस पर विचार और सदन के सामने इसको पेश करेगी, इतना कबूल करने में, मन्त्री जी, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मन्त्री महोदय वे संक्षेप में बताया है कि सरकार इस विधेयक को क्यों लेकर आई है। बहुत ही गम्भीर आशंकाएं हैं कि इस विधेयक के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी की आपसी समझ-बूझ तथा राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का उल्लंघन करने जा रहे हैं जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी से सहायता प्राप्त न हो. जो कि अन्ततः हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, जो कि दुःखी, जरूरत मन्द लोगों की सहायता के लिए, गरीब लोगों का पुनर्वास करने के लिए होती है। अतः श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : ऐसी आशंकाएं बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी से सहायता लेना बन्द कर देंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अतः, इसे देखते हुए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है, हम सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे; तथा एक सप्ताह अथवा दस दिन के अन्दर इस पर रिपोर्ट दी जा सकती है।

श्री चित्त बसु (बारस्पट) : खड़े हो गए।

सभापति महोदय : श्रीसोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे पास भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम, 1920 की एक प्रति है। यह अध्यादेश....

सभापति महोदय : क्षमा करें; यह उपयुक्त समय नहीं है।

श्री चित्त बसु : मैं एक प्रश्न की व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या मूल अधिनियम के विरोध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाये।

महोदय, यह है मूल अधिनियम। इस मूल अधिनियम में कुछ आधार मूल सिद्धान्त हैं। अब यह संशोधनकारी विधेयक इस मूल अधिनियम में अन्तर्निहित आधार मूल सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। जो कुछ भी हो, मैं सरकार की और सभा के अन्य सदस्यों की चिन्ता, में शरीक होता हूं कि इण्डियन रेडक्रास सोसायटी की स्थिति बहुत खराब है। हम उस बुरी स्थिति को जारी नहीं रखना चाहते हैं। परन्तु उसको छोड़ कर और भी तरीके हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी पहले ही स्थिति से छुटकारा पाने के वैकल्पिक तरीके के बारे में पहले ही कुछ कह चुके हैं और उन्होंने रेड क्रास सोसायटी के मामलों को विनियमित करने के लिए लोकतान्त्रिक विधि के बारे में भी कुछ कहा है।

श्री राम कापसे (ठाणे) 'सभापति महोदय—मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को एक सप्ताह के समय कार्यक्रम के साथ प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये। हम इस पर टिके रहेंगे। किन्तु यह वास्तव में ही आवश्यक है क्योंकि इससे लगभग पूरा विधेयक बदल जायेगा—और लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रह जायेगी कि इस विधेयक से रेड क्रास सोसायटी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आ जायेगी। इसलिए मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : विधेयक का परिचालन नियमानुसार किया गया है चूंकि विधेयक अब प्रस्तुत कर दिया गया है, चर्चा आरम्भ हो गयी है और वे इस सुझाव को प्रवर समिति के समक्ष भेजने के लिए किस नियम के तहत कार्यवाही कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। यदि सभा निर्णय लेती है तो हम ऐसा कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद की सर्वोच्चता के नियमाधीन ।

सभापति : निःसंदेह, सभा सर्वोच्च है । सभा जो भी निर्णय लेगी, किया जायेगा । किन्तु क्या माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : और अधिक व्यवधान नहीं होने चाहिए । आप विधेयक पर बोल सकते हैं ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं भारतीय रेड क्रास सोसायटी में एक नया इतिहास बना रहा हूं । कृपया मेरी बात सुनिये और इसमें यह एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इस उपाय द्वारा ये जमींदारी प्रणाली जो कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी में विकसित हो गयी है, को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं एक मुद्दे पर मैं जार्ज फर्नांडीज को संदर्भित कर रहा हूं । मैं केवल आपको बता रहा हूं । आप यह जानते हैं मैं दस्तावेज दिखाऊंगा । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालो । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने उस समय व्यवधान नहीं डाला जब आप लोग बोल रहे थे और मैं आशा करता हूं कि आप भी व्यवधान नहीं डालेंगे ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं सभा में कुछ भी रिकार्ड नहीं करना चाहता क्योंकि उन लोगों का स्वयं का बचाव करने का अवसर नहीं मिलेगा । मैं विपक्षी नेताओं को दस्तावेज दिखाने का अवसर लूंगा, कि सरकार को ऐसा विधेयक क्यों लाना पड़ा । दो बातें हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है ।

एक तो यह है कि, क्या संगठन का स्वैच्छिक स्वरूप किसी भी तरह से समाप्त किया जा रहा है । इस विधेयक के अनुसार हम किसी भी तरह से सोसायटी के स्वैच्छिक स्वरूप को समाप्त नहीं कर रहे । यह हुई एक बात : दूसरे जहां तक अति लङ्घनपन का संबंध है—मैं एक-एक करके जवाब दूंगा – यह हमारे पिछले डेढ़ साल के अनुभव पर आधारित है । मैं दस्तावेज दिखाऊंगा । मैं इस दस्तावेजों को रिकार्ड में नहीं लाना चाहता । यह उस अनुभव के आधार पर है कि हम भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां दे रहे हैं । जब हम कहते है कि राष्ट्रपति कृपया मेरी बात सुने—मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के विधिक ज्ञान का सम्मान करता हूं । वे एक विधिवेत्ता है भारत के राष्ट्रपति अर्थात् भारतीय रेड क्रास सोसायटी, के राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद के परामर्श से काम नहीं करना होता । यहां उसे अपने ही ढंग से काम करना होता है ।

सभापति या किसी और की सलाह से कार्यवाही करना होता है । मैं यह अब स्पष्ट करना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, क्या वह खण्ड इसमें कहीं पर समविष्ट किया गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं महोदय··· **(व्यवधान)**

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदय जो कार्य करते हैं ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : साधारणतया राष्ट्रपति महोदय मन्त्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक भारत के संविधान का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति महोदय मन्त्री परिषद द्वारा उनको दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मामले में यह अलग कैसे है ?

श्री एम० एल० फोतेदार इस मामले में वे सोसायटी के पदेन प्रेजीडेन्ट हैं। यहां वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें पदेन प्रेजीडेन्ट बना रहे हैं ···· (व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें सूक्ष्म अन्तर है। वे रेड क्रास सोसायटी के प्रेजीडेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक सुस्थापित विधिक प्रस्ताव है; जिसे सात न्यायाधीशों ने प्रस्तुत किया था। मैं उन्हें कानून सिखाने की कल्पना नहीं कर सकता ···
(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : दूसरे, नियमों के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति को रेड क्रास सोसायटी का प्रेजीडेन्ट कैसे बनाया जाता है। हम अधिनियम में उस प्रावधान में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अन्तर को नियमों के अन्तर्गत बताया गया है। हम अधिनियम में इसको समाविष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम उन्हें भारतीय रेड क्रास सोसायटी का पदेन प्रेजीडेन्ट बना रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तब वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और वे किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत के राष्ट्रपति भारतीय रेड क्रास सोसायटी के पदेन प्रेजीडेन्ड हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह संविधान की इस व्याख्या पर आधारित है, तो हम इससे पूर्ण रूप से असहमत हैं। ···(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : तीसरे, यह अध्यादेश दिनांक 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और इसे अध्यादेश के जारी करने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर पारित किया जाना है। मैं माननीय सदस्यों को दस्तावेज दिखा सकता हूं। आप दस्तावेज देख सकते हैं। और पूर्ण चर्चा और पूरे वाद-विवाद के पश्चात् सदन इस विधेयक को पारित कर सकता है। ··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपके पास 5 अप्रैल तक का समय है। आप इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज सकते हैं और उसे जांच के पश्चात् अपना प्रतिवेदन सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं ···। (व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : समस्या यह है कि राज्य सभा इस महीने की 30 तारीख को स्थगित हो जाएगी........। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब विधेयक पर सभा द्वारा सामान्य चर्चा की जाएगी।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम पहले जैसी यथा स्थिति नहीं चाहते। हम पूर्व स्थिति में वापस नहीं जाना चाहते। हमारी यह मंशा नहीं है। मंत्री महोदय ने सम्भवतया हमें गलत समझा है। हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जो हमें अधिक स्वकार्य होने चाहिए। और यदि इसमें कुछ शंकाएं हैं, तो उनका निराकरण किया जा सकता है। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे में से कोई भी पूर्व स्थिति में नहीं जाना चाहता। हम नहीं चाहते कि पुरानी समिति वापस आए। हमारी यह मंशा नहीं है.......। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, आपने स्वयं एक बात का उल्लेख किया है। आपने मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण के द्वारा यह प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति महोदय यहां प्रेजीडेन्ट के रूप में भिन्न किस प्रकार से होंगे। यहां ऐसा नहीं है कि वे व्यक्तिगत हैसियत से सोसाइटी के प्रेजीडेन्ट होंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वे सोसाइटी के प्रेजीडेन्ट होंगे। और श्रीमान् जी, मेरे विचार से आपने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या वे विधेयक में यह प्रावधान करना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को यह आशंका है कि उस खण्ड के अनुसार राष्ट्रपति महोदय आमसभा को बर्खास्त कर सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति रूप में, भारत के राष्ट्रपति को सरकार, आम सभा को बर्खास्त करने के लिए परामर्श देगी। भारत के राष्ट्रपति सोसाइटी के प्रेजीडेन्ट के रूप में कार्य करेंगे और जहां तक मेरा विचार है और सोसाइटी के प्रेजीडेन्ट के रूप में वह मंत्री-परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा विचार यह है कि यह कहने से बेहतर कुछ भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति महोदय सोसाइटी के पदेन प्रेजीडेन्ट होंगे। आपके इस बात से सहमत होंगे।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, महोदय मैं यह कहना चाहूंगा चूंकि यह रेडक्रास सोसाइटी का मामला है और यह अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसाइटी से सम्बद्ध है, अत: मेरा यह विचार है कि इस मामले पर विचार करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। महोदय आप स्वयं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते यह जानते हैं कि युद्ध के समय और

अन्य समय पर भी, हमें रेडक्रास की सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो वास्तव में देश की सहायता कर सकती है। यही कारण है कि हमें अफसरशाही तो हमेशा इस प्रकार का परामर्श देने का प्रयास करेगी जो उनके अनुकूल होगा।

सभापति महोदय : आप यह कैसे मानते हैं कि कोई अफसरशाही के परामर्श के अनुसार कार्य कर रहा है ?

श्री मनोरंजन भक्त : यही कारण है कि हम यह सोचते हैं कि इस मामले की सही ढंग से जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रपति महोदय का प्रश्न नहीं है। हम सभी के मन में राष्ट्रपति महोदय के प्रति अत्यधिक सम्मान है। यहां प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बाहर यह संदेश देते हैं कि प्रत्येक संस्था सरकारी होती जा रही है और यह एक स्वयंसेवी संगठन नहीं है। यही प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है·········(**व्यवधान**)········

सभापति महोदय : मेरे विचार से हमने इस पर पर्याप्त समय खर्च कर दिया है। अब डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय बोलेंगे।

[**हिन्दी**]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर अनुरोध किया, निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उस पर ध्यान दिया होगा कि इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी के बारे में जिस प्रकार से अध्यादेश लाया गया है, जिन कारणों से अध्यादेश लाया गया है, इस विधेयक के लाने के बाद वे कारण समाप्त हो जायेंगे ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। अध्यादेश के लाने के बाद विधेयक में जो व्यवस्था की है उसके अनुसार वही पुरानी कमेटी, जिस पर आरोप लगाए गए थे कि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है और कुप्रबन्ध के कारण उस सोसाइटी का सारा मामला इस अध्यादेश के तहत प्रेजीडेन्ट को अपने हाथ में लेना पड़ा। यदि वही समिति फिर से जीवित की जाती है, उसके 6 महीने तक, जब तक नए निर्णय नहीं हो जाते हैं, नयी समिति की नियुक्ति नहीं होती है, वही समिति काम करती है तो मैं समझता हूं कि जो आपत्तियां उठाई गयी थीं, वे बनी रहेंगी। जिन कुप्रबन्धों को लेकर आपको यह कदम उठाना पड़ा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, व्यावहारिक लाभ नहीं मिलेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय को इमीडिएट तत्काल कोई आदेश देना पड़ा, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकृत नहीं था, प्रधान सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्ति के बारे में। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं इसके बारे में पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियुक्ति की थी और सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था कि ये नियुक्ति ठीक नहीं है। क्या सर्वोच्च न्यायालय की उस बात को ध्यान नहीं रखा गया ? फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन दो पदाधिकारियों की नियुक्ति की है ··

[अनुवाद]

श्री एम०एल० फोतेदार : नहीं, शायद यह सूचना गलत है कि कोई व्यक्ति न्यायालय में गया था। न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया था कि उस महासचिव को जिसे नियमों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, कार्य करने की अनुमति न दी जाए। उसी आदेश को आधार बनाया गया था। शायद माननीय सदस्य को दी गई सूचना गलत है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया था ?

श्री एम०एल० फोतेदार : उन्होंने आदेश दिया था कि पूर्व चेयरमैन द्वारा नियुक्त किए गए महासचिव को कार्य नहीं करना चाहिए।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उसे चाहे पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा इस सरकार द्वारा नियुक्त किया हो, सरकार तो आखिर सरकार ही है।

[हिन्दी]

क्योंकि सोसाइटी की कोई बैठक नहीं हुई है। बैठक बुलाने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं था। बैठक कौन बुलाएगा, यह भी तय नहीं था, सारे के सारे कार्य मैनेजिंग बाडी में अन्तर्निहित थे। मैनेजिंग बाडी की स्थिति ऐसी थी कि कोई काम नहीं करना चाहता था। ऐसी दशा में निश्चित रूप से इस प्रकार का विधेयक लाने की जरूरत पड़ी। जिस रूप में अध्यादेश लाया गया है इससे हमको लगता है कि इस प्रकार के अध्यादेश द्वारा नियमों में परिवर्तन किया या जिस-जिस धारा में परिवर्तन किया है उसके कारण बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल भावना रेड क्रास की है उस पर आघात न लगे। क्योंकि इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। जिस महत्व के तहत् यह संस्था कार्य कर रही है उसके ऊपर अगर आघात पहुंचता है तो निश्चित रूप से जो आपको आज यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी, उसकी उपादेयता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का संशोधन व्यर्थ हो जाएगा।

1920 के अन्दर संस्था को स्थापित किया गया और अब तक इतने लम्बे समय में कोई विशेष संशोधन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं समझता हूं कि सारे काम ठीक तरीके से चल रहे थे। लेकिन पिछले पांच-सात वर्षों में कोई आज की बात नहीं, जो मेरे पास जानकारी है, पिछले 5-7 वर्षों में।....

एक तरह से सोसायटी डिपांग हो गई, उसको कोई देखने वाला मालिक नहीं था। जो लोग उसको देख रहे थे तो वे उसको निजी संपत्ति बना रहे थे और उसके एसेट्स को हड़पने की चेष्टा कर रहे थे। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी अभिरक्षा की है। उन लोगों के हाथों में संपत्ति को जाने से रोका है। ऐसी संस्था न केवल देश के अन्दर बल्कि देश के बाहर युद्ध के क्षेत्र में घायलों को मदद देना रोगियों की सहायता देना, युद्ध के अलावा इसका काम है क्षयरोगी की मदद की बात हो, लिप्रोसी वाली बात है और कहीं पर भूकम्प से पीड़ित की बात होती

हैं या कहीं पर बाढ़ से विनाशलीला होती है तो यह संस्था जाकर काम करती है। इसका खर्च करने का असीमित अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो फण्ड्स आते गए तो उन फण्ड्स का काफी दुरुपयोग हुआ है। अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। इस संशोधन के बाद भी अपराधियों को दंड दे पायेंगे या नहीं, ऐसा इसमें दिखाई नहीं देता है। क्या ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने इसके फण्ड्स का दुरुपयोग किया है और इसको निजी संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने की चेष्टा की और संस्था के सारे विधान को अपने पक्ष में उपयोग करने की चेष्टा की जबकि इसमें कोई विशिष्ट आवधान नहीं था। सारे पावर्स मैनेजिंग कमेटी के पास हैं। वह मीटिंग बुलायेगी और किसी का अपाइन्टमेंट करेगी तो वही करेगी फिर दो अपाइन्टमेंट किए गए, कैसे किये गये? प्रधान सचिव और संयुक्त सचिव का अपाइन्टमेंट किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी······(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं कहना चाहूंगा कि विधेयक पारित होने के तुरन्त बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी रूप से महासचिव नियुक्त किया जायेगा। हम अभी नियुक्त नहीं कर सकते क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नियुक्ति कौन करेगा ?

श्री एम० एल० फोतेदार : ············की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या राष्ट्रपति नामों का चयन करेंगे ? यह हम सब जानते हैं। क्या हम यहां बच्चे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री जी, आप कृपया बाद में उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि सेंट जानस एम्बुलेंस एसोसिएशन के लिए महासचिव की नियुक्ति का आदेश किसने दिया है। क्या आपके मन्त्रालय ने नियुक्ति की है अथवा नहीं ? इस विधेयक में अथवा पिछले अधिनियम में इसके लिए नियम कहां हैं ? अब तक इसका कोई प्रावधान नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : डा० पाण्डेय, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करिये।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं निवेदन कर रहा था कि यह अन्तराष्ट्रीय संस्था के रूप में बनी रहे। इसका जो काम है, वह ठीक हो और जो विसंगतियां हैं, वे दूर हों। माननीय सदस्यों ने आपसे जो अनुरोध किया है तो मैं समझता हूं उन बातों की तरफ आप योगदान नहीं दे सकते। इतना समय भी नहीं था कि इस सारे विधेयक के लिए अपना संशोधन लाकर देते और अभी भी समय है

कि जो बातें माननीय सदस्यों द्वारा रखी गई हैं तो इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें और समिति एक सप्ताह में या दस दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे। एक काम्प्रीहेन्सीव अमेंडमेंट बिल लाकर इस तरह का कार्य करना चाहते हैं तो हम आपका समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके सराहनीय कदम हैं उसमें और चार-चांद लग जायेंगे। हम चाहते है कि आप हमारे सुझावों को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० वसन्त पवार (नासिक) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इंडियन रेड क्रास सोसाइटीज अधिनियम, 1920 में संशोधन करने के लिए इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मै इस सशोधन के लिए माननीय मंत्री जी श्री एम० एल० फोतेदार को बधाई देना चाहूंगा।

रेडक्रास सोसाइटी एक प्रसिद्ध और धर्मार्थ संगठन है। इस सोसाइटी के तीन सिद्धांत हैं— स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों से रोकथाम और कष्टों का शमन। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्विटजरलैंड के एक सज्जन पुरुष श्री हेनरी दुर्यंट ने 8 मई, 1864 को इस संगठन की स्थापना की थी।

युद्ध और शांति दोनों के ही समय जनकल्याण के प्रति रेडक्रास की एक प्रधान भूमिका है। मानवतावादी कार्य वास्तव में एक बड़ा कार्य है और लोगों, धन और सम्मान द्वारा इसे शुद्ध बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में, इसकी 640 शाखाएं हैं और धर्मार्थ कार्य करने के लिए इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी को अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान मिलते हैं। विगतम किये गये कार्य काफी लाभप्रद हैं। शांति के समय में रेडक्रास सोसाइटी अनाथालयों के साथ-साथ आंगनवाड़ी चलाने के लिए एम्बुलेंसों की व्यवस्था करने के चिकित्सा कल्याण गतिविधियों, ब्लड बैंकों और रक्त दान आदि, जैसे कार्य करती है और यह समुदाय को अपनेपनका अहसास कराती है।

1970 के दशक में जान लेनन ने अपने शांति गीत "इमेजिन" में इण्डियन रेडक्रास की प्रशंसा की थी जिसमें उन्होंने लिखा :—

"इमेजिन आल दि पीपुल लिविंग फार टुडे;
इमेजिन देअर इज नो कंट्री,
इट इज नाट हार्ड टु डु सो;
नथिंग टु किल आर डाई फार एण्ड
नो रिलिजन टु,
इमेजिन आल दि पीपुल लिविंग लाइफ
इन पीस।"

इण्डियन रेडक्रास का यह महत्व है। युद्ध की शर्तों में हम दोनों विश्व युद्धों में और इसके साथ ही साथ श्रीलंका और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं कि इण्डियन रेडक्रास ने काफी अच्छा और सराहनीय काम किया है। किन्तु पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार कुप्रबन्धन और अहवाद के कारण वे ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे। इण्डियन रेडक्रास का कार्य रूक गया था क्योंकि अधिकारीगण ठीक ढग से काम नहीं कर रहे थे और जैसाकि मंत्री जी ने कहा है, यह वह विधेयक है……

सभापति महोदय : डा० पवार, वह प्रशंसनीय है कि आपने इस विषय पर अनुसंधान किया है किन्तु प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा सलाहकार समिति ने इस संशोधन के लिए एक घंटे का समय दिया है और इसलिए मैं इसके लिए केवल पांच मिनट का समय दूंगा। आप कृपया संशोधन की बात कीजिए।

डा० वसन्त पवार : जी, हां। उन्होंने यह संशोधन किया है कि पदधारियों की दो समयावधियां निश्चित कर दी गई हैं। मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि एक समयावधि दो वर्ष की है, इसलिए "दो अनधियां अथवा चार वर्ष, जो भी कम है", ताकि कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय के लिए न रहे अथवा प्रबन्धन निकाय का कोई सदस्य ज्यादा समय के लिए न रहे। अथवा प्रबन्धन का निकाय कोई सदस्य ज्यादा समय के लिए न रहे। प्रबन्धन निकाय में मेरा सुझाव है कि आप इण्डियन रेडक्रास सोसायटी के प्रबन्ध निकाय संबंधी कार्यों के लिए इस सम्मानीय सदन से दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य ले सकते हैं।

महोदय, इस संशोधन में राज्य शाखाओं के नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई राज्य शाखा ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उसके नियंत्रण के लिए, पर्यवेक्षण के लिए अथवा उनके स्थान पर कार्य करने के लिए कोई शक्ति नहीं दी गई है क्योंकि कई स्थानों पर अनेक मुकदमेबाजी हैं, इसलिए वे आम बैठक नहीं बुला सकते, वे बजट नहीं रख सकते, वे लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए, मेरा निवेदन है कि यदि हम इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी की राज्य शाखाओं पर नियंत्रण रखे तो वे अच्छी तरह काम कर सकेंगी। पिछले कुछ समय में पंजाब रेडक्रास को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हमारे लिए यह एक अच्छा उदाहरण है और इस संशोधन के लिए और इस इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी को भारतीय जनता के स्वास्थ्य के लिए एक उत्तरदायी सोसाइटी बनाने के लिए मैं मन्त्री जी की प्रशंसा करता हूं।

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले, मैं इस कठोर विधेयक का विरोध करता हूं। इस संशोधन के द्वारा, सरकार एक धमार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात संस्थान की स्वायत्तता को अपने नियंत्रण में करना चाहती है। इस सोसाइटी की विश्वासनीयता और कार्यों से सभी परिचित हैं।

महोदय, प्रारम्भ में मैं रेडक्रास आंदोलन के संस्थापक, सर हेनरी दुनांट, स्विटजरलैंड के एक व्यवसायी, को याद करना चाहता हूं। 1863 में जेनेवा के चार नागरिकों ने दुनांट के विचारों का समर्थन करते हुये एक समिति की स्थापना करने में उनकी मदद की ताकि रेडक्रास को अन्तर्राष्ट्रीय समिति बनाया जा सके जिसने जेनेवा में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तुरंत संयोजन किया। 16 देशों से आये विशेषज्ञों ने रेडक्रास की नींव रखी गई। उसके बाद, 1864 में जेनेवा सम्मेलन हुआ और लड़ाई के मैदानों में घायल सैनिकों की मदद करने हेतु 12 राष्ट्रों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। अब, इस सोसाइटी में 131 राष्ट्रीय सोसाइटी और 2200 लाख से ज्यादा समर्थक हैं उन्होंने कुछ निर्देशात्मक सिद्धांत निर्धारित किये हैं। रेड क्रास आंदोलन का पूरे विश्व में मार्ग निर्देश करने के लिए रेडक्रास अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने 20 वें सम्मेलन में निम्नलिखित सात सिद्धांत अपनाये। वे हैं-- मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। इन सब में, तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।—निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता और इस विधेयक द्वारा उन पर नियंत्रण किया जा रहा है।

महोदय, हमारे देश में, इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी का आगमन इस संसद में एक अधिनियम द्वारा 1920 में हुआ। देश भर में 600 शाखाओं और एक करोड़ की सदस्यता के साथ इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी अनेक लोकोपकारी, सहायता एवं पुर्नवास कार्य कर रही है। यह देश भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जन जाग्रति और वैज्ञानिक जाग्रति ला रही है। उनके द्वारा किए गए कुछ प्रशंसनीय कार्यों का यहां उल्लेख करना अपेक्षित है। मैं इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा किए गए एक साहसिक कार्य का उल्लेख करता हूं और वह है श्रीलंका में राहत कार्य। कठिन परिस्थितियों में सराहनीय कार्य करने के कारण यह एक इतिहास बन जायेगा। एक अन्य प्रशंसनीय कार्य 1947 के दौरान असंख्य शरणार्थियों के प्रस्थान के समय सहायता देश प्रत्यावर्तन और पुर्नवास के समय किया गया था। तब 1965, 1965 और 1971 के संघर्षों में और कई अवसरों पर इसने पुनः अपना कार्य किया। अभी हाल ही में उन्होंने युद्ध से धधकते हुए ईराक में बहुत राहत कार्य किया है अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय ताकतों द्वारा इन्सानियत को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। मैं अपने देश की वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी दुखद स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा।

हम अल्मा अता घोषणा के हस्ताक्षरकर्त्ता दल हैं अर्थात् 2000 शताब्दी तक सब के लिए स्वास्थ्य। हमारे यहां बच्चों और माताएं पीड़ाग्रस्त हैं। हम जानते हैं कि भारत में बच्चे निरन्तर ऐसी मौत से मर रहे हैं जिससे बचा जा सकता है। प्रतिवर्ष लगभग 21 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं जिनमें से एक तिहाई बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं और इसका सातवां हिस्सा 5 वर्ष के होने से पूर्व मर जाता है और तीन मिलियन बच्चे उन स्थितियों के कारण प्रतिवर्ष मरते हैं जिन्हें केवल उचित पोषण और प्रतिरक्षीकरण देकर के ही रोका जा सकता है। यहां कुपोषण और साफ पीने के पानी के अभाव तथा उचित स्वास्थ्य आदतों के न होने से वास्तव में काफी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे देश में व्यापक निरक्षरता के कारण है।

महोदय, इस संदर्भ में धर्मार्थ संस्थानों जैसे रेडक्रास सोसायटी के कार्य निष्पादन और गतिविधियों के बारे में सोचना चाहिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय और राहत कार्य कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत इण्डियन रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष को प्रबन्धन निकाय की शक्तियों को समाप्त करने और वास्तव में संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार इण्डियन रेड क्रास सोसायटी को अपने नियंत्रण में लाने जा रही है।

इसका प्रभाव राष्ट्र विरोधी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा माननीय रेडक्रास सोसायटी की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी और यह मान्यता समाप्त भी की जा सकती है जरूरतमंद लोग परिहार्य कष्टों को झेलेंगे।

भारतीय संसद द्वारा पारित 1960 के जेनेवा सम्मेलन अधिनियम 6, अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के अन्य लिखित कानून तथा जेनेवा सम्मेलन की विभिन्न परिपाटियों का भी उल्लंघन होने जा रहा है। वास्तव में इस संशोधन विधेयक के द्वारा राजनीतिज्ञ और अफसरशाह मिलकर इस संस्था का सुनियोजित ढग से नियंत्रण करने जा रहे हैं।

सरकार के सीधे हस्तक्षेप के लिए अर्थात् किसी अनुरोध अथवा अन्य के आधार पर अध्यक्ष को उसके स्थान पर उत्तरदायित्व लेने के लिए इस संशोधन विधेयक में माफी प्रावधान किए गए हैं।

चेयरमैन और वाइज चेयरमैन को कार्यकारी अधिकार दिए गए हैं। यह विधेयक 22 सदस्यों के राज्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व कम करके 12 सदस्य कर रहा है।

महोदय, सभ्य भारतीय, सभ्य लोग मात्र चूहों के छुटकारे के लिए घर को जलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि यहां कुछ झगड़े, आंतरिक झगड़े हैं लेकिन सोसायटी के आंतरिक कार्यकरण पर नियन्त्रण करके सम्पूर्ण व्यवस्था को ही बदल देना कोई इलाज नहीं है। यह न्यायोचित भी नहीं है।

वर्ष 1986 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती सरोज खापर्डे ने राज्य सभा में अपने उत्तर में कहा था "इण्डियन रेड क्रास सोसायटी और इसका प्रबंधक निकाय भारतीय रेड क्रास सोसायटी के मामलों को निपटाने का सक्षम प्राधिकरण है।"

यह एक रिकार्ड किया हुआ वक्तव्य है। फिर भी सरकार दुर्भावना के कारण ही इस अधिनियम में संशोधन कर रही है।

मैं समझता हूं कि यह सरकार की निजीकरण की वर्तमान नीति के भी प्रतिकूल है। सरकार एक ऐसे संस्थान का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है जोकि न तो निजी ही है और न ही सरकारी संस्थान है बल्कि एक धर्मार्थ संस्थान है।

5 00 म.प.

सभापति महोदय : इससे आपको खुशी होनी चाहिए। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ?

डा० राम चन्द्र डोम : इसी लिए मैं कह रहा हूं कि सरकार दुर्भावना के कारण इस संस्थान की स्वायत्तता को समाप्त कर रही है।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मेरा सुझाव है कि सरकार विधेयक की जांच और गहन अध्ययन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजे और इसके बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ सामने आये।

जिस तरह से सरकार इसमें जल्दबाजी कर रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस-लिए हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

एक बार फिर मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु बहुत दुःख के साथ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेड क्रास के कार्य करुणा भरे, महान मानवतावादी, प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण हैं। इस सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हमें मजबूर किया गया है क्योंकि 1920 के इंडियन रेड क्रास अधिनियम के माध्यम से बनाया गया भारतीय रेड क्रास सोसायटी के प्रबंधक व्यवस्था में मानवीयता के स्थान पर भ्रष्टाचार करुणा के स्थान पर छल कपट और दया के स्थान पर भाई भतीजावाद व्याप्त है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान 1920 के अधिनियम के अधीन प्रबन्ध व्यवस्था सुक्षम है। मैं यहां श्री एम०एम० फोतेदार का वक्तव्य उद्धृत करता हूं।

"1920 के अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान प्रबन्धन ढांचा सम्पूर्ण कुप्रबन्ध को समाप्त करने अथवा उसमें सुधार लाने में अक्षम है और क्योंकि यह प्रबंधन द्वारा उन उद्देश्यों जिनके लिये सोसायटी को बनाया गया है, के विपरीत कार्यवाही करने से रोकने में अक्षम है, हम इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के कार्यों को करने के लिए किसी वैकल्पिक उपाय पर विचार करने का दायित्व निभाने के लिए बाध्य है।"

मैं नहीं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में उस आधार पर परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है जिस आधार पर पूरे विश्व में रेड क्रास सोसा-इटियों को बनाया गया है। हम जानते हैं कि घोषणा पत्र में बताया गया है कि यह निकाय पक्षपात रहित और तटस्थ होंगे। हम जानते हैं कि इन सोसाइटियों की कार्यप्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रतिदिन के कार्य और पूर्ण कुप्रबंध में स्वयंसेवी संगठनों के रूप में कार्य करें।

यह इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमारे उन मित्रों ने मुद्दों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जो लाल रंग को बहुत पसंद करते हैं और शायद यह भूल गए हैं कि लाल रंग भारत के साम्यवादी दल से संबंधित नहीं वरन् उससे संबंधित है जोकि ज्यादा मानवीय है।

यह विधेयक इण्डियन रेड क्रास के चरित्र, प्रकृति अथवा कार्यप्रणाली का उल्लंघन करने के लिए नहीं आया है वरन् उस आकस्मिकता से निपटने लिए जहां भारी कुप्रबंध और जहां सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत कार्यवाही की गई है और वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान प्रबंधन सही कार्यवाही नहीं कर सका है।

मामले पर और आगे विचारण हेतु, इस विधेयक को घोर अन्तिम चरण में भी, प्रवर समिति को भेजना उचित रहा होता, यदि हमने विपक्ष की ओर से, कोई एक भी रचनात्मक सुझाव सुना होता जोकि हमारे द्वारा प्रस्तावित सुझाव का ही कोई वैकल्पिक तन्त्र, विकल्प, बनाकर चाहे संकल्पना में ही सही, आगे लाया जाता।

अब मैंने आपका सुना। कृपया मेरी बात सुनिये। मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को बड़े ध्यान से सुना। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी के अनेक व्यवधानों को भी बड़े ध्यान से सुना क्योंकि वे इस बात के आदी हैं। वे जब बोलना चाहते खड़े हो सकते हैं। हमने वर्ण क्रम के दूसरे छोर के सदस्यों के व्यवधान को सुना है। यद्यपि वर्णक्रम के ये दो छोर एक साथ होने के लिए, जब भी यह उनके लिए सुविधाजनक हो अवसरवादी प्रवृत्ति अपनाते हैं, लेकिन चाहे मा०ज०पा० अथवा वामपंथी पार्टी द्वारा किया जाए। हमने इस वाद-विवाद के दौरान दूसरे ओर से कोई भी रचनात्मक सुझाव प्राप्त नहीं किया है कि इसके बदले कौन-सी वैकल्पिक प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। इसके बदले हमें दुस्वप्न भी लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। शायद क्योंकि ये रेड क्रास से सम्बन्धित मामले हैं। सरकार द्वारा कौन-कौन से सुझाव दिये गए हैं।

महोदय, एक प्रस्ताव है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान नियमों में इस प्रावधान को बदलकर अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से रेड क्रास सोसायटी का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। यह पर्याप्त उत्तेजना का कारण बनेगा यदि यह नहीं तो विगत भारतीय परिपाटी अथवा न ही अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक राजाध्यक्ष, प्रत्येक गणराज्य या राजतन्त्र में, जहां देश के मुखिया को मन्त्रि परिषद् की सलाह से कार्य करना पड़ता है, वह अपने सम्बन्धित देशों में रेड क्रास सोसायटी के अध्यक्ष होते हैं। भारत में भी ऐसा ही होता है। यही प्रथा पूरे विश्व में चल रही है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि दूसरी ओर के लोगों के लिए प्रथा का अनुवाद और इस अधिनियम में नियम के अन्तर्गत का प्रावधान क्यों उत्तेजना का कारण होना चाहिये।

दूसरे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष राष्ट्रपति के कार्यकलापों के बारे में सीमित धारणा रखता है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति, अन्तिम विश्लेषण करने पर मन्त्रि परिषद को सलाह और परामर्श से बंधा होता है। फिर भी, हमारा दल किसी भी कीमत पर इस पर ध्यान रखता है। मैं आशा करता हूं कि उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों को कभी भी उस पद पर चुने जाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। परन्तु हमारा दल यह सुनिश्चित करने के लिये सर्वाधिक सावधानी बरतता है कि अत्यन्त प्रतिष्ठित, बौद्धिक श्रेष्ठता वाला और नैतिक उत्कर्ष वाला व्यक्ति ही केवल

भारत का राष्ट्रपति बने। हमारा दल भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करता है। राष्ट्रपति और मन्त्रि परिषद् के बीच अनौपचारिक रूप से मन्त्रणा की प्रक्रिया है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति सरकार को और देश को किसी सलाह को सरकार ने किसी विधान को अगर वह समझे कि ऐसा करके सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो वह अपनी अस्वीकृति स्पष्ट कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति कोई ऐसी कठपुतली नहीं है जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने उनको चित्रित करने की कोशिश की है। मेरा विश्वास है कि यदि हम किसी व्यक्ति पर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिये विश्वास कर सकते हैं और फिर कहें कि पदेन वह रेड क्रास सोसायटी के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। उस उच्च प्रतिष्ठा वाले सज्जन या महिला की रेडक्रास सोसायटी को एक पक्षपातपूर्ण उपकरण के रूप में बदलने वाले एक विपथगामी स्वास्थ्य मंत्री से हाथ मिलाने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए यह दुस्वप्न अपने आप में पूर्णत: अवास्तविक है।

तत्पश्चात्, हम प्रबन्धकीय निकाय के प्रश्न पर आते हैं, जहां श्रीमती गीता मुखर्जी ने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के सिद्धान्तों को बड़े मामले के रूप में इसका चित्रण करने का प्रयास किया है। सरकार इस विधेयक द्वारा क्या करना चाहती है। 1920 के अधिनियम के अन्तर्गत आज हमारा एक प्रबन्धकीय ढांचा है जहां भारत के सभी राज्यों या भारत के अधिकतर राज्यों को और निश्चय ही भारत के उस एक राज्य को जिसे निरन्तर कम्युनिष्ट पार्टी को ही मत देने के लिये गलत समझा जाता है, बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मणिशंकर अय्यर : क्या मुझे समाप्त करने के लिए एक मिनट का समय मिलेगा? ये वह लोग है जिन्होंने हमारा अधिकतर समय लिया है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर नहीं मिला था (**व्यवधान**)

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं अगर आप हस्तक्षेप करना बन्द कर दें। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। प्रबन्धन बोर्ड जिसमें पश्चिम बंगाल को प्रतिनिधित्व दिया गया है, भी भारतीय रेड क्रास सोसायटी को भारी कुप्रबन्ध में लिप्त होने से नहीं रोक पाया है और सोसायटी के उद्देश्य के विपरीत कार्य कर रहा है। अब प्रस्ताव कर रहे हैं कि प्रबन्धन बोर्ड में, 18 में से 12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाए और प्रबन्धन में भी लोकतन्त्र लाया जाए। और यह सब जो सुझाया जा रहा है वह यह है कि सुप्रसिद्ध भारतीयों में से किसी एक को भारत का राष्ट्रपति, महासचिव मनोनीत करें न कि यह महासचिव मनोनीत बोर्ड द्वारा मनोनीत हों। इसलिए हमारे कम्युनिस्ट मित्रों और भा०ज०पा० के मित्रों द्वारा व्यक्त भय काल्पनिक है। यह एक दुस्वप्न है जो बेकार रचा जा रहा है।

मैं पुर-जोर शब्दों में, सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, पिछली बार जब मैं बोला था तो मैंने इसे प्रवर समिति

को सौंपे जाने की सलाह का समर्थन किया था। अभी भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे कृपया कम से कम एक सप्ताह के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाए। हम विपक्ष की तरह से आप को आश्वासन देते हैं कि हम एक सप्ताह में अपना कार्य समाप्त कर लेंगे और अन्ततः यह अध्यादेश रद्द भी होगा।

अब मैं विधेयक पर आता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि रेड क्रास के कार्य कलाप घृणित थे। लेकिन इसके साथ ही साथ, उपचार रोग से ज्यादा बदतर नहीं होना चाहिए। यहां आप जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं वह बीमारी से भी बदतर हैं। रेड क्रास सोसाइटी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति को, जो इतना पदेन अध्यक्ष हैं, प्रबन्ध निकाय के स्थान पर शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं तो क्या हमें यह स्वीकार करना चाहिए? प्रबन्ध निकाय को अति वाले मामलों में भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रबन्ध निकाय में विभिन्न राज्यों के 12 स्वैच्छिक लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। आप इसको किस प्रकार अनदेखा कर सकते हैं :

दूसरे, पक्ष किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संविधान है जहां प्रबन्ध निकाय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपने महासचिव और खजान्ची की नियुक्ति कर सकता है? नियमों के अनुसार राष्ट्रपति सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। मैं समझ सकता हूं कि वह पदेन अध्यक्ष हो सकता है। जब प्रबन्ध निकाय महासचिव चुनना चाहता है, तो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आपको क्यों चाहिए? यह आवश्यक नहीं है। इसकी आवश्यकता खजान्ची के लिए भी नहीं है। उन्हें अपनी पसन्द के व्यक्ति चुनने दीजिये। प्रबन्ध निकाय किस लिए होता है।

खण्ड 4 (घ) में, यह बताया गया है कि सभापति, अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्री सभापति के रूप में कार्य करेगा और उसके पास सोसाइटी के खजान्ची जिसकी पुनः नियुक्ति की जाती है की सलाह पर लेखाओं के विनियोग का अधिकार होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उसके लिए लेखे के एक बड़े शीर्ष से अन्य बड़े शीर्ष में लेखे के, खजान्ची के परामर्श पर, बजट आंवटनों को पुनः विनियोग करने हेतु क्यों आवश्यक है। प्रबन्ध निकाय को बजट तैयार करने का अधिकार है। यदि पुनः आवंटन की कोई आवश्यकता होती है तो वह कर सकते है। आप प्रबन्ध निकाय से सभी शक्तियां छीन रहे हैं और रेड क्रास को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सोसाइटी की शाखा है। इसलिए, मैं समझता हूं कि उपचार बीमारी से ज्यादा बदतर है और मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहता। मैं आपसे सहमत हूं कि विधेयक की आवश्यकता है लेकिन इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता नहीं है। (**व्यवधान**) मैंने वही करा जो कुछ मैं कहना चाहता था। मैं वह पुनः नहीं दोहराऊंगा। तो, इन कारणों से, जिनका मैंने वर्णन किया है मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को समयबद्ध कार्यक्रम सहित संयुक्त प्रवर समिति को भेजिए। कृपया इस विधेयक में कुछ संशोधन कीजिए जो सामान्यतौर से रेड क्रास सोसाइटी की मदद करेंगे।

सभापति महोदय : अब श्री रमेश चेन्नित्तला बोलेंगे। कृपया संक्षिप्त में कहिए। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा नाम भी है और मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप और श्री मनोरंजन पहले ही बोल चुके हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं तो पूरे सत्र में नहीं बोला हूं ?

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं भी नहीं बोला हूं।

सभापति महोदय : अब श्री रमेश चेन्नित्तला पांच मिनट के लिए बोलने दीजिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, रेड क्रास सोसाइटी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इस रेड क्रास सोसाइटी द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रशंसनीय है और इस सदन के सभी वर्गों ने और पूरे विश्व ने उनका स्वागत किया है।

रेड क्रास सोसाइटी द्वारा मानवता के लिए और राहत के लिए किये जो कार्य किये जा रहे हैं वे वास्तव में महान है। अभी हाल ही में मैंने उत्तर प्रदेश में भूचाल से प्रभावित इलाके का दौरा किया और मैंने स्वय उनके द्वारा किये गए कार्यों को देखा और जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आती है जहां भी कुछ समस्याएं होती है रेड क्रास के लोग वहीं प्रभाव पूर्वक ढंग से कार्य करते हैं।

इस सरकार को किन बातों से बाध्य होकर यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी ? यही विशेष महत्वपूर्ण बात है। जहां तक मुझे पता है, 31.1.90 से रेड क्रास सोसाइटी के भूतपूर्व महासचिव सेवानिवृत हुए। और उसके बाद रेड क्राम सोसाइटी में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। आन्तरिक वाद-विवाद चल रही थीं, तथा तत्पश्चात् भारत के राष्ट्रपति से कई सुझाव आए। वावतव में कार्यपालक सभापति और प्रबन्ध समिति के सदस्यों के बीच खींचतान चल रही थी। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

प्रबन्धकीय समस्याओं ने असमंजस की स्थिति उत्पन्न की और संगठन समुचित कार्यकरण में अव्यवस्था पैदा की। और मामले को न्यायालय ले जाया गया। तत्पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त महासचिव को अपने कार्यों को निपटाने पर रोक लगा दी। इन आन्तरिक वाद-विवादों ने सरकार को रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम 1920 में संशोधन करने को बाध्य किया।

इस अधिनियम से यह बताया गया है कि छः सदस्य नाम निर्देशित होंगे और अन्य सदस्यों को चुना जाएगा और उसका स्वैच्छिक स्वरूप चलता रहेगा, सोसाइटी का स्वतन्त्र स्वरूप चलता

रहेगा। सोसाइटी का स्वातन्त्र्य स्वस्थ चलता रहेगा। भीतरी वाद-विवाद और प्रबन्धकीय समस्याओं से बचने के लिए, सरकार यह संशोधन लाने को बाध्य हैं ताकि सोसाइटी के कार्यों को निर्बाध रूप से और उचित प्रकार चलाया जा सके। इस संशोधन से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी का स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। यह एक सुधारात्मक आय है, यह केवल सोसाइटी के क्रिया-कलापों को प्रभावशाली बनाने के लिये हैं।

भारत के राष्ट्रपति अधिक विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे और उसका मन्त्री जी ने यहां वर्णन कर दिया है। वह विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। इस प्रकार के आन्तरिक वाद-विवादों से बचना चाहिए और एक नई प्रबन्धकीय प्रणाली द्वारा सोसाइटी और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यही अर्ज करता हूं कि जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि इसको सलैक्ट कमेटी को एक सप्ताह के लिए दे दिया जाय, हम सब लोग इसको पास करने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें प्रेसीडेन्ट को घसीटा जा रहा है और हम लोग जानते है कि प्रेसीडेण्ट को जब इस में घसीटा गया तो किसी न किसी विषय में हम इस सभा में आलोचना का विषय भी उनको बना सकते हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि प्रेसीडेण्ट का नाम लिया जाय और आप इसमें उनको घसीट रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सारे काम प्रेसीडेण्ट को दिए गए हैं, वह आर्मी के सुप्रीम हेड हैं, वह सब कुछ भी उनको देखना पड़ता है। इसके अलावा और बहुत सारी संस्थायें हैं, जैसे उनको कहा गया था आदिवासी कल्याण के बारे में उनको अधिकार दिया हुआ है लेकिन उसमें आज के दिन तक न तो कोई रिपोर्ट आई न राष्ट्रपति कुछ कर सके। हम लोगों ने तो किसी दिन उनकी आलोचना नहीं की लेकिन प्रेसीडेण्ट को हर बात में लाना जरूरी होगा तो किसी दिन उनकी भी आलोचना हो सकती है इसलिए सारे विषय पर चिन्ता प्रकट करनें के लिए एक सप्ताह का समय मांगा जा रहा है तो मन्त्री जी को स्वीकार करना चाहिए।

यह एटीट्यूड तो इनका रेड क्रास सोसायटी के इससे पहले है जो बिल्कुल फर्क है, मन्त्री जी अभी यह एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो पावर आने के बाद क्या एटीट्यूड दिखाएंगे, वह इससे लग रहा है।

सभापति जी, आप भी इनको डायरेक्शन दीजिए कि यह मान जायें और इसको सलैक्ट कमेटी को देने के लिए राजी हो जायें।

[अनुवाद]

ए० चार्ल्स : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो अमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं एक विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं । विपक्ष ने यह मुख्य आपत्ति उठाई है कि भारत के राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करते मन्त्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं । भारत के राष्ट्रपति की शक्ति तथा प्राधिकार पर काफी चर्चा हो चुकी है । यदि इंग्लैंड के राजा अमेरिका तथा भारत के राष्ट्रपति के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता तो यह कहा जाता है इंग्लैंड के राजा अब रानी राज्य करती है पर वह शासन नहीं चलाती, परन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति शासन चलाते हैं लेकिन वह राज्य नहीं करता । जहां तक भारत के राष्ट्रपति की बात है वे न तो राज्य करते हैं और न ही शासन चलाते हैं । परन्तु यह सच नहीं है ।

हमारे राष्ट्रपति के पास प्राधिकार नहीं है । आठवीं लोकसभा में इस सदन ने दो तिहाई बहुमत से भारतीय डाक विधेयक पारित किया था । जिसकी राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी थी । कांग्रेस दल की सरकार ने, जिसे 400 से भी ज्यादा सदस्यों का समर्थन था, यह विधेयक पारित किया । परन्तु तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया ।

पिछली लोक सभा में भी संसद सदस्यों की वेतन, भत्ते तथा पेंशन संबंधी विधेयक अल्पमत सरकार में भी सर्व सम्मति से पारित किया था । हर कोई पेंशन चाहता था । परन्तु इस पर भी राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी । मुझे बताया गया है कि पिछले दो दिनों में इसे वापस भेज दिया गया था ।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज, तहां मौजूद हैं । यदि वे इसका खंडन करते हैं तो मैं सही हूं । जब वे मन्त्री परिषद में थे, तो हमें सूचना दी गई थी कि श्री वी० पी० सिंह ने प्रधानमन्त्री के अपने काल के अन्तिम दिनों में राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि वे लोक सभा भंग कर दें परन्तु राष्पति ने अपनी बुद्धिमता से ऐसा करने से इन्कार कर दिया । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : मेरे कथन को ठीक कर दिया गया है ।

सभापति महोदय : चार्ल्स महोदय, रेड क्रास सोसायटी विधेयक, पर ही चर्चा करें ।

श्री ए० चार्ल्स : मैं जिस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि राष्ट्रपति उन्हें दिए गए महान पद की बदौलत अपने अधिकार का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग करते हैं । हम इस महान संस्थान के स्वैच्छिक स्वरूप में बाधा नहीं डालना चाहते । परन्तु श्रीमती गीता जी ने जब यह पूछा कि ऐसा कौन सा संगठन है जो आन्तरिक झगड़ों में नहीं उलझा हुआ है मुझे

दुःख है कि ऐसी बात श्रीमती गीताजी ने कही है जिन्हें हम जानते हैं यह तथ्य भी सही है कि संगठन में आन्तरिक झगड़े रहते हैं परन्तु इस संस्थान के लिए ये झगड़े उचित नहीं है।

अतः मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बारे में कोई संवैधानिक समस्या नहीं है। राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूप से काम करते रहे है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : भक्त महोदय, आप केवल दो मिनट का समय लीजिएगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, मै बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री चित्त बसु : जी नहीं, महोदय। मैं तो केवल एक व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बोला था।

सभापति महोदय : क्या आपने हस्तक्षेप किया था ? क्या आप बोले नहीं थे ? ठीक है, अब श्री भक्त बोलेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं इस संविधि के विरुद्ध नहीं हूं मैं इस विधेयक अथवा अध्यादेश के विरुद्ध नहीं हूं।

लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आती है, वह यह है कि इस समय रेड क्रास सोसायटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। विश्व में सर्वत्र भारतीय रेड क्रास सोसायटी की प्रशंसा हुई है। अतः हम यहां पर जो कुछ करते हैं हमें उसके प्रति सतर्क रहना होगा ताकि विश्व को ऐसा कोई संदेश न मिले कि भारत में इस स्वैच्छिक संगठन को सरकार द्वारा हस्तगत किया जा रहा है। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है, विगत में बाइस सदस्यों होने के और उन्हें अब घटाकर बारह कर दिया गया है। हम सुविधाओं के वृद्धि कर सकते हैं; लेकिन इन्हें कम नहीं कर सकते। यह एक अन्य प्रश्न है।

तीसरी बात यह है; छह सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहां मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ये मनोनयन लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किए जाने चाहिए न कि अधिकारियों अथवा नौकरशाहों में से होने चाहिए। इस बारे में, निष्पक्षता बरती जाएगी। आज के प्रसंग में हम कहना यह चाहते हैं कि इससे संभवत यही संदेश मिलेगा कि यह शुद्ध रूप से एक स्वैच्छिक संगठन है और यह पूरी तरह से निष्पक्ष स्वायत्त शासी आधार पर कार्य करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, लेकिन केवल दो मिनट बोलें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इससे भी कम समय लूंगा।

महोदय, मैं इस विधेयक का इस आधार पर विरोध करता हूं कि हमें इस विधेयक के प्रभाव को समझना चाहिए। यह विधेयक भारतीय रेड क्रास सोसायटी को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण

में ले आएगा। इस तरह से यह कुछ नौकरशाही की व्यवस्था लाने के अतिरिक्त कहा और नहीं है की प्रक्रिया है जबकि नौकरशाही व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे यह सम्भावना बन जाएगी कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संगठन इसकी मान्यता समाप्त कर दे।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के पश्चात् भारत में पीड़ित व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सम्भवतः बन्द हो जाएगी।

अन्त में जनेवा सम्मेलन 1960 के, अधिनियम 6 के उल्लंघन की सम्भावना है।

अतः इस विधेयक का विरोध करने की मेरी ये चार मूल आपत्तियां हैं। मैं नौकरशाही व्यवस्था आने के बारे में क्यों कह रहा हूं। आप मुझे स्पष्ट करने के लिए समय नहीं देंगे। अतः मैं इसे स्पष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे इस विधेयक की धारा 4 (क) पर दृष्टि पात करते करें। कृपया धारा 4 (ख) और 4 (ग) तथा की भी जांच करें। मेरे पास इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले चेयरमैन की शक्तियां और कृत्य क्या होंगे ? इस मामले में, मैं राष्ट्रपति की इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि वह इस मामले में स्वविवेकानुसार स्वयं कार्यवाही करता है। राष्ट्रपति इस देश के संविधान द्वारा विरचित पद है। मैं श्री फोतेदार अथवा श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा दी जा रही व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। संविधान ही यह कहता है कि राष्ट्रपति मन्त्री परिषद के परामर्श अनुसार कार्य करता है।

जहां तक 4 (घ) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले चेयरमैन की शक्तियों अथवा कृत्यों का जहां तक सम्बन्ध है, चेयरमैन को प्रबन्ध मंडल द्वारा बनाए गए बजट को दुबारा बनाने का अधिकार है। वह बजटीय आबंटन को रद्द कर सकता है। वह आबंटन का पुनः निर्धारण कर सकता है। वह प्रबन्ध मंडल द्वारा किए गए सभी बजटीय आबंटनों को समाप्त कर सकता है। इस तरह के अतिवादी अधिकार दिए गए हैं प्रबन्ध बोर्ड के इन मनोनीत सदस्यों को। इस तरह से इसके लिए एक शब्द है और वह नौकरशाही व्यवस्था बनाना। इस नौकरशाही व्यवस्था को लाने का क्या अर्थ है ? यह स्वास्थ्य मन्त्रालय है। स्वास्थ्य मन्त्रालय चेयरमैन को मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देगा। चेयरमैन स्वास्थ्य मन्त्रालय अविमानतः, सम्भव रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के परामर्श अनुसार कार्य करेगा। इस बात को कैसे सहन किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं अपनी अन्तिम बात कहता हूं। आपको भी समझना चाहिए। आइए यह देखें कि जेनेवा सम्मेलन 1960 का अधिनियम 6 क्या कहता है। यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी स्वायत्तशासी हो, स्वशासी हो, निष्पक्ष हो, तटस्थ हो तथा स्वाधीन हो।

अपनी रचना के अनुसार, जैसा कि विधेयक कहता है, क्या यह स्वायत्तशासी है ? क्या यह स्वशासी है ? इसका प्रशासन स्वास्थ्य मन्त्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा चलाया जाता है। क्या

यह निष्पक्ष है ? क्या यह तटस्थ है ? क्या यह स्वाधीन है ? यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम इस संसद द्वारा स्वीकृत जेनेवा सम्मेलन 1960 का अधिनियम 6 से ग्रहण करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि संसद श्री फर्नान्डीज को वह चीज अस्वीकृत करने के लिए अपनी सहमति दे दे जिसे पूर्व में 1960 जेनेवा सम्मेलन अधिनियम 6 द्वारा स्वीकार कर लिया है । **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि यहाँ पर जेनेवा सम्मेलन का जिक्र किया गया है तो क्या हम इस संपूर्ण कार्यवाही को व्यवस्था विहीन करार दें ? **(व्यवधान)**

समापति महोदय : हां, श्री बसु जी।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास ने सभी रेड क्रास सोसायटियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए माडल विधियों को अपनाया है।

समापति महोदय : श्री बसु जी, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री चित्त बसु : मेरे पास माडल विधियां हैं। यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा सिफारिश की गई माडल विधियों के बिलकुल विरुद्ध है। हम कैसे यह आशा कर सकते है कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी माडल विधियों का उल्लंघन करती हुई अपनी मान्यता को बरकार रख पाएगी। **(व्यवधान)**

समापति महोदय : श्री चित्त बसु, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस वाद-विवाद को अब तक का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है ।

समापति महोदय : मैं समझता हूं कि मुद्दे पर मली भांति विचार किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इस पर बोला भी बुरा नहीं गया है। हो सकता है वह भी अच्छी तरह समझ रहे हों। लेकिन मैं भी बुरा नहीं बोल रहा हूं । मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं । **(व्यवधान)**

समापति महोदय : यहां तक कि कोई कह भी नहीं सकता है कि आपने बुरा बोला है। आपने कुछ बहुत ही ठोस मुद्दे उठाए हैं।

श्री चित्त बसु : जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, अगर ऐसा है तो उपलब्ध, माडल विधियों विशेष रूप से सोसायटी के प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति और चुनाव के सम्बन्ध में प्रबन्ध निकाय के गठन, खजांची और महा सचिव की नियुक्ति तथा चेयरमैन की शक्तियां और कार्य एव प्रेसीडेन्ट की शक्तियों के सम्बन्ध में वे अनुरूप नहीं है। **(व्यवधान)**

समापति महोदय : श्री बसु, मैं समझता हूं कि आपके द्वारा उठाया गया अन्तिम प्रश्न जेनेवा सम्मेलन से संबंधित था ।

श्री चित्त बसु : अतः, मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा मान्यता समाप्त करने का जोखिम ले रहे हैं और इससे भारतीय रेडक्रास सोसायटी की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होने जा रही है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है। उसके बारे में थोड़ा कहना ही काफी है। मैं समझता हूं कि यह विभाग अथवा पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के गर्त में धंसी हुई है तथा आपके पास भ्रष्टाचार समाप्त करने के कई तरीके हैं। आप कमीशन आबू इन्क्वायरी एक्ट' के अन्तर्गत जांच आयोग बैठा सकते थे, आप मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप सकते थे; आप इसे न्यायालय में ले जाकर दण्ड दिलवा सकते थे। किसी भी संगठन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए पर्याप्त विधियां हैं लेकिन यह एक क्रूर तरीका है जो भारतीय रेड क्रास सोसायटी के हित के प्रतिकूल है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह भारत की छवि को भी धूमिल करता है। मैं पुनः इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इससे पहले कि आप मुझे बोलने को कहें; मैं संविधान के अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा।

सभापति महोदय | आपने यह कैसे जान लिया कि इसके बाद आपको ही बोलने के लिए कहा जाएगा।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : महोदय, मैंने बोलने के लिए आपकी अनुमति मांगी थी और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरी अनदेखी करें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 कहता है कि "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह यह है कि जेनेवा कन्वेंशन है और मेरे खड़े होने के पहले चित्त बसु जी बोल रहे थे। उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन का एक एक जुमला इस सदन के सामने रखने का बहुत बड़ा काम यहां पर किया है। सभापति जी, उस कन्वेंशन के रहते, उस कन्वेंशन को भारत सरकार की सहमति रहते और सदन के सामने जो भी कन्वेंशन अन्तर्राष्ट्रीय कान्फेंसिज में या राष्ट्रों में होती है उसकी इस संसद की मान्यता होती है उस कन्वेंशन के रहते आज इस सदन के सामने ऐसा कानून आना जो उस कन्वेंशन के एक-एक जुमले का मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है, मर्लाफाई कर रहा है, इस कन्वेंशन के अन्तर्गत बनाया हुआ आपका कानून था, उस कानून में अगर गलतियां रहीं, उसमें सुधार की जरूरत रही, उसका गैर इस्तेमाल वहां के बैठे हुए अधिकारियों ने किया, तो उसमें सुधार लाने का आपको अधिकार है। लेकिन उस कन्वेंशन के बाहर आपको कानून लाने का अधिकार नहीं है। हम लोग इससे केवल अपने देश में ही बदनाम नहीं हो जायेंगे, हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस जुमले को लेकर बदनाम हो जायेंगे। अगर इस कन्वेंशन की याद हम लोगों को चित्त बाबू ने

नहीं दिखायी होती तो चाहे जो इस पर बात कहते, हम लोगों की बात सुनी जाती, नहीं सुनी जाती। हम लोगों ने बहुत ज्यादा मांग नहीं की। हम लोगों ने इतनी मांग की ···

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं प्वाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष जी को समझा रहा हूं। अध्यक्ष जी की हमें इस पर रूलिंग चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपका प्वाइंट आफ आर्डर बाद में आपके भाषण में बदल गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे इस बिल पर भी भाषण देना है। मगर आप इन चीजों के बारे में बहुत जानकार हैं। आपको सदन के नियमों के बारे में जानकारी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विवाद के लिए एक घन्टे का समय आबंटित किया गया था। इसे 5 बजे तक समाप्त करना है और हम पहले ही 45 मिनट गंवा चुके है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरा साथ दीजिए और अपने प्वाइंट आफ आर्डर को समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मेरा यह कहना है कि इस सदन की जो जिम्मेदारियां हैं तो उस जिम्मेदारी के बाहर हमें ले जाने का काम इस विधेयक को लेकर हो रहा है। देश और दुनिया में हम लोग बदनाम हो जायेंगे और कल भी विधेयक को लेकर विश्व के हर मंच पर अगर हिन्दुस्तान की बदनामी होनी हो ··· ······ (व्यवधान) इस बदनामी से बचने के लिए धारा-253 के अन्तर्गत अपनी व्यवस्था दीजिए और इस विधेयक को वापिस लेने के लिए मंत्री जी को आदेश दीजिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह संसद एक सर्वोच्च निकाय है। हम अपनी प्रभुसत्ता को किसी अन्य संस्थान के अधीन नही करेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं अवश्य ही यही कहना चाहूंगा कि दूसरी छोर मेरे माननीय मित्र द्वारा अपनाई गई निपुणता और रणनीति की मैं प्रशंसा करता हूं। यह सुनिश्चित करने का स्पष्ट उपाय है कि सदन के समय का आखिरकार इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए ताकि इस विधेयक पर मत विभाजन कराना ही अपरिहार्य न हो जाये। मुझे विश्वास है कि वह स्वयं ही इस बात को समझेंगे कि अनुच्छेद 253 में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कहा जा सके कि संसद प्रत्येक कानून अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और समझौतों के आधार पर बनाये। लेकिन यहां पर मुद्दा बिलकुल भी नहीं है। वास्तव में वर्तमान विधेयक किसी भी प्रकार जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं करता है। हमने इस पर भलीभांति विचार किया है और सरकार ने भी इस पर धारा-वार और खण्ड-वार अध्ययन किया है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि यह किसी भी प्रकार से जेनेवा कन्वेंशन

का उल्लंघन नहीं करता है। जिस आधार पर उन्होंने अपना प्वाइंट आफ आर्डर आरम्भ किया है वह सदैव नहीं रह सकता और किसी भी स्थिति मे अनुच्छेद 253 इसे बाध्य नहीं करता है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक स्पष्टीकरण के लिए ही है।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु द्वारा जेनेवा कन्वेंशन के बारे में उठाए गए मुद्दे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक किसी भी रूप में जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के बारे में है। मैं नहीं समझता कि माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन द्वारा किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ; सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...(**व्यवधान**) पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को यहां पर पेश करते वक्त जो मोरडिड स्टेट आफ अफेयर्स है सो हम उन बातों का समर्थन करते हैं। इससे आगे जाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले सालों में रेडक्रास का जो काम-काज हो रहा है तो उसको मैं कलरफुल शब्दों में वर्णन करना चाहूंगा।

हम इसे भ्रष्टाचार का समुद्र भण्डार कह सकते हैं। इससे बढ़कर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि करप्शन एण्ड मोरडिड स्टेट आफ अफेयर्स को सुलझाने के लिए जो विधेयक लाया गया है तो हम आपके इरादों का स्वागत करते हैं। आपके जो तरीके हैं तो उसके बारे में हमारा झगड़ा है इसलिए मंत्री जी से प्रार्थना यहां खड़े होकर की और पहली बार जिन्दगी मे उनकी बगल में जाकर बैठा था। हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। आप ऐतिहासिक चीज की करने का इरादा रखते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास व्हीप है इसलिए आप सब लोग भले ही पक्ष में बोले ....(**व्यवधान**) हमारा इतना ही कहना है कि पांच-सात दिन से अधिक का एक क्षण भी नहीं मांगेंगे। पांच ही दिन बाद इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। ....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लेकिन इस अध्यादेश की अवधि 6 अप्रैल को समाप्त हो रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय इनके पास काफी समय है।

सभापति महोदय : लेकिन तब तुम्हारा यह आरोप होगा कि इसे अन्तिम समय क्यों लाया गया है। उन्होंने इसे पहले लाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं समझता हूं कि सरकार इस संशोधन करने वाले विधेयक को समय पर लाई है।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, इस पर संकल्प लाने दीजिए कि प्रवर समिति को 7 दिन के दिए गए समय में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस बारे में सदन में एक संकल्प रखा जाए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय मैंने कभी भी इस प्रकार की प्रणाली के बारे में नहीं सुना है। कम से कम लोक सभा में दास्तित्व में लाई गई यह नई बिल्कुल ही प्रणाली है कि हम सदन से अन्यन्त एक संयुक्त प्रवर समिति के गठन के लिए लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने तो इस विधेयक को पहले का भी नष्ट किया है। क्या श्री जार्ज फर्नान्डीज···
(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, जनमत प्राप्त करने का एक प्रस्ताव है। हम इसके लिए जोर नहीं दे रहे हैं। हम तो केवल एक प्रवर समिति के लिए मांग कर रहे है और वह भी केवल 5 दिन के लिए।

सभापति महोदय : मैं इन मामलो में से किसी मुद्दे पर भी व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं। आपके द्वारा उठाया गया प्रश्न सदन के सन्मुख है और सदन ही सर्वोच्च हैं। कोई भी व्यवस्था देना सभापति महोदय अथवा अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसे मामले को जो इंडियन रेड क्रास सोसाइटी और भले काम से संबंधित है उसको पार्टिज्ज के आधार पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम सब लोगो की इसमें दिलचस्पी है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और न ही कोई कर रहा है। यह जो आप विधेयक लाए हैं उससे इसमें जो बेईमानी चली है वह कैसे दूर होगी। अभी तक जितनी बेईमानी हुई है, माफ कीजिए मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि जितने अधिकारी इसमें से, जिनका नाम एक सदस्य ने लिया, उनकी कालावधि समाप्त हो चुकी है और आपके मंत्रालय से रिश्ता रखने वाले जो लोग हैं उन सबके खिलाफ इंडियन पैनल कोड के तहत मुकद्दमा चलाने का काम करे और उनको गिरफ्तार करवायें। अभी तक जो वहां पर भ्रष्टाचार का गन्द था उनको सजा देने का काम करें। इसमें आप अपनी हिम्मत और इरादे को पक्के तौर पर दिखाने का काम करें। इस विधेयक से जो बीमारी है उसको दूर करने के बजाय सरकार अपने हाथ में रेड क्रास सोसायटी को लेने का काम कर रही है, हम इसके सख्त विरोधी हैं। सरकार इस चीज को अपना एक विभाग बनाये और किसी जाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से एक मानवीयता के साथ जुड़ी हुई, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त इस सस्था को बर्बाद करने का काम हो रहा है। चूंकि वहां पर भ्रष्टाचार अभी तक था जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। राष्ट्रपति का बहुत अपमान हो रहा है इस विधेयक से, बड़ा अन्याय हो रहा है····

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस बात की काफी सराहना करता हूं और मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सदन को यह आश्वासन दें कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी की स्वायत्तशासी और

स्वैच्छिक प्रकृति का किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कैसे हो सकता है। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के सम्पूर्ण विरोध में यह विधेयक है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होंगे। आपने एक्स-आफिशो कहा—

[अनुवाद]

"भारत के राष्ट्रपति सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे।"

भारत के राष्ट्रपति का सोसाइटी के अध्यक्ष होने से तात्पर्य यह है कि भारत सरकार सोसाइटी की अध्यक्ष होगी। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे।

[हिन्दी]

यह तो सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के साथ अपमान हो रहा है उसको आप देख लें, एक तरफ आप राष्ट्रपति को कह रहे हैं।

[अनुवाद]

"धारा 3 में अंतर्विष्ट अन्य बातों के बावजूद प्रबंधन निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) राष्ट्रपति द्वारा (अर्थात् सरकार द्वारा) मनोनीत सभापति।

(ख) उस अवधि तक के लिए जिसे वे उपयुक्त समझते हों, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत छः सदस्य हैं।

(ग) राज्य शाखा समितियों द्वारा बारह व्यक्तियों का चुनाव।

[हिन्दी]

अब इतनी उसमें गुंजाइश है कि जो राज्य की कमेटीज हैं वे 12 लोगों को यहां पर भेजेंगी। लेकिन वे 12 लोगों को हटाने के लिए गुंजाइश रखी गई है कि राष्ट्रपति के नाम से जिनको यहां रखायेंगे अगर उनके साथ ये 12 लोग अपना खेल जमाने का काम नहीं करेंगे वे अपनी अटानामी एलर्ट काम करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं कि—

[अनुवाद]

"यदि किसी भी समय, राष्ट्रपति यह सोचें कि सोसाइटी के कार्यों के प्रबन्ध में प्रबन्धन निकाय की ओर से ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, अथवा प्रबन्ध समिति सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो राष्ट्रपति ऐसे समय में प्रबन्ध निकाय को हटाने का लिखित में आदेश दे सकता है।"

श्री मणि शंकर अय्यर : उसमें गलत क्या है ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : कृपया समझने की कोशिश करें। मेरे प्रिय मित्र, आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, तब इतनी सीधी बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ?

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप परोपकार विरोधी होने के कारण यह सुझाव दे रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते सरकार की सलाह को रद्द या अनदेखी कर देगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : यही बात है।

[हिन्दी]

सभापति जी, राष्ट्रपति का अपमान करने की कितनी गुंजाइश है, इसको समझ लीजिये। राष्ट्रपति का दो तरह से अपमान होगा यह बात मेरी आप समझ लीजिये। यदि इस प्रकार का काम राष्ट्रपति से करायेंगी तो राष्ट्रपति दूसरे रूप में बदनाम हो जायेंगे कि राष्ट्रपति स्वयं 6 लोगों को और चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, उनको भी डिसमिस करने के लिए राष्ट्रपति को मजबूर करेंगे तो उनको दून ढंग से बदनाम करने का काम करेंगे जिसके लिए आप इसमें गुंजाइश कर रहे हैं। सभापति जी, इसको मानना मुश्किल है। इसलिए इस सोसायटी को एक व्यक्ति के हाथ में देने का कानून एक जगह नहीं दो जगह अधिकार देकर कर रहे हैं। राष्ट्रपति एक व्यक्ति के हाथ में सोसायटी को दे सकते हैं।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी एक व्यक्ति के हाथ में दी जानी चाहिए। अब ज्वांयट सेक्रेटरी होगा, वह राजनैतिक नेता होगा और कोई अन्य होगा, हम नहीं जानते। चूंकि इस सोसायटी का आदमी जनरल सैक्रेटरी के तौर पर 20 साल तक रहा है, उन्होंने सोसायटी को लूटा है और उन्होंने सोसायटी को यहां तक लूटा है कि हिन्दुस्तान का कोई भी कानून, आईपीसी की कोई ऐसी दफा नहीं है जिससे उनको पकड़ सके लेकिन वह नहीं पकड़ा गया। सरकारें आयीं और गई और वह बना रहा। उसने सब कुछ दबाने का काम किया है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह सदन चाहता है कि इण्डियन रेड क्रास सोसायटी सही ढंग से चले। यह सदन हर तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है और हम लोग भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम सब की भावनाओं को ठुकरा कर आगे ले जायेंगे तो हम लोगों के सामने 2-3 उपाय रहेंगे।

राष्ट्रपति से जाकर कहना कि इस कानून से हम सहमत नहीं है। जो बातें हमारे बुजुर्ग साथी और नेता श्री चित्त बसु ने रखी हैं, उसके अन्तर्गत इस मामले को दुनिया के हर मंच पर जो हो रहा है, उसके बारे में आवाज उठाना और तीसरा हिन्दुस्तान के लोगों का इंडियन रेड क्रास सोसायटी से सम्बन्ध है, हम लोगों की आपत्ति इस सोसायटी से लगती हैं और पिछले एक अरसे से

जिस तरह से इसको दवा रखने का काम हुआ है, इस विधेयक के मामले में आवाज उठाना और उन्हें इस बारे में संगठित करना। हमें तीन काम अनिवार्य रूप से और बहुत मजबूरी के साथ करनी पड़ेगी और उनसे बचाना आपके हाथ में है। हम इस कानून का सिद्धांततः नहीं बल्कि व्यवहार रूप से विरोध कर रहे हैं और मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि चाहे तो वे मणिशंकर अय्यर को इसका चैयरमैन बना दें, आप अपने लोगों को रखिये, इस सदन में प्रस्ताव करायें :

इस समिति को सात दिन से एक मिनट भी ऊपर का समय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की मेहरबानी मत करें कि इस देश की आबरू कहीं भी इस कानून के जरिये खत्म न करें।

चेयरमैन साहब, मुझे विश्वास है कि यदि आपकी और आवाज हमारे साथ मिलेगी तो बहुत बड़ी सेवा इस देश की आपकी तरफ से भी होगी।

[अनुवाद]

श्री संफुद्दीन चौधरी : हम सबने जो प्रयास किए हैं, क्या वे उन पर विचार नहीं कर रहे हैं? क्या आपको हमारी बातें स्वीकार्य नहीं हैं?

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं काफी संक्षेप में बात कहूंगा।

सभापति महोदय अब समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एम०एल० फोतेदार : सभापति जी, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की इस बात का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करता हूं कि उन्होने कहा है कि पहली बार वह मेरी बगल में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गर्मी भी मिली और कंपकंपी भी। काश ! बगलगीर भी होते, तो इनको भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फर्नान्डीज साहब से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हर बात से वाकिफ हैं कि इंडियन रेड क्रास सोसाइटी में पीछे क्या हुआ है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्हीं को दूर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इस विधेयक को पास किया जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया है, और इसे संसद की बैठक बुलाये जाने की तारीख से छः महीनों के भीतर पारित किया जाना चाहिये।

कुछ प्रश्न किये गये हैं कि क्या इस विधेयक के प्रावधान जेनेवा सम्मेलन के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करते हैं। मैं अधिकार पूर्वक और अपने विधि सम्बन्धी अध्ययन

और मुझे दी गई रायों के आधार पर कहता हूं कि यह अवधारणा गलत और भ्रामक है, यह विधेयक भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी से सम्बन्धित किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अथवा जेनेवा सम्मेलन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

जो दूसरी बात उठाई गई है वह यह है कि क्या भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के स्वायत्त चरित्र अथवा स्वैच्छिक चरित्र को दुर्बल बनाया जा रहा है। मैं पूरे दायित्व के साथ सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि यह केवल स्वायत्तता को नष्ट करने का, स्वैच्छिक चरित्र को नष्ट करने का, स्वैच्छिक चरित्र को नष्ट करने का ही प्रश्न नहीं हैं, चाहे स्वतन्त्रता कम हो रही है अथवा स्वैच्छिक चरित्र में गिरावट आ रही हैं यह जैसा है वैसा ही रहेगा।

कतिपय बातें जो नियमों में थी, उन नियमों को अधिनियम में लाया गया है, जिन कतिपय कार्यों को नियमों के अन्तर्गत अथवा नियमों के विपरीत किया गया था, मैं उन्हें यहां ले आया हूं। इसे नष्ट नहीं किया गया है, इसमें सुधार हुआ है और विधि के तहत इसे मजबूत किया गया है।

एक मुद्दा यह उठाया गया है कि उस समय 29 लोग थे और अब केवल 18 सदस्य होंगे, छः लोगों को मनोनीत किया जायेगा और 12 सदस्यों का राज्य समिति द्वारा चयन किया जायेगा, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैंने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संगठन के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच कर ली है और उनका कहना है कि स्वैच्छिक चरित्र, स्वायत्तता चरित्र क्या है, यह प्रबन्धन निकाय की रचना अथवा आकार निर्धारित नहीं करता।

इसका पाठ निम्न प्रकार से है :

"यदि सरकार को आधे से भी कम मत मिलते हैं तो फिर भी अधिकतर मामलों में, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी और रेड क्रास लीग इत्यादि के पास हल मौजूद है।"

इस प्रकार, हमारे पास छः भी नहीं हैं। हमने श्री मनोरंजन भक्त के सुझाव, कि हमें क्या करना चाहिए, पर विचार किया है, हम उन लोगों को दोहरी सदस्यता दे रहे हैं जो राज्य में निकाय द्वारा निर्वाचित होंगे।

दूसरी बात यह है कि यह जरा एक क्रांतिकारी कदम है, मैं इसका लोकतन्त्रीकरण कर रहा हूं। वर्तमान अधिनियम में, किसी भी निर्वाचित सदस्य की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, अवधि निर्धारित नहीं है, वह हमेशा के लिए सदस्य बन सकता है, हमने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि किसी भी निर्वाचित सदस्य की अवधि केवल दो वर्ष की रहेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो इसे और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, मेरा यह कहना है कि यह विधेयक जमींदारी प्रथा को समाप्त करता है, गत समय में जो कुछ हुआ है उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मानवीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से और सलाह के आधार पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति केवल मन्त्रि परिषद् की सलाह पर कार्य करता है, वह मन्त्री परिषद् को कभी नोटिस नहीं देता।

6.00 म.प.

यहां राष्ट्रपति महोदय अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के प्रेसीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें इस संगठन में काम संभालने से पूर्व एक सूचना देनी होती है। संविधान के अन्तर्गत उन्हें सूचना नहीं देनी होती, वे परामर्श स्वीकार करते हैं। यहां उन्हें एक सूचना देनी होती है कि इस प्रबन्धन सभा का अधिक्रमण क्यों नहीं किया जाए। यहां हमने इसका उल्लेख किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सूचना देने हेतु उन्हें मंत्री परिषद् परामर्श देगी।

श्री एम०एल० फोतेदार : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं इसे स्पष्ट करूंगा। उस मुद्दे के बारे में भी मैं स्पष्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मन्त्री परिषद इसमें सम्मलित नहीं होती। मन्त्री परिषद् कोई भी परामर्श दे सकती है। भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के प्रेजीडेन्ट होते हैं, प्रत्येक वर्ष आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रबन्ध सभा की अध्यक्षता चैयरमैन द्वारा की जाती है। जब भी कोई बात प्रेजीडेन्ट के ध्यान में आती है, तो उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि सभा की बैठक दस मिनट के लिये बढ़ा दी जाए ताकि वोट डालने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, और यदि आवश्यक हो तो हम इस पर मतदान करा सकते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा की बैठक के समय को बढ़ाया जाना है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में हमें जानकारी दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम इस पर सोमवार को विचार कर सकते है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, हम लोगों का त्यौहार है, होली है, हम लोग पूजते हैं। सदन को आज 6.00 बजे एडजौर्न कर देना चाहिये। अब समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सदन का समय तो 6.00 बजे तक है, 6.00 बजे समाप्त हो गया। हम लोग यहां 11.00 बजे से बैठे हैं। ·· **(व्यवधान)**

अब कोई उपाय नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा की बैठक का समय बढ़ाया जाना है। सभा की बैठक कितने बजे तक के लिए बढ़ानी है।

श्री रंगाराजन कुमारमंगलम : एक घण्टा।

सभापति महोदय : क्या सभा की बैठक को एक घण्टा और बढ़ाने से सदन सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य, नहीं।

अनेक माननीय सदस्य, हां,

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : यह पहली बार हुआ है जब स्थगन के आधार पर मतदान में व्यवधान डाला गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति जी, आज प्रातः जब हम लोग बैठे थे तो उसमें यह डिसाइड हुआ था कि किसी भी दशा में 6.00 बजे के बाद, हाउस नहीं बैठेगा, बढ़ाया नहीं जायेगा और 23 मार्च के बाद हम दो घण्टे रोज हाउस का समय बढ़ायेंगे ताकि बिजिनेस पूरा हो जाये, लेकिन आज हाउस नहीं बैठेगा, ऐसा फैसला हुआ था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 23 मार्च के बाद आप चाहें तो आधा घंटा ज्यादा बैठिये, उसमें हमें कोई ओब्जेक्शन नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसे शोर मचाने से कोई बात नहीं बनती। भार्गव जी आप बैठिये।

[अनुवाद]

(श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात थोड़ा संक्षेप में कहूंगा, मेरा विचार है कि मेरे लिए भाषण जारी रखना आवश्यक है. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय पहली बार बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेहरबानी करके सुनिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, लगातार दो दिन से हम लेट बैठ रहे हैं। हमें अपने कर्मचारियों का भी ख्याल करना चाहिये, महिला कर्मचारियों की तरफ भी देखना चाहिये।

एक तरफ तो आप जैसे की छुट्टी नहीं कर रहे हैं, फिर 6.00 बजे भी हाउस को एडजौर्न नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। उसके बाद दिवाली तक आप चलाईये लेकिन आज होली है, आज होली पर भी 6 बजे एडजर्न न करें, इसकी वजह समझ में नहीं आती।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : सभापति महोदय···

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप मुझे बोलने भी देंगे या मैं बैठ जाऊं ?

सभापति महोदय : श्री कापसे जी कृपया आप बैठ जाएं।

श्री रंगाराजन कुमारमंगलम : यह अच्छी बात नहीं है। मैंने ऐसी घटना कभी नहीं सुनी। डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हम 6 बजे सभा की बैठक स्थगित कर देंगे। **(व्यवधान)** क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे ? आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ऐसा प्रयास पूर्व में कभी नहीं किया गया और बिना कारण बोलते रहने से और असम्बद्ध मुद्दों को, उठाकर इस ढग से सभा का समय बर्बाद किया जा रहा है। मुझे खेद है। मैं अपनी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मान मत्री महोदय जी, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने सभा के प्रत्येक दल को समय देने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, आपकी अनुमति के बाद ही हम बोले थे····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सामान्यत: मुझे इस विधेयक पर चर्चा 5 बजे तक समाप्त कर देनी चाहिए थी और 5 बजे मतदान हो जाना चाहिए था। माननीय सदस्य इस बारे में बहुत उत्सुक थे और मैंने भी सोचा कि इण्डियन रेडक्रास सोसायटी अत्याधिक महत्वपूर्ण संस्था है। और इसलिए, मैंने स्वविवेक से इस चर्चा को समय से अधिक चलने की अनुमति दी। यह देखना मेरे ऊपर निर्भर करता है कि चर्चा के लाभदायक निष्कर्ष निकलेंगे। और, इसलिए, सभा की सहमति से मैं एक घंटे का समय और बढ़ाता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, आप गलत पूर्वोदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं···**(व्यवधान)** महोदय, यह अध्यक्ष महोदय की इच्छाओं के विरुद्ध है····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया आप बैठ जाइए। यदि कुछ सज्जन मेरे निर्णय के विरुद्ध हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कार्य की अनुपूरक सूची लेगी। श्री शांताराम पोतदुखे वर्ष 1991-92 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे।

6.06 म० प०

अनुपूरक अनुदान की मांगें (सामान्य), 1991-92

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों कों दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 1574/A/92]

6.00 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 23 मार्च, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

1. 1992-93 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।
2. 1992-93 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य) पर मतदान।
3. 1991-92 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
4. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
5. विदेश मन्त्रालय के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

18.08 बजे

भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक (जारी)

सभापति महोदय : अब सदन में रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) सभापति महोदय मेरे विचार से मेरे एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है। यदि मात्र अभिपुष्टि करना ही उत्तर है तो वह सही उत्तर नहीं है। यह अध्यादेश 23 जनवरी को पारित किया गया था। मैं यह जानना चाहती हूं कि रेडक्रास सोसायटी तथा ऐसे विभाग जो रेडक्रास से संबंधित है के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्यों नहीं कोई कारवाही की गई···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने स्वनिर्णय से, अतिरिक्त समय दिया था मुझे तो 5 बजे ही वाद-विवाद को समाप्त कर देना था तथा 5 बजे ही रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक पर मतदान करा लेना चाहिए था।

(**व्यवधान**)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह कृपया मुझे रोकिये नहीं।

श्री मोहन सिंह : क्यों नहीं महोदय (**व्यवधान**) आपने सदन की स्वीकृति लिए बिना ही सदन का समय बढ़ा दिया। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात में हस्तक्षेप मत करिये।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने आपको बहुत एकोमोडेट किया है। कृपया बैठ जाइए।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, बिजनेस एडवायजरी कमेटी का फैसला है कि आज शाम 6.00 बजे के बाद सदन नहीं चलेगा, तो फिर क्यों बैठे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : चेयरमैन साहब, आपने सदन की इजाजत नहीं ली और आप सदन का टाइम बढ़ाते चले जा रहे हैं (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : मैंने स्वनिर्णय से सदन के सभी सदस्यों के लिए अतिरिक्त समय दिया

था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो विधेयक पर 5 बजे ही मतदान करवा लेना चाहिए था अत: मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरा साथ दे। मैंने एक घंटे का समय दिया था। अत, मैं इस अतिरिक्त एक घण्टे के बारे में पूछ रहा हूं मैंने स्वनिर्णय से समयावधि बढ़ाई थी मैं आपसे उसकी सहमति के बारे में पूछ रहा हूं। यदि आप अपनी सहमति देने के लिए राजी नहीं है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको अतिरिक्त समय दिया परन्तु आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अत: मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। सदन एक घण्टे के लिए बढ़ाया जा चुका है।

अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने संकल्प को वापस ले रही हैं अथवा उसके लिए दबाव डालेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, महोदय, मैं वापस नहीं ले रही हूं। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि विगत में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दल सहायता देने आया था। तथा वे इस अध्यादेश को देखकर वित्तीय सहायता देने पर सहमत नहीं हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 19... को जारी किए गए इण्डियन रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 1902 (वर्ष 1992 के अध्यादेश संख्या-3) का निरनुमोदन करता है।

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ''**(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : चूंकि आप सदन को स्थगित नहीं कर रहे हैं अत: हम लोग सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

18.12 **बजे**

इस समय श्री चित्त बसु तथा कुछ अन्य सदस्य सभा सदन से बाहर चले गए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम लोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेंगे''

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : आपने सदन को बांटने का काम किया है। यह ठीक है। इसलिए हम वाक आउट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

18.12½ **बजे**

(तत्पश्चात् डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय तथा अन्य कुछ माननीय सदस्य, सभा सदन से बाहर चले गए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : होली के त्यौहार पर महिलाएं पूजन करती हैं। सदन में भी महिलाएं हैं। आप हाउस ऐडजर्न कीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव के संबंध में संशोधन हैं जिन पर विचार विमर्श करना है। एक संशोधन श्री गिरधारी लाल भार्गव का है तथा दूसरा श्री रासा सिंह रावत का है। श्री रासा सिंह रावत उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्योंकि आप हाउस ऐडजर्न नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सदन से वाक आउट कर रहा हूं।

6.13 म०प०

तत्पश्चात् श्री गिरधारी लाल भार्गव सभा भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव के संशोधनों को सभा में मतदान के विचारार्थ रखूंगा।

संशोधन सं० 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम 1920 में और आगे संशोधन करने पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्डवार बिचार करेगा।...

(व्यवधान)

इस्पात मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन देव) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी तरफ से दल बदल हुआ है। संसदीय कार्य मन्त्री उस तरफ बैठे हैं।

खण्ड 2—नई धारा 4 से 4 का अन्तःस्थापन

सभापति महोदय : श्री सुख राम का एक संशोधन है। क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री सुख राम (मंडी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

(i) तीसरी पंक्ति,—

"ऐसी और अवधि" के स्थान पर

एक और अवधि" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) चौथी पंक्ति,—

"एक समय में"

का लोप किया जाए। (3)

(**श्री एम० एल० फोतेदार** : महोदय, श्री सुखराम द्वारा प्रस्तुत सशोधन मुझे स्वीकार है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ चार,—

(i) तीसरी पंक्ति,—

"ऐसी और अवधि" के स्थान पर

"एक और अवधि प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) चौथी पंक्ति,—
"एक समय में—"
का लोप किया जाए।" (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंश बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 असंशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 3, 4, 5 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है।
"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड विधेयक पर विचार करेंगे। एक सांविधिक संकल्प हैं। क्या सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री लोकनाथ चौधरी में से कोई है ? वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, मैं आप से सभा स्थागित करने का निवेदक करता हूं क्योंकि जिन सदस्यों ने भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड विधेयक के सांविधिक सकलन की सूचना दी थी वे उपस्थित नहीं है हम चाहते हैं कि चर्चा के समय विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित हों। उनकी अनुपस्थिति में चर्चा करना अच्छा नहीं हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा को स्थगित किये जाने पर सभी सदस्य सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सभा सोमवार 23 मार्च 1992 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

6.17 म.प.

तत्पश्चात् सभा सोमवार, 23 मार्च 1992/3 चैत्र 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एंड संस 7117/18 पहाड़ी धीरज दिल्ली-6

पी०एल०एस०—48/9/18/92 (एम०)

250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक एस० नारायण एण्ड संस, 7117/18, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।